अष्टम माला, खण्ड 37, अंक 29

बुधवार, 6 अप्रैल, 1988
17 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

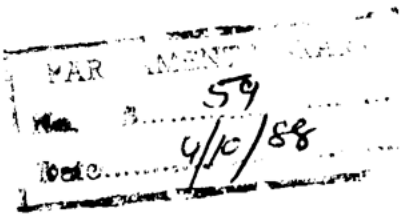

(खण्ड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 6 अप्रैल, 1988/17 चैत्र, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 122, पंक्ति 10, "श्री मुल्लापल्ली राचचन्द्रन" के स्थान पर "श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन" पढ़िये।

पृष्ठ 243, नीचे से पंक्ति 12, "श्री बी0शो भाद्रीश्वर राव" के स्थान पर "श्री वी0शो भाद्रीश्वर राव" पढ़िये।

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 37, बसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 29, बुधवार, 6 अप्रैल, 1988/17 चैत्र, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—30**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 572, 573, 576 और 578 से 580	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**31—146**
तारांकित प्रश्न संख्या : 574, 575, 577 और 581 से 591	31—40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5895 से 5902, 5904 से 5949, 5951 से 5957, 5959 से 5964, 5966 से 6023 और 6025 से 6028	40—146
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**148—149**
लोक लेखा समिति	**149—150**
119वां, 108वां, 109वां प्रतिवेदन	
1988-89 के मौसम के लिए कच्चे पटसन सम्बन्धी मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य	**150**
समिति के लिए निर्वाचन	**150—151**
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	
नियम 377 के अधीन मामले :	**151—155**
(एक) सरसों के लिए लाभप्रद मूल्य नियत करना	
श्री बीरबल	151
(दो) औषधि निर्माता कम्पनियों द्वारा औषधियों के मूल्यों में सीमाशुल्क में कटौती के अनुसार कमी करना	
श्री सन्तोष कुमार सिंह	151—152

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उन्नाव जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों से भू-राजस्व की वसूली न करना	
श्री जगन्नाथ प्रसाद	152
(चार) महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करना	
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	152—153
(पांच) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भरगैन अथवा अलीगंज में नवोदय विद्यालय खोलना	
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	153
(छः) स्वदेश-प्रत्यावर्तित सहकारी वित्त और विकास बैंक लि० के क्रियाकलापों का विस्तार करना	
डा० ए० कलानिधि	153—154
(सात) दूरसंचार सेवाओं में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना क्षेत्र में, सुधार करना	
श्री अख्तर हसन	154
(आठ) राष्ट्रीय बचत पत्र की अनुलिपि प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	154—155
अनुदानों की मांगें, 1988-89	**155—207 और 214—247**
ऊर्जा मन्त्रालय	
श्री बसुदेव आचार्य	155—161
श्री जनक राज गुप्त	161—163
श्री के० मोहनदास	163—164
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	164—166
डा० जी० विजय रामा राव	166—168
श्री सी० के० जाफर शरीफ	168—171
डा० ए० कलानिधि	171—175
प्रो० पी० जे० कुरियन	175—178
श्रीमती सुशीला रोहतगी	178—189
श्री विजय कुमार यादव	189—192

विषय	पृष्ठ
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	192—196
प्रो० सैफुद्दीन सोज	196—200
डा० गौरी शंकर राजहंस	200—202
श्री आर० जीवरत्नम	202—207
श्रीमती किशोरी सिंह	214—217
श्री राम नारायण सिंह	217—218
श्री शान्ति धारीवाल	218—220
कुमारी ममता बनर्जी	220—223
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	223—224
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	224—226
श्री वसन्त साठे	226—246
श्रीलंका के बारे में वक्तव्य श्री के० नटवर सिंह	207—214
कार्य मन्त्रणा समिति 52वां प्रतिवेदन	247

लोक सभा

बुधवार, 6 अप्रैल, 1988/17 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दुकानों और फ्लैटों के अनुसूचित जातियों के आवंटितियों को वित्तीय सहायता देने की योजना

[अनुवाद]

*572. श्री पी० एम० सईद : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दुकानों और फ्लैटों के अनुसूचित जातियों के आवंटितियों को एकमुश्त धनराशि के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख). भारत सरकार को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ फिर भी दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव किया है कि उक्त निगम का अनुसूचित जाति के आवंटियों को दुकानों और फ्लैटों की प्रारम्भिक एक-मुश्त अदायगी करने के लिए ऋण प्रदान करे बशर्ते कि दिल्ली विकास प्राधिकरण इस ऋण की वापसी की व्यवस्था करे । यह बताया गया है कि यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने दिल्ली प्रशासन से सरकार को प्राप्त सूचना का विवरण दिया है । मन्त्री महोदया ने बहुत ही चतुराई से अपने जवाब में न तो स्वीकारात्मक उत्तर दिया है और न ही नकारात्मक उत्तर दिया है । मैंने पूछा है कि क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । उन्होंने कहा कि दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव किया है और प्रस्ताव अब दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचारा-धीन है । मैं समझता हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है तथा इसे सरकार के समक्ष रखा जाएगा। क्या प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और क्या वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रस्ताव को सरकार के समक्ष जल्द ही प्रस्तुत करे ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई भी प्रस्ताव

सरकार को नहीं भेजा है । वे स्वयं ही इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। जब सरकार को यह प्रस्ताव प्राप्त होगा तब हम यह विचार करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि इसमें कितना समय लगेगा।

श्री पी० एम० सईद : हमारा अनुभव यह रहा है कि कमजोर वर्गों को ऋण की प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाने के सरकार के पुरजोर प्रयासों के बावजूद, परिणाम अपेक्षित नहीं रहे हैं। हम लोगों में से गरीब वर्ग के लोग ऋण समय पर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अनेकों अड़चनें पैदा की जा रही हैं तथा अत्यधिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसकी वजह से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी गरीब वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण जारी करने में देरी होती है और सरकार की आकांक्षाएं सफलता के रूप में समाप्त हो रही हैं। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा सम्भव है लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार 'गरीबी उन्मूलन बैंक' की तरह से एक पृथक बैंक के बारे में विचार कर सकती है ताकि इस प्रकार की आकस्मिकताओं का सामना किया जा सके और विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना के अन्तर्गत गरीब वर्गों को सहायता मिले।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम केवल इसी प्रयोजन हेतु है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अतिरिक्त राशि तथा ऋण मुहैय्या करते हैं। मैं नहीं समझती कि इसके लिए एक पृथक बैंक की कोई आवश्यकता है।

महिलाओं के प्रति अपराध

*573. **श्री हन्नान मोल्लाह†** :

श्रीमती विमा घोष गोस्वामी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा विवाहित महिलाओं की अस्वाभाविक मौतों के बारे में किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) महिलाओं के प्रति अपराधों को कम करने के लिए रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 1986 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में विवाहित महिलाओं की अस्वाभाविक मौतों का दहेज के कारण होने वाली मौतों के विशेष संदर्भ में, अध्ययन किया था।

(ख) अध्ययन के आंकड़ों से मालूम हुआ है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में विवाहित महिलाओं विशेषकर 18-30 वर्ष के आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं को मौत की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

अध्ययन में दिए गए सुझाव महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की जाँच-पड़ताल के बारे में

पुलिस के कार्यकरण में सुधार करने और इस विषय के कानून को अधिक कारगर बनाने से सम्बन्धित हैं।

(ग) चूंकि 'पुलिस और लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं इसलिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने इस अध्ययन की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही के लिए फरवरी, 1987 में सभी राज्य सरकारों को भेज दी थीं।

भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का न केवल दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों से बल्कि विवाहित महिलाओं के साथ निर्दयता के मामलों से भी कारगर ढंग से निपटने के लिए संशोधन किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को भी उपबंधों को अधिक कड़े और कारगर बनाने के लिए संशोधित किया गया है। मन्त्रालय ने विवाहित महिलाओं की अस्वाभाविक मौतों के मामलों में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

श्री हम्नान मोल्लाह : यह वक्तव्य स्वयं ही यह कहता है कि विवाहित महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचारों तथा उनके मारे जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

आप आंकड़ों को देखिए। 1985 में यह संख्या 990 थी। 1986 में यह बढ़कर 1390 हो गई। इस प्रकार बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है।

आप इन आंकड़ों को देखकर चकित होंगे कि बिहार में 1986 में यह संख्या 62 थी और अब जुलाई 1987 तक यह बढ़कर 408 हो गई है। दिल्ली में यह 64 तथा 78 थी। उत्तर प्रदेश में यह 46। थी तथा जुलाई तक 553 है। इस प्रकार हर राज्य में इस प्रकार की घटनाओं में चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है। सख्त कानूनों की व्यवस्था है। संशोधन भी होते रहते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद, कार्यान्वयन की स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं है।

आपको सुधा गोयल का मामला याद होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यह निर्णय दिया कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए तब भी वे दो वर्षों से फरार थे। जब सामाजिक संगठनों ने संघर्ष किया केवल तभी अन्ततः दो वर्षों के बाद उन्हें जेल भेजा गया था।

इस सबको देखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विवाहित महिलाओं की अस्वाभाविक मौतों के कितने मामले दर्ज किए गए, तथा कितने मामलों में अदालत में कार्यवाही की गई और फैसले क्या रहे तथा क्या फैसलों को कार्यान्वित किया गया अन्यथा नहीं? इन मामलों का हश्र भी सुधा गोयल के मामले की तरह न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय सदस्य की चिन्ता में हम सहभागी हैं। जहां तक सभी राज्य सरकारों का सम्बन्ध है तो जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि ये रिपोर्ट हमारे पास नहीं हैं। लेकिन जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है तो मैं पिछले तीन वर्षों के बारे में अपेक्षित सूचना बता सकता हूं। यह इस प्रकार है :—

वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गई
1985	43

वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गयी
1986	64
1987	79
1988 (15 मार्च तक)	13 (केवल)
वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिन्हें अदालतों में स्वीकार किया गया
1985	43
1986	63
1987	78
1988	13
वर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें चालान किए गए
1985	41
1986	51
1987	36
वर्ष	उन मामलों की संख्या जो अदालत में विचाराधीन हैं
1985	41
1986	50
1987	36
वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें जांच की जा रही है
1986	8
1987	41
वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषमुक्त कर दिया गया
1986	1
वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिनका पता नहीं लग सका
1985	2
1987	1

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1986	156
1987	175
1988 (अब तक)	25
वर्ष	**रद्द किए गए मामलों की संख्या**
1986	1
1987	1

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं यह अनुरोध करता हूं कि सम्पूर्ण सूचना देश भर से एकत्र हो जाने पर, सभा के सम्मुख रखी जाएगी।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है : मैंने काफी तादाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। वे यह शिकायत कर रहे हैं कि दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन के बाद अपराधियों की जांच करने के लिए तथा अभियोग चलाने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों ने इन विशेष कक्षों का गठन नहीं किया है। जहां पर ऐसे केन्द्र बन भी गए हैं तो वे केवल जांच ही कर सकते हैं अभियोग चलाने की उनके पास कोई शक्ति नहीं है। वे अभियोग नहीं चला सकते हैं और इसकी वजह से बहुत से मामलों को दर्ज अथवा उन पर आगे कार्यवाही नहीं की जाती है। इसे देखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वे इस बात के लिए सहमत होंगे कि इस अधिनियम में और संशोधन किया जाए और विशेष कक्षों को शक्तियां दी जाएं अर्थात अभियोग चलाने की शक्तियां दी जाएं तथा अदालतों में भी इस प्रकार के कक्ष हों जो यह देखें कि उनके निर्देश तथा फैसले कार्यान्वित हों।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : राज्य सरकारों का जहां तक सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों को बार-बार लिखते रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में नवीनतम सूचना हमें भेजें। जब भी ये सूचनाएं हमारे पास आएंगी तब माननीय सदस्यों को सूचित करेंगे।

जहां तक कानूनों को अधिक सख्त बनाने का सम्बन्ध है तो इस सभा में हाल ही में हमने इन कानूनों को और अधिक कठोर बनाया है। (**व्यवधान**) इसलिए, इन बातों के अलावा मैं आशा करता हूं कि हमें यह जानकारी मिलेगी कि इन कानूनों को किस हद तक कार्यान्वित किया जा रहा है, क्योंकि ये अधिनियम 1986 तथा 1987 में ही बनाए गए थे। इस प्रकार, 1985 में भी जिन मामलों की रिपोर्ट की गई थी वे भी अभी अदालतों में विचाराधीन हैं। वहां आप जानते ही हैं कि किस प्रकार कार्यवाही होती है। इसलिए इस सभा के माननीय सदस्यों की भावनाओं से हम अवगत हैं तथा हमें सख्त कार्यवाही कर रहे हैं तथा कठोर कदम उठा रहे हैं। हम सभी तथा सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं का सहयोग चाहेंगे क्योंकि उनके सहयोग की आवश्यकता तो इन कानूनों के कार्यान्वयन से भी अधिक है क्योंकि यह एक सामाजिक अपराध है और हमें इस बारे में सामाजिक स्तर पर भी संघर्ष करना होगा। इसलिए माननीय सदस्य के सुझावों को हम पूरी गंभीरता से ध्यान में रखेंगे। जहां तक सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा महिला संगठनों का सम्बन्ध है तो महिलाओं के प्रति अपराधों की समस्या के समाधान को ढूंढने में हम उनकी सक्रिय मदद कर लेंगे।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मन्त्री महोदय ने ऐसे अनेक मामले बताए हैं जहां मौतें हुई हैं ; लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित मामले नहीं आए हैं ; और इसका कारण स्वयं अधिनियम में विद्यमान मौलिक त्रुटि है अर्थात पीड़ित व्यक्ति और इस अपराध को करने वाले अपराधी को बराबर मानना यानी दहेज देने वाले तथा लेने वाले को बराबर मानना ।

संयुक्त प्रवर समिति की बैठकों में भी इसके विरोध में काफी सख्त विचार प्रकट किए गए थे। भारत में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में वधू के अभिभावकों अथवा वधू के पक्ष द्वारा वर पक्ष को दहेज देना पड़ता है ; और उन्हें दूसरे पक्ष की मांगों अथवा लालच की पूर्ति करनी पड़ती है। वास्तव में ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं, लेकिन इस अधिनियम में इन्हें बराबर माना गया है ; तथा महिला को मारने से या अपने विवाह वाले घर से बाहर निकाल दिए जाने से पहले दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना आसान नहीं होता है क्योंकि इसका मतलब है कि पीड़ित व्यक्ति दोहरे रूप में सजा पाता है। यही वजह है कि महिलाओं के संगठन भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते । इसके बजाय वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 के अन्तर्गत अर्थात विश्वास भंग के आधार पर मामले दर्ज करेंगे। इस कानून में ठीक प्रकार से संशोधन किया गया होता, उदाहरण के लिए दहेज देने वाले पक्ष को न्यायालय में साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए समर्थ किया गया होता, तो इससे मामलों का पता लगाने में आसानी रहती और इससे नृशंस मौतें भी टाली जा सकती थीं ? क्या माननीय मन्त्री इस कानून में जल्दी संशोधन के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पहले ही इस मुद्दे पर, जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है, ध्यान दिया जा चुका था। दहेज-प्रतिषेध अधिनियम 1961 को दहेज-प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित किया गया है ताकि दहेज-प्रतिषेध अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया जा सके। इस अधिनियम द्वारा मूल दहेज-प्रतिषेध अधिनियम में वर्णित अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समाधेय बना दिया गया है। दहेज लेने और देने के लिए दण्ड बनाने हेतु एक व्यवस्था भी की गई है। दहेज-प्रतिषेध अधिनियम, 1984 में इस व्यवस्था को अधिक कड़ा और प्रभावी बनाने के लिए 1986 में और संशोधन किए गए। दहेज लेने या देने हेतु उकसाने के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम दण्ड को छह महीने से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है—और जुर्माना 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। (**व्यवधान**)

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह माननीय सदस्य की इच्छानुसार संशोधित किया गया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप यह सिद्ध करने का दायित्व कि दहेज की कोई मांग रही थी उस व्यक्ति का होगा जो दहेज लेता है या दहेज लेने के लिए उकसाता है। यहाँ तक कि अधिनियम के अन्तर्गत अपराध, गैर जमानती कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा दहेज-प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने का भी फैसला किया गया है—जो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में बहुत सहायता करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इन अधिकारियों की राज्य सरकार सहायता करेगी। (**व्यवधान**) हमने राज्य सरकारों से कहा है।...(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि आप चाहती हैं तो अपना प्रश्न दोहरा सकती हैं। आप इसे दोहराइए।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1961 में निम्नलिखित बात कही गई है :

> "3. दहेज देने या लेने के लिए दण्ड—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद दहेज देता या लेता है या दहेज देने या लेने के लिए उकसाता है तो वह कारावास के दण्ड का भागी होगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी और उसे जुर्माना भरना पड़ेगा जो कि 15000 रुपए से कम न होगा या इतनी ही धनराशि, आदि-आदि···"

मेरा मुद्दा यह है कि दोनों पक्षों को समान माना गया है लेकिन वास्तविक व्यवहार में हमारी वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं। यही कारण है कि यदि कोई मामला दहेज-प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है तो दहेज से पीड़ित को दो बार प्रताड़ित किया जाता है। क्या आप इसे ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस बात का ध्यान रखा गया है और यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए और कठोर बना दिया गया है कि उन्हें दण्ड मिले।

कुमारी ममता बनर्जी : आप इस प्रश्न पर हमें पूरी चर्चा की अनुमति दीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। (**व्यवधान**)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैंने आपको बताया था कि इसमें संशोधन कराया गया है और जहां कहीं भी आपत्ति उठाई गई है उन्हें दूर किया गया है। अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप प्रश्न को स्पष्ट करेंगे ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपरेस्ट और आपरेसर बराबर हैं या नहीं—उसके मुताल्लिक पूछ रही हैं। अगर हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि इस आपत्ति को दूर करने के लिए इसे अधिक कठोर बनाया गया है ताकि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। सभी संशोधन इस आपत्ति को दूर करने के लिए और इसे अधिक कठोर बनाने के लिए किए गए हैं। (**व्यवधान**) दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों दण्डनीय हैं। (**व्यवधान**)

श्री हम्माद मोल्लाह : वे बराबर नहीं हैं। आप लड़की के अभिभावकों के दुःख को समझ सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : दहेज देने वाले को दण्डित किए बगैर दहेज लेने वाले को कैसे दण्डित किया जा सकता है ? हमने दोनों को शामिल किया है।

श्री शांताराम नायक : वे मौतें जो वैवाहिक कारणों या दहेज के कारण से होती हैं हम उन्हें

निश्चित रूप से पुलिस तन्त्र के जरिये नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये सामाजिक अपराध है। इस सम्बन्ध में निवारक तन्त्र बहुत ही सीमित हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहां गड़बड़ी वाले क्षेत्र हैं वैसे ही क्या सामाजिक रूप से विक्षुब्ध उन परिवारों पर जिनके सामाजिक जीवन पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं निगरानी रखी जाएगी। यदि यह पता चले कि किसी परिवार के सम्बन्ध में कुछ रिपोर्टें हैं तो सरकार इस प्रकार के सामाजिक रूप से विक्षुब्ध-परिवारों पर निगरानी रख सकती है ताकि कुछ क्षेत्रों के संबंध में निवारक उपाय किए जा सकें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : गड़बड़ी वाले क्षेत्रों की रिपोर्टें हमारे पास आती हैं। और यदि हमें विक्षुब्ध परिवारों तक इसे बढ़ाना पड़े तो फिर शायद इसे ढूंढ़ निकालना बहुत कठिन कार्य हो जाएगा।

प्रो० के० के० तिवारी : अपराधों या महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में बहुत सारे कानून हैं और इस सम्बन्ध में सिफारिशों और अनुसंधान पत्रों की कमी नहीं है और अप्राकृतिक मौतों के स्रोत, दहेज सम्बन्धी मुद्दे ही नहीं हैं बल्कि अन्य मुद्दे भी हैं। उदाहरण के लिए इस देश में सती प्रथा का चलन सबसे घृणित प्रथाओं में से एक है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि** पुरी के स्वामी शंकराचार्य सती प्रथा का उपदेश देते फिर रहे हैं वह धर्मग्रन्थों में से यह उद्धृत कर रहे हैं कि हिन्दू धर्मग्रन्थों में सती की स्वीकृति दी गई है। क्या सरकार ने कोई कदम उठाए हैं और कार्यवाही क्यों नहीं की गई है तथा पुरी के शंकराचार्य को सती होने के अधिकार के बारे में उपदेश देने के लिए अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह इस प्रश्न के मामले में संगत नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। कानून अपना असर खो बैठते हैं जब तक कि सभी कानून क्रियान्वित न किए जाएं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप वह शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते हैं। यह इस प्रश्न के लिए संगत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह बहुत सुसंगत हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : यह प्रश्न विवाहित महिलाओं की अप्राकृतिक मौतों के बारे में है। (**व्यवधान**) कृपया प्रश्न को देखें।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वह तो हत्या है।

प्रो० के० के० तिवारी : सती एक गैर-कानूनी कार्य है। प्रश्न विवाहित महिलाओं की अप्राकृतिक मौतों के बारे में है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह हत्या है।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका वह प्रश्न उठाना पूरी तरह न्यायसंगत है। यह महिलाओं के

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रति किया गया अपराध है और इसी कारण यह दण्डनीय है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : क्या यह सभा 'सती' को प्राकृतिक मौत करार देगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह अप्राकृतिक मौतों के बारे में है। यह इस प्रश्न से बहुत ज्यादा संगत है। यह एक दण्डनीय अपराध है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह प्रश्न अलग तरह से भी पूछा जा सकता है क्योंकि हमने इसे ठीक ढंग से निपटाया है और इस पर ठीक प्रकार से चर्चा की है— और मैं समझता हूं कि हम सब इसके विरुद्ध हैं। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : शंकराचार्य के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह प्रश्न महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के बारे में है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी मुझे इस चर्चा पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। हमारी सबकी एक ही सम्मति है। हमने संयुक्त रूप से और मैं समझता हूं मिलकर उसके विरुद्ध फैसला किया है। क्या ऐसा नहीं है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सब इसके विरुद्ध हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, वह केवल यह कहना चाहते हैं कि यह प्रश्न न केवल अप्राकृतिक मौतों से सम्बन्धित बल्कि विवाहित महिलाओं से भी सम्बन्धित है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उन्होंने किसी अविवाहित सती को भी देखा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाएं। चिल्लाएं नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया प्रश्न का भाग 'ग' देखें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मन्त्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मुझे स्पष्ट करने दें। प्रश्न के भाग (ग) में महिलाओं के

विरुद्ध होने वाले अपराध कम करने के बारे में किए गए उपायों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसलिए सती वाली बात इस प्रश्न में शामिल है और मुझे यह नहीं मालूम है कि उन्हें यह विचार कैसे आया कि अविवाहित महिलाएं भी सती के अन्तर्गत आती हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, एक मिनट। कृपया मुझे भी सुनें। दहेज कुछ और चीज है तथा सती बिल्कुल अलग चीज है। इतनी साधारण सी यह बात है मुझे आपकी इस बात से सहमत होने में जरा भी संकोच नहीं है कि सती एक घृणित अपराध है हमने इस पर चर्चा की है और हम इस पर सहमत हुए हैं। यह प्रश्न दहेज सम्बन्धी मौत का है और वह दहेज सम्बन्धी मौत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिल्ला रहे हैं? यदि आप उस पर चर्चा चाहते हैं तो मैं आपको उस पर दूसरी पूरे समय की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। मुझे चर्चा की अनुमति देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि इसका यहां उत्तर नहीं दिया गया तो इसका बाहर बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। उन्हें उत्तर देने दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इसे विस्तार में कह रहा हूं। कृपया मुझे सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है, हमारा उस मुद्दे पर बिल्कुल भी मतभेद नहीं है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि दहेज कुछ और चीज है और वह भी स्पष्टतः हत्या है, इस बात पर मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हत्या हमेशा अप्राकृतिक होती है। हमें इन दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दहेज लड़की को जलाने या दम घोटकर मारने का कारण है। सती कुछ और चीज है, लोग उसके पति की मृत्यु के पश्चात उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। परन्तु फिर भी यदि मन्त्री उत्तर देना चाहते हैं तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि हमने सती के इस घृणित कार्य की निन्दा करते हुए कानून पारित किए हैं और सारा देश इसकी निन्दा करता है। महोदय सती के पक्ष में कुछ कहना···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उनका प्रश्न यह है कि आप पुरी के शंकराचार्य से कैसे निपटने जा रहे हैं जिन्होंने सती प्रथा का गुणगान किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सरल है हमें तकनीकी तौर पर एक शादीशुदा महिला और एक विधवा के बीच अन्तर देखना है। सती का प्रश्न केवल महिला के पति की मृत्यु के बाद उठता है। यह प्रश्न शादीशुदा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में हैं। यह एक तकनीकी बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप मुझे बोलने से मत रोकिए। मैं उस मुद्दे के बारे में आपसे सहमत हूं। मैं इस बारे में आपसे असहमत हूं कि यदि आप चाहें तो उस मुद्दे के बारे में हम अलग से एक चर्चा कर सकते हैं। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मैं इसकी तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहता और इस बारे में बहस नहीं करना चाहता कि यह ठीक है अथवा गलत। हम आपके निर्णयों के आधार पर कार्य करते हैं आप जो भी उचित समझें उसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। अब इस प्रश्न के बारे में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस सरकार ने अन्य किसी पूर्व-सरकार से कहीं अधिक कार्यवाही की है। **(व्यवधान)**

एक सेकेण्ड रुकिए। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप जिस समय भी चाहें इस विषय पर इस सदन में चर्चा करने के इच्छुक हैं। यदि यह विषय इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है तो भी हम चर्चा करने के लिए इच्छुक हैं **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : यहां चर्चा का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि श्री तिवारी द्वारा एक सरल और साधारण प्रश्न पूछा गया था और वे इसका उत्तर चाहते थे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, तकनीकी आधार पर आपकी बात गलत है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि तकनीकी आधार पर भी उनका प्रश्न पूर्णतः ठीक है। इसमें दहेज का उल्लेख नहीं है। इसमें विवाहित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है। **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : मैं अपनी बात स्वयं कह सकता हूं। मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में इस मुद्दे के बारे में कोई मतभेद नहीं है। इस एक मुद्दे के बारे में हम पूर्णतः सहमत हैं। मैं इस पर आपसे बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं। हम इस मुद्दे के बारे में एकमत हैं कि हम इसके विरुद्ध हैं। यह अति सरल बात है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह एक अच्छी बात है कि पहली बार हमारे मित्र श्री तिवारी

और विपक्ष के श्री दण्डवते एक मुद्दे के बारे में एक साथ हैं। उनके प्रश्न का उत्तर अति सरल है। जैसा कि माननीय प्रधान मन्त्री ने उल्लेख किया है हमने सती प्रथा के विरुद्ध कड़े कदम उठाए हैं। और सरकार सती प्रथा के पक्ष में कहे गए किसी भी कथन की निन्दा करती है···

श्री वसुदेव आचार्य : उत्तर क्या है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इसका उत्तर यह है कि इस बारे में कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है। उन्हें अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे प्रक्रिया सम्बन्धी मामले के बारे में कहना है यह प्रश्न उन अपराधों से सम्बन्धित हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा निपटाया जाना है। इसके बावजूद भी आपने प्रश्न की अनुमति दी है। अतः यह कहने के आधार पर ही वे दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते कि प्रश्न राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। प्रश्न यह है कि क्या वे यह परामर्श देंगे कि शंकराचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही अवश्य की जाएगी। मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब एक कानून पारित किया जाता है तो उसे लागू भी किया जाना चाहिए। यह बात अति सरल है।

श्री वसुदेव आचार्य : कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमने कल यही बात कही थी।

प्रो० मधु दण्डवते : पुरी के शंकराचार्य का नाम लेने में वे शरमा रहे हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत से संशोधन किये गये हैं। देश में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए महिला संगठनों द्वारा ईमानदारीपूर्वक किये गये बहुत से प्रयासों के बावजूद हिन्दू समाज में एक कमी है कि उस परिवार के पुरुष सदस्यों की भांति परिवार की लड़की को सम्पत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। इस कमी के कारण ही, इन सभी प्रयासों के बावजूद ये सभी अप्रिय बातें घटित हो रही हैं। क्या अन्य पुरुष सदस्यों की भांति लड़की को भी सम्पत्ति में भागीदार बनाने के लिए सरकार हिन्दू आचार संहिता में संशोधन करेगी ? अब तक केवल पिता की मृत्यु के बाद वह सम्पत्ति के उत्तराधिकार की हकदार है। परन्तु जब तक लड़की का पिता जीवित रहता है तब तक वह सम्पत्ति के अधिकार की पात्र नहीं है। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी क्योंकि हम रोजगार में महिलाओं को समान अधिकार दे रहे हैं। हम प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार देना चाहते हैं। फिर एक परिवार की महिला सदस्य को अपने पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त क्यों नहीं है ? आन्ध्र प्रदेश सरकार एक ऐसा अधिनियम लाई है और उसे राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। फिर केन्द्रीय सरकार हिन्दू आचार संहिता में ऐसा संशोधन क्यों नहीं ला रही है ? माननीय प्रधान मन्त्री यहां उपस्थिति सरकार को मेरे पूरक प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह प्रश्न विधि मन्त्रालय को भेजा जा सकता है। यह एक अलग प्रश्न है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : प्रधान मन्त्री महोदय यहां उपस्थिति है। वे यह कह सकते हैं

कि सरकार इस बारे में विचार करेगी। वे ऐसा नहीं कह सकते कि विधि मन्त्रालय इस बारे में विचार करेगा। (व्यवधान)

क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय परियोजनाएं

*576. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाओं का, प्रत्येक में निवेश सहित, ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या उन पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग). सदन पटल पर विवरण-पत्र रख दिया गया है।

विवरण

मन्त्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में दी गई केन्द्रीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 126 परियोजनाएं गत 3 वर्षों (1-1-85 से 31-12-87) के दौरान अनुमोदित की गई, इनमें से 99 समय सूची के अनुसार चल रही बताई गई हैं और 27 समय से पीछे चल रही हैं।

2. रेलवे योजना में धन के अभाव के कारण कुछ रेलवे परियोजनाओं के चालू होने की लक्ष्य तिथियां निर्धारित नहीं की गई हैं और इसलिए, उनके पूरा होने की तारीख भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

3. अनुमोदन के समय अनुमानित लागत, स्थान, प्रगति का ब्यौरा और विसर्पण, यदि कोई हो, के विस्तृत कारण अनुबन्ध में दिए गए हैं।

अनुबन्ध

परियोजना का नाम	स्थान (राज्य)	अनुमोदित लागत (मूल) 20 करोड़ रुपये से अधिक	31-12-87 की स्थिति के अनुसार विसर्पण यदि कोई हो, के विस्तृत कारणों सहित प्रगति
1	2	3	4
परमाणु ऊर्जा			
1. राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 एवं 4	राजस्थान	711.56	कोई विलम्ब नहीं
2. कैगा परमाणु विद्युत परियोजना	कर्नाटक	730.72	,, ,, ,,
3. कठोर जल परियोजना	हजीरा गुजरात	222.71	,, ,, ,,
नागर विमानन			
4. 48 हैलिकाप्टरों की प्राप्ति (पी. एच. एल.)	आबंटनीय नहीं	276.95	,, ,, ,,
5. संगणक सुविधा का संवर्धन (एयर इण्डिया)	—वही—	26.15	,, ,, ,,
6. बेड़ा बढ़ाना—19 वायु बसें (इंडियन एयर लाइन्स)	वही—	1238.37	,, ,, ,,
7. दो 747-300 कोम्बी एयर क्राफ्ट	—वही—	384.73	,, ,, ,,
कोयला			
8. केप्टिव विद्युत संयंत्र (बी. सी. सी. एल.)	बिहार	49.20	उपस्कर सप्लाई/स्थापना में विलम्ब
9. मधुबंद वाशरी (बी. बी. सी. एल.)	,,	71.90	—वही—
10. डी० एण्ड एफ०रोपवेज (बी. बी. सी. एल.)	,,	21.32	कोई विलम्ब नहीं
11. पुतकी वाशरी (बी. सी. सी. एल.)	,,	92.17	,, ,, ,,

1	2	3	4
12. केप्टिव विद्युत संयंत्र (सी. सी. एल.)	बिहार	49.20	कोई विलम्ब नहीं
13. सोनपुर बाजारी ओसी (ई. सी. एल.)	प० बंगाल	192.96	भूमि अधिग्रहण में बिलम्ब
14. कालीदासपुर यूजी (ई. सी. एल.)	,,	47.95	कोई विलम्ब नहीं
15. केप्टिव विद्युत संयंत्र (ई. सी. एल.)	,,	49.20	विलम्बित, संविदा देने को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
16. सरपी पुनर्गठन (ई.सी.एल.)	,,	49.25	कोई बिलम्ब नहीं
17. खादिया ओसी (एन. सी. एल.)	उ०प्र०/म०प्र०	400.00	,, ,, ,,
18. निघई ओसी (एन.सी.एल.)	म० प्र०	462.39	,, ,, ,,
19. बुंगवार यूजी (एस. ई. सी. एल.)	,,	25.14	वन्य भूमि के मिलने में बिलम्ब
20. चुरचा पश्चिम, यूजी (एस. ई. सी. एल.)	,,	32.64	कोई विलम्ब नहीं
21. दीपका ओसी (एस. ई. सी. एल.)	,,	56.05	काश्तकारी जमीन को प्राप्त करने में विलम्ब
22. गेवरा विस्तार ओसी (एस. ई. सी. एल.)	,,	224.39	कोई बिलम्ब नहीं
23. निलजय ओसी (डब्ल्यू. सी. एल.)	महाराष्ट्र	96.89	,, ,, ,,
24. टन्दसी यूजी (डब्ल्यू. सी. एल.)	म० प्र०	51.58	खान द्वार/विकास की धीमी गति के कारण विलम्ब हो गया।
25. केन्द्रीय कार्यशाला चन्द्रपुर (डब्ल्यू. सी. एल.)	महाराष्ट्र	23.87	अनुमान/प्रारूप को अंतिम रूप देने में विलम्ब

1	2	3	4
26. गोदावरी खनी 10 ए० इन्कलाईन (एस.सी.सी.एल)	आन्ध्र प्रदेश	27.31	स्तर में नरम सतह वाली मिट्टी के पाए जाने के कारण विलम्ब हुआ
27. मानुगुरु ओसी-2 (एस. सी. सी. एल.)	,,	132.00	वन्य भूमि प्राप्त करने में विलम्ब
28. रामागुंडम-2 ओसी (एस. सी. सी. एल.)	,,	147.16	विदेशी सहयोग जुटाने में विलम्ब
29. 400 कि० वा० संचरण लाइनें स्तर-2 (एन.एल.सी.)	तमिलनाडु	250.71	कोई विलम्ब नहीं
उर्वरक			
30. केप्टिव विद्युत संयंत्र (एन. एफ. एल.)	भटिंडा पंजाब	69.32	उपस्कर सप्लाई में विलम्ब
31. केप्टिव विद्युत संयंत्र, पानीपत (एन. एफ. एल.)	हरियाणा	69.32	,, ,, ,,
32. इलेक्ट्रोलाईसिसि संयंत्र को बदलना (एन. एफ. एल.)	पंजाब	28.65	आर्डर देने में विलम्ब
33. अमोनिया फॉसफेट उर्वरक संयंत्र (पी. पी. सी. एल.)	बिहार	42.57	कोई विलम्ब नहीं
34. अमोनिया संयंत्र ट्राम्बे का पुनर्वास (आर. सी. एफ.)	महाराष्ट्र	51.65	,, ,, ,,
वित्त			
35. नई टकसाल, नोएडा	उ० प्र०	30.00	कोई विलम्ब नहीं
खान			
36. गत्याकरोध समाप्त करने की योजना-(एच. सी. एल.)	बिहार/ राजस्थान	41.50	,, ,, ,,
37. एकीकृत जिंक—सिक्का परियोजना—(एच.जेड.एल.)	राजस्थान	21.00	,, ,, ,,

1	2	3	4
इस्पात			
38. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण (सेल)	प० बंगाल	1357.00	कोई विलम्ब नहीं
39. भिलाई इस्पात संयंत्र पी. बी. स्टेशन में छठे बॉयलर की स्थापना (सेल)	म० प्र०	32.10	,, ,, ,,
रसायन एवं पैट्रो रसायन			
40. केप्टिव विद्युत मिश्रित चक्र, (आई. पी. सी. एल.)	गुजरात	72.51	थोड़ा-सा विलम्ब/आजमा-इशी कार्य शुरू कर दिया है
41. नाईलॉन-6 परियोजना (पी. सी. एल.)	,,	74.35	कोई विलम्ब नहीं
42. स्पैंडेक्स यार्न परियोजना (पी. सी. एल.)	,,	34.85	,, ,, ,,
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस			
43. केप्टिव विद्युत संयंत्र (बी. पी. सी. एल.)	महाराष्ट्र	43.61	,, ,, ,,
44. केप्टिव विद्युत संयंत्र (एच. पी. सी. एल.)	,,	45.72	को. जेन इकाई की देरी से अनुमति मिलने के कारण विलम्ब
45. अतिरिक्त गौण संसाधन सुविधा (आई. ओ. सी.)	गुजरात	635.00	कोई विलम्ब नहीं
46. 4 रिगों की प्राप्ति (ओ. आई. एल.)	विभिन्न स्थान	74.33	,, ,, ,,
47. 6 विकास रिगों की प्राप्ति (ओ. एन. जी. सी.)	,,	90.95	विदेशी मुद्रा अनुमति के कारण विलंब
48. 5 क्षेत्रीय संगणकों की स्थापना (ओ. एन. जी. सी.)	,,	31.35	प्रणाली चयन/आर्डर देने में विलम्ब
49. अतिरिक्त तेल रिकवरी बम्बई हाई (ओ. एन. जी. सी.)	सुदूरतटीय	781.54	कोई विलम्ब नहीं

1	2	3	4
50. गैस मधुकरण संयंत्र-2 हजीरा (ओ. एन. जी. सी.)	गुजरात	204.65	कोई विलम्ब नहीं
51. दक्षिण बेसिन विकास (ओ. एन. जी. सी.)	,,	246.48	उपस्कर के आर्डर देने/ सप्लाई में विलम्ब
52. इथेन प्रोपेन रिकवरी संयंत्र (ओ. एन. जी. सी.)	महाराष्ट्र	135.22	कोई विलम्ब नहीं
53. गैस टरबाईन विद्युत उत्पादन (ओ. एन. जी. सी.)	असम	26.03	,, ,, ,,
विद्युत			
54. मैथन गैस टरबाईन (डी. वी. सी.)	बिहार	44.57	एल सी के खुलने में विलंब
55. मेजिया थर्मल (डी. वी. सी.)	प० बंगाल	566.00	कोई विलंब नहीं
56. कथलगुड़ी गैस आधारित मिश्रित चक्र विद्युत परियोजना (निपको)	असम	203.17	,, ,, ,,
57. कथलगुड़ी जी. वी. सी. सी.पी. संचरण लाईनें (निपको)	असम/प० बंगाल	301.38	,, ,, ,,
58. रंगनदी एच. ई. पी. (निपको)	अरुणाचल प्रदेश	312.78	,, ,, ,,
59. रंगनदी संचरण लाईनें (निपको)	,, ,,	47.34	,, ,, ,,
60. दोयांग संचरण लाइनें (निपको)	नागालैंड	40.87	ठेका देने में विलंब
61. कहलगांव एस. टी. पी. पी.-I (एन. टी. पी. सी.)	बिहार	884.16	भूमि प्राप्ति में विलंब
62. एन. सी. आर. टी. पी. पी. (I)	उ० प्र०	1063.57	कोई विलंब नहीं
63. कवस जी. पी. पी. (एन. टी. पी. सी.)	गुजरात	373.98	,, ,, ,,

1	2	3	4
64. एन्टा जी. पी. पी. (एन. टी. पी. सी.)	राजस्थान	265.03	कोई विलम्ब नहीं
65. औरैया जी. पी. पी. (एन. टी. पी. सी.)	उ० प्र०	371.67	" " "
66. कहलगांव संचरण लाईन-I	बिहार	174.48	सम्बद्ध एस. टी. पी. पी. में देरी के कारण ठेका देने में विलम्ब
67. रिहन्द संचरण लाइनें	उ. प्र./हरियाणा	581.70	वन्य अनुमोदन में विलंब
68. कवस जी. पी. पी. संचरण लाईनें (एन. टी. पी. सी.)	गुजरात	36.86	कोई विलंब नहीं
69. एन्टा जी. पी. पी. संचरण लाईनें (एन. टी. पी. सी.)	राजस्थान	51.71	" " "
70. औरैया जी. पी. पी. संचरण लाईनें	उ० प्र०	100.60	" " "
फोटो फिल्म/केबल्स/विविध (लो० उ०वि०)			
71. पोलीयस्टर आधारित फिल्मों का निर्माण	तमिलनाडु	168.12	कोई विलम्ब नहीं
72. टायर निगम इकाइयों का आधुनिकीकरण	प० बंगाल	66.71	कोई विलम्ब नहीं
73. आप्टिकल फाईबर परियोजना (एच. सी. एल.)	उ० प्र०	28.67	विलम्ब, संयंत्र और एम. सी. की रचना में परिवर्तन और सिविल इंजीनियरिंग में वृद्धि
रेलवे			
74. कुमेदपुर-नई जलपाईगुड़ी (दोहरा करना)	प० बंगाल/ बिहार	42.92	कोई विलम्ब नहीं
75. तन्दूर-मलखई सड़क (दोहरा करना)	आन्ध्र प्रदेश/कर्नाटक	23.00	" " "
76. माल्दा-कुमेदपुर (दोहरा करना)	प. बंगाल	26.20	" " "

1	2	3	4
77. जैतवाड़ा-माणिकपुर (दोहरा करना)	म. प्र./ उ. प्र.	26.30	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।
78. साहिबगंज लिंक केबिन मालदा नगर	बिहार/ प. बंगाल	29.81	" " "
79. गढवा सड़क सोन नगर चरण-2	बिहार	48.89	कोई विलम्ब नहीं
80. साहिबाबाद-गाजियाबाद चौथी लाईन	उ. प्र.	21.51	" " "
81. मुरादाबाद-रामपुर (दोहरा करना)	" "	20.77	" " "
82. लखनऊ-कानपुर (दोहरा करना)	" "	49.05	" " "
83. कुमेदपुर-नई जलपाईगुड़ी चरण-2 (दोहरा करना)	बिहार/ प. बंगाल	24.32	" " "
84. विकाराबाद/तन्दूर (दोहरा करना)	आं प्र.	41.37	" " "
85. रायपुर-विजयनगरम् (दोहरा करना)	उड़ीसा/आं. प्र.	62.60	" " "
86. विलासपुर-कटनी (विद्युतीकरण)	म. प्र.	71.81	" " "
87. कटनी-बीना (विद्युतीकरण)	म. प्र.	63.17	" " "
88. नागपुर-दुर्ग (विद्युतीकरण)	म. प्र./महाराष्ट्र	74.38	" " "
89. जोलार पेट्टई-इरोड सेलम् मेट्टूर बांध (विद्युतीकरण)	तमिलनाडु	64.79	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।
90. जोलारपेट-बंगलौर (विद्युतीकरण)	तमिलनाडु/ कर्नाटक	32.01	" " "
91. टूंडला-आगरा बयाना विद्युतीकरण)	उ. प्र./ राजस्थान	22.96	कोई विलम्ब नहीं
92. तलचर-सम्बलपुर (नई लाईन)	उड़ीसा	57.97	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं

1	2	3	4
93. तमलुक डिघा (नई लाईन)	प. बंगाल	43.72	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं
94. गुना-इटावा(नई लाइन)	म. प्र./उ. प्र.	158.77	कोई विलंब नहीं
95. लक्ष्मी कान्तपुर नमखाना (नई लाइन)	प. बंगाल	40.90	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं
96. सतना-रीवा नई लाईन	म. प्र.	30.00	" " "
97. अजमेर कार्यशाला का आधुनिकीकरण	राजस्थान	26.05	कोई विलम्ब नहीं
98. कमानी निर्माण संयंत्र	म. प्र.	35.00	" " "
99. रेल कोच फैक्टरी कपूरथला	पंजाब	180.00	" " "
100. खड़गपुर कार्यशाला, का आधुनिकीकरण	प. बंगाल	26.50	" " "
101. आइ. सी. एफ. पेरम्बूर का आधुनिकीकरण	तमिलनाडु	37.00	" " "
102. पोनमलाई कार्यशाला का आधुनिकीकरण	"	25.10	" " "
103. इस्पात संयंत्र के लिए विजाग पेरीफेरयल यार्ड	आं. प्र.	27.18	" " "
104. कुरला-चौथा यात्री टर्मिनल	महाराष्ट्र	24.38	" " "
105. बर्दमान-यार्ड का मॉडल दुबारा बनाना	प. बंगाल	20.10	" " "
106. दिल्ली क्षेत्र कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं	दिल्ली	26.64	" " "
107. मेक क्लूसकीगंज डिपो यार्ड उत्तरी कर्नपुर क्षेत्र	बिहार	31.44	" " "
108. सर्कुलर रेलवे कलकत्ता	प. बंगाल	35.00	विलम्बित, हस्ताक्षेप के कारण काम रुक गया।
109. मनखुर्द-बेलापुर लाइन एक्सटेंशन	महाराष्ट्र	120.00	कोई विलम्ब नहीं

1	2	3	4
भूतल परिवहन			
110. 3 एम. आर. 2 टैंकरों की प्राप्ति (एस. सी. आई.)	आबंटनीय नहीं	111.30	कोई विलंब नहीं
111. द्वितीय तेल जेट्टी हल्दीया, बंदरगाह	प. बंगाल	35.71	" " "
112. 4 बड़े वाहनों की प्राप्ति (एस. सी. आई.)	आबंटनीय नहीं	89.00	" " "
113. खाद्य तेल केमर की प्राप्ति (एस. सी. आई.)	" "	110.57	" " "
114. 63 जलयानों की प्राप्ति (सी. आई. डब्ल्यू. टी. सी.)	प. बंगाल	63.80	" " "
115. ड्रेजर की प्राप्ति (कोचिन-बंदरगाह)	केरल	21.29	" " "
116. अहमदाबाद-बड़ौदरा एक्सप्रैसवे	गुजरात	128.40	" " "
117. कलकत्ता पालसित खंड दुर्गापुर एक्सप्रैसवे	प. बंगाल	48.60	" " "
118. नागपुर-हैदराबाद बंगलौर खंड को मजबूत करना	बहु-राज्यीय	29.30	" " "
119. थाने-नासिक खंड को मजबूत करना	महाराष्ट्र	29.00	" " "
120. वाराणसी बाई पास गंगा पुल	उ.प्र.	41.60	" " "
121. मद्रास-विलूपुरम् खंड का विकास	तमिलनाडु	45.60	" " "
122. मुरथल-करनाल खंड का विकास	हरियाणा	42.50	" " "
123. सिरहिंद-जालंधर खंड को चौड़ा करना	पंजाब	66.00	" " "
124. नहावा शेवा लिंक	महाराष्ट्र	30.66	" " "

1	2	3	4
125. फरक्का बांध परियोजना (शेष निर्माण)	प. बंगाल	72.06	कोई विलम्ब नहीं
दूर-संचार			
126. इन्सेट-आई. सी. संवर्धन	आवंटनीय नहीं	25.75	उपग्रह लिंक की उपलब्धता में विलम्ब।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाओं के परिणामस्वरूप अनएंप्लायमेंट दूर करने में हमें कितनी सहायता मिली है तथा उसका ब्यौरा क्या है। इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन के सूचकांक पर भी कुछ असर आया है या नहीं, यदि आया है तो कितना आया है। जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, उन्हें एक्सपीडाइट करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह एंगती : महोदय गत 3 वर्षों के दौरान सरकार ने 126 परियोजनायें अनुमोदित की हैं। इनमें से 99 समय सूचि के अनुसार चल रही बताई गई हैं और 27 समय से पीछे चल रही हैं।

इन परियोजनाओं में देरी होने के अनेक कारण हैं विलम्ब के प्रमुख कारण इस प्रकार है :

वन और पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति प्राप्त करने में देरी और मूलभूत ढांचे के विकास के लिए अग्रिम कार्यवाही की कमी ;

परियोजना के लिए अपर्याप्त तैयारी और वित्त व्यवस्था के अप्रर्याप्त संसाधन ;

विस्तृत इन्जिनियरिंग को अन्तिम रूप देने में देरी ;

बार-बार क्षेत्र परिवर्तन ;

टेंडर देने और क्रयादेश देने में विलम्ब ;

भूमि अधिग्रहण में विलम्ब

परियोजनाओं में देरी के ये कारण हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय इस बारे रुचि ले रहा है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देख रेख कर रहा है। हमें क्षेत्रीय कार्यालयों से जो भी सूचना मिलती है हम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शीघ्रता लेने के लिए उसे सम्बन्धित मन्त्रालय को भेज देते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि महाराष्ट्र में

"मेगा" "मेजर" एवम् "मीडियम" प्रोजेक्ट्स की स्थिति क्या है। रत्नागिरी कोंकण में अल्यूमिनियम प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा था उसके बारे में क्या प्रगति है ?

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : महोदय, यहां मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे सकता हूं कि कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा 316 परियोजनाओं की देख रेख की जा रही है। ये परियोजनायें 3 प्रकार की है वृहद परियोजनायें, बड़ी परियोजनाएं और मध्यम परियोजनाएं। 1000 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक लागत वाली वृहद परियोजनाओं की संख्या 16 है, बड़ी परियोजनाओं की संख्या 111 है और मध्यम परियोजनाओं की संख्या 189 है। अतः इन परियोजनाओं की देखरेख कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा की जा रही है। जहा तक परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का सम्बन्ध है यह सम्बिन्धित मन्त्रालय से प्राप्त की जा सकती है। अतः मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे इसके लिए सम्बन्धित मन्त्रालय को लिखें।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में जो बताया गया है उसके हिसाब से सूखाग्रस्त क्षेत्र में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया हुआ दिखाई नहीं देता। हमारे आन्ध्र प्रदेश में हर साल बाढ़ और तूफान आते हैं जिससे दोनों तरह से लोग परेशान रहते हैं मैं विशेषरूप से अपने राज्य के बारे में पूछना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के कितने ऐसे सेंट्रल प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हुए है और कितने क्लियर करने वाले हैं और कहां-कहां देने वाले हैं। क्या सूखा ग्रस्त इलाकों में भी देने की योजना है ?

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : महोदय मुझे उसके लिए एक अलग नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि यह एक अलग प्रश्न है कि आन्ध्र प्रदेश में कितनी परियोजनाएं हैं। अतः मैं माननीय सदस्य से इसके लिए एक अलग नोटिस देने का अनुरोध करूंगा। (व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी परियोजनाएं है जो सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार की कुछ क्षमता उत्पन्न कर सकेगी।

श्री बीरेन सिंह ऐंगती : महोदय, प्रश्न गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाओं के बारे में था। अतः मैंने गत 3 वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। परन्तु जहां तक किसी विशेष राज्य में तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में परियोजनाओं का सम्बन्ध हैं हमें इसके लिए अलग से एक नोटिस की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री बाल्यासाहिब विखे पाटिल : मन्त्रीजी ने अपने बयान में और कागज में कहा है कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई टार्गेट फिक्स नहीं किया है। रेलवे में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमे कोई टार्गेट फिक्स नहीं किया है। कई केपटिव पावर प्लांट में मशीनरी के कारण ढिले हो रहा है। मन्त्रीजी इसको एक्सपीडाइट करने के लिए और टार्गेट फिक्स करने के लिए कौन-से कदम उठा रहे हैं ? जिससे इंफ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा और कोस्ट भी नहीं बढ़ेगी, समय पर भी इनका उपयोग कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री बीरेन सिंह एंगती : जहां तक रेल परियोजनाओं का संबंध है, यह रूप है कि उनमें विलंब हो रहा है और मैं इस बारे में माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं। हमने रेल विभाग से परियोजनाओं के लिए लक्ष्य तिथि देने का अनुरोध किया है। रेल विभाग की कुछ ऐसी परियोजनाएं है जिनके सम्बन्ध में वह लक्ष्य तारीख नहीं दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण धन की कमी बताया गया है। धन की कमी के कारण ही वह इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई निश्चित लक्ष्य तिथि नहीं दे जा रहे। इसीलिए हमने अपने विवरण में इन परियोजनाओं के लिए लक्ष्य तिथि नहीं दी है किन्तु हमने अन्य सभी ब्यौरा दिया है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : आपने विलम्ब को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए है ताकि परियोजना का लक्ष्य समय में पूरा किया जा सके ? आप प्रगति पर किस प्रकार निगरानी रख रहे हैं ताकि विलम्ब को कम करके परियोजना को तेजी से पूरा किया जा सके ?

श्री बीरेन सिंह एंगती : हमने कुछ कदम उठाए है। यह सही है कि कुछ परियोजनाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं और हम इन परियोजाओं पर निगरानी रखे हुए हैं। वास्तव में, सभी रिपोर्टें प्राप्त करने के पश्चात हम संबद्ध मन्त्रालय को समस्या को तेजी से हल करने के लिए कहते हैं ताकि ये परियोजनाएं ठीक समय पर शुरू हो सकें और अपने मन्त्रालय में हमें निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) मासिक या त्रिमासिक निगरानी प्रणाली द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा परियोजनाओं की सघन मानिटरिंग ;

(2) प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर गहराई से समीक्षा तथा इन्हें जल्द पूरा करने के लिए परियोजना अधिकारियों पर लगातार दबाव डालना ;

(3) परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए कृतिक बल/शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना ;

(4) संबंद्ध मन्त्रालयों और परियोजनाओं अधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों, उपकरण सप्लायरों, ठेकेदारों, सलाहकारों और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ विलम्ब को कम करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही ;

(5) अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा परस्पर-कार्यवाही ;

(6) व्यवहारिक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने पर बल।

अतः, महोदय, ये वे कदम हैं जो हमारे मन्त्रालय ने उठाए हैं।

विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन

*578. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की समीक्षा

करने के लिए 1 मार्च, 1988 को विभिन्न राज्यों के गृह मन्त्रियों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसमें मुख्यतः किन-किन बातों पर चर्चा की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 29 फरवरी, 1988 को आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के गृह मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री, महाराष्ट्र और कर्नाटक के गृह मन्त्रियों और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में मुख्यतः अन्तर्राज्यीय अपराधों और अपराधियों के आवागमन, आवश्यक वस्तुओं की तस्करी और वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों पर विचार-विमर्श हुआ। आसूचना का आदान प्रदान करने, सीमावर्ती जिलों में गश्त को तेज करने, अन्तर्राज्यीय संचार नेटवर्क में सुधार करने और उग्रवादियों तथा अन्य अंतर्राज्यीय अपराधियों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय किया गया।

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन राज्य सरकारों ने हाई-फ्रीक्वेंसी वायरलैस सैटों की सप्लाई के लिए अनुरोध किया है तथा केन्द्रीय सरकार से कुछ अन्य सहायता के रूप में सहायता मांगी है और क्या आपको इन राज्य सरकारों से कुछ आसूचना प्राप्त हुई है। मैं भी यही जानना चाहता हूं कि क्या इन उग्रवादियों या अपराधियों की गतिविधियों को रोका गया है या यह अभी जारी हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं ? क्या इस बारे में कोई जानकारी है ?

श्री पी० चिदम्बरम् : राज्य सरकारों ने, 8 जनवरी, 1988 को भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक में अपनी अनुमानित जरूरतों के बारे में बताया। हमने काफी हद तक उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया है। हमें इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह अभियान जारी है।

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : महोदय, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है जहां शहरों के बाहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति फार्म हाउसों में नहीं रह सकता। उन्हें लूटा जा रहा है और यहां तक कि उनकी हत्या भी की जा रही है। और डकैतियां पड़ रही हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारें लोगों के जानमाल की रक्षा करने में बिल्कुल विफल रही हैं (व्यवधान) मैं सच कह रहा हूं। हम हर रोज इस प्रकार की घटनाओं का सामना करते हैं (व्यवधान)

श्री जी० एस० बसवराजू : टुमकुर जिले में गृह मन्त्री के उकसाने पर आई. पी. एस. अधिकारी लोगों की सम्पत्ति की रक्षा करने में असफल रहा है और वह स्वयं लोगों की सम्पत्तियों को नष्ट करने के लिए आम लोगों को उकसा रहा है (व्यवधान)

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : इस प्रकार की भी अफवाहें हैं कि अपराधियों की इन लोगों के

साथ मिलीभगत है। जब राज्य सरकारें, लोगों के जानमाल की रक्षा करने के अपने कर्त्तव्य में असफल रही हैं तो भारत सरकार की क्या भूमिका है और वह लोगों के जानमाल की रक्षा के लिए क्या करने जा रही है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आंशिक आपातकाल।

प्रो० मधु दण्डवते : अपराधियों का राष्ट्रीयकरण कर दें। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, यह सदन जानता है कि वामपन्थी उग्रवादियों की गतिविधियों में तेजी आई है विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में और उनमें से कुछ ने कर्नाटक राज्य में शरण ली है हमने आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की राज्य सरकारों को यह बतलाया है कि वह समन्वित कार्यवाही करें और उग्रवादियों के विरुद्ध अपना अभियान तेज करें। मेरे पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है यह दोनों राज्य सरकारें कदम नहीं उठा रही हैं। मेरे विचार से वह कदम उठा रही है किन्तु मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता का समर्थन करता हूं कि अधिक चुस्ती से कदम उठाए जाने चाहिए। हमने अर्द्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए हैं ; हमने और प्रकार की सहायता देने की भी पेशकश की है ; हमने कुछ प्रकार के अति आधुनिक हथियार भी उपलब्ध कराए हैं, किन्तु आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में वामपन्थी उग्रवादियों से निपटने के लिए उन्हें अपने पुलिस बलों तथा तन्त्र को जुटाना होगा। हम कानून के अन्तर्गत उन्हें उनके कर्त्तव्यों की याद दिलाते रहेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि मध्य प्रदेश सहित बहुत सी राज्य सरकारें · (व्यवधान) न केवल आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार तथा अन्य बहुत से राज्यों में भी उग्रवादी गतिविधियां तेजी पर हैं। मैं यह जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार को इन राज्यों से इस आशय के कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य बल भेजे जाएं और क्या यह सच है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि स्थानीय पुलिस जो जंगलों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं है उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए।

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, मेरा उत्तर हां में दें। और विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के अनुरोध पर हमने अर्द्ध-सैनिक बल भेजे है, हथियार दिए हैं और उनकी सशस्त्र पुलिस को हमारे ग्रुप केन्द्रों में प्रशिक्षित करने की पेशकश की है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, देश में नक्सवादी समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में काफी चिन्तित है। यह समस्या विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मे बहुत उग्र रूप से फैली है और मेरा बस्तर जिला इससे बुरी तरह प्रभावित है। मेरे विचार मे इस समस्या के मूल में कुछ प्रशासनिक खामियां हैं, कमियां हैं और विशेषकर राज्य सरकारों के मातहत वन विभाग में पाई जाने वाली त्रुटियां इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। क्या गृह मन्त्रियों के सम्मेलन में इस समस्या के विषय मे चर्चा हुई थी। यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या सुझाव दिए गए और सरकार उनके अनुसरण में क्या कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, 29 फरवरी को हैदराबाद में हुई बैठक में भारत सरकार के

प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत सरकार के गृह सचिव ने 8 जनवरी, 1988 को बैठक बुलाई और हमने सभी समस्याओं पर चर्चा की और हमने राज्य सरकारों को बताया कि वह इन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेज करें और समस्या से निपटाने के लिए अपने प्रशासनिक तन्त्र को चुस्त बनाने का प्रयत्न करें। मुझे विश्वास है कि वह समस्या की गम्भीरता से पूर्णतः अवगत है और मुझे आशा है कि राज्य सरकारें 8 जनवरी, 1988 को लिए गए निर्णयों के आधार पर कार्यवाही करेंगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं नक्सलवादी-विरोधी कार्यवाही के दो पहलू हैं। एक कानून प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ बनाना तथा दूसरा सामाजिक-आर्थिक उपायों का पैकेज तैयार करना। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने सामाजिक-आर्थिक पैकेज तैयार करने के बारे में कोई उपाय किए हैं ताकि विभिन्न राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादी कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सके।

श्री पी० चिदम्बरम् : उत्तर है 'हां'। ग्रामीण विकास मन्त्रालय तथा योजना आयोग बैठक में उपस्थित थे। हमने कई उपायों का पता लगाया है जो राज्य सरकारों द्वारा किए जा सकते हैं। हम राज्य सरकारों को यह बतलाएंगे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटते हुए उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और कार्यक्रमों को भी तेज करना होगा।

पाकिस्तान द्वारा स्यालकोट क्षेत्र में खाई का निर्माण

[हिन्दी]

*579. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के साथ-साथ पाकिस्तान में स्यालकोट क्षेत्र में एक लम्बी खाई का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा पर इस प्रकार का निर्माण करने से अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय द्वारा सदन को सही सूचना नहीं दी गयी है। मेरी सूचनानुसार पाकिस्तानी सेनाओं की मैदानी चौकसी क्षमता बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तीव्र गति से हमारे खेमकरन, बागाह, सुचेतगढ़ क्षेत्रों और कश्मीर सीमा के पास करगाडी-मीनार पर लगभग 50 कि० मी० लम्बी खाई बना रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि अपने उत्तर की वैधता को फिर से देखें।

वहां पर पाकिस्तान एक निरीक्षण मीनार बनाने जा रहा है। आपने सदन से साफ कह दिया कि कुछ नहीं हो रहा है। यह हो रहा है और मैं अपने प्रश्न पर अडिग हूं।

श्री के० नटवर सिंह : श्रीमान मैंने यह नहीं कहा था कि कुछ नहीं हो रहा है। मैं केवल प्रश्न तक सीमित था और उत्तर केवल प्रश्न को देखते हुए ही दिया गया था। प्रश्न है—

(क) क्या पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के साथ-साथ स्यालकोट क्षेत्र में एक लम्बी खाई का निर्माण किया है।

उत्तर—जी, हां।

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है?

उत्तर—जी, नहीं।

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर—प्रश्न नहीं उठता।

एक क्षण के लिए भी मैंने यह नहीं कहा कि कुछ नहीं हो रहा है। हम अपनी सीमाओं पर सभी गतिविधियों को बड़ी सावधानी से देखते हैं। मैं सदस्य को इसका आश्वासन देना चाहूंगा। इन्होंने समाचार पत्र की बात कही है परन्तु दुर्लभ सूचना प्राप्त करने के भी हमारे अपने स्रोत हैं। और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब हम दूसरी ओर की गतिविधियों से अवगत नहीं होते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, यह सदस्य का अधिकार है कि वह समाचार पत्र में छपे समाचार की पुष्टि सरकार के द्वारा करे। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्योंकि मैंने समाचार पत्र पढ़ा था। मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में अर्थात यदि हां, तो क्या सीमा पर इस प्रकार का निर्माण करने में अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है। यह भी समाचार पत्र की सूचना है और मैंने मन्त्री महोदय से पूछा था कि मेरी सूचनानुसार क्या दो देशों की सीमाओं के अन्दर 500 मीटर तक निर्माण करना गैर कानूनी है। यह सूचना मेरे पास थी।

श्री के० नटवर सिंह : मैं आपको स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं। यदि पाकिस्तान सरकार अपनी सीमाओं के अन्दर खाइयां खोदती है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है। परन्तु हम किसी भी तरह की सैनिक गतिविधि जो कि हमारे सीमाओं से लगे सैनिक क्षेत्र पर हो रही है, पर सतत निगरानी रखे हुए है। आपने एक ही प्रश्न को तीन प्रकार से पूछा है और मैंने वही उत्तर तीन प्रकार से दिया है क्योंकि आपने जो पूछा है वो मैं समझ गया हूं और आप भी समझ गए हैं।

इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नालौजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशक का रिक्त पद

*580. **श्री एच० ए० डोरा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जो इलेक्ट्रानिकी के

विकास में कार्यरत एक प्रमुख सरकारी उपक्रम है, पिछले दो वर्षों से निदेशक के बिना कार्य कर रहा है ; और ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) में कार्यकारी निदेशक के दो पद सम्बन्धित अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप, रिक्त हुए। रिक्त पदों को भरने के लिए, समय पर कार्रवाई शुरू की गई थी। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पी० ई० एस० बी०) ने दो पदों के लिए नामों का पैनल तैयार किया था। किन्तु सरकार को नियुक्ति के लिए कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगा। अब आगे कार्रवाई की जा रही है तथा पदों को शीघ्र ही भर दिया जाएगा।

श्री एच० ए० डोरा : यह उत्तर बहुत ही टालने वाला है और मन्त्री जी ऐसा करते हैं कि वे सभी उत्तरों को टाल देते हैं। मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। "क्या इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नालाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जो इलेक्ट्रानिकी के विकास में कार्यरत एक प्रमुख सरकारी उपक्रम है, पिछले दो वर्षों से कार्यकारी निदेशक के बिना कार्य कर रहा है।"

मैं "पिछले दो वर्षों से" वाले इस पहलू पर जोर दे रहा हूं। उत्तर में इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि जल्दी ही इन रिक्तियों को भर दिया जाएगा। यह 'जल्दी' शब्द भ्रामक है। मन्त्री के शब्दकोश के अनुसार जल्दी का मतलब 30 वर्ष या 25 वर्ष है। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार यही नहीं बल्कि अन्य अनेक सार्वजनिक उपक्रम ऐसे है जोकि बिना किसी प्रमुख के कार्य कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप अनुशासनहीनता और उदासीनता को बढ़ावा मिल रहा है।

अभी अभी माननीय प्रधानमन्त्री जी ने दावा किया था कि यह सरकार पिछली सभी सरकारों से अधिक तीव्रगति से काम कर रही है। वर्तमान और भविष्य में भी यह तीव्रगति से काम करती रहेगी। यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि तुरन्त ही इन गलतियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

श्री के० आर० नारायणन : जल्दी का मतलब जल्दी है 30 या 25 वर्ष नहीं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कुछ विलम्ब हुआ है।

श्री एच० ए० डोरा : यह कोई सामान्य विलम्ब नहीं है। यह अत्यधिक विलम्ब है।

श्री के० आर० नारायणन : मैं इसे स्पष्ट करता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। अवकाशग्रहण होने से पहले ही विभाग ने इनके स्थान पर नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी। कुल दो पद हैं – एक निदेशक (तकनीकी) और दूसरा निदेशक (वित्त)। इन पदों के लिए साक्षात्कार हुए थे और पहले साक्षात्कार में निदेशक (तकनीकी) के पद के लिए कोई उपयुक्त नहीं पाया गया। ये बहुत ही उच्च पद हैं और उच्च योग्यता आवश्यक है। इलेक्ट्रोनिक्स और इंजीनियरिंग में स्नातक व 15 वर्ष का कार्यानुभव आवश्यक है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उम्मीदवार, बुलाये थे और जहां तक

निदेशक (तकनीकी) का प्रश्न है, पहली बार में कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया। और सार्वजनिक उपक्रम भर्ती बोर्ड ने पद का विज्ञापन दिया। और विज्ञापन देने के बाद साक्षात्कार के बाद उन्होंने हाल ही में पैनल बनाया है। और नियुक्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सरकार के हाथ में है।

निदेशक (वित्त) के सम्बन्ध में भी अनेक समस्यायें है। क्योंकि जिस उम्मीदवार का चयन किया गया था वह उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसने दूसरी जगह पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है और जहां तक दूसरे व्यक्ति का सम्बन्ध है उसे नियुक्ति के लिए पत्र भेजा गया था परन्तु सरकार ने उसे वास्तव में योग्य नहीं पाया। अतः हम दोबारा पूरी चयन प्रक्रिया का पालन करने जा रहे हैं।

इस प्रकार यह विलम्ब हुआ। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के पदों के लिए अधिक लोग नहीं है इसलिए चयन प्रक्रिया काफी सख्त है और सरकार को यह जांच करनी पड़ती है कि चयनित व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपयुक्त है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मारिशस के प्रधान मन्त्री द्वारा राजनयिकों के लिए वार्षिक भोज के अवसर पर दिया गया भाषण

[अनुवाद]

*574. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारिशस के प्रधान मन्त्री ने दिसम्बर, 1987 में पोर्ट लुई में वार्षिक भोज के अवसर पर भाषण देते हुए उन राजनयिकों की आलोचना की थी जो एक विमान दुर्घटना के हताहतों के लिए एक सप्ताह पूर्व हुए सर्व धर्म समारोह में अनुपस्थित रहे थे ;

(ख) क्या भारतीय राजनयिकों की भी आलोचना हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय उच्चायोग के राजनयिकों ने किन कारणों से इस समारोह में भाग नहीं लिया और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). 28 दिसम्बर, 1987 राजनयिक वर्ग के लोगों के सम्मान में आयोजित एक रात्रि-भोज में मारिशस के प्रधानमन्त्री ने इस बात पर खेद व्यक्त किया था कि 28 नवम्बर, 1987 को मारिशस के समुद्र तट के पास दक्षिण अफ्रीकी बोईंग 747 की दुर्घटना में मृत 160 व्यक्तियों की (जिनमें 55 दक्षिण अफ्रीका के थे) की स्मृति में आयोजित एकजुटता समारोह में कुछ राजदूतों ने भाग नहीं लिया। उनकी यह टिप्पणी विशेष रूप से भारतीय राजनयिकों के लिए ही नहीं थी।

(ग) दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन का बहिष्कार करने की अपनी नीति के अनुरूप हमारे हाई कमिश्नर ने (तथा कुछ अन्य राजदूतों ने) उस समारोह में भाग नहीं लिया जिसमें दक्षिण अफ्रीका के विदेश मन्त्री और परिवहन मन्त्री प्रमुख अतिथि थे। लेकिन हमारे हाई कमिश्नर ने इस समारोह के शुरू होने से पूर्व अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक पुष्प-माला भेजी थी।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कच्छ की खाड़ी से भारतीय मछुआरों का अपहरण

*575. **श्री ओहरि राव :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1988 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 9 मार्च, 1988 को कच्छ की खाड़ी में भारतीय समुद्री सीमा से पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा 11 मछुआरों का अपहरण किया गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है ; और

(घ) उनकी रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया था और उसे यह बताया गया है कि "लोकेश्वरी" तथा "बद्रीनाथ" नामक मछली पकड़ने वाली दो भारतीय नौकाएं 11 कार्मिकों सहित 10 मार्च, 1988 को पाकिस्तान की समुद्री सीमा में कथित रूप से मछली पकड़ने के लिए पकड़ी गई थीं। सरकार ने मांग की है कि इन बन्दी मछेरों तक कौंसली प्रवेश की इजाजत दी जाए और उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

[हिन्दी]

*577. **श्री राजकुमार राय :**

श्री सलीम आई० शेरवानी :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 मार्च, 1988 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने मामले लम्बित थे ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री विश्वनाथ दुबे) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तारीख 1-1-1988 को 3,62,014 मामले लम्बित थे।

विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लिया जाना

[अनुवाद]

*581. प्रो० के० वी० थामस : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में पैदा हुये कितने बच्चों को विदेशियों ने गोद लिया ;

(ख) विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लिये जाने के बारे में क्या नियम हैं ;

(ग) क्या कुछ निजी एजेन्सियां गोद लेने वाली एजेन्सियों के रूप में कार्य कर रही हैं ; और

(घ) क्या ये एजेन्सियां गोद लेने के बारे में भारतीय कानून का पालन करती हैं ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1985, 1986 और 1987 में भारत में पैदा हुए उन बच्चों की संख्या क्रमशः 759, 882 और 814 है जिन्हें सक्षम न्यायालय के प्राधिकारी के अधीन विदेशी दत्तकग्राही माता-पिताओं द्वारा दत्तक-ग्रहण किया गया।

भारतीय बच्चों के अन्तर-देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रिट-याचिका (सी० आर० एल०) संख्या 1171/1982 में दिये गये अपने विनिर्णय में व्यापक मानदंड एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।

केवल ऐसी भारतीय समाज/बाल कल्याण एजेन्सियां ही विदेशी दत्तक-ग्राही माता-पिताओं के आवेदनों पर सक्षम न्यायालय में कार्रवाई कर सकती हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों। इसी प्रकार केवल ऐसी विदेशी ऐजेन्सियां ही विदेशी दत्तक-ग्राही माता-पिताओं के आवेदनों पर कार्यवाही कर सकती हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

भारतीय बच्चों के संरक्षण के लिए आवेदनों को संरक्षक एवं अभिभावक अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है और सभी को इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होता है।

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के उपाय

*582. डा० वी० एल० शैलेश :

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विद्यमान औद्योगिक ढांचे की उत्पादन क्षमता अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए देश में हाल ही में औद्योगिक स्थिति का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार उत्पादकता संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए उद्यमों का पुनर्गठन करने, नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर आधारित आधुनिकीकरण, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता का निर्माण करने तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के कार्यक्रमों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग). योजना मन्त्रालय ने हाल ही में सातवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन पूरा किया है और तत्संबंधी दस्तावेज को संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखा जा चुका है। मध्यावधि मूल्यांकन में अन्य बातों के साथ-साथ देश में औद्योगिक स्थिति की समीक्षा की गई है और इसमें भविष्य के लिए कार्रवाई की स्थूल जानकारी भी दी गई है, जिसके बारे में दस्तावेज के अध्याय 5 (पैरा—5.74 से 5.77) में उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे सम्बन्धित क्षेत्रों में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करें।

मिशनरियों द्वारा आदिवासियों में भारत विरोधी प्रचार

*583. **श्री बसुदेव आचार्य :**

डा० सुधीर राय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मिशनरी संगठनों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासियों में भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). जबकि इस बात का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है कि मिशनरी संगठन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच भारत-विरोधी प्रचार कर रहे हैं तथापि, कुछ मिशनरियों और अलगाववादी प्रवृत्ति वाले भूमिगत ग्रुपों के मध्य सम्बन्ध होने के बारे में सरकार के पास रिपोर्ट है।

(ग) इस सम्बन्ध में कड़ी नजर रखी जाती है। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, मिशनरियों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय को विनियमित किया जाता है तथा उस पर निगरानी रखी जाती है। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में इनर लाईन रेगुलेशन्स लागू हैं।

सुपर कम्प्यूटर का डिजाइन तैयार करने के लिए "सी-डोट" के साथ करार

*584. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर कम्प्यूटरों अथवा अन्य आधुनिक कम्प्यूटरों का डिजाइन तैयार करने के लिए "सी-डोट" से कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में "सी-डोट" की सक्षमता की जांच की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी, हां।

4 करोड़ रुपये तक की लागत से लगभग 18 महीने की अवधि में एक समानान्तर कम्प्यूटिंग प्रणाली के विकास के लिए सी-डोट और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ग) जी हां।

असम में अनुग्रह राशि के भुगतान में भेदभाव

*585. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार असम सरकार द्वारा असम आन्दोलन के दौरान मारे गये व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को दी जा रही 20,000 रुपये की अनुग्रह राशि की प्रतिपूर्ति करती है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त अनुग्रह राशि के भुगतान में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार भेदभाव किये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ). केन्द्र सरकार ने आन्दोलन के दौरान मारे गये व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को 5000 रुपये की दर से अनुग्रह पूर्ण अदायगी के लिए राज्य सरकार को 1,52,45,000 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की है। असम आन्दोलन के प्रत्येक शहीद के निकटतम सम्बन्धी को 50,000 रुपए की अनुग्रह पूर्ण अदायगी के लिए असम राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने असम आन्दोलन के दौरान मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी को किसी भेदभाव के बगैर 20,000 रुपये की अनुग्रह पूर्ण अदायगी की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए सिद्धान्त रूप में अपना निर्णय राज्य सरकार को सूचित कर दिया है और प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया है। बढ़ी हुई दर पर प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

पंजाब में आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा

*586. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पंजाब में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 1619 व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को 3,11,03,000 रुपये की राशि दी गयी है।

तीस्ता बेलि झूला पुल का ढहना

*587. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या रक्षा मन्त्री दार्जिलिंग जिले के कलिमपोंग सब-डिवीजन में एक पुल के ढह जाने के बारे में 27 फरवरी, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तीस्ता बेलि के झूला पुल के नदी में गिरने के कारणों का पता लगाने वाली जांच अदालत की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस दुर्घटना में कितनी क्षति हुई ;

(घ) मृतकों के निकट सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को क्रमशः कितनी पेंशन और अन्य लाभ दिए गए ;

(ङ) क्या तीस्ता बेलि के झूला पुल का स्थायी निर्माण इस बीच 1987-88 में शुरू हो गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी, हां। जांच अदालत के निष्कर्षों के अनुसार पुल हटाने की कार्रवाई के दौरान, पुल का भार उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले "मौरिस ब्लाकों" में यांत्रिकी खराबी आ जाने के कारण 30 जनवरी, 1987 को 0920 बजे तीस्ता नदी पर बने 400 फुट बेलि झूला पुल का आधा भाग नदी में गिर गया। पुल हटाते समय अपेक्षित सभी एहतियाती उपाय किए गए थे। इस दुर्घटना के लिए कोई दोषी नहीं है।

(ग) इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 11 व्यक्तियों को चोटें आईं। बचाव कार्यों के दौरान एक और व्यक्ति को चोट आई। बेलि झूला पुल के उपस्करों की हानि का लेखापरीक्षा द्वारा लगाया गया अनुमान 2,07,378.05 रुपए है।

(घ) इस दुर्घटना में जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी उनके निकट सम्बन्धियों को विशेष परिवार पेंशन सहित स्वीकृति सेवान्त लाभ दिए गए हैं। जहां तक इसमें घायल हुए व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इनमें से किसी को भी निशक्त होने के कारण सेवा से नहीं हटाया गया है। उन्हें इलाज के पश्चात् छुट्टी दे दी गई तथा वे थलसेना में सेवा करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य हैं। अतः उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). 25 मार्च, 1988 को 180 मीटर के एक विस्तृत डाट पुल के लिए एक ठेका किया गया है। स्थायी पुल के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है।

केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं के कार्य की समीक्षा

*588. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा मुकदमों की की गई पैरवी का कोई रिकार्ड रखती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कितने मुकदमे जीते गए ; कितने मुकदमे हारे गए और कितने मुकदमे लम्बित हैं ; और

(ग) यदि ऐसे कोई रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री विन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग). विधि और न्याय मन्त्रालय का विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के उन अधिवक्ताओं के पैनल रखता है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रशासनिक मंत्रालय, उच्च न्यायालयों के लिए अधिवक्ताओं के अपने-अपने पैनल रखते हैं। कुछ मामलों में प्रशासनिक मन्त्रालय, विधि कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित निबन्धनों और शर्तों पर, न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के लिए उक्त पैनल से बाहर के काउन्सेलों को भी नियुक्त करते हैं। विधि कार्य विभाग में केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं का कोई केन्द्रीकृत अभिलेख नहीं रखा जाता है।

विधि कार्य विभाग द्वारा रखे गए या उनके द्वारा अनुमोदित पैनल में केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं की नियुक्ति, अर्हता, अनुभव और विधि व्यवसाय में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर की जाती है। कुल मिलाकर इन अधिवक्ताओं का कार्य सन्तोषप्रद रहा है। जब कोई कमियां सरकार के ध्यान में आती है तब नियुक्ति समाप्त करने के अतिरिक्त आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है।

अनुसूचित जातियों की उपजातियां

*589. **श्री गंगाराम** :

श्री राम प्यारे सुमन :

क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अनुसूचित जातियों की राज्यवार कुल कितनी उपजातियां हैं ; और

(ख) क्या सरकार का कुछ अन्य जातियों के नामों को अनुसूचित जातियों की सूची में जोड़ने अथवा उसमें से हटाने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रपति आदेश तथा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में अनुसूचित जातियों में उन जातियों के भागों या समूहों को शामिल करते हुए राज्यवार सूचियां दी गई हैं। प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के सामने कुल प्रविष्टी की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सूचियों मे कोई भी संशोधन केवल संविधान के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। इस स्तर पर कोई भी ब्यौरे नहीं बताए जा सकते।

विवरण

अनुसूचित जातियों की सूची में प्रविष्टियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रविष्टियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	59
2.	असम	16
3.	बिहार	23
4.	गुजरात	30
5.	हरियाणा	37
6.	हिमाचल प्रदेश	56
7.	जम्मू और कश्मीर	13
8.	कर्णाटक	101
9.	केरल	68
10.	मध्य प्रदेश	47
11.	महाराष्ट्र	59
12.	मणिपुर	7
13.	मेघालय	16
14.	उड़ीसा	93
15.	पंजाब	37
16.	राजस्थान	59
17.	तमिलनाडु	76
18.	त्रिपुरा	32
19.	उत्तर प्रदेश	66
20.	पश्चिम बंगाल	59

1	2	3
21.	अरुणाचल प्रदेश	16
22.	चण्डीगढ़	36
23.	दिल्ली	36
24.	दादर और नगर हवेली	4
25.	गोवा, दमन और द्वीव	5
26.	मिजोरम	16
27.	पाण्डिचेरी	15
28.	सिक्किम	4

पंचवर्षीय एल० एल० बी० पाठ्यक्रम आरम्भ करना

[हिन्दी]

*590. **चौधरी अख्तर हसन :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंचवर्षीय एल. एल. बी. पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह पाठ्यक्रम कब से आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु परीक्षा कराने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री विन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

मानसून न आने के कारण

[अनुवाद]

*591. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मानसून की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए अब तक किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या मानसून न आने के कारणों का पता लगाने में कोई सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारतीय वैज्ञानिकों ने मानसून के बारे में जिन मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान किया है वे हैं : (क) मानसून का ढांचा;

(ख) मानसून की गतिकी और भौतिकी; (ग) विभिन्न समय अन्तरालों पर मानसून का पूर्वानुमान; तथा (घ) वर्षावृष्टि की दीर्घावधि प्रवृत्ति।

(ख) और (ग) किए गए अनुसंधान के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जिनसे भारत में मानसून की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। भारत में मानसून की कमी के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं:

(एक) दक्षिण अमरीका के पश्चिमी तट से परे भूमध्यरेखीय, केन्द्रीय और पूर्वी प्रशान्त महासागर में समुद्र के सतही ताप में असामान्य वृद्धि, जिसे "इल-नीनो" परिघटना कहा जाता है;

(दो) नकारात्मक दक्षिणी दोलन सूचक, जिसका अर्थ है कि इण्डोनेशिया के चारों ओर के क्षेत्रों में सतही दबाव सामान्य से अधिक है।

(तीन) भारतीय महासागर पर दक्षिणी गोलार्द्ध से उत्तरी गोलार्द्ध की ओर पर्याप्त क्रास—भूमध्यरेखीय बहाव की अनुपस्थिति;

(चार) दक्षिण चीन के समुद्र में गर्मी के महीनों में प्रचण्ड तूफानों की उत्तर की ओर चलने की प्रवृत्ति, जबकि सामान्यतः इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है।

(पांच) मारिशस के चारों ओर मेस्कारिन क्षेत्र में सामान्य से कम सतही दबाव;

(छः) मानसून के दौरान उत्तरी अक्षांशों की मौसम प्रणालियों का भारतीय उपमहाद्वीप में बार-बार आना, जिससे मानसून की गति में रुकावट आती है; और

(सात) भारतीय क्षेत्र में क्षीण मानसून द्रोणिका और मानसून अवदाबों की निम्न आवृत्ति।

बम्बई श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम को दिल्ली में लागू करना

[अनुवाद]

5895. **प्रो० नारायण चन्द पराशर:** क्या गृह मन्त्री व्यापारिक व वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए विधान के बारे में 23 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य में लागू बम्बई श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1953 को इस बीच संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख से लागू किया गया है;

(ग) दस या उससे कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को किन मुख्य उपबन्धों से लाभ होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त अधिनियम दिल्ली में किस तारीख से लागू किए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ). श्रीमान, बम्बई श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1953 (1953 का बम्बई अधिनियम 40) दिनांक 15 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3(1), सा०का०नि० 1286(अ) में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू किया गया है। लागू किए गए अधिनियम में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था है। इससे कर्मचारियों/मालिकों और सरकार से अंशदान एकत्र करके निधि सृजित करने का प्रावधान है। इसमें इस अधिनियम के अधीन परिकल्पित योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए कल्याण बोर्ड गठित करना भी अपेक्षित है।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रक्षा के लिए आवश्यक मदों का उत्पादन

5896. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति ने रक्षा के लिए आवश्यक मदों के उत्पादन के लिए भूतपूर्व सैनिकों द्वारा लघु एककों की स्थापना का सुझाव दिया था और ये एकक रक्षा बलों की आवश्यकताओं के लिए रक्षित एककों के रूप में विद्यमान रहेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व सैनिकों को ऐसे एककों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) आयुध निर्माणियों द्वारा जिन मदों के निर्माण का कार्य सिविल क्षेत्र के उद्योगों को सौंपा जा रहा है उनके बारे में और ऐसी मदों को प्राप्त करने वाली एजेंसियों के बारे में पुनर्वास महानिदेशालय संगठन द्वारा भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को सूचित किया जाता रहता है।

(ii) सभी आयुध निर्माणियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे भूतपूर्व सैनिकों को सहायक उद्योग स्थापित करने में यथासम्भव सहयोग प्रदान करें। यदि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा निर्मित सामान अन्य निर्माताओं के मुकाबले का होगा तो भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्थापित सहकारी समितियां, जो स्थानीय या राज्य स्तर की सर्वोच्च सहकारी समितियों से सम्बद्ध हैं, उनके सम्बन्ध में इस आशय के आदेश पहले ही मौजूद हैं कि वे अन्य सहकारी एजेन्सियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए सेना क्रय संगठन के माध्यम से रक्षा सेनाओं को दालें आदि सप्लाई कर सकती हैं।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाए जा रहे लघु उद्योगों द्वारा निर्मित किसी भी सामान के मूल्य पर, जिसे रक्षा मन्त्रालय या उसके अन्तरसेवा संगठनों द्वारा खरीदे जाने पर 5 वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की मूल्य राहत दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा एक वर्ष में 50,000 रुपए है।

(v) राज्य/जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से उनकी कल्याण निधियों (एकीकृत राज्य विशेष निधि) से बैंक ऋण पर रियायती ब्याज की योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों से लघु उद्योग/कृषि उद्योग स्थापित करने के लिए 50,000 रुपए तक के बैंक ऋण पर रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है।

(vi) भूतपूर्व सैनिकों को स्वःरोजगार शुरू करने में प्रोत्साहित करने के लिए 1-4-1987 और 15-1-1988 से क्रमशः सेम्फेवस-I और सेम्फेवस-II नामक दो नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं। इन योजनाओं के ब्यौरे और मुख्य विशेषताएं लोक सभा में दिनांक 24-2-1988 को पूछे गए अतरांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर में दी गई है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

5897. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी प्रावधान में संशोधन करने की आवश्यकता और संभावना का पता लगाने के लिए हाल ही में इस अधिनियम के उपबन्धों की जाँच की है ;

(ख) यदि हाँ, तो जाँच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है, तो उससे सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

कालीकट, कोचीन और त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्र

5898. **श्री मुल्लावल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार कालीकट, कोचीन और त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े थे ; और

(ख) वर्ष 1987 के दौरान इनमें से प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) :

(क) कार्यालय स्थान :—	31 दिसम्बर, 1987 के अनुसार अनिर्णीत पासपोर्ट आवेदन पत्रों की कुल संख्या
(i) कालीकट (कोझीकोड)	14896
(ii) कोचीन	22870

(ख) (i) कालीकट (कोजीकोड) 63219

(ii) कोचीन 68081

(iii) त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय, त्रिवेन्द्रम नये पासपोर्ट जारी नहीं करता है

अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों की भर्ती

5899. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों में कितने व्यक्ति भर्ती किए गए थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	सी० सु० बल	के० रि० पु० बल	के० ओ० सु० बल	भा० ति० सीमा पुलिस	असम राइफल्स
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	961	126	58	36	418
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	—	—	—	3
3.	आन्ध्र प्रदेश	358	275	238	19	8
4.	बिहार	1341	60	181	158	395
5.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	3	10	—	16	—
6.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	459	171	164	49	4
7.	गुजरात	352	147	39	—	—
8.	हरियाणा	1111	354	425	399	196
9.	हिमाचल प्रदेश	414	1	226	939	240
10.	जम्मू और कश्मीर	359	46	41	450	15
11.	केरल	381	80	237	106	448

1	2	3	4	5	6	7
12.	कर्नाटक	461	104	124	1	—
13.	लक्षद्वीप	5	—	—	—	—
14.	महाराष्ट्र	508	408	191	6	—
15.	मणिपुर	75	30	—	1	343
16.	मध्य प्रदेश	1107	200	127	299	8
17.	मिजोरम	10	10	4	—	46
18.	मेघालय	91	7	—	—	34
19.	नागालैंड	58	—	—	—	93
20.	उड़ीसा	266	129	172	8	12
21.	पंजाब	1269	100	125	103	68
22.	पांडिचेरी	—	19	1	—	—
23.	राजस्थान	2015	353	221	215	106
24.	सिक्किम	30	—	—	—	1
25.	तमिलनाडु	396	564	169	9	30
26.	त्रिपुरा	157	30	—	—	45
27.	उत्तर प्रदेश	2446	273	917	1629	1136
28.	पश्चिम बंगाल	2322	390	267	20	41

विदेशों से प्राप्त धन

5900. **श्री गदाधर साहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 और 1987 के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्राप्त हुए धन का देशवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : वर्ष 1985 और 1986 के ब्यौरों का संग्रहीकरण किया जा रहा है।

वर्ष 1987 की सूचना अभी प्राप्त हो रही है।

इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश करना

5901. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो निवेश हेतु किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो निवेश-योग्य नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ;

(घ) क्या इस दिशा में भारत-अमरीकी संयुक्त परिषद् कार्य कर रही है ;

(ङ) क्या पूंजी निवेश की कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पूंजी निवेश के लिए जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चुना गया है, उनमें इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जे, माइक्रो इलेक्ट्रानिकी, कम्प्यूटरों के उपान्त-उपस्कर (पेरीफरल), सुपर-मिनी तथा मेन-फ्रेम कम्प्यूटर प्रणालियां, इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणालियां आदि शामिल हैं। टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट), प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिकी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास-केन्द्र (सी-डैक्ट) आदि जैसी कुछ मिशन उन्मुख परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(घ) से (च). भारत के विशेषज्ञों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीयों के साथ मिलकर वर्ष 1986 में माइक्रो इलेक्ट्रानिकी पर गठित भारत-अमेरिका संयुक्त वैज्ञानिक समिति (जे० एस० सी०) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य माइक्रो इलेक्ट्रानिकी के उद्योग के विकास पर विचार करने के लिए मंच उपलब्ध कराना था। माइक्रो इलेक्ट्रानिकी पर गठित भारत-अमेरिका संयुक्त वैज्ञानिक समिति ने अब तक चार बैठकें आयोजित की हैं। माइक्रो इलेक्ट्रानिकी पर गठित भारत-अमेरिका संयुक्त वैज्ञानिक समिति ने सिफारिश की है कि भारत एक ऐसी योजना तैयार करे जिसके फलस्वरूप, माइक्रो इलेक्ट्रानिकी के लिए वर्ष 1995 तक प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए तथा सन् 2001 तक 2000 करोड़ रुपए का उत्पादन हो सके।

भारी जल की मांग

5902. **श्री एच० बी० पाटिल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र को भारी जल की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) भारी जल की सप्लाई की संयंत्रवार स्थिति क्या है और प्रत्येक मामले में अनुमानित उपयोग क्षमता कितनी है तथा कितने भारी जल के आयात किए जाने की आवश्यकता होगी और किन-किन देशों से इसका आयात किया जाएगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत कब तक आत्म-निर्भर हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 235 मेगावाट क्षमता वाले प्रत्येक दाबित भारी पानी रिएक्टर के चालू रहने के दौरान हुई भारी पानी की क्षति की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष औसतन 12 मीट्रिक टन के लगभग भारी पानी की जरूरत पड़ती है।

(ख) तूतीकोरिन, बड़ौदा, कोटा, तलचर और थाल स्थित भारी पानी संयंत्रों में उत्पादन हो रहा है। आशा है कि तूतीकोरिन स्थित भारी पानी संयंत्र को इस समय चल रहे वार्षिक अनुरक्षण के बाद जब अप्रैल, 1988 में फिर से चालू किया जाएगा तब उसमें भारी पानी के उत्पादन की स्थिति में सुधार होगा। भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा उस समय तक उत्पादन करता रहा था जब 18 मार्च, 1988 को उसे आग लगने के कारण बन्द किया गया। मरम्मत के बाद, जिसके मई, 1988 तक पूरा हो जाने की आशा है, भारी पानी का उत्पादन शुरू होगा। भारी पानी की आवश्यकता जब भी पड़ती है तब उसका आयात केवल राजस्थान परमाणु बिजलीघर के लिए रूस से किया जाता है।

(ग) आशा है कि वर्तमान भारी पानी संयंत्रों तथा उन भारी पानी संयंत्रों, जिन्हें लगाने की योजना है, की भारी पानी का उत्पादन करने की क्षमता इतनी रहेगी कि परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवश्यक भारी पानी के मामले में हम आत्मनिर्भर रहेंगे।

बिहार को सहायता

5904. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को वार्षिक योजनाओं हेतु धन-राशि देने के लिए वर्षवार अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी सहायता दी ;

(ख) वर्ष के आरम्भ में अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आवंटन किया गया ; और

(ग) एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले अन्य बड़े राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) वर्ष 1985-86, वर्ष 1986-87 तथा वर्ष 1987-88 के लिए बिहार राज्य की वार्षिक योजनाओं को पूरा करने के लिए उस राज्य को दी गई सहायता इस प्रकार है :—

(करोड़ रु०)

	सामान्य सहायता निवल	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता	कुल
1985-86 (वास्तविक)	410.60	14.58	425.18
1986-87 (वास्तविक)	447.25	37.98	485.23
1987-88 (आबंटन)	508.44	37.50	545.94

सहायता की प्रचलित पद्धति के अनुसार उपर्युक्त राशि का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में होता है।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	प्रति व्यक्ति सहायता (रुपए)					
	सामान्य केन्द्रीय सहायता			विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता		
	1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7
1. असम	183	208	230	2	0.05	0.65
2. आन्ध्र प्रदेश	53	52	57	1	3	6
3. बिहार	54	57	64	2	5	5
4. गुजरात	38	39	42	10	11	27
5. हरियाणा	48	45	48	14	14	13
6. कर्नाटक	38	39	42	11	9	10

1	2	3	4	5	6	7
7. केरल	57	69	80	7	9	16
8. मध्य प्रदेश	48	50	55	11	11	18
9. महाराष्ट्र	35	35	38	14	13	12
10. उड़ीसा	56	66	75	13	20	37
11. पंजाब	46	44	46	7	8	5
12. राजस्थान	46	58	67	5	6	3
13. तमिलनाडु	40	49	57	5	7	9
14. उत्तर प्रदेश	50	50	54	3	4	17
15. पश्चिम बंगाल	31	35	39	2	4	5

टिप्पणी : वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए प्रतिव्यक्ति सहायता का हिसाब जनसंख्या पूर्वानुमान सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर लगाया जाता है ।

भारत के संविधान का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद

5905. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान का अब तक किन-किन भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है ;

(ख) क्या भारत के संविधान को सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) भारत के संविधान का हिन्दी तथा ग्यारह अन्य भाषाओं में अर्थात्, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगू और उर्दू में, अनुवाद किया जा चुका है और वह प्रकाशित भी हो गया है । तमिलनाडु सरकार संविधान के तमिल रूपान्तर की संवीक्षा कर रही है और वह अंतिम प्रक्रम पर है । संविधान का सिन्धी रूपांतर भी तैयार किया जा चुका है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनु-गोविन्दवाड़ी मार्ग का निर्माण

5906. **श्री अजय विश्वास :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनु-गोविन्दबाड़ी मार्ग का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ; और

(घ) यदि कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया जाएगा तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). उक्त क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधियों को देखते हुए यहां लगाए गए संसाधनों को नवम्बर, 1986 में अस्थाई तौर पर हटाना पड़ा था।

(ग) इस सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल, 1987 से पुनः शुरू कर दिया गया है और 1989-90 तक इसको पूरा किए जाने की योजना है। इस क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण यहां कार्य पर्याप्त गति से नहीं चल रहा है। इसलिए कार्य पूरा होने में देरी होने की सम्भावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों में कम्प्यूटर लगाना

5907. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्कूलों में लगाने के लिए कुछ कम्प्यूटरों का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत में इन कम्प्यूटरों का निर्माण करने का प्रयास किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) मैसर्स सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एस. सी. एल.) ने भारत में 6502 पर आधारित सूक्ष्म (माइक्रो) कम्प्यूटरों का विनिर्माण आरम्भ कर दिया है। सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड ने विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन कार्यक्रम (क्लास) की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत भारतीय विद्यालयों में प्रतिष्ठापित किए जाने के उद्देश्य से अब तक लगभग 3600 कम्प्यूटरों की आपूर्ति की है।

इलेक्ट्रानिकी विभाग के अधिकारियों की शिकायतों की जांच के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति

5908. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग के अधिकारियों की सेवा के मामलों सम्बन्धी शिकायतों पर विचार करने के लिए इस विभाग में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है ;

(ख) क्या इस विभाग के कर्मचारियों ने उक्त समिति के विचारार्थ बड़ी संख्या में अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ग) क्या समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग में विभिन्न राजपत्रित पदों (वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा प्रशासनिक पदों) के मूल्यांकन तथा संवर्ग पर आधारित पदोन्नति के लिए इस समय अपनाई जा रही कार्यविधियों तथा पद्धतियों की समीक्षा करने और पिछले 4-5 वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर वांछनीय संशोधनों की सिफारिश करने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के भर्ती तथा मूल्यांकन केन्द्र के अध्यक्ष, प्रोफेसर एस० सम्पत की अध्यक्षता में जुलाई, 1987 में एक समिति का गठन किया गया।

(ख) समिति ने इलेक्ट्रानिकी विभाग के संबंधित कर्मचारी संघों से विचारार्थ सुझाव आमंत्रित किए और उन्हें प्राप्त किया।

(ग) समिति ने दिसम्बर, 1987 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों (राजपत्रित) से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। समिति ने गैर तकनीकी/वैज्ञानिक राजपत्रित पदों से सम्बन्धित अपनी सिफारिशों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

उत्तरी क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रानिक्स शहर

5909. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, उत्तरी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक शहर स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

होशियारपुर जिले से स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के मामले

5910. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने होशियारपुर जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन देने के लिए सितम्बर, 1987 तक केन्द्रीय सरकार को स्वतन्त्रता सेनानियों के कितने मामलों की सिफारिश की है ;

(ख) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन मंजूर की गई है ; और

(ग) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों को अस्वीकार किया गया है तथा प्रत्येक मामले में अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी जनसंख्या पर शोध कार्य करने के लिए कृतिक बल

5911. श्री हरिहर सोरन : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी जनसंख्या पर शोध कार्य करने के लिए एक कृतिक बल के गठन का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पेश किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी

5912. श्री राम समुझावन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आदेश/अनुदेश हैं कि अनुशासनात्मक/अपीलीय/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण प्राधिकारी के अलावा कोई अन्य अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों/अपीलीय/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर सकता ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय में किन्हीं मामलों में इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था और इस मामले में सरकारी अनुदेशों/आदेशों का पालन करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सतर्कता/अनुशासन तथा अपील/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण याचिकाओं के कितने मामले लम्बित पड़े हैं, कब से लंबित पड़े हैं और विलम्ब के कारणों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन मामलों को शीघ्रता से न निपटाने तथा इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने में विलम्ब के लिए जिम्मेवार अधिकारी कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर में आयोजित अधिवक्ताओं के लिए कार्यशाला

5913. **श्री के० राममूर्ति** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल ला स्कूल आफ इण्डिया और बार काउंसिल आफ इण्डिया ट्रस्ट दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से 21 दिसम्बर, 1987 को बंगलौर में आन एडमिनिस्ट्रेटिव ला एण्ड एडजुडीकेशन (प्रशासनिक विधि और न्याय-निर्णय) से सम्बन्धित अधिवक्ताओं के लिए आयोजित की गई कार्यशाला, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उद्घाटन भाषण दिया था, में क्या निर्णय लिये गये ; और

(ख) इस पर विशेषकर "एन ओपन एण्ड ट्रांसपेरेण्ट गवर्नमेंट" (एक खुली और पारदर्शी सरकार) के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बंगलौर में तारीख 21 दिसम्बर, 1987 से 25 दिसम्बर, 1987 तक नेशनल लॉ स्कूल आफ इण्डिया के तत्वावधान में भारतीय विधिज्ञ परिषद् न्यास द्वारा प्रायोजित विधिक वृत्ति की निरन्तर शिक्षा के लिए जारी स्कीम के भागरूप "प्रशासनिक विधि और न्यायनिर्णयन" से सम्बन्धित एक कर्मशाला आयोजित की गई थी। उस कर्मशाला में कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मझगांव गोदी, बम्बई का कार्यकरण

5914. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव गोदी, बम्बई की "शिपयार्ड टेकनीकल स्टाफ एसोसियेशन" से गोदी के बारे में कोई श्वेत पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसकी असफलता के कारणों का विश्लेषण किया गया है और उपचार के सुझाव दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, हां।

(ख) श्वेत पत्र में इन क्षेत्रों में परिवर्तन के सुझाव दिए हैं—संगठनात्मक ढांचा, प्रबन्ध व्यवस्था, योजना एवं समन्वय कार्य, सामान-सूची नियंत्रण, सामग्री प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध।

(ग) कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त "कार्यदल" ने मझगांव डाक लिमिटेड के कार्य-निष्पादन एवं लाभ के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी। "कार्यदल" की सिफारिशों में श्वेत पत्र में उल्लिखित अधिकांश क्षेत्र शामिल हैं। "कार्यदल" की संगठन, वित्त, जनशक्ति व्यवस्था, उत्पादकता, डिजाइन एवं कम्प्यूटरीकरण में परिवर्तन से सम्बन्धित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। मझगांव डाक लिमिटेड ने वास्तविक आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्हें बढ़ाने के लिए भावी योजनाएं तैयार की हैं।

किसानों को मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी मामले

[हिन्दी]

5915. **श्री भरत सिंह :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी मामलों का निपटान करने में सामान्यत: कितना समय लगता है जिसमें न्यायालयों में लगने वाला समय भी शामिल है ;

(ख) क्या सरकार का इन मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, दिल्ली प्रशासन किसानों को मुआवजे का भुगतान करने में एक वर्ष से अधिक समय लगाता है; और किसानों को इस अवधि का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रशासन ने कितने मामलों में धनराशि का भुगतान कुछ समय बीतने के पश्चात् किया है और इस प्रकार उसने कितने समय के बाद भुगतान किया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) किसानों के लिए मुआवजे से सम्बन्धित मामलों को निपटाने में लगने वाला समय, जिसमें न्यायालयों में लगने वाला समय भी सम्मिलित है, पृथक-पृथक मामले के लिए पृथक-पृथक है। अत: साधारणतया ऐसी अवधि उपदर्शित नहीं की जा सकती।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह एक तथ्य है कि कुछ मामलों में, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् किसानों को भुगतान करने में एक वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय को रकम भेजे जाने तक की अवधि का ब्याज किसानों को संदत्त किया जाता है।

(ङ) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सेना अधिनियम, 1950 में संशोधन

[अनुवाद]

5916. **श्री अजय मुशरान :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेना अधिनियम, 1950 में संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन नए उपबन्धों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

सी-60/सी-90 कैसेटों के निर्माण की अनुमति

[हिन्दी]

5917. **श्री शांति धारीवाल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऑडियो कैसेटों की निर्माता कम्पनियों को सी-60 और सी-90 कैसेटों के निर्माण की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कम्पनियां केवल सी-60 कैसेटों का निर्माण कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ये कम्पनियां अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं कर रही हैं और इस प्रकार वे कम उत्पादन कर रही हैं और निर्धारित मानक लम्बाई से कम लम्बाई के टेप वाले कैसेट बना रही हैं और क्या राजस्थान से भी इसी तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). कई इकाइयों को (खाली/पूर्व-रिकार्डित) श्रव्य कैसेटों के विनिर्माण की अनुमति दी गई है तथा वे किसी भी प्रकार के कैसेट का विनिर्माण करने के लिए स्वतन्त्र हैं, जिनमें सी-45, सी-60, सी-90, सी-120 आदि शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन का हिन्दी ट्रोन के साथ सहयोग

[अनुवाद]

5918. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन के हिन्दी ट्रोन के साथ किए जाने वाले सहयोग की शर्तों में बारे में स्वदेशी कम्प्यूटर उद्योग ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन के लिए चरणों में मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम अन्य कम्पनियों के लिए मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से भिन्न हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) स्वदेशी कम्प्यूटर उद्योग ने अंकीय उपस्करों के लिए हिन्दी ट्रान के साथ सहयोग के लिए दी गई अनुमति से

जुड़ी शर्तों पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि किसी पार्टी विशेष के लिए निर्यात की अनिवार्य शर्त में छूट देने के सम्बन्ध में कोई एक तरफा निर्णय न लिया जाए।

(ख) सरकार ने मैसर्स हिन्दीट्रान/डी ई सी के प्रस्ताव के मामले में निर्यात की अनिवार्य शर्त को नहीं हटाया है। कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए 10 प्रतिशत की समान दर से निर्यात की अनिवार्य शर्त लगाई गई है।

(ग) हिन्दीट्रान तथा डी ई सी के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को अभी तक अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

यू० एस० अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट का दौरा

[हिन्दी]

5919. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एस० अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट फरवरी, 1988 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली की यात्रा पर आये थे और उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो की गई बैठक का ब्यौरा क्या है और किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ; और

(ग) क्या अफगानिस्तान समस्या पर भी बातचीत की गई थी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट प्रधान मन्त्री और विदेश राज्य मन्त्री से मिले तथा उन्होंने मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत हुई।

(ग) जी, हां।

विकलांगों को रोजगार

[अनुवाद]

5920. **श्री तम्पन थामस** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले विकलांगों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा विकलांगों को दिए गए रोजगार के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है :—

1985	5,200
1986	5,322
1987	2,440 (जनवरी-जून)

1987 के दौरान, दिल्ली और इसके आसपास स्थित केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपेनीत रिक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती शुरू की गई थी। इस विशेष भर्ती के परिणामस्वरूप, 311 (269 नेत्रहीन और 42 बधिर) विकलांगों को नियुक्त करने के लिए सिफारिश की गई है।

प्रशिक्षक विमान के लिए विदेशी सहयोग

5921. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में विदेशी सहयोग से प्रशिक्षक विमान बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक उन्नत किस्म के प्रशिक्षक विमान की आवश्यकता है लेकिन अभी इसका अन्तिम रूप से चयन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब परियोजना

5922. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में फिलिप्स कम्पनी के सहयोग से 150 करोड़ रुपये लागत की रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). सरकार ने रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए 3 कम्पनियों को पहले ही लाइसेंस प्रदान कर दिया है; जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 17.5 लाख होगी। इस समय सरकार और अधिक उत्पादन क्षमताएं तैयार करने की आवश्यकता की समीक्षा कर रही है और इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, मैसर्स आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिकी विकास निगम का हालैण्ड के मैसर्स फिलिप्स के साथ विदेशी सहयोग के आवेदन-पत्र पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है।

पश्चिम बंगाल को अनुदान अथवा ऋण के रूप में सहायता

5923. **डा० फुलरेणु गुहा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी सहायता राशि दी गई है ;

(ख) पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों की तुलना में कितने प्रतिशत सहायता दी गई ;

(ग) यदि पश्चिम बंगाल को अपेक्षाकृत कम सहायता दी गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल को अधिक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एँगती) : (क) पश्चिम बंगाल को अपनी वार्षिक योजनाओं के वित्त-पोषक के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 710.26 करोड़ रु० की राशि का आवंटन किया गया है। सहायता की चालू पद्धति के अनुसार उपर्युक्त राशि का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में है।

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में, पश्चिम बंगाल को आवंटित की गई राशि कुल आवंटन का 5.7 प्रतिशत है।

(ग) और (घ). 14 गैर विशेष श्रेणी राज्यों को आवंटित कुल सहायता में पश्चिम बंगाल का प्रतिशत भाग 5 राज्यों की तुलना में अधिक है लेकिन 8 राज्यों की तुलना में कम है। प्रत्येक राज्य को जो आवंटन किया जाता है, वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित यथासंशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत निर्धारित सातवीं योजना के लिए कुल आवंटन में प्रत्येक राज्य के भाग पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए सहायता के संवितरण की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। इसलिए, पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के रिक्त पद

5924. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े है ;

(ख) वे किस-किस तारीख से रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) उक्त रिक्त स्थानों को भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख). तारीख 4-4-88 को निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में प्रत्येक के सामने उपदर्शित तारीख से मुख्य न्यायमूर्तियों के पद रिक्त हैं :

1.	इलाहाबाद	16-7-87
2.	पटना	2-1-88
3.	मध्य प्रदेश	18-1-88
4.	मद्रास	14-3-88

5.	गुवाहाटी	15-3-88
6.	दिल्ली	17-3-88

(ग) उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति सम्बद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके की जाती है। सरकार उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का हर सम्भव प्रयास करती है।

बाल विवाह

5925. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में गत तीन वर्षों के दौरान बाल विवाह के सम्बन्ध में कुछ मामले लाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का सन् 1978 में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि अन्वेषण और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों (नाम और निवास-स्थान बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी) से भिन्न सभी मामलों में और किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे। इसके अतिरिक्त, इस कार्य विशेष के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सम्मिलित करके और अन्य अध्युपायों द्वारा जन संचार माध्यमों से बाल विवाह की कुप्रथा के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक शिक्षा पर जोर देना भी है। इन माध्यमों में पोस्टर लगाना, रेडियो कार्यक्रम, सिनेमा स्लाइडों का प्रदर्शन, दूरदर्शन पर लघु वृत्तचित्र फिल्मों का प्रदर्शन, प्रेस पोस्टर, ग्रामीण महिलाओं आदि के साथ सामूहिक चर्चाएं करना है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगो की योजनावार संख्या

5926. **श्री के० मोहनदास :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत कितना था ;

(ख) प्रत्येक परवर्ती योजनाओं के बाद गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत कितना था ;

(ग) प्रत्येक योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए कितने प्रतिशत आबंटन किया गया था ; और

(घ) सरकार की शेष लोगों को कब तक गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एँगती) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पारिवारिक उपभोग व्यय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर तुलनीय कार्य-विधि के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अनुमान केवल वर्ष 1972-73, 1977-78 और 1983-84 के लिए उपलब्ध हैं। इन वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता इस प्रकार है :

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	जोड़
1972-73	54.1	41.2	51.5
1977-78	51.2	38.2	48.3
1983-84	40.4	28.1	37.4

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अलग से कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किए गए थे। छठी पंचवर्षीय योजना में मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) के लिए कुल छठी योजना के परिव्यय का 3.8 प्रतिशत आबंटित किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों के लिए सातवीं योजना के कुल परिव्यय के 3.7 प्रतिशत के बराबर आबंटन किया गया है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या की प्रतिशतता वर्ष 1984-85 में 36.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1989-90 में 25.8 प्रतिशत तथा शताब्दी के अन्त तक 5 प्रतिशत तक रह जाने की प्रत्याशा की गई है।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

5927. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से अब तक उच्चतम न्यायालय में वर्षवार कितने मामले लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) उनमें से कितने मामले उच्चतम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं तथा उनमें से कितने मामले विशेष अनुमति याचिका से सम्बन्धित हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1-3-1988 को लम्बित मामलों की, जिनमें ग्रहण किए जाने वाले और प्रकीर्ण मामले भी हैं, कुल संख्या 181467 है। यह रजिस्ट्री ग्रहण किए जाने वाले और प्रकीर्ण मामलों का वर्षवार कोई लेखा-जोखा नहीं रखती है।

(ख) इस रजिस्ट्री में रजिस्टर किए गए सभी मामले उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता में आते हैं। तारीख 1-3-1988 को लम्बित कुल 181466 मामलों में से 45266 विशेष इजाजत याचिकाएं सिविल और अपराधिक दोनों हैं।

वर्जित स्थानों पर पार्किंग के लिए चालान

5928. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 में दिल्ली में वर्जित स्थानों पर पार्किंग के लिए कितने वाहनों का चालान किया गया तथा उनसे जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : वर्ष 1987 के दौरान, वर्जित स्थानों पर वाहनों को खड़ा करने के लिए 74,515 वाहनों का चालान किया गया और इस अपराध के लिए "कम्पाऊंडिंग" शुल्क के रूप में 29,28,095.00 रुपए एकत्रित किए गए। वर्जित स्थानों पर वाहनों को खड़ा करने के अपराधों के लिए विवादी मामलों में न्यायालय द्वारा किए गए जुर्मानों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या

5929. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1987 में अर्द्ध-सैनिक बलों की कुल कितनी बटालियन थीं ; और

(ख) वर्ष 1987 के दौरान रख-रखाव के लिए उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस नामक अर्द्धसैनिक बलों की 1-12-1981 और 1-12-1987 को कुल संख्या क्रमशः 182 बटालियनें और 241 बटालियनें थी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के० ओ० सु० ब०) जो बटालियन पैटर्न पर संगठित नहीं है, की 1-12-1981 को स्वीकृत संख्या 42,825 कार्मिक थी। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (1984 में गठित) की 1-11-1987 की संख्या 70,577 थी।

(ख) उपरोक्त सभी अर्द्धसैनिक बलों पर अप्रैल से दिसम्बर, 1987 तक की अवधि के दौरान कुल व्यय 555.04 करोड़ रुपये था।

अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार

5930. **श्री जी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों को उन देशों, जहां वे रहते हैं, द्वारा मताधिकार से वंचित रखा जाता है ;

(ख) क्या न्यूयार्क में रहने वाले अनिवासी भारतीयों ने विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को राष्ट्रीय चुनावों में मतदान के लिए अनुमति देने हेतु सरकार से आग्रह किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को देश में राष्ट्रीय चुनावों के लिए मताधिकार देने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) यह सम्भव है कि ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों को, जो विदेश में रह रहे हैं और जिन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखी है, उन देशों में ऐसे व्यक्तियों को लागू सुसंगत विधि के अनुसार उन देशों के निर्वाचनों में भाग लेने का अधिकार न हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्त्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी

5931. **श्री अन्नेश्वर तांती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में 31 मार्च, 1988 तक प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर आने को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). प्रतिनियुक्ति पदों को भरने के लिए भर्ती की एक मान्य प्रणाली है और जहां कहीं आवश्यक होता है यह निर्धारित की जाती है। विभिन्न मन्त्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का आधुनिकीकरण

5932. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विस्तृत प्रसार को देखते हुए और पंजाब, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और श्रीलंका इत्यादि में कानून और व्यवस्था की ड्यूटियों पर इसकी तैनातगी को ध्यान में रखते हुए, इसके आधुनिकीकरण के लिए शस्त्रागार, हल्के

वाहनों, रात्रि दृश्य यन्त्रों और अत्याधुनिक दूर संचार प्रणाली में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया गया है। बल के मुख्यालय में अनिवार्य और महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करने के लिए कम्प्यूटर लगाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

जनशक्ति निर्यात में धोखाधड़ी करने वाले लोग

[हिन्दी]

5933. **श्री मदन पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जन शक्ति निर्यात का व्यापार जनसाधारण को ठगने का एक स्रोत बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए और उनमें से कितने विदेशी थे ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) जनशक्ति निर्यात व्यापार में कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली में जनशक्ति निर्यात का व्यापार जनसाधारण को ठगने का एक स्रोत बन गया है।

(ख) दिसम्बर, 1987 से फरवरी, 1988 तक की अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनमें से कोई भी विदेशी नहीं है।

(ग) कानून की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

(घ) पुलिस सतर्क रहती है। जब कभी कोई सूचना प्राप्त होती है, तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाती है।

"मेन डिस्ट्रिब्यूशन फ्रेम" उपकरणों का निर्माण

[अनुवाद]

5934. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य सरकार के स्वामित्व वाला कर्नाटक इलेक्ट्रानिक विकास निगम का पश्चिम जर्मन कम्पनी के सहयोग से "मेन डिस्ट्रिब्यूशन फ्रेम" उपकरणों के निर्माण के लिए एक परियोजना की स्थापना का विचार है, जो दूरसंचार व्यवस्था में विश्वसनीय सुधार होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी ;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(घ) इसका देश में दूरसंचार के विकास में क्या योगदान होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) "मेन डिस्ट्रिब्यूशन फ्रेम" के विनिर्माण की एक परियोजना स्थापित करने के बारे में सरकार को कर्नाटक

इलेक्ट्रानिकी विकास निगम के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय भण्डार शाखाएं और उचित दर की दुकानें खोलना

5935. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को वर्ष 1987 के दौरान वसन्त विहार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग काम्पलेक्स, नई दिल्ली क्षेत्र के कल्याण संगठन से केन्द्रीय भण्डार की स्व-सेवा शाखा और उचित दर की दुकानें खोलने के लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय भण्डार प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय भण्डार की कोई शाखा और उचित दर की दुकान अभी तक न खोले जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त क्षेत्र में यह दुकानें और भण्डार कब तक खोले जाएंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (केन्द्रीय भण्डार) ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास कालोनियों में जहां उसे शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाता है, अपने बाजार (आउटलेट्स) तथा उचित दर दुकानें खोली हैं। शहरी विकास मन्त्रालय के पास स्थान आबंटन के लिए एक अनुरोध लम्बित है। केन्द्रीय भण्डार ने उपयुक्त स्थान आबंटित हो जाने पर एक उचित दर दुकान तथा एक स्वयं सेवा शाखा (सेल्फ सर्विस ब्रांच) खोलने का निर्णय किया है ।

उड़ीसा में संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी की प्रगति

5936. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के आदिवासी जिले में संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी के कार्यान्वयन की प्रगति बहुत धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी सम्बन्धी योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) छठी योजना अवधि और सातवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में संशोधित क्षेत्र

विकास एप्रोच (माडा) प्राकटों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस० सी० ए०) की निम्नलिखित धनराशि प्रदान की गई है :—

वर्ष	धनराशि (रु० लाखों में)
छठी योजना	
1980-85	548.29
सातवीं योजना	
1985-86	168.00
1986-87	181.94
1987-88	186.29

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण

5937. **श्री जनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्यकरण को आधुनिकीकृत करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अपनी संचालन तथा कार्यक्षमता में सुधार करने की कोई सहायता प्रदान की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नवीनतम वैज्ञानिक प्रणाली को लागू करके इसके आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। 80 उपक्रमों का सर्वेक्षण किया गया है और चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन के लिए एकीकृत योजनाएं बनाई गई हैं। 47 उपक्रमों में आधुनिक प्रणाली और 78 संस्थानों में बेतार तंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। अखिल भारतीय आधार पर संचार के लिए 10 बेतार तंत्र केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है। आधुनिक संचार के लिए एक नए तकनीकी विंग की स्वीकृति भी दी गई है।

नए पेंशन नियम

5938. **श्री जनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में पेंशनभोगियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नए पेंशन नियम राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किए जाएंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इससे लगभग कितने पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नए पेंशन नियम घोषित नहीं किए गए हैं। तथापि, चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन ढाँचे को 1-1-1987 से युक्तिसंगत बनाया गया था। चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों की घोषणा करने वाले संकल्प की एक प्रति 25 मार्च, 1987 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी।

(ग) और (घ). राज्य की समेकित निधि से देय राज्य पेंशनों का सम्बन्ध, भारत के सातवीं अनुसूची के अधीन राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 42 के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ है। अत: केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

गगनचुम्बी भवनों में आग लगना

5939. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत दो वर्षों के दौरान गगनचुम्बी भवनों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) आग लगने की इन घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए;

(ग) कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई;

(घ) दिल्ली में कितने भवनों में अग्नि सम्बन्धी सुरक्षापाय अपर्याप्त हैं;

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा भवन निर्माताओं/मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किए गए हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 209।

(ख) और (ग). दिल्ली के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आग लगने की इन घटनाओं में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 97 घायल हुए। 2.28 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई।

(घ) 179।

(ङ) और (च). भवन उप-नियम 1983 के अनुसार गगनचुम्बी भवनों में पर्याप्त अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना आवश्यक है। भवन उपनियम 1983 के अधिसूचित होने से पहले बने उन गगनचुम्बी भवनों जिनमें अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा उपायों की व्यवस्था नहीं है, के निर्माताओं/मालिकों/दखलदारों को अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने के लिए नोटिस भेजे गए हैं।

भारी जल संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में हुई प्रगति

5940. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में यह अध्ययन किया गया था जिसके अनुसार 1979 तक भारी जल का देश में उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता से अधिक हो जाएगा ;

(ख) क्या विभाग ने कोटा, बड़ौदा, तूतीकोरिन और तालचेर में भारी पानी के संयंत्रों की स्थापना की योजना पर विचार किया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस तरह के भारी जल संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में आज तक क्या प्रगति हुई और परमाणु संयंत्रों और भारी जल के उत्पादन का कार्य आरम्भ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इस शताब्दी के सातवें दशक में स्थापित किए जाने वाले बिजलीघरों के लिए भारी पानी की अनुमानित आवश्यकता के बारे में जो अध्ययन सातवें दशक के आरम्भिक वर्षों में किए गए थे, उनके आधार पर सातवें दशक के आरम्भिक वर्षों में चार भारी पानी संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया था। उस समय अनुमान यह था कि उन संयंत्रों में उत्पादित भारी पानी सातवें दशक में लगाए जाने वाले बिजलीघरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगा।

(ख) जी, हाँ।

(ग) तूतीकोरिन, बड़ौदा, कोटा और तलचर के भारी पानी संयंत्र तथा थाल का भारी पानी संयंत्र, जोकि पाँचवाँ भारी पानी संयंत्र है, चालू किए जा चुके हैं तथा उनमें भारी पानी का उत्पादन हो रहा है। मानुगुरू और हजीरा में भारी पानी संयंत्रों का निर्माण-कार्य चल रहा है। परमाणु बिजलीघरों को चालू करने में भारी पानी की कमी के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

केन्द्रीय विकास प्राधिकरण

[हिन्दी]

5941. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य हिमाचल क्षेत्र में विकास कार्य को दिशा देने के लिए केन्द्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्राधिकरण के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किया जाएगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एँगती) : (क) से (ग). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का पकड़ा जाना

[अनुवाद]

5942. **श्री जी० एस० बसवराजु :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर अजनाला क्षेत्र में 12 मार्च, 1988 को प्रातः सीमा सुरक्षा बल से विशाल मात्रा में हथियार और विस्फोटक पदार्थ पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए, कितने मारे गए और कितने भाग गए ;

(ग) इन तस्करों से कुल कितने हथियार और गोला बारूद पकड़ा गया और क्या इन हथियारों पर ए० के०-47 चाइनीज राइफल सहित बाहरी देशों के चिह्न अंकित थे ; और

(घ) क्या इस घटना को ध्यान में रखते हुए भारत-पाकिस्तान सीमा पर गश्त तेज कर दी गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सीमा सुरक्षा बल ने 12 मार्च, 1988 को भारत-पाक सीमा के अजनाला क्षेत्र में शस्त्र, गोलाबारूद और विस्फोटक पदार्थ पकड़े थे।

(ख) सीमा सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति मारा गया था जबकि तीन अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान भागने में सफल हो गए।

(ग) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) अतिरिक्त बल को तैनात करके और गोलीबारी की क्षमता को बढ़ाकर सीमा पर सतर्कता को बढ़ाया जा रहा है।

विवरण

12 मार्च, 1988 को सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत-पाक सीमा पर अजनाला क्षेत्र में मुठभेड़ में पकड़े गए शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ

विवरण	मात्रा	टिप्पणी
1. .32 पिस्तौल (बिना मार्क के)	1 अदद	
2. मैगजीन ए० के० 47	16 अदद	विदेशी मार्क 'ए० के०-47' खुदा हुआ है।

विवरण	मात्रा	टिप्पणी
3. ए० के० 47, एसाल्ट राइफल गोलाबारूद	2022 राउंड	—तदैव—
4. .32 बोर गोलाबारूद	297 राउंड	
5. प्लास्टिक विस्फोटक पदार्थ (8 छोटे पैकेट और 4 बड़े पैकेट)	19.5 कि० ग्रा० (लगभग)	
6. इलैक्ट्रिक डेटोनेटर	20 अदद	
7. डेटोनेटर सं० 27	20 अदद	
8. सेफ्टी फ्यूज	54 फीट	
9. कोरडैक्स	150 फीट	

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा क्विलोन के चावड़ा में खनिज लवण हेतु खनन परियोजना

5943. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा क्विलोन के चावड़ा में खनिज लवण हेतु एक गहन खनन परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने पर कोई बात की है ;

(ग) कार्य कब तक शुरू होने की आशा है तथा इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस परियोजना से कितने और लोगों को रोजगार मिलने की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हाँ।

(ख) विदेशी सहयोग प्राप्त करने की कोई बात नहीं की गई है। तथापि, आस्ट्रेलिया की एक फर्म को परामर्श-सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) इस परियोजना का कार्य जनवरी, 1987 में शुरू किया जा चुका है। आशा है कि परियोजना का काम दिसम्बर, 1989 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

(घ) इस परियोजना के लिए 79 कार्मिकों की व्यवस्था है जिनमें 5 अधिकारी तथा 74 कारीगर और सहायक कर्मचारी शामिल हैं।

तटरक्षकों द्वारा गुजरात तट की सुरक्षा

5944. **श्री दौलतसिंह जी जदेजा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सीमा पर मछुआरों की रक्षा के लिए तटरक्षकों की गश्त बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1988 के बाद क्या उपाय किए गए हैं ;

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). तटरक्षक संगठन ने इस क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। इसके लिए हवाई निगरानी भी रखी जा रही है।

उड़ीसा का वार्षिक योजना परिव्यय

5945. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए कितना वार्षिक योजना परिव्यय प्रस्तुत किया गया तथा योजना आयोग द्वारा कितना परिव्यय मंजूर किया गया है ;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा परिव्यय में कटौती की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा वार्षिक योजना 1988-89 के लिए प्रस्तावित 907.98 करोड़ रु० के परिव्यय की तुलना में 835 करोड़ रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी गई।

(ख) और (ग). वार्षिक योजना परिव्यय की व्यवस्था निम्नलिखित को ध्यान में रखने के पश्चात् की जाती है :

(1) पिछली पंचवर्षीय अवधि, अर्थात 1985-90 में राज्य के लिए निर्धारित किया गया कुल योजना परिव्यय ;

(2) पिछले वर्षों के दौरान राज्य का वास्तविक योजना व्यय ;

(3) राज्य सरकार की ओर से संसाधन जुटाने के प्रयास ; और

(4) केन्द्रीय सहायता।

वर्ष 1988-89 के लिए उड़ीसा का वार्षिक योजना परिव्यय 835 करोड़ रुपए है जो कि वर्ष 1987-88 के 742.02 करोड़ रुपए की संशोधित वार्षिक योजना परिव्यय से 12.5 प्रतिशत अधिक है।

जिला स्तर पर योजना के लिए सुझाव

5946. **श्री शरद दिघे :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को योजना प्रक्रिया को व्यापक आधार देने के

लिए प्रत्येक जिले के लिए योजनाएं तैयार करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किन राज्यों ने जिला वार ऐसी योजनाएं तैयार की हैं और अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रकार की कार्यवाही करें इस हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख). राज्यों को जिला योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है। क्रियाविधि में सुधार करने के लिए राज्यों को यह सलाह भी दी गई कि वे कुछ जिला योजनाएं प्रायोगिक आधार पर तैयार करें। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, इस उद्देश्य के लिए पहले से चुने गए जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि राज्यों में से प्रत्येक राज्य के एक जिले के लिए माडल जिला योजनाएं तैयार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की सेवाएं प्राप्त की हैं।

विवरण

जिला योजनाओं की आगामी परियोजनाएं

जिला योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों द्वारा चुने गए जिले

राज्य	जिले
1. आन्ध्र प्रदेश	1. पूर्वी गोदावरी (तटवर्ती आन्ध्र)
	2. अनंतपुर (रायल सीमा)
	3. आदिलाबाद (तेलंगाना)
2. असम	1. नलबारी
3. बिहार	1. पुरनिया
	2. मुंगेर (एन० आई० आर० डी० द्वारा भी)
	3. रांची
4. हिमाचल प्रदेश	1. शिमला (एन० आई० आर० डी० द्वारा भी)
	2. मंडी
	3. कांगड़ा
5. जम्मू और कश्मीर	दो जिलों में प्रस्ताव है—
	जम्मू और कश्मीर—
	दोनों डिवीजनों के एक-एक
	जिले में। नाम नहीं दिए गए।

राज्य	जिले
6. कर्नाटक	1. कोलार
	2. मैसूर
	3. धारवाड़
	4. रायचूर
7. केरल	1. कोट्टयम
	2. केन्नूर
8. महाराष्ट्र	नासिक (एन० आई० आर० डी० द्वारा भी)
9. तमिलनाडु	1. त्रुनेलवेलि-कट्टाबोमन (एन० आई० आर० डी० द्वारा भी)
	2. पसुम्पोन—मथुरामालिंगम
	3. नीलगिरि
10. उत्तर प्रदेश	1. सीतापुर (एन० आई० आर० डी० द्वारा भी)

बिहार में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कम्प्लेक्स

[हिन्दी]

5947. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कम्प्लेक्स यूनिट को देश के एक आदर्श यूनिट के रूप में विकसित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार में भी इसी प्रकार का केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कम्प्लेक्स स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की दो यूनिटें हरिद्वार में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० और इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्युटिकल लि० नामक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था करने में कार्यरत हैं। जहां तक मूलसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे परिवहन, उपकरण, आवास का सम्बन्ध है, बी० एच० इ० एल०, हरिद्वार में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की यूनिट अब तक की बेहतरीन यूनिटों में से एक है।

(ख) और (ग). बिहार में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित 22 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्य कर रहा है। उनमें से 9 यूनिटों (नामतः बोकारो स्टील लि०, सी० टी० पी० एस० चन्द्रपुरा, हिन्दुस्तान जिंक लि०, टुन्डू, मेघहाटुबुरु आयरन और प्रोजेक्ट, मेधहाटुबुरु; आई० ओ० सी० बरौनी रिफाइनरी लि०, बरौनी, किरिबुरु आयरन और माइन्स; राखा कापर प्रोजेक्ट

यू० सी० आई० एल० जादुगुडा ; भावन्तपुर माइन्स आफ बी० एम० एल० ; बोकारो) में अच्छी मूल संरचनात्मक सुविधाएं हैं।

सरकारी कार्यालयों में छः दिन का सप्ताह

[अनुवाद]

5948. **श्री नारायण चौबे :**

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में वर्तमान पांच दिन के सप्ताह के स्थान पर छः दिन का सप्ताह आरम्भ करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों/संगठनों से बातचीत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

[हिन्दी]

5949. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवा-काल के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के लड़कों/लड़कियों को अनुकम्पा आधार पर रोजगार देती है ;

(ख) अनुकम्पा आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को कौन-कौन सी रियायतें दी जाती हैं ;

(ग) क्या ऐसी कोई समय सीमा है जिसके भीतर ही कर्मचारी की मृत्यु होने पर ऐसे मामलों पर विचार किया जाता है ;

(घ) क्या कुछ मामलों में कर्मचारी की मृत्यु के दस वर्ष के पश्चात भी अनुकम्पा आधार पर रोजगार दिए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). इस विभाग के दि० 30 जून, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं० 14014/6/86 स्थापना (घ) तथा दिनांक 17 फरवरी, 1988 के का० ज्ञा० सं० 14014/23/87 स्थापना (घ) की एक-एक प्रति, जिसमें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना के सम्बन्ध में, संगत पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ). सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव अथवा सचिव तथा विभागाध्यक्ष अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम हैं और मांगी गई सूचना कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में मानीटर नहीं की जाती फिर भी, जहां न्याय संगत होता है वहां यह योजना ऐसी विलम्बित नियुक्तियां करने की अनुमति देती है।

विवरण

संख्या 14041/6/86-स्था० (घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30-6-1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री निकट सम्बन्धी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां-समेकित अनुदेश।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग द्वारा समय समय पर इस आशय के अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं जिनमें दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/निकट सम्बन्धी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करते समय अपनाए जाने वाले सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। सन्दर्भ की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर जारी किए गए आदेशों को सरलीकृत करके इस कार्यालय ज्ञापन में समेकित किया गया है।

1. जिन पर लागू होते हैं :—

(क) जिस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है जिसमें आत्महत्या भी शामिल है जिसके फलस्वरूप उसके परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो जाती है और जब परिवार में कमाने वाला कोई भी अन्य सदस्य न हो तो उस स्थिति में उसके पुत्र अथवा पुत्री अथवा निकट सम्बन्धी पर।

(ख) आपवादिक मामलों में जब विभाग इस बात से सन्तुष्ट हो कि परिवार की दशा दयनीय है तथा वह बड़ी विपत्ति में है तो ऐसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/निकट सम्बन्धी को भी दिया जाए जिन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 38 के

अधीन अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा विनियमावली के तदनुरूपी उपबन्धों के अधीन 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व बीमारी के कारण सेवा निवृत्त किया गया हो। समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में जिनकी अधिवर्षिता की सामान्य आयु 60 वर्ष है अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर तभी विचार किया जाए जबकि उन्हें बीमारी के आधार पर 57 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पूर्व सेवा निवृत्त किया गया हो।

(ग) उस सरकारी कर्मचारी के पुत्र अथवा पुत्री अथवा निकट सम्बन्धी पर जिसकी मृत्यु पुनर्नियोजन के दौरान नहीं अपितु सेवा अवधि में वृद्धि के दौरान हो जाती है।

2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करने वाले सक्षम प्राधिकारी :

(क) प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव या सम्बद्ध मन्त्रालय/विभाग के सचिव

(ख) सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग पूरक नियम 2 (10) के अधीन विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाए।

3. पद जिस पर ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं :

समूह "ग" पद अथवा समूह "घ" का कोई पद

4. पात्रता :

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती कोटा के लिए की जा सकती हैं।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदकों को तभी नियुक्त किया जाना चाहिए जबकि वे संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अधीन उक्त पद के लिए सभी दृष्टियों से पात्र तथा उपयुक्त पाए जाएं।

(ग) फिर भी आपवादिक परिस्थितियों में जहां परिवार की दशा बड़ी दयनीय है, वहां विभाग निम्नतम स्तर अर्थात समूह "घ" अथवा अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति किए जाने के मामले में अस्थायी रूप से शैक्षणिक अर्हताओं में छूट देने के लिए सक्षम हैं। यह छूट केवल दो वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगी। इस अवधि के बाद शैक्षिक अर्हता में कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगी तथा यदि सम्बन्धित व्यक्ति अभी भी अर्हता प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(घ) जहां किसी विधवा को अनुकम्पा के आधार पर समूह "क" पद पर नियुक्ति किया जाता है वहां उसे शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी, बशर्ते की भर्ती नियमावली में निर्धारित आठवीं कक्षा की शैक्षिक अर्हता के बिना भी पद के कार्य का निष्पादन सन्तोषजनक ढंग से किया जा सकता हो।

(ङ) ऐसे मामलों में भी जब सरकारी कर्मचारी सेवा करते हुए अपने परिवार को दयनीय दशा में छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसके परिवार में कोई

कमाने वाला व्यक्ति है तो भी उपर्युक्त मामलों में ऐसे सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट सम्बन्धी को पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए। किन्तु ऐसी सभी नियुक्तियां सम्बन्धित विभाग के सचिव के पूर्वानुमोदन से की जानी चाहिए जो ऐसी किसी नियुक्ति को अनुमोदित करने के पूर्व स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेगा कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी द्वारा छोड़े गए आश्रितों की संख्या उसके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति, देनदारियों, कमाने वाले सदस्य की आय और उसकी देनदारियों तथा क्या कमाने वाला सदस्य दिवंगत सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा है तथा क्या उसे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सहायता का स्रोत नहीं होना चाहिए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छूट देना न्यायोचित है।

5. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाने की सीमा :

नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल आरक्षण जिसमें अग्रेनीत आरक्षण शामिल है जिसके ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं (जो इस समय केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर ही लागू है) किसी विशेष अवसर पर उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

(i) अनुसूचित जाति 15%

(ii) अनुसूचित जनजाति 7-1/2%

(iii) भूतपूर्व सैनिक 10%

समूह "ग" पदों में तथा 20 प्रतिशत समूह "घ" पदों में इस विभाग की दिनांक 15-12-1979 की अधिसूचना संख्या 39016/10/70-स्थापना (ग) के नियम 4 के परन्तुक 1 के अध्यधीन।

(iv) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति 3%

×अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका के परिशिष्ट 3 के अनुसार ऐसे कार्यालयों के मामले में जो 100 का रोस्टर अपना रहे हैं वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों की प्रतिशतताएं भिन्न-भिन्न है।

6. छूट :

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति निम्न स्थितियों में छूट देकर की जाती है।

(क) भर्ती प्रक्रिया अर्थात कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार केन्द्र के अभिकरण के बिना।

(ख) आयु सीमा में जहां आवश्यक हो निम्न आयु सीमा में 14 वर्ष की आयु से नीचे कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) शैक्षिक अर्हता में उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित सीमा तक।

(घ) इस विभाग के अधिशेष एकक/रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

7. अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए विलम्बित अनुरोध :

मन्त्रालय/विभाग अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोधों पर उन मामलों में भी विचार कर सकते हैं जिनमें मृत्यु काफी समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष अथवा इससे भी पहले हुई हो किन्तु ऐसे विम्बित अनुरोधों पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की धारणा अधिकांशत: सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जुड़ी हुई हो केवल यही तथ्य कि परिवार इन वर्षों के दौरान किसी प्रकार जीवन निर्वाह करने में समर्थ रहा है, यह प्रमाणित करने के लिए काफी होना चाहिए कि उसके पास जीवन निर्वाह के कुछ साधन थे। अत: ऐसे मामलों में कार्रवाई करते समय बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे मामलों में सचिव स्तर पर ही निर्णय किया जाए।

8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त की गई विधवा का पुनर्विवाह :

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त की गई किसी विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

9. चयनात्मक दृष्टिकोण :

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि उस पद पर नियुक्त व्यक्ति पद के लिए आवश्यक तथा प्रशासन में कार्यकुशलता बनाए रखने की अपेक्षाओं से मेल खाती हुई अनिवार्य शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव रखता हो।

(ख) दिवंगत समूह "घ" के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट सम्बन्धी की नियुक्ति केवल समूह "घ" के पद के लिए प्रतिबंधित करने की मंशा नहीं है।

अत: दिवंगत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट सम्बन्ध को समूह "ग" के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए वह शैक्षिक रूप से अर्हक हो बशर्ते कि समूह "ग" में कोई रिक्ति विद्यमान हो।

(ग) चूंकि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों का अनुमोदन विभागाध्यक्ष के स्तर पर किया जाना होता है और चूंकि सभी रिक्तियां अनुकम्पा के आधार नियुक्तियों के प्रयोजन से एक ही स्थान पर जोड़ी जानी होती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अधीनस्थ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का उचित हिस्सा प्राप्त हो।

(घ) अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों की योजना पर वर्ष 1978 में ही विचार कर लिया गया था। सरकार द्वारा तब से कई कल्याणकारी उपाय

प्रारम्भ किए गए है, जिनमें से निम्नलिखित उपायों के फलस्वरूप सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में काफी अन्तर आ गया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर विचार करते समय, इन योजनाओं के अन्तर्गत परिवार द्वारा प्राप्त असुविधाओं को ध्यान में रखा जाए।

1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी जाती है :—

समूह "घ" कर्मचारी	रु० 10,000
समूह "ग" कर्मचारी	रु० 20,000
समूह "ख" कर्मचारी	रु० 40,000
समूह "क" कर्मचारी	रु० 80,000

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त राशि के अलावा सरकारी कर्मचारी द्वारा अंशदान के रूप में दी गई राशि का लगभग 2/3 हिस्सा भी उसे देय होता है।

2. दिवंगत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके खाते में जमा अधिकतम 240 दिनों की अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का लाभ।

3. दिवंगत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तत्काल तीन वर्ष पूर्व अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि में औसत जमाराशि के बराबर, अतिरिक्त राशि की हकदारी, किन्तु शर्त यह है कि वह जमा राशि से सम्बद्ध बीमा योजना के अधीन कतिपय शर्तों के अध्यधीन होगी।

4. संशोधित कुटुम्ब पेंशन।

5. जहां आवश्यक हो, अनुकम्पा निधि से सहायता।

10. पद के परिवर्तन के अनुरोध :

यदि किसी व्यक्ति ने किसी विशिष्ट पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति स्वीकार कर ली है तो उन परिस्थितियों को समाप्त समझा जाएगा, जिनके कारण उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति हुई थी, और उसके बाद उस व्यक्ति को जिसने अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली है, भविष्य में प्रगति के लिए अपने साथियों की तरह प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार उच्चतर पदों पर नियुक्ति के लिए अनुकंपा के आधार पर उनके दावों को निरपवाद रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

11. सामान्य :

अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के मामलों पर कार्रवाई करने तथा अपेक्षित जानकारी पता लगाने के लिए मन्त्रालयों/विभागों द्वारा अनुबंध में दर्शाएं।

12. सामान्य :

अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के मामलों पर कार्रवाई करने तथा

अपेक्षित जानकारी पता लगाने के लिए मन्त्रालयों/विभागों द्वारा अनुबंध में दर्शाए गए प्रपत्र को उपयोग में लाया जाए।

ह०

(के० एस० आर० कृष्णा राव)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 3013180

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मन्त्रालय/विभाग।
2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी सम्बद्ध कार्यालय।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
5. राज्य सभी सचिवालय (प्रशा० शाखा), नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय (प्रशा० शाखा), नई दिल्ली।
7. भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
9. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 9 अशोक रोड, नई दिल्ली।
10. के० से०-II अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ और ऐसी ही कार्रवाई के लिए भेजी जाती है :—

1. भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. सचिव, भूतल परिवहन मन्त्रालय (रेल विभाग) रेल बोर्ड, नई दिल्ली।

प्रति सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।

अतिरिक्त प्रतियां—500।

ह०

(के० एस० आर० कृष्णा राव)

उप सचिव, भारत सरकार

अनुबन्ध

उन सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के रोजगार से सम्बन्धित प्रपत्र, जिनकी सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाती है/जो अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त किए गए हों

भाग-I

I. (क) दिवंगत/अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी का नाम :

(ख) कर्मचारी का पदनाम :

(ग) कर्मचारी की जन्मतिथि :

(घ) मृत्यु/अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त होने की तारीख :

(ङ) की गई सेवा की कुल अवधि :

(च) क्या स्थायी हैं अथवा अस्थायी :

(छ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं ?

II. (क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम :

(ख) कर्मचारी के साथ उसका सम्बन्ध :

(ग) जन्मतिथि :

(घ) शैक्षिक अर्हताएं :

(ङ) क्या कोई अन्य आश्रित व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

III. निम्नलिखित राशियों सहित, छोड़ी गई कुल परिसम्पत्तियों के ब्यौरे :

(क) परिवार पेंशन

(ख) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान

(ग) सामान्य भविष्य निधि की शेष राशि

(घ) जीवन बीमा पालिसी (जिनमें पी० एल० आई० शामिल है)

(ङ) चल/अचल सम्पत्तियां और परिवार को उससे प्राप्त होने वाली वार्षिक आय

(च) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा राशि

(छ) छुट्टी का नकदीकरण

(ज) कोई अन्य परिसम्पत्तियां

कुल.....

IV. देनदारियों के संक्षिप्त ब्यौरे यदि कोई हों

V. कर्मचारी के सभी आश्रितों के ब्यौरे (यदि उनमें से कुछ रोजगार पर हैं, तो उनकी आय और यह कि क्या वे इकट्ठे रह रहे हैं अथवा अलग-अलग)

क्र० सं०	नाम	सरकारी कर्मचारी से सम्बन्ध और आयु	रोजगार प्राप्त है अथवा नहीं, रोजगार का स्वरूप और आय के ब्यौरे
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

VI. **घोषणा**

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं। इसमें दिए गए यदि कोई तथ्य बाद में कभी गलत अथवा झूठे पाए जाते हैं तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

तिथि : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

श्री.....को मैं जानता हूं और इसके द्वारा दिए गए तथ्य सही हैं।

स्थायी सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

तिथि :

मैंने यह जांच की है कि उम्मीदवार द्वारा जो तथ्य ऊपर दिए गए हैं वे सही हैं।

तारीख : कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

भाग-II

(क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम

(ख) कर्मचारी के साथ उसका सम्बन्ध

(ग) शैक्षिक अर्हताएं, आयु (जन्मतिथि) और अनुभव यदि कोई हो तो

(घ) पद जिस पर उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव है।

(ङ) क्या यह पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भरा जाना है अथवा ऐसे किसी अन्य कार्यालय में जो उक्त सेवा में शामिल नहीं है।

(च) क्या भर्ती नियमों में सीधी भर्ती की व्यवस्था है।

(छ) क्या उम्मीदवार उक्त पद के लिए भर्ती नियमों की शर्तों को पूरा करता है।

(ज) रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया से छूट के अलावा अन्य कौन सी ढील दी जानी है।

II. क्या भाग-I में उल्लिखित तथ्यों को कार्यालय द्वारा सत्यापित किया गया है और यदि हां तो इसका रिकार्ड दर्शाएं।

III. विभागाध्यक्ष/मन्त्रालय की व्यक्तिगत सिफारिश।

IV. यदि कर्मचारी की मृत्यु/अशक्तता के आधार पर सेवानिवृत्ति 5 साल से पहले की गई हो तो ऐसी स्थिति में इस मामले को पहले क्यों नहीं भेजा गया।

सं० 14014/2२/87-स्था० (घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 फरवरी, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय : विधंगत सरकारी कर्मचारी/स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/समीपी रिश्तेदार की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति-न्यूनतम आयु निर्धारित करने के सम्बन्ध में—

मुझे इस विभाग के दिनांक 30 जून, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/6/86-स्था० (घ) का हवाला देने का निर्देश हुआ है जिसके साथ अनुकंपा सम्बन्धी नियुक्तियों से सम्बन्धित समेकित निदेश परिचालित किए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां भी आवश्यक हो आयु सीमा में ढील दे दी जाए, किन्तु कम आयु की यह ढील चौदह वर्ष से कम

नहीं होनी चाहिए। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया है। स्वास्थ्य अपेक्षाओं तथा मानसिक विकास इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवा में प्रवेश करने की यह न्यूनतम आयु अठारह वर्ष निर्धारित की गई है। अतः अठारह वर्ष से कम की आयु में सरकारी सेवा में व्यक्तियों को नियुक्त करना सामान्य नीति के अनुकूल नहीं है। अतः यह निर्णय किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाती है अथवा उसे अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उसके पीछे उसका 18 साल से कम आयु का बच्चा रह जाता है और वही बच्चा रोजगार के लिए उपलब्ध है, तो ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर नौकरी के लिए आवेदन दे देना चाहिए। अठारह वर्ष से कम की आयु वाले व्यक्तियों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऊपर संदर्भित सामान्य अनुदेशों को इस आयु सीमा तक संशोधित किया गया समझा जाए। तथापि, इस विषय पर पहले ही विद्यमान आदेशों के अनुसार इससे आगे उच्चतर आयु सीमा में ढील दे दी जाए।

ह०/-

(अ० जयरामन)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मन्त्रालय/विभाग आदि आदि।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में धन की चोरी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कराई गई जांच के निष्कर्ष

[अनुवाद]

5951. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या विदेश मन्त्री कमीशन एजेंट्स आफ कल्चर इन आई० सी० सी० आर० के बारे में 25 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में धनराशि की कथित चोरी और व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कराई गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ख) निष्कर्षों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और यह कार्यवाही किस-किस तारीख को की गई ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). विदेश मन्त्रालय तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद दोनों ने ही इस मामले की जांच की थी। व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं था। तथापि जांच-पड़ताल से यह पता चला कि प्रशासनिक सख्ती की गुंजाइश है जिससे कि मितव्ययिता बरती जा सके और खामियों को दूर किया जा सके।

यह पाया गया कि टैक्सी किराये पर लेने के सम्बन्ध में जिन अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है उनमें कुछ सार है। एक पृथक जांच से यह पता चला है कि ग्रीष्मकालीन छात्र शिविरों के दौरान हुए व्यय में अनियमितताएं है।

जांच-पड़ताल के इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए :—

1. टैक्सी मांगने सम्बन्धी क्रियाविधि को सुव्यवस्थित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि इस सम्बन्ध में पूर्व योजना बनाई जाए ;
2. चूककर्ता परिवहन अभिकरणों के बिलों में कांट-छांट की गई ;
3. जो कार्मिक ग्रीष्मकालीन शिविरों के दौरान हुए व्यय में अनियमितताओं के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके उन्हें चेतावनी दी जा रही है ।

विदेश सचिव के परामर्श से जो भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, निम्नलिखित प्रशासनिक उपाय भी किए गए हैं :—

1. सितम्बर, 1983 में नियुक्त उप महानिदेशक को अब विशिष्ट रूप से सतर्कता सम्बन्धी कार्यभार भी सौंपा गया है ।
2. अक्तूबर, 1983 में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय से एक लेखा परीक्षा और लेखा अधिकारी को वित्त तथा लेखा अधिकारी नियुक्त गया है ।
3. व्यय में प्राधिकार सम्बन्धी अपेक्षा के कड़ाई से पालन का सुनिश्चय करने के लिए क्रियाविधियों को कड़ा बनाया गया है ।
4. किसी व्यक्ति विशेष के मामले में किसी प्रकार के निहित स्वार्थ न पनपें, इस उद्देश्य से कार्मिकों को आवधिक रूप से बारी-बारी से अलग-अलग सीटों पर काम करने की योजना शुरू की गई है ।
5. पिछले तीन वर्षों में वित्तीय अनुशासन तथा नियन्त्रण को बढ़ाने के लिए और उपाय किए गए हैं ।

भारतीय विदेश सेवा के प्रोबेशनरों के लिए पुस्तकों की सूची

5952. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मन्त्री राजनयिकों के लिए प्रबोधन पाठ्य क्रम के बारे में 30 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा के प्रोबेशनरों को भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने वाली पुस्तकों की नवीनतम सूची क्या है और क्या इसमें विभिन्न धर्मों की विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाले नाटक और प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा प्रस्तुत करने की जानकारी देने वाली और समकालीन रचनाओं का समावेश करने वाली कोई पुस्तक शामिल की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के पढ़ने के लिए अनुशंसित पुस्तकों की सूची मार्ग निर्देशात्मक है और समय-समय पर उनमें संशोधन होता रहता है । इनमें भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के विभिन्न पन्नों को उजागर करने वाली पुस्तकें तथा विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित पुस्तकें होती हैं जिनमें हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म

ईसाई धर्म और सिख धर्म आदि भी शामिल हैं। समसामयिक भारतीय साहित्य की पुस्तकें भी पढ़ने की सिफारिश की जाती है जिसमें नाटक, काव्य और साहित्य भी शामिल है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1964 से पूर्व सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों को एक समान पेन्शन

5953. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1964 से पूर्व सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों में, उनकी सेवानिवृत्त से पूर्व उनके रैंक को ध्यान में न रखते हुए समान दर पर पेन्शन देने के बारे में व्याप्त असन्तोष की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो असंगति को दूर करके उनमें व्याप्त असन्तोष को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1964 से पूर्व सेवानिवृत्त रक्षा सेनाओं के अन्य रैंकों से सम्बन्धित कुछ रक्षा पेन्शनरों ने असन्तोष व्यक्त किया है चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सेवानिवृत्त की तिथि और रैंक को ध्यान में न रखते हुए, 1-1-1986 से रक्षा पेन्शनरों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी पेन्शनरों की न्यूनतम पेन्शन और न्यूनतम परिवार पेन्शन बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिमाह कर दी है। वास्तव में कम पेन्शन पाने वाले पेन्शनरों का हित देखते हुए सरकार ने चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई 300 रुपए की न्यूनतम पेन्शन और न्यूनतम परिवार पेन्शन में वृद्धि की है।

इस प्रकार हाल में किए गए संशोधन से कम पेन्शन पाने वाले रक्षा पेन्शनरों की पेन्शन में कोई विसंगति नहीं आई है। चूंकि स्वीकार किए गए मानदण्डों के अनुसार ऐसे विभिन्न अन्य रैंकों की संशोधित पेन्शन 375 रुपए से कम बैठती है अतः सरकार ने इस पेन्शन को उक्त न्यूनतम स्तर तक बढ़ाया है।

नये पर्वतीय क्षेत्रों का पता लगाना

5954. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सातवीं योजना के दौरान शुरू किया गया कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो पर्वतीय राज्यों के अतिरिक्त इन पर्वतीय क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से पता लगाया गया है ; और

(ग) इन क्षेत्रों का चयन किस आधार पर किया जाता है और विभिन्न सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए नियमों और शर्तों में क्या ढील दी जाती है और ऐसे क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास केन्द्रों को कोई प्रोत्साहन दिया गया है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रोजगार के अतिरिक्त अवसर

5955. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987-88 की चालू वार्षिक योजना वर्ष के अन्तर्गत तथा वर्ष 1988-89 की आगामी वार्षिक योजना के अन्तर्गत रोजगार के कितने अनुमानित अतिरिक्त अवसर पैदा किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है ; और

(ग) बेरोजगार व्यक्तियों को विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की मुख्य योजनाएं क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख). इन वर्षों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सातवीं योजना में शामिल क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त मुख्य रोजगार स्कीमें ये हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०), शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की स्कीम तथा शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार (एस० ई० पी० यू० पी०)। राज्यों की स्कीमों में आंध्र प्रदेश में विशेष रोजगार स्कीम, गुजरात में आजीविका विकास पाठ्यक्रम, लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सेवा-पूर्व प्रशिक्षण स्कीमें, हरियाणा में ग्रामीण उद्योग स्कीम, शिक्षित हरिजनों/पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सीमान्त धन सहायता, उद्यमियों/भूतपूर्व सैनिकों को ऋण, लघु डेयरी इकाइयां, मत्स्य पालन इकाइयां जम्मू तथा कश्मीर में स्वरोजगार कार्यक्रम; कर्नाटक में ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम ; मध्य प्रदेश में स्व-रोजगार के लिए शिक्षित बेरोजगारों को सीमांत धन हेतु नरम शर्तों पर ऋण प्रदान करना ; महाराष्ट्र में रोजगार गारन्टी स्कीम तथा संजय गांधी स्वावलम्बन योजना ; मणिपुर में विशेष रोजगार स्कीम/मणिपुर विकास सोसायटी ; नागालैंड में विशेष रोजगार कार्यक्रम ; उड़ीसा में ग्रामीण निर्धनों का आर्थिक पुनर्वास, पंजाब में लाभकारी रोजगार/लक्ष्यगत समूहों के स्वरोजगार के लिए राज्य निगमों द्वारा ऋण प्रदान करना, तमिलनाडु में एक परिवार के लिए एक नौकरी, त्रिपुरा में राज्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तथा पश्चिम बंगाल में पंजीकृत बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार स्कीम और अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम शामिल हैं।

विभिन्न संगठनों को विदेशों से प्राप्त हुआ धन

5956. **श्री गदाधर साहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदलाव फाउण्डेशन, मिहिजाम, जिला दुमका, बिहार, पीड़ित (टी० आई० डी० आई० टी०) जगदीशपुर जिला देवघर, बिहार, "प्रयास" ग्रामीण विकास समिति, फुलवारी शरीफ, जिला पटना, बिहार नामक संगठनों को वर्ष 1983 से 1985 के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विदेशों से धन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें वर्षवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई ; और

(ग) यह धन किन-किन देशों और संगठनों से प्राप्त हुआ ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केवल बदलाव (न कि बलदेव) फाउण्डेशन और प्रयास ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विदेशों से धन प्राप्त करने की सूचना दी है।

(ख) और (ग). एक विवरण (पृ० 87) संलग्न है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का विस्तार

5957. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बढ़ती हुई वाणिज्यिक और औद्योगिक गुप्तचर्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी० आई० एस० एफ०) का विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कितने नए पदों का सृजन किए जाने का विचार है ; और

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में बढ़ोतरी करना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या पर निर्भर करता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रतिवर्ष औसतन 7 से 8 नए उपक्रमों में तैनात किया जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में लगभग 24,000 पदों के सृजित किए जाने की सम्भावना है। उपक्रमों में पुनरीक्षित सुरक्षा आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सावधिक पुनः सर्वेक्षण किए जाते हैं।

विवरण

उन संगठनों के नामों और उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की सूची जिन्हें वर्ष 1983 से 1985 के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त होने की सूचना है

क्रम सं०	संगठन का नाम	निम्न वर्षों में प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि (रुपये)			विदेश/संगठनों का नाम
		1983	1984	1985	
1.	बदलाव, फाउण्डेशन मिहीजाम, दुमका बिहार	1,63,297	4,71,163	5,63,191	1. आक्सफाम-अमेरिका, सं० रा० अ० 2. तेरे देश होम्स, नई दिल्ली ।
2.	पीड़ित जगदीशपुर जिला-देवघर, बिहार	—सूचित नहीं किया गया—	—	—	
3.	प्रयास ग्रामीण विकास समिति फुलवारी शरीफ पटना, बिहार	—सूचित नहीं किया गया—	—	3,36,780	1. बाम, इण्टरनेशनल, फ्रांस

सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

5959. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के दौरान वर्तमान और 1951 के स्थिर मूल्य, और मध्यावधि अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय कितना है ;

(ख) प्रारम्भिक योजनाओं के लिए तदनुसार उपलब्ध आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान स्तर को पर्याप्त माना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख). पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख सामाजिक सेवा कार्यक्रमों अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास पर चालू कीमतों पर हुए प्रति व्यक्ति व्यय की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1951 की स्थिर कीमतों के आधार पर जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास आदि जैसी सामाजिक सेवाओं पर योजना-व्यय संसाधनों की उपलब्धता तथा किसी विशेष योजना-अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों की साध्यता पर आधारित होता है। इन कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जाते हैं ;

विवरण

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास पर हुए प्रति व्यक्ति व्यय का विवरण

(आंकड़े रुपयों में)

वर्ष/ योजना	निम्न पर प्रति व्यक्ति व्यय/परिव्यय		
	शिक्षा	स्वास्थ्य	आवास
सातवीं योजना (परिव्यय)	81.29***	43.21	54.25**
छठी योजना (व्यय)	39.51*	28.61	40.01
पांचवीं योजना (व्यय)	20.69	12.25	18.52**
चौथी योजना (व्यय)	13.98	6.06	4.88
तीसरी योजना (व्यय)	12.69	4.87	2.75
दूसरी योजना (व्यय)	6.56	5.46	2.04
प्रथम योजना (व्यय)	3.94	2.59	0.89

*इसमें तकनीकी तथा सामान्य शिक्षा सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है।

**इसमें शहरी विकास सम्बन्धी व्यय शामिल है।

***इसमें संस्कृति तथा खेलकूद शामिल है।

त्रिपुरा सीमा पर जीप चलाने योग्य सड़क

5960. **श्री अजय बिश्वास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सीमा पर कोई जीप चलाने योग्य सड़क नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी सड़क का निर्माण करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ). घुसपैठ-विरोधी उपायों के एक भाग के रूप में, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के साथ लगी भारत-बंगला देश सीमा के साथ-साथ जीप चलाने योग्य एक सड़क का निर्माण करने का निर्णय किया गया है। त्रिपुरा में कार्यक्रम के प्रथम चरण में, पश्चिम त्रिपुरा जिले में लगभग 70 किलोमीटर और दक्षिण त्रिपुरा जिले में लगभग 40 किलोमीटर सीमा सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए सर्वेक्षण के काम को हाथ में लिया गया है।

इलैक्ट्रानिक अनुसंधान तथा विकास केन्द्र का प्रबन्ध ग्रहण करने सम्बन्धी अभ्यावेदन

5961. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केल्ट्रान के इलेक्ट्रानिक अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (केरल) का प्रबन्ध अपने हाथों में लेने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण है ;

(घ) अनुसंधान केन्द्र की वार्षिक संचालन लागत का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस केन्द्र का प्रबन्ध ग्रहण करने सम्बन्धी प्रस्तावित शर्तें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). केरल सरकार तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग परस्पर इस बात पर सहमत हो गए हैं कि इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र का प्रशासनिक नियंत्रण इलेक्ट्रानिकी विभाग को अन्तरित है किया जाए ताकि इसे एक राष्ट्रीय उत्तमता केन्द्र के रूप में और आगे विकसित किया जा सके।

(घ) इस केन्द्र के संचालन पर लगभग 4 करोड़ रु० की वार्षिक लागत आएगी।

(ङ) शर्तों तथा निबन्धनों के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

हिन्द महासागर में विदेशी नौसेना के युद्धपोत

5962. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्द महासागर में विदेशी नौसेना की उपस्थिति पर नजर रख रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 के दौरान हिन्द महासागर में विभिन्न देशों के युद्धपोतों की देशवार, अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या सरकार को इस नौसैनिक उपस्थिति में किसी वृद्धि का पता चला है ; और

(घ) क्या इस नौसैनिक उपस्थिति में परमाणु हथियार ढोने वाले युद्धपोत भी शामिल हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 1987 में हिन्द महासागर में (इसमें खाड़ी का क्षेत्र भी शामिल है) लगभग 105 विदेशी नौसैनिक जहाज (न्यूनतम संख्या) और अक्तूबर-दिसम्बर, 1987 की अवधि में लगभग 181 (अधिकतम संख्या) जहाज थे। इनमें संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड के जहाज भी शामिल थे।

(ग) जी, हां ।

(घ) हिन्द महासागर में विदेशी जंगी जहाजों पर नाभिकीय हथियारों के सम्बन्ध में सरकार निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती। विदेशी सैन्य बलों द्वारा हिन्द महासागर में नाभिकीय अस्त्रों की स्थिति के प्रति सरकार का विरोध सुविदित है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना

5963. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किस मानदंड के आधार पर किसी औद्योगिक एकक को संरक्षण और सहायता प्रदान की जाती है ;

(ख) इस समय कितने सरकारी उपक्रमों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है ;

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों को कोई विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अधीन आते हैं, निम्नानुसार सुरक्षा प्रदान करता है :—

> सार्वजनिक क्षेत्र के किसी औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक से उस औद्योगिक उपक्रम और इसके किसी सम्बद्ध प्रतिष्ठानों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रबन्ध निदेशक द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली बल के सदस्यों की संख्या

को तैनात करने के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर। बशर्ते कि यदि उपक्रम का स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबन्ध ;

(एक) किसी ऐसी सरकारी कम्पनी के हाथ में हो जिसकी केन्द्र सरकार सदस्य नहीं है ;

(दो) प्रान्तीय अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन स्थापित किसी निगम के हाथ में हो, तो ऐसा कोई अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक यह उस राज्य की सरकार की स्वीकृति से नहीं किया गया हो जिसमें उपक्रम स्थित है।

(ख) इस समय 178 उपक्रम।

(ग) वर्तमान स्वीकृत संख्या 64,400 है।

(घ) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी कार्मिकों को भर्ती के बाद, शारीरिक रूप से उपयुक्त, मानसिक रूप से चुस्त और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उपक्रमों में तैनात किये जाने पर वे राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा करने की अपनी भूमिका को कारगर ढंग से अदा कर सके। शारीरिक उपयुक्तता और मानसिक चुस्ती के विकास के लिए अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रशिक्षण दिये जाते हैं। कार्मिकों को विशेष कार्यों के निर्वहन के लिए विशेष पाठ्यक्रमों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

अहमदनगर छावनी बोर्ड द्वारा आबकारी क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण

5964. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अहमदनगर छावनी बोर्ड द्वारा आबकारी क्षेत्रों में गैर सरकारी व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई भूमि, भवनों आदि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) छावनी बोर्ड और मन्त्रालय के पास कितने मामले लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) इन मामलों के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश मोहन देव) : (क) रक्षा भूमि को सीधी बिक्री के आधार पर हस्तांतरित करने/बेचने के अतिरिक्त, रक्षा मन्त्रालय ने "पुरानी अनुदान शर्तों" और लीज के आधार पर ली गई भूमि को, परिवर्तन मूल्य जो कि बाजार मूल्य के बराबर होता है, लेकर फ्री होल्ड में बदलने की नीति अपनाई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) 14

(ग) विचाराधीन अधिकांश मामले पुरानी अनुदान शर्तों पर रखे गये स्थलों के फ्री होल्ड में बदलने से सम्बन्धित हैं। परिवर्तन से सम्बन्धित ऐसे मामलों में आवेदन रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। वह सरकारी मंजूरी के लिए इन आवेदनों को कमान मुख्यालयों और रक्षा संपदा संगठन महानिदेशालय के माध्यम से आगे कार्यवाही के लिए भेजता है। इन संगठनों में ऐसे प्रस्तावों

को मंजूरी देने में कुछ समय लगता है। फिर भी, इन सभी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए रक्षा सम्पदा महानिदेशालय को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

विवरण

(क) भूमि, भवनों की सीधी बिक्री/हस्तांतरण के मामले :—

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम	सर्वे संख्या	बेचा गया क्षेत्र
1.	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	8 भाग, 8 क एवं 10	33893 वर्गमीटर या 8.375 एकड़ भूमि तथा भवन
2.	आयकर विभाग	31 भाग	2.5 एकड़

(ख) वे मामले जहां पुरानी अनुदान शर्तों पर रखे गये स्थलों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए सरकार की मंजूरी जारी कर दी गई है :—

1.	श्री गुलाम मोहम्मद युसुफ	62/8 (मकान नं० 734)	897.75 वर्गफुट या 0.0206 एकड़
2.	श्रीमती सलीमा बेगम	37 (बंगला नं० 16)	1.06 एकड़
3.	सर्वश्री एम. एच. पी. मुथा एवं अन्य	20 (बंगला नं० 18)	6.48 एकड़

रेडियेशन एण्ड आइसोटोप टेक्नोलाजी बोर्ड

5966. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियेशन एण्ड आइसोटोप टेक्नोलाजी बोर्ड की किन-किन प्रमुख उद्देश्यों से स्थापना की गई थी ;

(ख) बोर्ड की रचना क्या है और यह कहां स्थित है ;

(ग) क्या विकिरण और आइसोटोप उत्पाद चिकित्सीय प्रयोग के लिए सरकारी अस्पतालों को उपलब्ध कराये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) रेडियेशन और आइसोटोप टैक्नालाजी बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में आइसोटोप टैक्नालाजी के अनुप्रयोगों को और आगे बढ़ाना तथा न्यूक्लियर आयुर्विज्ञान, कैंसर की विकिरण-चिकित्सा, खाद्य पदार्थों के किरणन और उद्योगों के क्षेत्रों में आइसोटोपों के नए अनुप्रयोगों को बढ़ाने में सहायता देना है।

(ख) यह बोर्ड बम्बई में स्थित है तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष इसके प्रधान हैं। इसके सदस्यों में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक के अलावा, कृषि, उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्रों में आइसोटोपों का उपयोग करने वाले प्रमुख पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। रेडियोआइसोटोप और विकिरण उपकरण ऐसे सरकारी और अन्य अस्पतालों को सप्लाई किए जा रहे हैं जो न्यूक्लियर आयुर्विज्ञान और विकिरण-चिकित्सा में उनका उपयोग करने में सक्षम हैं। इन रेडियोआइसोटोपों और उपकरणों में अनेक रेडियोभेषज, नैदानिक तथा चिकित्सीय उपयोग के लिए आवश्यक योग, कैंसर के उपचार के काम में आने वाले विकिरण स्रोत तथा विकिरण की सहायता से विसंक्रमित चिकित्सीय उत्पाद और युक्तियां शामिल हैं।

ईरान और इराक से भारतीयों का निष्क्रमण

5967. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री मोहन भाई पटेल :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान और इराक द्वारा एक दूसरे के शहरों पर प्रक्षेपास्त्रों से हमले किये जाने से उत्पन्न युद्ध की भयानक स्थिति को देखते हुए उन देशों में रह रहे भारतीयों को वहां से निकालने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने भारतीय निकाले जा चुके हैं ;

(ग) क्या केवल दूतावास के कर्मचारियों को निकाला गया है ; और

(घ) यदि हां, तो ईरान और इराक में रह रहे अन्य भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि तेहरान में सुरक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए, सीमित आधार पर राजदूतावास के भारत-आस्थानी कर्मचारियों में से 120 के परिवारों को तथा कुछ भारतीयों को 10 मार्च, 1988 को वहां से निकाल लिया गया था।

(ग) इन देशों से भारतीय राजदूतावास के किसी कर्मचारी को नहीं निकाला गया है।

(घ) तेहरान और बगदाद स्थित भारत के राजदूतावासों के कर्मचारियों और उनके परिवारों को उपयुक्त रूप से जहां-तहां अधिक सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। इन देशों में रह रहे अन्य भारतीयों को समुचित सलाह दी गई है। सरकार दोनों देशों में सुरक्षा की स्थिति पर बराबर निगाह रखे हुए हैं।

भाषायी अल्पसंख्यक

5968. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भाषायी अल्पसंख्यकों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनको भाषायी अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मान्यता दी गई है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में संस्कृत जानने वाले भाषायी अल्पसंख्यकों की वर्ष 1970-71 की जनगणना के अनुसार कितनी संख्या है और वर्ष 1980-81 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में यह कम हैं अथवा अधिक ;

(ग) यदि जनगणना में संस्कृत जानने वाले लोगों की गणना नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में संस्कृत जानने वाले भाषायी अल्पसंख्यकों की सुविधा के लिए और इस भाषा के विकास के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) "भाषायी अल्पसंख्यक" शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं की गई है अतः भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त द्वारा किसी समूह को भाषायी अल्पसंख्यक की मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता। भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के नाम से कोई संगठन नहीं है।

(ख) देश में संस्कृत बोलने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता कि भाषा का विकास भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्य क्षेत्र से बाहर है।

विवरण

भारत के महा पंजीकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना—संस्कृत बोलने वाले लोगों की राज्यवार जनसंख्या

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1971 जनगणना	1981 जनगणना
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	45	26
2.	असम	—	जनगणना नहीं की गई

1	2	3	4
3.	बिहार	350	1174
4.	गुजरात	38	16
5.	हरियाणा	40	148
6.	हिमाचल प्रदेश	84	81
7.	जम्मू और कश्मीर	—	5
8.	केरल	6	7
9.	कर्नाटक	111	509
10.	मध्य प्रदेश	91	70
11.	महाराष्ट्र	155	281
12.	मणिपुर	—	—
13.	मेघालय	20	1
14.	नागालैण्ड	—	—
15.	उड़ीसा	10	13
16.	पंजाब	77	61
17.	राजस्थान	115	85
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	254	344
20.	त्रिपुरा	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	508	107
22.	पश्चिम बंगाल	171	22
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
25.	चण्डीगढ़	3	—
26.	दादर और नगर हवेली	—	—

1	2	3	4
27.	दिल्ली	94	93
28.	गोवा, दमन और द्वीव	20	3
29.	लाकादीव, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह (लक्षद्वीप)	—	—
30.	पांडिचेरी	20	—
	कुल : भारत	2,212	2,946

न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले समन की तामील के लिए विदेशों के साथ परस्पर सहयोग प्रबन्ध

5969. **श्री श्री हरि राव :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री सुभाष यादव :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का किन-किन देशों के साथ दीवानी मुकदमों के समनों की तामील और डिक्रियों के निष्पादन के लिए परस्पर सहयोग प्रबन्ध हैं ;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान किन-किन अन्य देशों के साथ इस प्रकार के प्रबन्ध करने का विचार है ; और

(ग) इन प्रबन्धों के कार्यकरण के सम्बन्ध में हुए अनुमानों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारत के 17 देशों के साथ दीवानी मुकदमों के सम्मनों की तामील तथा 6 देशों के साथ डिक्रियों के निष्पादन के लिए पारस्परिक प्रबन्ध हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण-1 और 2 में की गई है।

(ख) और (ग). इन प्रबन्धों की प्रभावकारिता पर और दूसरे देशों के साथ भी प्रबन्धों के विस्तार की लगातार समीक्षा की जाती है।

विवरण-1

उन देशों का ब्यौरा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 29 (सी) के अन्तर्गत अधिसूचित हैं

1. फ्रांस
2. स्पेन

3. बेल्जियम
4. सोवियत संघ
5. पुर्तगाल
6. जापान
7. ईराक
8. कीनिया
9. ईरान
10. मिश्र
11. मलेशिया
12. पाकिस्तान
13. सिंगापुर
14. स्वीडन
16. श्रीलंका
16. बर्मा
17. बंगला देश

विवरण-2

उन देशों के नाम जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44-ए के अन्तर्गत पारस्परिक क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित हैं

डिग्रियां

1. यूनाईटेड किंगडम
2. फिजी द्वीप समूह
3. अदन
4. मलेशिया
5. सिंगापुर
6. न्यूजीलैंड, द कुक आइलैंड्स तथा पश्चिमी समोआ

दिल्ली अग्नि शमन सेवा में कर्मचारी

[हिन्दी]

5970. श्री राजकुमार राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली अग्नि शमन सेवा में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान विभिन्न पदों पर कितनी अतिरिक्त भर्ती की जाएगी ; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 976.

(ख) 18).

(ग) रोजगार कार्यालय में जिन उम्मीदवारों के नाम 31-12-86 तक दर्ज हो गए थे, उनसे आवेदन-पत्र आमन्त्रित करके और समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर रिक्तियों को भरने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

संयुक्त सलाहकार तन्त्र के स्टाफ के सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाएं/भत्ते

[अनुवाद]

5971. **श्री राजकुमार राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त सलाहकार तन्त्र के स्टाफ के सदस्यों को कौन-कौन सी सुविधाएं/भत्ते इत्यादि दिए जाते हैं ;

(ख) क्या ये सुविधाएं केन्द्रीय विद्यालय संगठन जैसी सरकारी संस्थाओं के इस प्रकार के निकायों के सदस्यों को स्वत: ही दे दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). जी नहीं। गैर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने का काम सम्बन्धित संगठनों का है।

विवरण

(क) **ड्यूटी अवधि** : संयुक्त परामर्श तंत्र (जे०सी० एम०)की समितियों में भाग लेने के लिए व्यतीत किया गया समय, यात्रा के समय सहित, ड्यूटी के रूप में माना जाता है (1966 से)।

(ख) राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) तथा विभागीय परिषदों के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को इन परिषदों की बैठकों से पहले, कम से कम दो दिन का समय दिया जाता है ताकि वे आपस में विचार विमर्श कर सकें (अगस्त, 1978 से)(क्षेत्रीय परिषदों के मामले में केवल एक दिन का समय—नवम्बर, 1985 से)।

(ग) संयुक्त परामर्श तन्त्र (जे० सी० एम०) की बैठकों के लिए निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता जिसमें वाहन किराया भी शामिल है (1966-67 में जे० सी० एम० योजना की शुरुआत से)।

(घ) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा (सी० जी० एच० एस०) सुविधाएं : जहां कहीं, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध हैं वे विभागीय/राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को मुहैय्या कराई जाती हैं (दिसम्बर, 1974 से)।

जहां कहीं नर्सिंग होम सुविधाएं उपलब्ध हैं वे राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को दी जाती हैं (जनवरी 1976 से)।

(ङ) टेलीफोन सुविधाएं : राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को, सामान्य किराए पर 'बारी से पहले' "अपना टेलीफोन योजना" सम्बन्धी जमा कराए बिना तथा टेलीफोन सलाहकार समिति को पत्रादि भेजे बिना ही अपने आवास पर टेलीफोन लगवाने में प्राथमिकता दी जाती है (जनवरी, 1970 से)।

(च) आदेशों/परिपत्रों आदि की प्रतियां सप्लाई करना : सामान्य प्रकृति के तथा कर्मचारियों के हित के सभी आदेशों, परिपत्रों आदि की प्रतियां राष्ट्रीय परिषद के सभी कर्मचारी सदस्यों के बीच परिचालित की जाती हैं।

(छ) आवास स्थान : कर्मचारी पक्ष को राष्ट्रीय परिषद के अपने सचिवालय के लिए 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में एक बंगला दिया गया है। उन्हें सचिवालय की स्थापना तथा फर्नीचर आदि की खरीद, टाइपिंग मशीनों, डुप्लिकेटिंग मशीनों आदि के लिए अनावर्ती अनुदान भी दिया जाता है।

(ज) राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सचिवालय को आवर्ती व्यय को अंशत: पूरा करने के लिए वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान दिया जाता है आरम्भ में 1972 से यह अनुदान 26000 रुपए था जो 1981-82 में बढ़ाकर 29000 रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सचिवालय में लगाए गए टेलीफोन के लिए टेलीफोन किराया प्रभार तथा बिजली और पानी के 20 प्रतिशत की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

(झ) प्रशिक्षण सुविधाएं : नवम्बर, 1970 में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को भारत में प्रबन्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाए। 1976 से विभागीय परिषदों के सदस्य भी ऐसे प्रशिक्षण के पात्र हैं।

(ञ) विवाचन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले कर्मचारी सदस्य : विवाचन बोर्ड के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थिति होने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा लगाया गया समय सामान्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सहित ड्यूटी के रूप में माना जाता है। 1969 से, यह सुविधा व्यक्तियों तक सीमित थी जिसे सितम्बर, 1985 में बढ़ा कर तीन तक सीमित कर दिया गया है।

मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएं/लाभ

5972. **श्री राज कुमार राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों, महासंघों के पदाधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं/लाभों आदि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये सुविधाएं केन्द्रीय विद्यालय संगठन जैसे सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के संघों के पदाधिकारियों को भी दी जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी नहीं। गैर-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का कार्य सम्बन्धित संगठनों का है।

(ग) और (घ). यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

एसोसिएशन यूनियन के पदाधिकारी के रूप में प्रसुविधाएं

1. विशेष आकस्मिक छुट्टी

(क) एसोसिएशनों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष में अधिक से अधिक 20 दिन तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी ।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त एसोसिएशन/फेडरेशन की कार्यकारी समिति के जो प्रतिनिधि/सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए बाहर से आते हैं उन्हें एक कैलेण्डर वर्ष में 10 दिन तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी अनुज्ञेय होगी ।

(ग) सभी मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों/यूनियनों/फेडरेशनों की कार्यकारी समितियों के स्थानीय प्रतिनिधियों/सदस्यों को एसोसिएशनों/यूनियनों/फेडरेशनों की बैठकों में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 5 दिन तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी ।

टिप्पणी : जो व्यक्ति उपर्युक्त (क) के अधीन पदाधिकारियों की हैसियत से विशेष आकस्मिक छुट्टी लेंगे, वे (ख) और (ग) के अनुसार प्रतिनिधियों/कार्यकारी सदस्यों की अपनी हैसियत से अलग से आकस्मिक छुट्टी लेने के हकदार नहीं हैं ।

2. उपयुक्त प्रशासनाध्यक्ष के मुख्यालय में स्थानान्तरण मांगने की प्रसुविधा :

अप्रैल, 1969 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि जहां तक सम्भव हो सके एसोसिएशन/यूनियन/फेडरेशन के विधान में यथा-परिभाषित मुख्य कार्यकारी अथवा जहां मुख्य कार्यकारी को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है वहां महासचिव को उपयुक्त प्रशासनाध्यक्ष के मुख्यालय में अथवा मुख्यालय में उसके नियन्त्रणाधीन किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण पर लाया जाए ।

यह भी निर्णय लिया गया था कि ऐसे किन्हीं सरकारी विभागों/कार्यालयों में, जहां पहले भिन्न पद्धति अपनाई जा रही थी, पहले की पद्धति, यदि कम अनुकूल न हो तो, जारी रखी जाए ।

3. बाह्य सेवा शर्तों पर यूनियन के पदाधिकारियों के रूप में सरकारी कर्मचारी :

मई, 1961 में यह निर्णय लिया गया था कि उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिनके

बारे में मान्यता प्राप्त सेवा एसोसिएशन/यूनियनों द्वारा अनुरोध किए जाते हैं, बाह्य सेवा शर्तों पर यूनियन के पूर्णकालिक पदाधारियों के रूप में कार्य करने के लिए कार्यमुक्त किया जाए।

मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों के लिए स्वीकार्य सुविधाएं

5973. **श्री राज कुमार राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों के लिए स्वीकार्य सुविधाओं आदि के बारे में अप्रैल, 1969 के भारत सरकार के ज्ञापन के मूल पाठ में निहित त्रुटियों के सम्बन्ध में आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या कुछ सांसदों ने भी इन त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो त्रुटियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उपयुक्त स्पष्टीकरणात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं।

कर्नाटक द्वारा विशेष संघटक योजना का कार्यान्वयन

5974. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार से विशेष संघटक योजना जो पूर्णतः अनुसूचित जातियों के लिए है, को कार्यान्वित करने के लिए नहीं कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए दी गई धनराशि का उपभोग किया गया था ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के विशेष संघटक योजना को पूर्णतः कार्यान्वित करने की सलाह दी है ; और

(घ) यदि हां, तो दी गई सलाह का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) कर्नाटक में अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता कुल जनसंख्या का 15.07 है। दिशानिर्देश यह है कि विशेष कम्पोनेंट योजना स्तर, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। कर्नाटक के सम्पूर्ण योजना परिव्यय की तुलना में 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान विशेष कम्पोनेंट योजना परिव्यय तथा उनके लिए व्यय निम्न प्रकार था :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	राज्य योजना के अन्तर्गत विशेष कम्पोनेंट योजना आवंटन	व्यय
1985-86	6793.08 (11.72%)	6717.43
1986-87	10413.97 (13.89%)	8769.28
1987-88	8821.13 (10.17%)	8821.13 (अनुमानित)

(ख) सातवीं योजना के दौरान अभी तक दी गई तथा उपयोग में लाई गई विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	दी गई	उपयोग में लाई गई	प्रतिशतता
1985-86	902.89	902.89	100%
1986-87	1215.87	1129.76	92.92%
1987-88	1056.44	1056.44 (अनुमानित)	100%

भारत सरकार भी कर्नाटक अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए अंशदान के रूप में 49 प्रतिशत अंशदान देती है। शेष 51 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार देती है। इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति लाभप्राप्तकर्ताओं को सीमांत राशि ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस धनराशि का उपयोग किया जाना सन्तोषप्रद है।

(ग) और (घ). कर्नाटक के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना की समीक्षा करने तथा इसे अन्तिम रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा वार्षिक परिचर्चाएं की जाती हैं। इन परिचर्चाओं के दौरान राज्य सरकार को विशेष कम्पोनेंट योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने की सलाह दी जाती है।

'नो फार्म नो पासपोर्ट' शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

5975. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1988 के दैनिक 'इण्डियन एक्सप्रैस' में 'नो

फार्म नो पासपोर्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पासपोर्ट लेने में होने वाली अनेक कठिनाइयों और कदाचारों का विशेष उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई जाँच प्रारम्भ करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). सरकारी मुद्रणालयों में कतिपय समस्याओं की वजह से पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों में कुछ समय के लिए कमी आ गई थी । इन प्रपत्रों को राज्य सरकार के तथा अन्य मुद्रणालयों में छपवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई और अब ये प्रपत्र पासपोर्ट कार्यालयों में आसानी से उपलब्ध हैं ।

आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से 4 से 6 सप्ताह के अन्दर आमतौर पर पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं बशर्ते कि स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो । जब भी पासपोर्ट कार्यालयों में कदाचार की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है ।

'कालिम्पोंग इन ग्रिप आफ सी० आर० पी० टैरर' शीर्षक से समाचार

5976. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'कालिम्पोंग इन ग्रिप आफ सी० आर० पी० टैरर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में तथ्यों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). मामले की जाँच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को कालिम्पोंग भेजा गया था । उसकी रिपोर्ट की जाँच-पड़ताल की जा रही है ।

हिन्द महासागर क्षेत्र में विदेशी युद्धपोत

5977. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में हर समय विभिन्न देशों की नौसेनाओं के लगभग 130 युद्धपोत उपस्थित रहे हैं और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 1987 के दौरान अलग-अलग समय में हिन्द महासागर में 105 और 181 के बीच विदेशी नौसैनिक जहाज थे। इनमें संयुत राज्य अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड के जहाज थे। सरकार इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है और देश की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा स्वर्ण तस्कर की रिहाई

[अनुवाद]

5978. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री सुरेश कुरूप :

श्री रेणुपद दास :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1988 के 'टेलीग्राफ' में पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किए गए और मुकदमा चलाए जा रहे एक स्वर्ण तस्कर को तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा रिहा किए जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और उसे रिहा किए जाने के पीछे तिहाड़ जेल के अधिकारियों की क्या विवशता थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान्। सरकार का ध्यान 23-1-1988 को टेलीग्राफ में 'तिहाड़ फीड जर्मन फेसिंग ट्रायल इन अलीपुर कोर्ट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जर्मन पारपत्र धारक श्री मार्टिन हैंस पीटर को 7-1-1987 को सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश करने के लिए प्रेसीडेन्सी जेल कलकत्ता से 2-1-1987 को केन्द्रीय कारागार तिहाड़ जेल में चालान पर बन्द किया गया। भारत सरकार द्वारा उसे कोफेपोसा के अधीन बन्दी बनाया गया। तत्पश्चात्, 10 जून, 1987 को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने इस आशय का एक आदेश जारी किया कि श्री पीटर को केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ से दिल्ली के बारह किसी अन्य जेल में नहीं ले जाया जाना चाहिए।

3 जुलाई, 1987 को जेल प्राधिकारियों की तारीख 29 जून, 1987 के आदेश प्राप्त हुए जिसमें श्री पीटर को सी० जे० एम०, नार्थ, 24 परगना के न्यायालय में 13 जुलाई, 1987 को पेश करना आवश्यक था। आदेशों में उल्लेख था कि प्रेसीडेन्सी जेल के अधीक्षक, अभियुक्त को पेश करने का प्रबन्ध करेंगे और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित मार्गरक्षक दल भेजेंगे। फिर भी, न्यायालय को

संदेश भेजा गया जिसमें कहा गया था कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जून, 1987 में भेजे गए आदेशों को देखते हुए श्री पीटर को केन्द्रीय कारागार तिहाड़ से नहीं ले जाया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रेसीडेन्सी जेल, कलकत्ता के प्राधिकारियों ने आवश्यक मार्गरक्षक दल का प्रबन्ध नहीं किया। बाद में कोफेपोसा के अधीन श्री पीटर के सम्बन्ध में तारीख 3 नवम्बर, 1986 के नजरबन्दी आदेश को 3 अगस्त, 1987 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने रद्द कर दिया। अभियुक्त को तदनुसार 6-8-1987 को कोफेपोसा से रिहा कर दिया गया और उसी तारीख से विचाराधीन कैदी के रूप में बन्दी बना लिया गया। सी० जे० एम० और सीमा शुल्क कलक्टोरेट के अधीक्षक को पुनः 6 और 7 अगस्त, 1987 को सन्देश भेजे गए। तथापि, प्राधिकारियों द्वारा कोई मार्गरक्षक दल नहीं भेजा गया। केन्द्रीय कारागार तिहाड़ के प्राधिकारियों के पास कोई वैध पेशी का आदेश न होने के कारण श्री पीटर को जेल से 10 अगस्त, 1987 को रिहा कर दिया गया।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र निदेशालय को योजना आयोग के अन्तर्गत लाना

5979. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र निदेशालय को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से बदलकर योजना आयोग के अन्तर्गत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उच्च कम्प्यूटर विज्ञान केन्द्र तथा कम्प्यूटर से सम्बन्धित अन्य मामले जो पहले राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के पास थे वे भी योजना आयोग के अन्तर्गत आ जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) को इलेक्ट्रानिकी विभाग से योजना आयोग को अन्तरित कर दिया जाए। इस निर्णय पर अमल किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय आयोजना के उन क्षेत्रों में जहां भारत सरकार के कई मन्त्रालयों/विभागों का समान दायित्व है, सूचना आधार में अन्तराल की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई थी। इसका कार्य जिला से राज्य मुख्यालय, राज्य मुख्यालय से क्षेत्रीय केन्द्रों तथा क्षेत्रीय केन्द्रों से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) के मुख्यालय तक समूचे देश से प्राप्त विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित एक व्यापक सूचना प्रणाली उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के विकास को प्रयोगकर्ता-उन्मुख बनाने की दृष्टि से, सरकार ने इसे सीधे योजना आयोग के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है।

(ग) जी, नहीं। उन्नत कम्प्यूटर विज्ञान केन्द्र तथा कम्प्यूटर से सम्बन्धित अन्य मामलों पर इलेक्ट्रानिकी विभाग के कम्प्यूटर निदेशालय द्वारा कार्रवाई की जाती थी, न कि राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) द्वारा। अतः इन संस्थानों को योजना आयोग को अन्तरित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

साम्प्रदायिक दल

[हिन्दी]

5980. **चौधरी अख्तर हसन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने साम्प्रदायिक दल सक्रिय हैं ;

(ख) क्या सरकार का ऐसे दलों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) साम्प्रदायिक दलों के सम्बन्ध में अभी तक कोई परिभाषा तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग). इस पहलू पर, धर्म को राजनीति से अलग करने के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है। यह मामला संवेदनशील होने के कारण, सरकार इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से गहराई से विचार कर रही है। इस स्थिति में, इसके कोई ब्यौरे बताना अथवा संसद में विधेयक पुनःस्थापित करने के लिए अन्तिम निर्णय लिए जाने की समय-सीमा बताना व्यवहार्य नहीं होगा।

अवक्रय अधिनियम, 1972 को लागू करना

[अनुवाद]

5981. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद द्वारा 8 जून, 1972 को पारित और 1 सितम्बर, 1973 को राजपत्र में प्रकाशित अवक्रय अधिनियम, 1972 (1972 का सं० 26), अब लागू है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या फाइनेंसर जैसे बेईमान तत्व मनमाने ढंग से निर्दयता से वाहनों को जब्त करके इसे लागू किए जाने में स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) अवक्रय अधिनियम को 1 जून, 1973 से प्रवृत्त करने के लिए एक अधिसूचना 30 अप्रैल, 1973 को जारी की गयी थी। उसके कुछ समय बाद एक अन्य अधिसूचना, 31 मई, 1973 को जारी की गई जिससे 30 अप्रैल, 1973 वाली अधिसूचना की अधिक्रांत कर दिया गया और अधिनियम को 1 सितम्बर, 1973 से प्रवृत्त करने का प्रस्ताव किया गया। चूंकि अधिनियम को प्रवृत्त करने के विरुद्ध जनता से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे अतः यह विनिश्चय किया गया कि अधिनियम को प्रवृत्त न किया जाए और तदनुसार 31 मई, 1973 की अधिसूचना को विखंडित करने के लिए एक अधिसूचना, 30 अगस्त, 1973 को जारी की गयी। अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए अभी तक कोई अन्य अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

बैंककारी विधि समिति ने, वैयक्तिक सम्पत्ति प्रतिभूति विधि पर अपनी रिपोर्ट में अधिनियम

में दूरगामी संशोधनों का प्रस्ताव किया है। ऐसे भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें यह अनुरोध किया गया कि या तो उपरोक्त समिति की विभिन्न सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए नया विधान किया जाना चाहिए या इसके विकल्पत: उक्त अधिनियम को कुछ संशोधन के पश्चात् ही प्रवृत्त किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यह सुझाव दिया है कि, समिति की सम्पूर्ण रिपोर्ट की संवीक्षा लम्बित रहने तक, अवक्रय अधिनियम प्रवृत्त नहीं किया जाना चाहिए। तथापि तत्पश्चात् रिजर्व बैंक, समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हुआ अत: अधिनियम को प्रवृत्त करने का विनिश्चय करने के पूर्व अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों को अंतिम रूप देने की दृष्टि से पूरे प्रश्न की सावधानीपूर्वक पुन: संवीक्षा अपेक्षित है।

(ग) इस मन्त्रालय के पास इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है।

(घ) इस मन्त्रालय ने सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों और भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के परामर्श से उन संशोधनों को अन्तिम रूप दे दिया है जो अपेक्षित होंगे। प्रशासनिक औपचारिकताओं को समय पर पूरा कर लिए जाने पर, अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक इसी सत्र में पुन:स्थापित किए जाने की सम्भावना है और उक्त संशोधन के पारित हो जाने के पश्चात अवक्रय अधिनियम प्रवृत्त करने का प्रस्ताव है।

राजस्थान को रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता

[हिन्दी]

5982. **श्री शांति धारीवाल :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की तरह रेगिस्तान क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख). जी, हां। राजस्थान सरकार ने संघ सरकार को सुझाव दिया था कि वह पहाड़ी क्षेत्रों की तरह मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के लिए भी शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दे, जो 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में होती है। इसकी तुलना में, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्र-प्रायोजित स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस कार्यक्रम का वित्त पोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा बराबर-बराबर किया जाता था।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के 245 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से, राजस्थान राज्य का हिस्सा लगभग 190 करोड़ रु. था।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रीलंका के शरणार्थियों का वापस लौटना

[अनुवाद]

5983. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :**

श्री मदन पाण्डेय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में विद्यमान स्थिति श्रीलंका के शरणार्थियों के घर वापस लौटने के लिए अनुकूल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका के शरणार्थियों ने अपने घरों को लौटना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो लौटने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है और कितने शरणार्थी अभी भी भारत में ही हैं ; और

(घ) शेष शरणार्थियों को कब तक श्रीलंका वापस भेजे जाने की सम्भावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से श्रीलंका के 17,431 शरणार्थी श्रीलंका वापस लौट चुके हैं। 31-3-88 को श्रीलंका के 106.768 शरणार्थी भारत में शेष थे।

(घ) इस उद्देश्य के लिए अन्तिम तारीख तय नहीं की गयी है। तथापि उनकी वापसी के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

बन्द

5984. **श्री एच० वी० पाटिल :**

श्रीमती वसवराजेश्वरी :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में लगातार किए जाने वाले बन्दों को रोकने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाने पर विचार करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार संविधान के अंतर्गत अपने दायित्वों को निभाती रहेगी और आशा करेगी कि राज्य सरकारें भी ऐसा ही करें। यह भी आशा की जाती है कि जनता ऐसे आह्वानों की ओर ध्यान नहीं देगी जिनसे समाज के आमजीवन में बाधा उत्पन्न होती है।

भारतीय दूतावासों में श्रमिक अताशे

5985. **श्री तम्पन चामस :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय दूतावासों में कितने श्रमिक अताशे हैं और उनको क्या विशेष कार्य सौंपे गए हैं ;

(ख) क्या दूतावास जनशक्ति के निर्यात के सम्बन्ध में बातचीत करने में कोई प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) विदेश स्थित हमारे आठ राजदूतावासों में, जहां भारतीय श्रमिक काफी बड़ी संख्या में हैं, ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें खासतौर से भारतीय श्रमिकों से सम्बद्ध कार्य को देखने के लिए तैनात किया गया है। ये मिशन आबू धाबी, बहरीन दोहा, दुबई, कुवैत, मस्कत, रियाद और त्रिपोली में है। अन्य राजदूतावासों में यह काम कौंसली कार्यों के प्रभारी अधिकारी देखते हैं और इसमें भारतीय श्रमिकों का हित-कल्याण और उनके रोजगार की शर्तें शामिल है।

(ख) और (ग). जी, हां। जिन देशों में विदेशों से कामगार मंगाने के अवसर मौजूद हैं वहां हमारे राजदूतावास इस बात की बराबर कोशिश करते रहते हैं कि भारत से उन देशों को ज्यादा जनशक्ति का निर्यात किया जाए। इसके लिए वो अन्य श्रम निर्यातक देशों की वेतन दर-प्रतियोगिता की प्रवृत्ति और सम्बद्ध देशों की श्रम मंडियों की घटनाओं की रोशनी में श्रमिकों की बदलती आवश्यकताओं के सन्दर्भ में भी श्रम मंडियों पर बराबर निगरानी रखते हैं। हमारे राजदूतावास इन प्रवृत्तियों से श्रम मन्त्रालय को सूचित रखते हैं ताकि वह अपनी जनशक्ति निर्यात सम्बन्धी समग्र नीति तैयार कर सकें। हमारे राजदूतावास सम्बद्ध देशों के प्रमुख जनशक्ति आयातक अभिकरणों के साथ बातचीत भी करते हैं ताकि उनकी आवश्यकताओं का पता चलता रहे और भारत में जनशक्ति की उपलब्धता के विषय में उन्हें सूचना दी जाती रहे अगर श्रमिकों के सम्बन्ध में कोई विशेष मांग हो तो हमारे राजदूतावास श्रम मन्त्रालय को और भारत स्थित संबद्ध जनशक्ति निर्यातक अभिकरण को भी सूचना देते हैं।

भारत में श्रमिकों को भेजने के काम को सुचारू रूप देने की कोशिश में वर्ष 1984 में कातार राज्य के साथ एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। इस करार के अनुसार कातार की सरकार कातारी नियोजक द्वारा यथा अपेक्षित भारतीय श्रमिकों की मांग भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय को भेजेगी जो उपलब्ध संभावनाओं के अन्दर श्रमिक सम्बन्धी ऐसी सभी मांगें पूरी करने का प्रयत्न करेगा। इसी प्रकार के एक करार पर जोर्डन की सरकार के साथ भी हस्ताक्षर किए गए हैं परन्तु अभी इसका अनुसमर्थन किया जाना है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट के लम्बित पड़े आवेदन-पत्र

5986. **श्री तम्पन चामस :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में आज तक पासपोर्ट के कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं ;

(ख) सरकार को पासपोर्ट आवेदन पत्रों के लम्बित पड़े रहने के सम्बन्ध में पासपोर्ट कार्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार का पथानामिटा, कोट्टायम और इदुक्की जिलों से बड़ी संख्या में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों को ध्यान में रखते हुए कोट्टायम में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 31 मार्च, 1988 तक 20801 ।

(ख) और (ग). सरकार को वर्ष 1988 के दौरान विलम्ब के लिए आवेदकों से पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन के विरुद्ध 7 शिकायतें मिली थीं । इस पासपोर्ट कार्यालय को यह निर्देश दिया गया कि वह शीघ्र कार्रवाई करे और इसकी सूचना सम्बन्धित आवेदकों को भी दे । इनमें से 4 मामलों में पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं ।

(घ) और (ङ). जी, नहीं ।

मध्यस्थता बोर्ड के पंचाटों का क्रियान्वयन

5987. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (जे० सी० एम०) की विभागीय परिषद् के कर्मचारियों की ओर से की गई मांगों पर मध्यस्थता बोर्ड के कितने पंचाट क्रियान्वयन के लिए लम्बित पड़े हैं ;

(ख) बोर्ड द्वारा प्रत्येक पंचाट कब दिया गया था और पंचाटों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पंचाटों का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है और पंचाटों का शीघ्र क्रियान्वयन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (जे० सी० एम०) की विभागीय परिषद की ओर से केवल एक अधिनिर्णय क्रियान्वयन के लिए लम्बित है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अधिनिर्णय विवाचन बोर्ड (जे० सी० एम०) द्वारा 26-3-1987 को दिया गया था । इस अधिनिर्णय का क्रियात्मक भाग निम्नानुसार है :—

> "कर्मचारी पक्ष की मांग को इस सीमा तक माना गया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा का कोई सहायक जो कि किसी पहले की परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने के कारण वरिष्ठ है किन्तु वह किसी बाद की परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए अपने कनिष्ठ

सहयोगी से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति होने पर कम वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसका वेतन उसके कनिष्ठ सहयोगी द्वारा उसी ग्रेड में प्राप्त किए जा रहे वेतन से कम नहीं होगा।

यह अधिनिर्णय 1 जून, 1983 को और उस तारीख से प्रभावी होगा।"

(ग) इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन में जहां तक इसके आर्थिक तथा कानूनी प्रभावों का संबंध है वित्त मन्त्रालय तथा विधि मन्त्रालय से परामर्श करके जांच कर ली गई है। अधिनिर्णय के क्रियान्वयन के लिए इसे स्वीकार करने के प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

ठाणे और उल्हासनगर महाराष्ट्र में किराए पर दी गई रक्षा भूमि को खाली कराया जाना

5988. **श्री एस० जां० घोलप** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में स्पोर्टिंग क्लब समिति, ठाणे द्वारा उपयोग में लाई जा रही रक्षा भूमि और उल्हासनगर में रक्षा भूमि शहर के बीचों-बीच स्थित है ;

(ख) क्या इस भूमि को ठाणे और उल्हासनगर की जनता के उपयोग के लिए खाली कराए जाने की भारी मांग है ;

(ग) क्या सरकार इस भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए किराए से खाली कराने पर सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है और इन्हें नगर पालिकाओं को कब तक सौंपे जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). जहां तक ठाणे की भूमि का प्रश्न है, यह भूमि 1977 तक अल्पकालिक पट्टे पर थी और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष उसका पट्टा बढ़ाया जाता था। हाल में किए गए पुनरीक्षण के बाद इस व्यवस्था को इस शर्त पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है कि रक्षा प्राधिकारियों को इस भूमि की जब भी जरूरत पड़ेगी क्लब प्राधिकारी बिना किसी आपत्ति के इसका कब्जा रक्षा प्राधिकारियों को सौंप देंगे।

जहां तक उल्हासनगर की भूमि का सम्बन्ध है, इस भूमि को उल्हासनगर नगरपालिका के लिए खाली कराने का निर्णय लिया गया था बशर्ते कि सेना द्वारा इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्तियों के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और वहां से हटाए जाने वाले रक्षा कार्मिकों के लिए अम्बरनाथ में उपयुक्त आवास की भी व्यवस्था की जाए। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 1981 में राज्य सरकार को भेजा गया था। उनकी प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है।

इस बीच, नगर पालिका अध्यक्ष ने परिसम्पत्तियों की कीमत चुकाने और रक्षा कार्मिकों के परिवारों के आवास की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के आधार पर सेना के प्रतिनिधि ने हाल ही में उस स्थल का निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। थलसेना मुख्यालय इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

वेतनमानों में वृद्धि

5989. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सहायक संघ, केन्द्रीय सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, केन्द्रीय सचिवालय परिसंघ और सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों और विभागीय परिषद् के कर्मचारियों की ओर ध्यान दिलाया गया है कि सहायक ग्रेड "सी" स्टेनोग्राफरों और सचिवालय सुरक्षा बल के सिपाहियों के वेतनमानों में असमानता है और वेतनमानों में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विभागीय परिषद् की बैठक में इन मांगों के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों के निपटारे के लिए विसंगति समिति का गठन किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25 जनवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं० 19-2-87-जे० सी० ए० के अधीन आदेश जारी कर दिए गए हैं जो विवरण के रूप में संलग्न हैं। सरकार के उपर्युक्त आदेशों के अधीन वेतनमानों की विसंगतियों के बारे में समिति द्वारा माने गए "अपवादात्मक" मामलों सहित यदि कोई हों, तो इस समिति के समक्ष रखी जाने वाली विसंगतियों पर सरकार के उपर्युक्त आदेशों के भीतर विचार करना तथा अपनी सिफारिशें देना इस समिति का काम है।

विवरण

संख्या 19/2/87-जे० सी० ए०

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 1988

विषय : चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों का निर्णय करने के लिए विसंगति समिति का गठन।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ हुए एक समझौते के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों का निर्णय करने के लिए सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों को मिलाकर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपयुक्त विसंगति समितियों का गठन किया जाना चाहिए अर्थात् :—

(1) विसंगति की परिभाषा :

विसंगति समितियों (राष्ट्रीय तथा विभागीय दोनों) में जिन विसंगतियों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है, उनका सम्बन्ध संशोधित वेतनमान में वेतन के नियतन वेतनवृद्धि की तारीख, विकल्प का प्रयोग, जो कर्मचारी नियत तारीख 1-1-86 के बाद की तारीख से संशोधित वेतनमानों का विकल्प देते हैं, उनके वेतन नियतन, प्रगतिरोध वेतन-वृद्धि, वरिष्ठ/कनिष्ठ होने की समस्याएं पुनः नियतन के बाद विद्यमान परिलब्धियों में कमी के मामलों आदि से उत्पन्न विसंगतियों से हैं।

वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा स्वीकार किए गए वेतनमानों में अन्तर कार्य और अन्तर्विभागीय तुलनाओं पर आधारित विसंगतियों के आधार पर आशोधन के अनुरोधों को सामान्यतः विसंगति समितियों के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा जाएगा। तथापि, इस स्वरूप के आपवादिक मामलों को विसंगति समितियों के सम्मुख लाया जा सकता है। विसंगति समिति ऐसे मामलों की जांच करेगी और उन्हें निपटान के लिए वित्त मंत्रालय को भेजेगी।

(2) गठन :

विसंगति समितियों के दो स्तर होंगे, राष्ट्रीय तथा विभागीय, जिसमें क्रमशः राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(3) राष्ट्रीय विसंगति समिति दो अथवा दो से अधिक विभागों के लिए एक जैसी विसंगतियों तथा एक ही प्रकार के कर्मचारियों के वर्गों के सम्बन्ध में कार्रवाई करेगी। विभागीय विसंगति समिति सम्बन्धित विभाग के बारे में विसंगतियों पर कार्रवाई करेगी। ये विसंगति समितियां संयुक्त परामर्श तन्त्र योजना के अधीन कार्य करेगी।

(4) विसंगति समितियां अपनी स्थापना की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपना विचार-विमर्श पूरा करेगी।

(5) वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों को बिना आशोधनों के स्वीकार कर लेने के कारण उत्पन्न विसंगतियों से सम्बन्धित निर्णयों अथवा ऐसे आशोधनों के सम्बन्ध में जिनके कारण, विसंगति समितियों में विचार-विमर्श के फलस्वरूप वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार होता हो, पांच वर्षों तक कोई विवेचन नहीं होगा।

वित्त मन्त्रालय आदि से अनुरोध है कि वे चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों का निर्णय करने के लिए, जैसाकि ऊपर निर्धारित किया गया है, विसंगति समितियों का गठन करने की तत्काल कार्रवाई करें।

ह०

(श्रीमती के० एन० के० कार्थियायनी)

निदेशक।

केरल से थोरियम का उत्पादन

5990. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किस भाग में थोरियम का उत्पादन होता है ; और

(ख) केरल से थोरियम का अनुमानत: कितना वार्षिक उत्पादन होता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायन) : (क) इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के रेअर अर्थ्स संयंत्र में, जो केरल में उद्योग मण्डल नामक स्थान पर स्थित है थोरियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन होता है।

(ख) प्रतिवर्ष 1450 मीटरिक टन शुष्क थोरियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन होता है जिससे लगभग 380 से 390 मीटरिक टन तक थोरियम आक्साइड तैयार किया जाता है।

डिफेंस पेंशन अदालतों द्वारा निपटाए गए मामले

[हिन्दी]

5991. **श्री हरीश रावत** :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिफेंस पेंशन अदालतों की कितनी बैठकें हुई हैं और इनके द्वारा प्रत्येक स्थान पर कितने-कितने मामले निपटाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का भूतपूर्व सैनिक बहुल क्षेत्रों में ऐसी अदालतें शीघ्र ही स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपदों में पेंशन अदालतें कब तक स्थापित की जाएंगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) रक्षा पेंशन अदालत की पन्द्रह बैठकें निम्नलिखित स्थानों पर हुई हैं :—

स्थान	बैठकों की संख्या और तिथि	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3
जालंधर	3 दिन (29, 30 और 31 दिसम्बर, 1987)	202
मद्रास	3 दिन (29, 30 और 31 दिसम्बर, 1987)	103

1	2	3
सिकन्दराबाद	1 दिन (9 फरवरी, 1988)	27
हैदराबाद	2 दिन (10 और 11 फरवरी, 1988)	72
जम्मू	1 दिन (12 फरवरी, 1988)	36
दिल्ली	5 दिन (14, 16, 17, 18 और 19 मार्च, 1988)	231

(ख) रक्षा पेंशन अदालतें अप्रैल/मई, 1988 में मेरठ और त्रिवेन्द्रम में लगाई जाएंगी। भविष्य में उन विभिन्न स्थानों पर प्रतिमाह औसतन एक रक्षा पेंशन अदालत लगाए जाने का प्रस्ताव है जहां रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय स्थित हैं तथा जहां भूतपूर्व सैनिक अधिक संख्या में रहते हैं।

(ग) चूंकि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में रक्षा पेंशन का संवितरण राजकोष कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों द्वारा नहीं, अतः फिलहाल इन स्थानों पर किसी अदालत की योजना नहीं है।

जेलों का राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में विकास करना

5992. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता की 40 वीं वर्षगांठ के अवसर पर, उन जेलों को, जहां स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू कैद रखे गए थे, राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में विकास करने और संरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जेल को, जहां स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू कैद रखे गए थे, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). "जेलें" और "स्मारक" राज्य का विषय होने के कारण इस विषय पर विचार करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का कार्य है।

बाबरी मस्जिद विवाद

[अनुवाद]

5993. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान में कुछ प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार ने सम्बन्धित संप्रदाय के प्रतिनिधियों के साथ कोई वार्ता की है अथवा उनके साथ वार्ता का प्रबन्ध किया है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि विवाद को निष्पक्ष ढंग से सुलझाने के लिए वे सम्बन्धित समुदायों के विचार मालूम करे। तथापि, किसी भी पक्ष के साथ औपचारिक रूप से ऐसी कोई बातचीत नहीं की जा रही है।

बिहार में स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन

5994. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कार्यान्वयनाधीन 20 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत वाली स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने की मूल लक्ष्य तारीख क्या थी और वर्तमान अनुमानित लक्ष्य तारीख क्या है ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित मूल लागत क्या थी और वर्तमान अनुमानित लागत क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग). 31 दिसम्बर 1987 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में दी गई केन्द्रीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रत्येक 20 करोड रुपए से अधिक लागत वाली 32 परियोजनाएं कार्यान्वयधीन हैं, इनमें वे परियोजनाएं शामिल नहीं है, जिनका कार्यस्थल बहुराज्यीय है इन परियोजनाओं के नाम और संगत ब्यौरा निम्न लिखित है :—

(करोड़ रु०)

परियोजना का नाम	चालू होने की तारीख		अनुमानित लागत	
	मूल	प्रत्याशित	मूल	प्रत्याशित
1	2	3	4	5
कोयला				
1. भलगोड़ा यू जी (बी सी सी एल)	3/85	3/92	46.22	46.22
2. दामोदर ओ सी (बी सी सी एल)	3/88	3/91	57.04	57.04
3. झरिया खण्ड-2 ओ सी (बी सी सी एल)	3/87	3/89	112.05	112.05

1	2	3	4	5
4. कटरस यू जी (बी सी सी एल)	3/83	3/90	26.04	26.04
5. मूनीडीह यू. जी. (बी सी सी एल)	3/72	3/89	15.49	158.38
6. उत्तरी अमलाबाद (यू जी) (बी सी सी एल)	3/85	3/91	26.18	26.18
7. पुतकी बलिहारी यू जी (बी सी सी एल)	3/94	12/95	199.87	199.87
8. सी पी पी केप्टिव विद्युत संयंत्र (बी सी सी एल)	3/90	3/91	49.20	49.20
9. मधुबन्द वाश री (बी सी सी एल)	3/89	3/90	71.90	90.93
10. डी एण्ड एफ. रोपवेज (बी सी सी एल)	1/90	1/90	21.32	21.32
11. पुतकी वाश री (बी सी सी एल)	3/92	3/92	92.17	92.17
12. अमलो (धोरी पश्चिम) ओ सी (सी सी एल)	3/90	3/90	33.30	56.00
13. नई कल्याणी सेल धोरी ओ सी (सी सी एल)	3/89	3/90	24.38	46.07
14. करकट्टा ओ सी (सी सी एल)	3/85	3/89	29.60	40.00
15. राजरप्पा ओ सी (सी सी एल)	3/84	3/90	41.86	127.58
16. केडला वाशरी (सी सी एल)	3/83	6/90	24.69	73.54
17. राजरप्पा वाशरी (सी सी एल)	2/82	3/89	26.41	76.14
18. केप्टिव विद्युत संयंत्र (सी सी एल)	3/90	3/90	49.20	49.20
19. राजमहल ओ सी (ई सी एल)	3/87	3/91	87.43	237.27

1	2	3	4	5
उर्वरक				
20. सी पी पी बारौनी उर्वरक संयंत्र (एच एफ सी)	12/85	4/88	35.61	47.39
21. अमोनिया फास० उर्वरक संयंत्र (पी पी सी एल)	9/89	9/89	42.57	64.87
इस्पात				
22. बोकारो 4 मी० ट० विस्तार (सेल)	3/87	9/88	947/24	2071.58
23. सी पी पी बोकारो इस्पात संयंत्र (सेल)	12/83	6/88	75.94	154.15
विद्युत				
24. बोकारो बी-1 थर्मल (डी वी सी)	4/82	3/87	69.76	206.45
25. बोकारो बी-2 (डी वी सी)	10/85	6/89	186.93	298.92
26. मैथन गैस टरबाईन (डी वी सी)	6/87	8/88	44.57	52.48
27. पेनचिट हिल-2 एच ई (डी वी सी)	1/83	8/88	16.03	46.96
28. कोयल कारो एच ई (एन एच पी सी)	12/88	3/94	391.82	1100.59
29. कहलगांव (एस टी पी पी) चरण-1 (एन टी पी सी)	7/92	1/93	884.16	1307.90
30. कहलगांव संचरण लाइन-1 (एन टी पी सी)	3/90	1/91	174.48	157.16
रेलवे				
31. गढ़वा सड़क सोननगर चरण-2 (दोहरा करना)	3/91	3/91	48.89	48.89

1	2	3	4	5
32. एम सी कलूसकीगंज डिपो यार्ड उत्तरी कर्मपुर (यातायात सुविधायें)	3/91	3/91	31.44	31.44

कम्प्यूटर मेंटेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सीरिया में कम्प्यूटरीकरण

5995. **श्री श्रीकांत वत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर मेंटनेंस कारपोरेशन लिमिटेड सीरिया में कम्प्यूटरीकरण कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटर मेंटनेंस कारपोरेशन ने उक्त देश में कुल कितनी धनराशि का ठेका लिया है ; और

(ग) उक्त देश में कम्प्यूटर मेंटनेंस कारपोरेशन द्वारा आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। सी एम सी लिमिटेड को सीरिया में सितम्बर, 1987 में आयोजित दसवीं भूमध्यसागरीय खेलों के कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धित परियोजना को शुरू से लेकर आखिर तक अंजाम देने के बारे में एक अनुबन्ध प्राप्त हुआ। इस अनुबन्ध को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सीरिया में वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र (एस एस आर सी) तथा भारत में सी एम सी के अनुसंधान तथा विकास के कार्यकलापों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितम्बर, 1987 में सीरिया के वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र के साथ समझौता-पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(ख) परियोजना के अनुबन्ध का कुल मूल्य लगभग दो करोड़ रुपए था।

(ग) उपर्युक्त समझौता-पत्र के अनुसरण में, एक वरिष्ठ सीरियाई सरकारी अधिकारी, जिन पर सीरियाई सरकार की नीति के प्रतिपादन तथा कम्प्यूटरीकरण का दायित्व है, द्वारा अप्रैल, 1988 में भारत आने की सम्भावना है। शीघ्र ही अरबी भाषा के कम्प्यूटर टर्मिनलों के विकास का कार्य आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ी हुई याचिकाएं

5996. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दायर की गई उन विशेष अनुमति याचिकाओं का ब्यौरा क्या है जो उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी हुई है ;

(ख) ये विशेष अनुमति याचिकाएं कब से लम्बित पड़ी हैं ; और

(ग) इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) विधि मन्त्रालय से सभी लम्बित विशेष अनुमति याचिकाओं का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दायर की गई निम्नलिखित विशेष याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं :

(1) अनुशासनिक कार्यवाहियों के बारे में श्री टी० वी० स्वामीनाथन, आई० ए० एस० (केरल) के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मद्रास न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध नवम्बर, 1987 में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता सूची के बारे में श्री अमृत लाल तथा अन्य के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित किए गए अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध 16-3-1988 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवामुक्ति के बारे में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के परिवीक्षाधीन श्री वी० के० सिंह के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 2-5-84 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(4) पेन्शन संशोधन के सम्बन्ध में श्री सी० पी० भीमय्या के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बंगलौर के निर्णय के विरुद्ध 24-8-87 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(5) पेन्शन और उत्पादन के संशोधन के बारे में श्री ई० बी० रेनबोथ के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के निर्णय के विरुद्ध 23-7-87 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(6) भारत सरकार के सचिव के पद पर पदोन्नत न करने के बारे में श्री जे० सी० जेटली के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 19-11-87 के विरुद्ध दायर की गई विशेष अनुमति याचिका। उच्चतम न्यायालय ने 22-3-88 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों पर रोक लगा दी है।

(7) सिविल सेवा परीक्षा, 1983 के परिणामों के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में उनकी नियुक्ति न होने के बारे में श्री एम० वी० एस० मूर्ति के मामले में केन्द्रीय

प्रशासनिक अधिकरण, पटना के निर्णय के विरुद्ध 19-8-97 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(8) सिविल सेवा परीक्षा, 1981 के परिणामों के आधार पर, आरक्षित रिक्त पर नियुक्ति न होने के बारे में श्री एन० चन्द्रशेखरन लिंगम के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 29-4-85 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(9) भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठता के बारे में श्री आर० बी० लाल के मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जुलाई, 1973 में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(10) भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठता के बारे में श्री पी० सी० सक्सेना के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दिसम्बर, 1977 में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(11) भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठता के बारे में श्री गुरुवचन सिंह के मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फरवरी, 1983 में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

(12) भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय संवर्ग में 1981 की चयन सूची में भूतलक्षी प्रभाव से शामिल होने के बारे में श्री एस०सी० बरुआ के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गुवाहाटी के निर्णय के विरुद्ध दिसम्बर, 1986 में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

समान वेतन के बारे में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का फैसला

5997. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान के० एस० माकिन बनाम रक्षा मन्त्रालय और डा० (श्रीमती) प्रेमलता बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मामलों में, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुख्य पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अधिसंख्यक नैमित्तिक कर्मचारियों से असमान व्यवहार करने और केन्द्रीय सचिवालय के आशुलिपिकों के मुकाबले रक्षा मुख्यालय के आशुलिपिकों के लिए पदोन्नति के अवसरों को प्रतिबन्धित करने और दोनों सेवाओं के बीच सभी मामलों के सन्दर्भ में समानता न बरतने के क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुख्य न्यायपीठ और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार से घोषित कानूनों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) नैमित्तिक कर्मचारियों को श्रम मन्त्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर वेतन दिया जा रहा

है । सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिकों के वेतनमान एक समान हैं ।

उपर्युक्त मामलों में, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों में वेतनमानों में समानता के अलावा किसी अन्य मुद्दों का उल्लेख नहीं है ।

(ग) रक्षा मन्त्रालय और केन्द्रीय सचिवालय में आशुलिपिकों के बारे में वेतन में पहले से ही विद्यमान समानता को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में और कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ।

कालीकट, कोचीन और त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्र

5998. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार कालीकट, कोचीन और त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े थे ; और

(ख) वर्ष 1987 के दौरान इनमें से प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) :

(क)	**कार्यालय स्थान** :	31 दिसम्बर, 1987 के अनुसार अनिर्णीत पासपोर्ट आवेदन पत्रों की कुल संख्या ।
	(I) कालीकट (कोजीकोड)	14896
	(II) कोचीन	22870
(ख)	(I) कालीकट (कोजीकोड)	63219
	(II) कोचीन	68081
	(III) त्रिवेन्द्रम	पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय, त्रिवेन्द्रम नए पासपोर्ट जारी नहीं करता है ।

मझगांव डाक लिमिटेड में परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

5999. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मझगांव डाक लिमिटेड की परियोजनाओं को पूरा किए जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ;

(ख) उन अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक पूरा नही किया गया है/

अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इनकी लागत में कितनी वृद्धि हो गई हैं ;

(ग) मझगांव डाक लिमिटेड को संकट से उबारने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) इसके चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मूल सुपुर्दगी कार्यक्रम व्यावहारिक नहीं था क्योंकि इसमें पर्याप्त आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी के अन्तरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में नहीं रखा गया था। सरकार ने एक संशोधित सुपुर्दगी कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया है और आशा है कि इस कार्यक्रम के अनुसार पनडुब्बियां प्राप्त हो जाएंगी।

(ख) इस श्रेणी में आने वाली प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए जैकअप रिग्स-1 और 2 जिन्हें क्रमशः जनवरी, 1985 और मई, 1985 में 41.80 करोड़ रुपए की लागत पर सुपुर्द किया जाना था। सुपुर्दगी तारीखें अव्यावहारिक थीं क्योंकि कम्पनी ने परियोजना की जटिलता का मूल्यांकन पूरी तरह से नहीं किया था। इसके अतिरिक्त बम्बई से मंगलौर यार्ड तक सामान की ढुलाई में आने वाला खर्च, मंगलौर में मानसून के दौरान काम करने में आने वाली समस्याएं, फरवरी, 1984 में एक बजरे के डूब जाने के कारण 2000 टन इस्पात की हानि और बम्बई में सिविल अशान्ति के कारण इसमें अधिक समय लगा और लागत भी अधिक आई। जैकअप रिग-1 की लागत 83.93 करोड़ रुपए होगी और यह अप्रैल, 1988 में दिया जाएगा जबकि जैकअप रिग-2 की लागत 74.98 करोड़ रुपए होगी और वह दिसम्बर, 1988 तक दे दिया जाएगा।

(2) गोताखोरी सहायता जलयान : मझगांव डाक लिमिटेड के आरक्षित उपयोग के लिए बनाया जा रहा अपतट पूर्ति जलयान बदलकर गोताखोरी सहायक जलयान बना दिया गया है। इसकी मूल अनुमानित लागत 16.22 करोड़ थी, वह अब अप्रैल, 1988 में इसके पूरा होने तक 22 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके लिए डिजाइन सम्बन्धी आंकड़े तथा उपस्कर आयात करने पड़े जिसके कारण इसमें विलंब हुआ इस तरह के जटिल और विशेष भूमिका वाले जलयानों के निर्माण का अनुभव न होने के कारण भी इसमें विलंब हुआ।

(3) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए बहु-उद्देशीय सहायक जलयान जून, 1985 में दे दिया जाना था, जिसकी लागत 40.53 करोड़ रुपए आनी थी। अब यह मई, 1988 में दिया जाएगा और इसकी लागत 53.6 करोड़ रुपए होगी। इसके निर्माण में विलम्ब होने का मुख्य कारण आयातित उपस्कर का देर से प्राप्त होना और डिजाइनों में परिवर्तन के कारण बहुत सारा काम फिर से करना पड़ा।

(ग) कम्पनी ने अपना उत्पादन और लाभ बढ़ाने के उपाय सुझाने की दृष्टि से एक कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य के लिए क्रमिक आधार पर कम्प्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) कम्पनी का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक नियुक्ति करने की कार्रवाई चल रही है। आशा है यह कार्रवाई लगभग एक महीने में पूरी कर ली जाएगी।

सोवियत संघ के साथ समुद्री विमानन समझौते पर हस्ताक्षर

6000. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को लम्बी दूरी के समुद्र टोही विमान के मिलने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ एक समुद्री विमानन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). सोवियत संघ सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए एक समझौते के अन्तर्गत नौसेना के लिए समुद्र में लम्बी दूरी तक गश्त लगाने वाले विमान चरणबद्ध रूप से प्राप्त किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस संबंध में आगे और ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा नशे की लत छुड़ाने के केन्द्रों की स्थापना

6001. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने केन्द्रीय सरकार की सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत औषधों के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश में परामर्शदात्री और नशे की लत छुड़ाने के केन्द्रों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या-क्या हैं तथा इन केन्द्रों को कहां-कहां स्थापित किया गया है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि दी गई है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). परामर्श एवं निर्व्यसन केन्द्रों की स्थापना हेतु मद्य-निषेध शिक्षा कार्य, मद्य सेवियों, औषधव्यसनियों, तथा सामाजिक बुराइयों से पीड़ित अन्य व्यक्तियों के परामर्श तथा पुनर्वास-कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 1987-88 के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(धनराशि लाखों में)

क्रम सं०	स्वयंसेवी संगठन का नाम	चल रहे/स्वीकृत परामर्शी केन्द्रों की संख्या तथा 1987-88 के स्वीकृत सहायक-अनुदान की राशि		स्थापित/स्वीकृत निर्व्यसन केन्द्रों की संख्या तथा 1987-88 के दौरान स्वीकृत सहायक-अनुदान की राशि	
		संख्या तथा स्थान	स्वीकृत धनराशि	संख्या तथा स्थान	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	6 (दिल्ली)	4.26	—	—
2.	भारतीय शिक्षा परिषद् ए-2/59, सफदरजंग इन्कलेव नई दिल्ली	4 (दिल्ली)	3.77	1 (दिल्ली)	5.37
3.	गृह आर्थिक सोसायटी जे ब्लाक, रिंग रोड साउथ एक्स, नई दिल्ली	1 (दिल्ली)	0.26	—	—
4.	दिल्ली महिला लीग 4, भगवान दास रोड, नई दिल्ली	1 (दिल्ली)	1.07	—	—
5.	अफीम, निर्व्यसन उपचार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान न्यास डाकघर मानकलाओ, जिला जोधपुर, राजस्थान	4 (रजस्थान) (जैसलमेर, बाडमेर, जैलोर और जोधपुर)	2.91	1 (रजस्थान) (मानकलाओ) (जिला जोधपुर)	1.84
6.	काशी क्लब, डी 14/3, गंगेस भवन, दस्वमेध रोड, वाराणसी (उ० प्र०)	2 (वाराणसी) उ० प्र०	2.13	1 (वाराणसी) उ० प्र०	4.00

1	2	3	4	5	6
7.	श्री राम बाबू चैरिटेबल सोसाईटी, 4/6 फरजाना बाग, सिविल लाईंस, आगरा (उ० प्र०)	1 (आगरा) उ० प्र०	0.85	1 (आगरा) उ० प्र०	1.93
8.	मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान केन्द्र, संगाईपरोऊ एअरपोर्ट रोड, इम्फाल मणिपुर	1 (मणिपुर) (इम्फाल)	0.23	—	—
9.	नगर स्वास्थ्य एवं कल्याण संघ, पारासीबागान लेन, कलकत्ता	1 (पश्चिम बंगाल) (कलकत्ता)	0.22	—	—
10.	डा० विद्या सागर कौशल्या देवी मेमोरियल ट्रस्ट, बी-9/22, बसंत विहार, नई दिल्ली	—	—	1 (दिल्ली)	0.93
11.	मणिपुर ग्रामीण संस्थान सोसाइटी, तेरा बाजार इम्फाल, मणिपुर	1 (इम्फाल) (मणिपुर)	0.17	—	—
12.	नशाबंदी मंडल, गुजरात बहुमंजलीय भवन, भादरां, अहमदाबाद, गुजरात	1 (गुजरात) (अहमदाबाद)	0.06	—	—
13.	विवेकानन्द शिक्षा सोसाइटी, 13/3, कालीचरण दत्ता रोड, कलकत्ता, प० बंगाल	1 (कलकत्ता)	0.27	—	—
14.	मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, 27, सर्किस एवेन्यु, कलकत्ता, प० बंगाल	1 (कलकत्ता)	0.15	—	—
15.	सी० ए० आई० एम० फाउंडेशन, 318, 15वां क्रास, सदाशिव नगर, बंगलौर कर्नाटक	1 (बंगलौर)	0.36	1 (बंगलौर)	0.46

1	2	3	4	5	6
16.	महिला समन्वय परिषद 5/1 रेड क्रॉस पलेस, कलकत्ता, प० बंगाल	1 (कलकत्ता)	0.17	—	—
17.	नवजीवनी गाइडेंस केन्द्र, माडल टाउन, पटियाला पंजाब	1 (पटियाला) पंजाब	0·70	—	—
18.	मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अनुसंधान केन्द्र, 39-सी, सदानन्द रोड कलकत्ता, प० बंगाल	—	—	1 कलकत्ता	0.22
		28	17.58	7	14.75

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक दृष्टि से उत्थान

6002. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग छठी योजना के अन्त तक गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे ;

(ख) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना के अन्त तक उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर आने की आशा है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (घ). सरकार उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सहायता करती रही है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उससे बाहर के कार्यक्रम के अन्तर्गत, दोनों समूहों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगमों की एजेंसियों और समेकित आदिवासी विकास एजेंसियों को प्रयोग करते हुए आर्थिक सहायता कार्यक्रम शुरू किए हैं। शुरू की गई योजनाओं में, कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, कुटीर और लघु उद्योग और लघु व्यापार शामिल हैं।

छठी योजना के दौरान, गरीबी की रेखा को पार करने के योग्य बनाने के उद्देश्य से उड़ीसा में 4,46,304 अनुसूचित जाति तथा 4,90,963 अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता की गई।

सातवीं योजना के दौरान, निर्धारित लक्ष्य और अभी तक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

अवधि	अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या		अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-86	62,000	78,658	1,00,000	1,13,299
1986-87	63,000	1,03,511	1,00,000	1,43,000
1987-88	65,000	96,280 (फरवरी, 88 तक)	1,00,000	1,27,816 (फरवरी, 1988 तक)
1988-89	85,000 (अनन्तिम)	—	1,00,000 (अनन्तिम)	—

1989-90 के लिए लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

महाराष्ट्र को सिंचाई, कृषि आदि के लिए धनराशि का आवंटन

6003. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है और इस राज्य में कृषि सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र की वार्षिक योजना 1988-89 के लिए 2430 करोड़ रु० के कुल आवंटन में से कृषि, सिंचाई (कमान क्षेत्र विकास सहित) तथा विद्युत के लिए सहमत परिव्यय क्रमशः 144.74 करोड़ रु० 528.20 करोड़ रु० तथा 545.36 करोड़ रु० है।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बड़ौदा में भारी जल संयंत्र में विस्फोट

6004. **डा० बी० एल० शैलेश :**

श्री नरसिंह मकवाना :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा स्थित भारी जल संयंत्र का एक भाग जो कि परमाणु ऊर्जा का एक एकक है, 18 मार्च, 1988 को एक बड़े विस्फोट के पश्चात फैली आग में नष्ट हो गया था ;

(ख) क्या इस विस्फोट की जांच करने के कोई आदेश दिए गए हैं; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इसके लिए क्या निवारक कदम उठाये गए हैं ;

(ग) भारी जल के उत्पादन के अलावा संयंत्र तथा मशीनों को कितना नुकसान होने का अनुमान है ; और

(घ) इस संयंत्र के कुछ समय के लिए बंद किए जाने के फलस्वरूप उत्पादन की होने वाली कमी को पूरा करने के लिए भारी जल के उत्पादन के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में उस संयंत्र के हाई प्रैशर सेक्शन में सिंथेसिस गैस शोधकों के आसपास के क्षेत्र में 18-3-1988 को आग लग गई थी। इस आग से उस क्षेत्र में जहां शोधक लगे हुए थे कुछ उपकरणों को क्षति पहुंची थी।

(ख) भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है। उस समिति की रिपोर्ट अभी मिलनी है।

(ग) किसी प्रमुख उपस्कर अथवा मशीन को नुकसान नहीं पहुंचा। तथापि, आग की गरमी से प्रभावित सामग्री के धातु चित्रण परीक्षणों के बाद ही यह पता चल सकेगा कि कुछ पाइपों और फिटिंग्स को किस सीमा तक बदलना या उनकी मरम्मत करना जरूरी है। उपर्युक्त परीक्षण किए जा रहे हैं।

(घ) रिएक्टरों की भारी पानी सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति देश के अन्य भारी पानी संयंत्रों में उत्पादित भारी पानी से की जाएगी।

पंजाब को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आवंटन

6005. **श्री कमल चौधरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) पंजाब में गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता दी गई है ; और

(ग) इस अवधि में पंजाब में प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) गरीबी उन्मूलन के तीन प्रमुख कार्यक्रम हैं, जिनके नाम हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। पंजाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए राशियों का आवंटन इस प्रकार से किया गया :

वर्ष	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1985-86	2075.56
1986-87	2032.31
1987-88 (दिसम्बर, 1987 तक)	2058.95

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (दिसम्बर, 1987 तक) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.15 लाख परिवारों की सहायता की गई और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 62.64 लाख और 54.19 लाख कार्य-दिवसों के बराबर रोजगार का सृजन किया गया।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अगले पंचवर्षीय सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने पर ही गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात होगी।

एक से अधिक स्रोत से पेंशन प्राप्त करना

6006. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेंशनभोगियों को सीमा निर्धारित किए बिना एक से अधिक स्रोत से पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). ऐसे मामलों में, जहां एक से अधिक पेंशनों की अनुमति दी गई हो, वहां प्रत्येक पेंशन का विनियमन इसकी अधिकतम सीमा सहित, उन विशिष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है जिनके अधीन वह मंजूर की गई थी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कमियां

6007. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार कई पंचवर्षीय योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बावजूद उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में विगत दशक में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय स्तर के तीन अध्ययनों अर्थात योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कमियों का उल्लेख किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में

प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि को रोकने के लिए चालू योजना की शेष अवधि के दौरान क्या स्पष्ट उपाय करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) पिछले दशक के दौरान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के बारे में दो पंचवार्षिकी सर्वेक्षण किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में इन सर्वेक्षणों के परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	संख्या (लाख)	प्रतिशत
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 32वां चक्र 1977-78	506.0	49.7
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 38वां चक्र 1983-84	530.6	45.3

इस प्रकार, यद्यपि निरपेक्ष रूप में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशतता के रुप में, यह 49.7 प्रतिशत से घटकर 45.3 प्रतिशत रह गई है।

(ख) जी, हां। तीन मूल्यांकन अध्ययनों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कुछ कमियां प्रकाश में आई हैं।

(ग) चालू योजना अवधि में कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के अतिरिक्त, योजना की शेष अवधि के दौरान सरकार का जो कदम उठाने का प्रस्ताव है, उनमें ये शामिल हैं :—

(1) राज्यों के लिए चालू वर्ष के दौरान गरीबी के आपात के आधार पर 75 प्रतिशत तथा प्रति खण्ड के आधार पर 25 प्रतिशत के आवंटन किए जा रहे हैं। इसकी तुलना में योजना के पहले दो वर्षों के दौरान ये आवंटन 50-50 के अनुपात पर तथा 1986-87 के दौरान प्रति ब्लाक आधार पर एक-तिहाई तथा गरीबी के आपात के आधार पर दो-तिहाई आवंटन किए जाते थे।

(2) क्रियाकलापों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि नए और अभिनव कार्यक्रमों—जैसे फल एवं खाद्यान्न प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रानिक, संघटक, सार्वजनिक क्षेत्रक से मांग वाली मदों की सप्लाई आदि, को शामिल किया जा सके।

(3) लाभ भोगियों की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को खण्ड स्तर पर लाभ भोगी सलाहकार समितियों तथा पंचायत स्तर पर उप-समितियों के गठन को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

(4) राज्य मुख्यालयों में बेहतर वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आंतरिक लेखा परीक्षा एककों की स्थापना की जा रही है।

(5) राज्य मुख्यालयों में मानिटरिंग एककों के सृजनार्थ बजट सम्बन्धी विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि सभी स्तरों पर कार्यक्रम की बेहतर मानीटरिंग की जा सके।

(6) कच्चेमाल की उपलब्धता तथा विपणन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला पूर्ति तथा विपणन सोसाइटियां स्थापित की जा रही हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए प्रतिबन्ध को हटाने हेतु अभ्यावेदन

6008. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दो से अधिक लड़कों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए असंवैधानिक और पक्षपातपूर्ण प्रतिबन्ध को हटाने और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के माता-पिता की अधिकतम आय में संशोधन करने के बारे में डा० बी० आर० अम्बेडकर विचार मंच, दिल्ली से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिए अन्तर-मन्त्रालय के अधिकारियों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, यदि हां, तो समिति का गठन कब किया गया और समिति द्वारा यदि कोई सिफारिशें की गई हैं तो वे क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले पर निर्णय लेने में असामान्य विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) डा० बी० आर० अम्बेडकर विचार मंच, दिल्ली से केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्तियों की पात्रता के लिए आय सीमा में संशोधन सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ). अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति विषयक उच्च स्तरीय पदाधिकारी समिति का गठन 2-4-1986 को किया गया था। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है जिनमें पर्याप्त वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं। तथापि कुछ सिफारिशें जो संलग्न विवरण में दी गई हैं, लागू करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है।

विवरण

1. अनु० जा०/ज० जा० छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की प्रक्रिया को संस्था स्तर पर विकेंद्रिकृत करके शैक्षिक संस्थाओं के प्रिंसीपलों/हैडमास्टरों को, गत वर्ष के व्ययों के आधार पर पर्याप्त धनराशि देने की पद्धति अपनाने के लिए समिति सिफारिश करती है।

2. छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियों की सुनिश्चित हेतु प्रत्येक कार्यकलाप की समय सूची तयकर सभी स्तरों पर उसका सख्ती से पालन किया जाए।

3. समिति सिफारिश करती है कि नवीकरण के मामलों में, गत वर्ष का कोर्स पूरा करने का प्रमाण-पत्र संस्था प्रमुख द्वारा देने पर नवीकरण स्वतः लागू हो। नवीकरण के मामलों में अदायगी बैंक के जरिए हो।

4. दिशा-निर्देश देने तथा छात्रों को समय पर अदायगी के लिए प्रत्येक संस्था में एक अधिकारी को यह काम सौंपा जाए। उस अधिकारी के मानदेय का आकलन कर उसे राज्य योजनाओं के पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में जोड़ा जाए।

5. समिति की राय है कि नई शिक्षा नीति की कार्ययोजना में यथा प्रस्तावित कार्रवाई से, छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियों की अदायगी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

6009. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :**

श्री गंगा राम :

श्री बनवारी लाल बेरवा :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1987 में उपायुक्त कार्यालय पटियाला हाउस नई दिल्ली को कितने आवेदकों से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे ;

(ख) कितने आवेदनों को आवेदक के पक्ष में निपटाया गया है और जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन आवेदकों को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कुछ आवेदकों ने उपायुक्त तीस हजारी, दिल्ली को जनवरी, 1988 में उपायुक्त कार्यालय, पटियाला हाउस द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए की जाने वाली जांच की प्रक्रिया के विरुद्ध शिकायत करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ;

(ङ) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(च) क्या उन आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ; और

(छ) उन्हें जाति प्रमाण पत्र कब जारी किए जायेंगे ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) 405।

(ख) 289।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, तेहखंड, बदरपुर निवासी श्री कूदाराम का मामला अभी भी लम्बित पड़ा हुआ है, क्योंकि सम्बन्धित खंड-विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) जी, हां। एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ङ) से (छ). देवेन्द्र कुमार भारद्वाज पुत्र श्री उमराव सिंह ने अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एस० डी० एम० नई दिल्ली को आवेदन किया था। आवेदक के पते अर्थात ए-254, पंडारा रोड, नई दिल्ली पर पूछताछ की गई, परन्तु कोई भी पड़ोसी आवेदक की जाति की पुष्टि नहीं कर पाया। इस कारण श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज के पक्ष में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता। फिर आवेदक ने अपने जन्म स्थान के पते पर जांच-पड़ताल कराने के लिए

एक नया अभ्यावेदन दिया जो एस० डी० एम०, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अतिरिक्त नए अभ्यावेदन के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल चल रही है।

त्रिपुरा नेशनल वालंटियरों के साथ बातचीत

6010. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूमिगत त्रिपुरा नेशनल वालंटियरों के साथ बातचीत करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). उत्तर-पूर्व में किसी भी उग्रवादी समूह के साथ बातचीत करने के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि उसे दो निम्नलिखित पूर्व-शर्तों को पूरा करना चाहिए :—

(I) उसे भारत का संविधान स्वीकार करना चाहिए ; और

(II) उसे अपनी हिंसक गतिविधियां रोकनी चाहिए।

संगठनों को विदेशों से प्राप्त अंशदान

6011. **श्री गदाधर साहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोर भारती, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ग्रामीण युवा अभिकाम, रायपुर, मध्यप्रदेश दलित विकास बिन्दु, पोस्ट गढ़ी, मोंगर, बिहार जैसे संगठनों को वर्ष 1982 से 1984 तक विदेशों से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं और किन-किन देशों से धनराशि प्राप्त हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत वर्ष 1982 से 1984 के दौरान प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित संगठनों ने विदेश से विदेशी अंशदान प्राप्त होने की कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मझगांव डाक में उत्पादन में गिरावट

6012. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव डाक में हाल ही में उत्पादन में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन में आई गिरावट को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले 3 वर्षों के कार्यकलापों के अनुसार उत्पादन के आंकड़े और वर्ष 1987-88 के उत्पादन के अनन्तिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

	87-88 (अनन्तिम)	86-87	85-86	84-85
पोत निर्माण	125.62	128.81	176.53	207.63
अपतट निर्माण कार्य	96.35	152.33	158.10	146.28
पोत मरम्मत और सामान्य इंजीनियरी	—	3.94	7.10	11.42
सामान/धातु के टुकड़ों की बिक्री	—	—	3.12	2.74
	221.97	285.08	344.85	368.07

(ख) माझगांव डाक लिमिटेड की लेखा पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण उत्पादन के आंकड़ों में काफी गिरावट आई है। 31-3-1986 तक विशिष्ट निर्माण ठेकों के लिए खरीदे गए उपस्करों की लागत सम्बन्धित निर्माण-कार्यों में दिखाई जा रही है और उपस्करों के तत्काल प्राप्त होने पर उसे चल रहे निर्माण कार्य के भाग के रूप में माना जा रहा था। कार्य-निष्पादन को वास्तविक आधार पर दिखाने की दृष्टि से 1-4-1986 से यह पद्धति लागू की गई है कि प्राप्त उपस्कर को आरम्भ में स्टाक में दिखाया जा रहा है और उसे चल रहे निर्माण कार्य में तभी दिखाया जाता है जब उसे सम्बन्धित पोत या ढांचे में लगाने के लिए जारी किया जाता है। लेखा पद्धति में किए गए परिवर्तन के कारण वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए पोत निर्माण डिवीजन के उत्पादन के आंकड़े काफी कम हैं। 1988-89 में यह स्थिति बदल जाएगी।

अपतट प्रभाग के लिए 1987-88 के उत्पादन के आंकड़ों में काफी कमी आई है जिसका मुख्य कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से अपतट ढांचों के आर्डर प्राप्त न होना है। इसी तरह पोत मरम्मत और इंजीनियरी के आंकड़ों में आई कमी का मुख्य कारण कम्पनी के कार्यकलापों को विविधीकरण है जिसमें पोत मरम्मत को कम प्राथमिकता दी गई है।

(ग) माझगांव डाक लिमिटेड के पोत निर्माण डिवीजन को दिए गए आर्डरों की स्थिति संतोष जनक है लेकिन अपतट डिवीजन के लिए इन आर्डरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अपतट डिवीजन के लिए आर्डर प्राप्त करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए माझगांव डाक लिमिटेड भरपूर प्रयास कर रहा है।

कोर्ट मार्शल द्वारा विधि सम्मत निर्णय लिया जाना

6013. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक वर्ष कोर्ट मार्शल द्वारा लिए गए कितने निर्णयों को रद्द किया ; और

(ख) कोर्ट मार्शल द्वारा विधि सम्मत निर्णय लिए जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वे न्यायालयों में उचित ठहराए जा सकें ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट मार्शल द्वारा लिए गए जिन निर्णयों को रद्द किया है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	रद्द किए गए मामलों की संख्या	
	उच्च न्यायालय द्वारा	उच्चतम न्यायालय द्वारा
1985	4	—
1986	3	1
1987	6	2

(ख) कोर्ट मार्शल के जिन निर्णयों को रद्द किया गया है उनकी संख्या नगण्य है। इसके अलावा ऐसे मामले मुख्यत: तकनीकी आधार पर रद्द किए गए हैं। वास्तव में उपर्युक्त 16 मामलों में से 10 में अपीलें/पुनरीक्षण याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं। कोर्ट मार्शल की प्रक्रियाएं पर्याप्त रूप से विधि सम्मत है अत: कोर्ट मार्शल के प्रावधानों में किसी प्रकार का परिवर्तन की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

कोर्ट मार्शल अपीलीय न्यायालय की स्थापना

6014. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को एक कोर्ट मार्शल अपीलीय न्यायालय स्थापित करने का परामर्श दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). 1982 में थल-सेना के तीन अफसरों द्वारा दायर की गई समादेश याचिकाओं पर (जिन्हें ए आई आर 1982 की एस सी 1413 में रिपोर्ट किया गया है) निर्णय देते समय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट मार्शल के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करने के लिए एक कोर्ट मार्शल अपीलीय न्यायालय की व्यवस्था करने का सिफारिशी

सुझाव दिया था। तीनों सेनाध्यक्षों की स्टाफ कमेटी द्वारा इस सिफारिश की आरम्भिक जांच की गई थी और यह महसूस किया गया था कि अपीलीय न्यायालय की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों सेनाध्यक्षों की 'स्टाफ कमेटी' ने मामले की फिर से समीक्षा की है और उनकी सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीश

6015. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के निबन्धनों के अनुसार की जाती है। इस अनुच्छेद में लिंग के आधार पर किसी भेद के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

अमरीका में भारत के इंजीनियरों और वास्तुकारों को नौकरियां देने से इंकार

6016. **श्री जी० एस० बसवराजू** :

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार न्यूयार्क में भारत सहित एशियाई देशों के इंजीनियरों और वास्तुकारों को नौकरियां देने से इंकार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय के निर्णय के कारण कितने भारतीय इंजीनियर प्रभावित हुए हैं ;

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) ऐसे कुल कितने भारतीयों ने भारत वापस आने की इच्छा व्यक्त की है और सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) न्यूयार्क के राज्य सर्वोच्च न्यायालय (स्टेट आफ सुप्रीम कोर्ट) ने अपने हाल ही के एक फैसले में न्यूयार्क शहर के इस फैसले की परिपुष्टि की कि केवल उन्हीं संस्थाओं के अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाए, जिन्हें एक्रिडिशन बोर्ड आफ इंजीनियरिंग टेक्नालोजी और नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड आफ आर्कीटेक्स की मान्यता प्राप्त हो। यह फैसला सार्वभौम आधार पर लागू होता है और किसी राष्ट्रीयता विशेष के खिलाफ नहीं है।

(ख) से (घ). इस सम्बन्ध में न्यूयार्क स्थित भारतीय कौंसलावास के साथ किसी ने अभी तक व्यक्तिगत तौर पर अथवा सामूहिक रूप से सम्पर्क नहीं किया है।

भारतीय नौसेना द्वारा पकड़ा गया गोलाबारूद

6017. डा० बी० एल० शैलेश : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने 12/13 मार्च, 1988 की रात्रि को पाक खाड़ी में मण्डपम के समीप एक फाइवर ग्लास की नौका से भारी मात्रा में विदेशी चिन्ह युक्त गोलाबारूद बरामद किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या नौका में रखे गए इन हथियारों को छोटी और तीव्र गति वाली नौकाओं में डाल दिया गया था ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(घ) पाक खाड़ी में गश्त तेज करने और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि उस नौका के हथियारों को छोटी नौकाओं में अन्तरित कर दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय नौसेना और तटरक्षक संगठन इस क्षेत्र में दिन-रात गश्त लगा रहे हैं।

"हाउ एण्ड व्हाई सिख प्राबलम इमर्जड ए बर्निंग इश्यू आफ इण्डिया एण्ड हू इज रिस्पॉन्सिबल फार इट" नामक बुकलेट

6018. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हाउ एण्ड व्हाई सिख प्राबलम इमर्जड ए बर्निंग इश्यू आफ इण्डिया एण्ड हू इज रिस्पॉन्सिबल फार इट" नामक बुकलैट के परिचालन का निर्धारण करने के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं ;

(ख) क्या इस बुकलैट पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई आदेश जारी किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बुकलैट पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कथित बुकलैट के परिचालन की मात्रा का पता लगाना सम्भव नहीं हो सका है तथा ऐसा लगता है कि सांसदों राजनीतिक दलों के नेताओं, इत्यादि को लेखक द्वारा यह सीधे ही भेजी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने इस बुकलैट की प्रतियां जब्त कर ली हैं क्योंकि उसमें भा० दं० सं० की धारा 124-क और 153-क के उपबन्धों के अन्तर्गत ध्यान दिए जाने योग्य आपत्तिजनक सामग्री थी।

उड़ीसा में स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन

6019. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों से उड़ीसा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयनाधीन 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की स्वीकृत केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एँगती) : (क) से (ग). मन्त्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में दी गई प्रत्येक 20 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली गत तीन वर्षों (अर्थात परियोजना 1-4-85 को या इससे पहले अनुमोदित) से उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है।

परियोजना का नाम	चालू होने की प्रत्याशित तारीख	31-12-87 को समाप्त तिमाही में बताई गई प्रगति
1	2	3
कोयला		
1. बेलपहर ओसी (एस.ई.सी.एल.)	9/90	90% उपस्कर प्राप्त हो गये और चालू हो गया।
2. भरतपुर ओसी (एस. ई. सी. एल.)	3/91	80% उपस्कर प्राप्त हो गये और चालू हो गये।
3. लजकूरा ओसी (एस. ई. सी. एल.)	3/89	अधिकतर संयंत्र और यंत्र प्राप्त हो गया और चालू हो गये।
उर्वरक		
4. पारादीप उर्वरक परियोजना (पी. पी. एल.)	4/89	चरण-1 डी.ए.पी. उत्पादन चालू हो गया। चरण-2 फोसफोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और केप्टिव विद्युत संयंत्रों की प्रगति क्र. 96% 81% और 84%।
5. गन्धामर्दन बाक्साईट खान (बाल्को)	2/89	पर्यावरण प्रबन्ध योजना बनाई गयी।

1	2	3
6. उड़ीसा अल्म्यूनियम परिसर (नेल्को)	9/88	अलूमीना संयंत्र शुरू हो गया। स्मेलटर के 120 पात्र चार्ज हो गए
इस्पात		
7. सी. पी. पी. राउरकेला इस्पात संयंत्र (सेल)	3/88	लगभग पूरा होने वाला है।
8. राउरकेला सिलिकॉन इस्पात संयंत्र (सेल)	3/88	यांत्रिकीय रूप से परियोजना पूरी हो चुकी है।
रेलवे		
9. कोरापुट-रायगढ़ (नई लाइन)	3/91	12/85 में कोरापुट/मछलीगुडा लाइन शुरू हो गई शेष 144 कि. मी. पर कार्य चल रहा है।
10. तलचर-सम्बलपुर (नई लाइन)		धन अभाव के कारण लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।
11. नई कैरिज कार्यशाला मानचेश्वर	6/88	समग्र प्रगति 80.5%
भूतल परिवहन		
12. पारादीप उर्वरक बर्थ	3/88	समग्र प्रगति 97.5%

(सूची में बहु-राज्यीय परियोजनाएं शामिल नहीं है)

अमेरिका में भाड़े के सैनिकों को प्रशिक्षण देने वाले स्कूल

[हिन्दी]

6020. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 फरवरी, 1988 के —"जनसत्ता" में "गुरिल्ला ट्रेनिंग देने वाले स्कूल कानूनन रोके नहीं जा सकते" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस प्रकार के स्कूलों के अस्तित्व के प्रति सरकार की चिन्ता से अमरीकी प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। अमरीकी सरकार ने विदेशियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का प्रतिकार करने और उसे नियमित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं।

बादशाह खान का स्मारक

[अनुवाद]

6021. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वर्गीय खान अब्दुल गफ्फार खान के प्रति भारतीय लोगों के स्नेह को देखते हुए कोई स्मारक बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). राष्ट्र स्वर्गीय बादशाह खान और उनके योगदान को सर्वोच्च सम्मान देता है। स्वर्गीय बादशाद खान की याद को बनाये रखने के उपायों में, उन्हें हाल में देश के सर्वोच्च पुरस्कार "भारत रत्न" से मरणोपरान्त सम्मानित किया गया।

धनराशि दिये जाने की पेशकश किये जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व राष्ट्रपति का कथित वक्तव्य

6022. **श्री बी० कृष्णराव** :

श्री शरद दिघे :

श्री काली प्रसाद पांडेय :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व राष्ट्रपति को 1987 में दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपये की कथित पेशकश किये जाने सम्बन्धी उनके कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई जांच कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) अभी तक, इस मामले में सरकार ने किसी जांच के आदेश नहीं दिये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अपराध

6023. **श्री आर० एस० भोये** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1987 के दौरान कितने व्यक्तियों की हत्याएं हुईं और इनमें कितनी महिलाएं थीं ;

(ख) कितने मामलों में अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) वर्ष 1987 के दौरान दिल्ली में हुई 311 हत्याओं में से मारी गई महिलाओं की संख्या 106 थी।

(ख) 97

(ग) हत्याएं सामान्यत: निजी/भावात्मक कारणों से की जाती है, अतः उनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि, अपराध को रोकने के लिए, पैदल तथा चल-गश्त को बढ़ाना, नामी अपराधी/दुश्चारित्रों पर नजर रखना तथा नौकरों के पूर्ववत की जांच-पड़ताल करना जैसे उपाय आरम्भ किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए 12,000 और पदों तथा 668 और वाहनों की खरीद की स्वीकृति दे दी गई है। 25 और पुलिस स्टेशनों, 12 पुलिस सब-डिवीजनों तथा तीन पुलिस जिलों को स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया गया है। सामरिक महत्व के स्थानों पर शस्त्रों तथा वायरलैस सैटों से लैस व्यक्तियों की 100 टुकड़ियां गठित की गई हैं।

महिलाओं द्वारा आत्महत्या

6025. **डा० जी० विजय रामाराव :**

श्री रणजीत सिंह गायकवाड :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राजधानी में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था जबकि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, जैसाकि 4 मार्च, 1988 के इण्डियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) क्या महिलाओं द्वारा आत्म-हत्या के मामले बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के तत्सम्बन्धी राज्यवार तथा वर्षवार आंकड़े क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) महिला तथा बाल विकास विभाग, के कहने पर, महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों ने पहली मार्च से 8 मार्च, 1988 जिसे प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है तक एक सप्ताह लम्बे समारोहों में भाग लिया।

(ख) वर्ष 1985 से 1987 तक के दौरान महिलाओं द्वारा आत्महत्या के रूप में सूचित किए गए मामलों की संख्या का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1985 से 1987 तक भारत में महिलाओं द्वारा आत्म-हत्या के रूप में सूचित किए गए मामलों की संख्या का विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985	1986	1987	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	1674	1878	868*	*जुलाई, 1987 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	4	5	
3.	असम	621	509	501*	*नवम्बर, 1987 तक
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
5.	गुजरात	964	895	810	
6.	हरियाणा	398	217	30*	*फरवरी, 1987 तक
7.	हिमाचल प्रदेश	30	26	49	
8.	जम्मू और कश्मीर	13	23	13	
9.	कर्नाटक	1985	2259	2503	
10.	केरल	1761	1741	1996	
11.	मध्य प्रदेश	1514	1552	उ. न.	
12.	महाराष्ट्र	1282	1302	1462	
13.	मणिपुर	4	9	6	
14.	मेघालय	7	6	1	
15.	मिजोरम	शून्य	4	2	
16.	नागालैण्ड	2	शून्य	1	
17.	उड़ीसा	1084	883	853	
18.	पंजाब	112	25	15	

1	2	3	4	5	6
19.	राजस्थान	442	387	518	
20.	सिक्किम	12	16	15	
21.	तमिलनाडु	3206	3141	3425	
22.	त्रिपुरा	206	234	260	
23.	उत्तर प्रदेश	967	267	182	
24.	पश्चिम बंगाल	4339	4388	4282	
	जोड़ (राज्य)	20,640	19,766		
	संघ शासित क्षेत्र				
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	18	28	
26.	चण्डीगढ़	4	5	शून्य	
27.	दादरा और नगर हवेली	5	24	11	
28.	दिल्ली	365	341	245	
29.	गोवा, दमन और द्वीव	44	17	41**	
30.	लक्षदीव	शून्य	शून्य	शून्य	@अगस्त, 1987 तक
31.	पांडिचेरी	111	95	161	
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	443	231		
	कुल जोड़	21,187	20,266		

टिप्पणी :

1. वर्ष 1985 के आंकड़े "भारत में दुर्घटनाओं में हुई मौतों तथा आत्म-हत्या" की रिपोर्ट के वार्षिक आंकड़ों पर आधारित है।
2. 1985 से 1987 तक के आंकड़े अस्थाई हैं।
3. 1986 और 1987 के आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित है।

**4. गोवा को मई, 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव के लिए 1987 के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

5. उ० न० का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

सहायक ग्रेड में पदोन्नति में गत्यावरोध

6026. **श्री नटवर सिंह सोलंकी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के वर्ष 1971 और 1972 के बैच के सहायकों को अभी तक एक बार भी नियमित पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या पदोन्नति में गत्यावरोध दूर करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के मामले में हाल ही में संवर्ग समीक्षा की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का सहायकों के मामले में ऐसी ही संवर्ग समीक्षा करने का विचार है ;

(ङ) क्या सरकार सहायक ग्रेड में पदोन्नति में गत्यावरोध दूर करने के लिए मन्त्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों के बारे प्रतिबन्ध के आदेशों में छूट देने पर विचार कर रही है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए अब तक जारी की गई चयन सूचियों में 1976 के बैच तक के सीधी भर्ती के सहायक आते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च), समूह 'ख' 'ग' और 'घ' संवर्गों की संवर्ग समीक्षा के लिए दिनांक 23 नवम्बर, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/1/87—पी० पी० के अधीन आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

अनुशासनात्मक मामलों में अन्तिम आदेश जारी करने में देरी

6027. **श्री राम समुझावन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों और अपीलों/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा फाइलों पर निर्णय लिए जाने के बाद भी अन्तिम आदेश जारी करने में असाधारण देरी हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, ऐसी देरी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें एक सप्ताह से अधिक की देरी हुई हो ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इन्डो-यू० एस० वेक्सीन एक्शन प्रोग्राम

6028. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डो-यू० एस० वेक्सीन एक्शन प्रोग्राम सम्बन्धी एक संयुक्त कार्यदल ने भारत में होने वाली सात प्रकार की बीमारियों के लिए टीके तैयार करने तथा उनमें सुधार करने हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान प्राप्त करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) सहकारी अनुसंधान तथा विकास के लिए भारत-यू० एस० वेक्सीन एक्शन प्रोग्राम के संयुक्त कार्यकारी समूह की पहली बैठक में शिनाख्त किए गए प्राथमिक रोग निम्नलिखित हैं :

वाइरल हेपेटाइटस (विषाणु यकृत शोथ), रोटा वायरल डायेरिया (दस्त की बीमारी), हैजा, शिगेलासिज, ई० कोली डायेरिया, टायफायड, पर्टुसिस, न्यूमोकोकाल रोग, एच० इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिन्सीशियल वायरस (श्वसन बहुकेन्द्रकी विषाणु) केनीर रेबीज और पोलियो माइलिटिस (पोलिमेरूरज्जुशोथ)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वैज्ञानिकों और संस्थानों को प्राथमिक क्षेत्रों में संयुक्त सहकारी अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित किया गया है। प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का कार्यान्वयन शुरू करने से पहले, उनकी वैज्ञानिक जांच पड़ताल समकक्ष विशेषज्ञों द्वारा भारत सरकार के अन्तर्गत अन्य प्रशासनिक निर्मुक्तियों/अनुमोदनों के अन्तर्गत की जाएगी।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ? हमारे विधायकों को किसानों की समस्याएं सामने लाने के लिए सी० पी० एम० सरकार द्वारा परेशान किया जाता है। उन्हें विधान सभा से कई दिनों तक निलम्बित कर दिया गया···(**व्यवधान**) दो विधायकों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित कर दिया गया। (**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : वहां हमारे विधायकों को परेशान किया गया और पीटा गया। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वहां एक विधान सभा है।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, पंजाब में परेशानी के बारे में आपका क्या विचार है ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मन्त्री महोदय आज पंजाब पर चर्चा कराने के लिए पहले ही सहमत हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री महोदय पंजाब पर आज चर्चा कराने के लिए पहले ही सहमत हो गए हैं। उसका क्या हुआ ? वे हमें दिए गए अपने वचन का पालन नहीं करते हैं। हमें बताया गया कि आज 4 बजे पंजाब पर चर्चा होगी···

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस पर चर्चा आज 4 बजे होनी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा था कि हम इस पर कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा करेंगे। आपके बीच भी चर्चा हुई होगी। परन्तु मेरा विचार है हम इसे कल लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : जब मैंने भारतीय उच्चायुक्त द्वारा एल० टी० टी० ई० के प्रमुख श्री प्रभाकरन को लाखों रुपए के भुगतान किए जाने सम्बन्धी प्रश्न उठाया था तो आपने कहा था कि वे इस की जांच करेंगे। परन्तु कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। इस प्रकार के काम के लिए हमें पूरे विश्व में बुरा कहा जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आज अभी आये हैं। यह मामला मैं उन्हें भेजता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वे कोई वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : आप कृपया उन्हें वक्तव्य देने का निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : वे कुछ कह रहे हैं।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं आज दोपहर बाद 4 बजे एक वक्तव्य दे रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, आपको याद होगा कि आपने बिहार में महिलाओं के बलात्कार का उल्लेख करने की इस सभा में अनुमति दी थी। वह एक सही निर्णय था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति कब दी ? मैंने अनुमति नहीं दी।

प्रो० के० के० तिवारी : इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल में अन्धाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। जिसमें किसान मारे गए थे। हमारे विधायकों पर विधान सभा के परिसर में हमला किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : देखिए···

प्रो० के० के० तिवारी : जब उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल विधान सभा में उठाया, तो उन्हें सभा से निलम्बित कर दिया। उन्हें पीटा गया। कल ही, जब निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने इस मामले को उठाया···

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी···

प्रो० के० के० तिवारी : कई अवसरों पर इस माननीय सभा ने ऐसे मामलों की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा क्षेत्र सीमित है। मैं राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। मामला यह था। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० के० के० तिवारी : पीछे आपने ऐसे कई मामलों का उल्लेख करने की अनुमति दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में केन्द्रीय विषयों पर चर्चा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पश्चिम बंगाल विधानसभा से कुछ नहीं लेना है। मैं संसद से सम्बद्ध हूं। मेरा दृष्टिकोण संगत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आपने मेरी उपेक्षा कर दी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को अनुमति दी है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय मैं आपके अध्यक्ष से श्री नटवर सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे सभा में इस बारे में एक वक्तव्य दें कि सरकार और अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट, जो शायद इस्लामाबाद चले गए हैं, मुझे नहीं मालूम, के बीच क्या बातें हुई। पिछली बार जब एक अन्य अमरीकी सेक्रेटरी आफ स्टेट आए थे, तो वे विमान द्वारा इस्लामाबाद चले गए और वहां जाकर उन्होंने कुछ घोषणा की, जिससे हमें बड़ी कठिनाई हुई। श्री कारलुकी यहां आए। दो दिन से कुछ वार्ता चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दीजिए। मैं इसे उन्हें भेज दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब वे इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमें विदेश मन्त्री जी से यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि रक्षा तथा अन्य मामलों पर क्या बातें हुई।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह।

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मन्त्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से गृह मन्त्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (ग्रण्ड एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-5859/88]

इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक्स और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री श्री के० आर० नारायणन) : मैं, इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-5860/88]

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटैड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (क) की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी०-5861/88]

12.03 म० प०

लोक लेखा समिति

एक सौ उन्नीसवां, एक सौ आठवां और एक सौ नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) निधियों की अवरुद्धता—बेकार पड़े उपस्कर से सम्बन्धित 119वां प्रतिवेदन।

(2)(एक)सेन फ्रांसिस्को में आवासीय भवन की खरीद और(दो)परिहार्य व्यय डबलिन में भवन की खरीद और मरम्मत से सम्बन्धित 52वें प्रतिवेदन (आठवीं लोकसभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में 108वां प्रतिवेदन।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—बड़ी इकाइयों के लिए और उनकी ओर से लघु इकाइयों में उत्पादन पर छूट की अनियमित स्वीकृति से सम्बन्धित 49वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई-कार्यवाही के बारे में 109वां प्रतिवेदन।

12.04 म० प०

1988-89 के मौसम के लिए कच्चे पटसन सम्बन्धी मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : सरकार ने वर्ष 1988 के मौसम के लिए असम में पटसन के डब्ल्यू-5 ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया है। अन्य किस्मों/ग्रेडों के लिए संगत मूल्य सामान्य विपणन मूल्य अन्तरों को ध्यान में रखकर पटसन आयुक्त द्वारा नियत किए जाएंगे। इस प्रकार मूल किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि की गई है अर्थात जो मूल्य वर्ष 1987-88 के दौरान 240 रुपये प्रति क्विंटल था वह अगले वर्ष 1988-89 के लिए 250 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

भारतीय पटसन निगम आवश्यकता पड़ने पर मूल्य समर्थन कार्य अपने हाथ में ले लेगा, निगम पटसन के सम्बन्ध में वाणिज्यिक आधार पर निर्णय लेगा और किसानों से उन मूल्यों पर खरीद करेगा जो चालू विपणन दशाओं के अनुसार उचित हों किन्तु किसी भी दशा में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हों।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं।

12.05 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

[अनुवाद]

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.06 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सरसों के लिए लाभप्रद मूल्य नियत करना

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन में उठाना चाहता हूं।

गत वर्ष सरसों का भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल था जो अब घट कर 600 से 650 रुपये प्रति क्विंटल तक रह गया है। किसान ने अच्छा बीज, मंहगी सफरे व मंहगी खाद लगाकर अथक परिश्रम से सरसों की फसल पैदा की परन्तु उसे अपनी लागत एवं परिश्रम का कोई फल नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार तारामीरा व तौरिये के भाव गिरते जा रहे हैं। बाजार में सरसों तारामीरा व तौरिये की फसल आ चुकी है, यदि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रहार होगा।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार के कृषि मन्त्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि सरसों के भाव कम से कम 1000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाएं ताकि किसानों को अपनी फसल एवं मेहनत का उचित लाभ समय पर मिल सके।

12.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) औषधि निर्माता कम्पनियों द्वारा औषधियों के मूल्यों में सीमाशुल्क में कटौती के अनुसार कमी करना

[अनुवाद]

श्री सन्तोष कुमार सिंह (आजमगढ़) : वित्त मन्त्रालय ने बल्क औषधों के उत्पादन में प्रयोग आने वाले 235 इण्टरमिडियेट्स पर सीमाशुल्क में कटौती की है। तथापि इस कटौती के लाभ को

[श्री सन्तोष कुमार सिंह]

उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। इस लाभ को उत्पादकों ने अपना बना लिया है। अनियन्त्रित औषधों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कुछ इण्टरमिडियेट्स पर सीमाशुल्क भी घटा दिया गया है। चूंकि ऐसी औषधियों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है, इसलिए शुल्क में कटौती करने का लाभ उपभोक्ताओं तक कभी नहीं पहुंचता।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे यह लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सके।

(तीन) उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उन्नाव जिलों में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों से भू-राजस्व की वसूली न करना

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ प्रसाद (मोहनलाल गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ और उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में 14 फरवरी, 1988 से लेकर अब तक 5 बार बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। लखनऊ जिले के तहसील मलीहाबाद के विकास खण्ड माल, मलीहाबाद में गेहूं, सरसों, अरहर, चना आदि की सारी फसलें नष्ट हो गईं व तहसील मलीहाबाद मैंगो बैल्ट में आम की फसल पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।

तहसील लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी एवं सरोजनी नगर में गेहूं एवं अन्य फसलें ओलावृष्टि से पूरी तरह प्रभावित हुईं। तहसील मोहनलाल गंज में गेहूं, चना, सरसों अरहर, गन्ना और पोस्ता (अफीम) की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई हैं।

जिला उन्नाव की तहसील हसनगंज में विकास खण्ड औरास और विकास खण्ड हसनगंज में सभी गांवों में गेहूं, सरसों एवं अन्य फसलें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। तहसील पुरवा के विकास खंड असोहा एवं हिलौली एवं पुरवा की रबी की फसलों को बहुत क्षति पहुंची है।

यह पूरा क्षेत्र सूखे के कारण पहले से ही प्रभावित था और सारी खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। अब रबी की फसल नष्ट हो जाने से किसानों के सामने भयंकर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। मालगुजारी, सिंचाई कर, सहकारिता ऋण एवं अन्य बैंकों के कर्ज पूरी तरह वसूल किए जा रहे हैं और कहीं-कहीं दमनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है।

मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निर्देशित करे कि ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी, सिंचाई कर माफ कर दें और सहकारी बैंकों के कर्जे स्थगित किए जाने हेतु आदेश दें।

इन क्षेत्रों में पीने के पानी की विशेष व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की जाए।

(चार) महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करना

[अनुवाद]

श्री बाल्यासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार ने 1972 में सूखा पीड़ित किसानों

के लिए सुविधाओं की घोषणा की थी। पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है। गत पिछले 15 वर्षों में कुछ हिस्सों में नौ वर्षों से, कुछ हिस्सों में दस वर्षों से सूखा पड़ रहा है। अतः यह अनिवार्य है कि सरकार महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिए कुछ करे।

(पांच) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भरगैन अथवा अलीगंज में नवोदय विद्यालय खोलना

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : सरकार की नई शिक्षा नीति में समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों के बच्चों में उनकी प्रतिभा का विकास का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही गई है।

भरगैन, जोकि तहसील पटयाली, जिला एटा सबसे अधिक पिछड़ा इलाका है और जिसकी जनसंख्या 25000 है और अधिकांश अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं, में पांच कि० मी० के भीतर कोई भी सनकारी स्कूल नहीं है। वहां केवल एक 7वीं कक्षा तक का अस्थायी विद्यालय है। इसी प्रकार अलीगंज एक अन्य पिछड़ा इलाका है जोकि एक कस्बा, तहसील तथा खण्ड मुख्यालय है, वहां भी कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। वहां केवल कुछ प्राइवेट स्कूल/कालेज हैं। शिक्षा सुविधाओं की दृष्टि से इन क्षेत्रों की बिल्कुल अवहेलना की गई है।

इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि इन क्षेत्रों में उचित शिक्षा सुविधाओं की बहुत कमी के कारण युवा पीढ़ी में अपराधिक प्रवृत्ति पनप रही है और भावी नागरिकों को इस रास्ते पर जाने से रोकने की सख्त जरूरत है ताकि उन्हें बचपन में ही अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाया जा सके।

नवोदय विद्यालय खोलने के लिए 30 एकड़ ग्राम समाज भूमि तथा जब तक विद्यालय का भवन नहीं बन जाता दो वर्षों के लिए अस्थाई रूप से एक भवन उपलब्ध करवाया जा सकता है। ये सुविधाएं सेहरागांव में दाउदगंज गांव के सामने और अलीगंज-फुरावली मार्ग के बीच न्यू अलीगंज-मैनपुरी मार्ग पर उपलब्ध करवाई जा सकती है।

मैं सरकार से बच्चों को राष्ट्रीय प्रगति की मुख्य धारा में लाने के लिए उपरोक्त स्थानों में से किसी एक स्थान पर नवोदय विद्यालय खोलने का अनुरोध करता हूं।

(छः) स्वदेश-प्रत्यावर्तित सहकारी वित्त और विकास बैंक लि० के क्रियाकलापों का विस्तार करना

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : 1969 में स्थापित स्वदेश-प्रत्यावर्तित सहकारी वित्त और विकास बैंक लि० भारत सरकार का एक उद्यम है। इसका क्षेत्राधिकार राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी है। बैंक का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम आदि से वापस आने वाले स्वदेश-प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का पुनर्वास करना है। बैंक ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वदेश-प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋणों की मंजूरी जैसे कार्यक्रम तथा रोजगार कार्यक्रम शुरू किए हैं। चूंकि बैंक का कार्य स्वदेश-प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की सहायता करना है, अतः स्वदेश-प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को केवल एक ऋण-सहायता देने तक है। ऋण मंजूर करने की कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। नियमों में छूट देना तथा जरूरत पड़ने पर बैंक को स्वदेश-प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को निरन्तर सहायता करने की अनुमति देना आवश्यक है।

[डा० ए० कलानिधि]

अपने क्रियाकलापों में विविधता लाने के लिए बैंक को बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता तथा जवाहरात ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता ऋण आदि विभिन्न प्रकार के ऋण जारी करने जैसे बैंकिंग क्रियाकलाप शुरू करने चाहिए।

बैंक को स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों तथा जनता की सेवा करने के उद्देश्य से कुछ और नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ करने चाहिए।

(सात) दूरसंचार सेवाओं में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना क्षेत्र में, सुधार करना

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सूचना के तहत मैं सरकार का ध्यान देश की दूरसंचार व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे यह बड़ी खुशी की बात है कि देश के दूर संचार माध्यम से हम घर बैठे डायल घुमाकर बाहर के देशों में और अपने देश में अनेकों जगहों पर बात कर लेते हैं। दूरसंचार विभाग लोगों को अधिक से अधिक सहूलियतें देने की कोशिशें भी करता रहा है और कर रहा है लेकिन इसके साथ ही मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अभी भी अनेकों जिले अथवा शहर ऐसे हैं जहां एक तो सीधी डायल सेवा नहीं है, दूसरे वहां टेलीफोन एक्सचेंज हैं भी, वहां या तो तकनीकी खराबी होने की वजह से या फिर टेलीफोन आपरेटरों के अनुपस्थित होने की वजह से बिल्कुल बात नहीं हो पाती।

उत्तर प्रदेश में अनेक छोटे एक्सचेंज ऐसे हैं जहां सिर्फ एक या दो आपरेटर ही होते हैं और वह भी एक लाइन ठीक करने व दूसरा बात कराने की गरज से सुबह 8 बजे जाकर शाम 4 बजे चले जाते हैं। ऐसे स्थानों पर 4 बजे के बाद टेलीफोन सेवा बिल्कुल समाप्त हो जाती है।

ऐसी सभी समस्याओं का प्रमुख केन्द्र जिला मुजफ्फरनगर का कैराना क्षेत्र भी है, जहां लगभग सभी ब्लाकों में शाम 4 बजे के बाद टेलीफोन सेवा लगभग समाप्त हो जाती है। सरकार की ऐसी नीति है कि 100 से कम टेलीफोन वाले स्थानों पर दो से अधिक आपरेटर नहीं रखे जाते। मैं समझता हूं ऐसे शहरों में टेलीफोन कनेक्शन न बढ़ने के भी यही कारण हैं, लोग सोचते हैं कि सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ही टेलीफोन चलते हैं तथा उसके बाद टेलीफोन सेवा बंद हो जाती है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी छोटे एक्सचेंज पर कम से कम तीन या इस तरह आपरेटर रखे जायें कि वह 24 घंटे की नियमित सेवा दे सकें। इस सुविधा से कनेक्शन बढ़कर न सिर्फ सरकार को फायदा होगा बल्कि लोगों को भी काफी आराम मिलेगा।

(आठ) राष्ट्रीय बचत पत्र की अनुलिपि प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अल्प बचत में धन जमा कराने के के लिए सरकार के काफी प्रोत्साहन देने के बाद भी सावधि जमा खास कर राष्ट्रीय बचत पत्र में इस लिए लोग अधिक धन लगाने से हट रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय बचत पत्र के गुम हो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में पुनः पत्र जारी करने की प्रक्रिया बड़ी ही जटिल, खर्चीली और परेशानी की है। दुबारा

पत्र जारी करने के लिए 48.50 रुपये प्रति हजार के स्टाम्प पेपर पर पार्थना पत्र, हल्फी बयान तथा दो साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करने के वर्तमान प्रावधान सावधि जमा पत्रों के बिक्री में बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि 48.50 रुपए प्रति हजार के स्टाम्प पेपर की शर्त को समाप्त किया जाए ताकि लोग बिना हिचक राष्ट्रीय बचत पत्र में अधिकाधिक धन लगा सकें।

12.19 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1988-89

ऊर्जा मन्त्रालय

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा ऊर्जा मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे विचार तथा मतदान करेगी। श्री के० डी० सुल्तानपुरी···उपस्थित नहीं हैं। श्री बसुदेव आचार्य···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत एक महत्वपूर्ण मूलभूत वस्तु है तथा सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण मूलभूत वस्तु की उपेक्षा की जा रही है। राष्ट्र का विकास इस क्षेत्र पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र के लिए विनियोजन का प्रतिशत पहली पंचवर्षीय योजना से बढ़ाया नहीं गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र का विनियोजन 19 प्रतिशत था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए यही प्रतिशत है।

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : राशि के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

श्री बसुदेव आचार्य : राशि के सम्बन्ध में रुपये के मूल्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्रतिशत पहली पंचवर्षीय योजना से बढ़ाया नहीं गया है। इसमें मामूली वृद्धि हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना यह 19.8 प्रतिशत था। किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए विनियोजन का कुल प्रतिशत केवल 19 है।

श्री वसंत साठे आज सभा में उपस्थित नहीं हैं। वह हमारी स्थिति की तुलना हमेशा साम्यवादी देशों से किया करते हैं। वह हमेशा चीन तथा सोवियत संघ से तुलना करने की कोशिश करते हैं। 1949 में चीन में विद्युत की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता तथा उपभोग भी लगभग उतना ही था जितना कि भारत में था। किन्तु आज, 38 वर्ष बाद, चीन ने कोयले का उत्पादन 9000 लाख टन से भी अधिक बढ़ा लिया है। पिछले वर्ष, आजादी के 40 वर्ष बाद, हमारा उत्पादन 1750 लाख टन था। वे अब कोयले का निर्यात कर रहे हैं जबकि हम कोयले का आयात कर रहे हैं। यद्यपि हमारे पास कोयले के पर्याप्त भंडार है किन्तु हम उन भंडारों का विदोहन नहीं कर रहे हैं। हम दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि खर्च करके कोयले का आयात कर रहे हैं।

महोदय, विद्युत का उत्पादन दो बातों पर निर्भर करता है। उनमें से एक संयंत्र भार है। संयंत्र भार में बहुत कम सुधार हुआ है। यह पिछले वर्ष 53 प्रतिशत था।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस वर्ष यह कितना है ?

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे इस वर्ष के आंकड़े पता नहीं हैं। मेरे पास पिछले वर्ष के आंकड़े हैं। यह इस वर्ष 56 प्रतिशत हो सकता है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अब तक सबसे अधिक। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रेषण तथा विवरण के कारण होने वाली हानि 22 प्रतिशत है। यदि इस हानि को घटाकर एक प्रतिशत तक किया जा सके और यदि हम पचास पैसे प्रति यूनिट की दर से गणना करें तो हम 350 मेगावाट विद्युत तथा 90 करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं। हम वितरण तथा प्रेषण की हानि को कैसे कम कर सकते हैं ? राज्य विद्युत बोर्डों के प्रबन्ध में सुधार कैसे किया जा सकता है ? विद्युत की चोरी को कैसे कम किया जा सकता है तथा इस हानि को कैसे कम किया जा सकता है ? इन पहलुओं की गंभीरता से जांच-पड़ताल की जाए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई औसत वृद्धि से एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। यह 9.3 प्रतिशत है, जोकि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 8.3 प्रतिशत था। किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना की औसत वृद्धि की दर का लक्ष्य क्या है ? क्या लक्ष्य रखा गया है ? यह लक्ष्य 12.1 प्रतिशत है। 9.3 प्रतिशत की यह वृद्धि सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए लक्ष्य से काफी कम है। इसके फलस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत की मांग तथा पूर्ति में अन्तर होगा तथा यह अन्तर बढ़ेगा तथा यह लगभग 10 प्रतिशत होगा। यह कमी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 10 प्रतिशत होगी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1990-2000 के दशक के लिए एक लम्बी अवधि की योजना तैयार की गई है तथा यह अनुमान किया गया है कि जल विद्युत से 35300 मेगावाट, ताप विद्युत से 70,500 मेगावाट तथा परमाणु विद्युत से 4300 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। यह अतिरिक्त क्षमता 1,10,000 मेगावाट होगी। इस अतिरिक्त क्षमता के उत्पादन पर 200000 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। मैं यह नहीं जानता हूं कि 1990-2000 ई० से आगे के दशक में अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन करने के लिए यह धन कहां से आएगा।

अन्य महत्वपूर्ण बात है नवीनीकरण तथा बदलाव अर्थात ताप विद्युत केन्द्रों का नवीनीकरण करना तथा ताप विद्युत केन्द्रों में अब प्रयोग की जा रही पुरानी मशीनों को बदलना। ताप विद्युत केन्द्रों का नवीनीकरण करने की प्रगति काफी धीमी है। यद्यपि पांच वर्ष के लिए 500 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए थे, किन्तु अब तक तीन वर्षों में केवल 140 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में भी इस बात की आलोचना की गई है। यद्यपि धन उपलब्ध है किन्तु ताप विद्युत केन्द्रों के उत्पादन को बढ़ाने तथा उन ताप विद्युत संयंत्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके आधुनिकीकरण पर इस धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

सातवीं योजना के अन्त तक तथा आठवीं योजना के अन्त तक बिजली की मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की कई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं। कल कामरेड चौधरी द्वारा पूछे गए एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पश्चिमी बंगली सरकार का बाकेश्वरी बिजली संयंत्र के लिए प्रस्ताव पिछले 3-4 सालों से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है। रूस ने वित्तीय सहायता की पेशकश की है। कुछ समय पहले करार किया गया था ...।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें। हमें कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा निश्चित समय सूची का कड़ाई से पालन करना है, अन्यथा हम कई अन्य मन्त्रालयों के बारे में चर्चा नहीं कर पायेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया मुझे कुछ और समय दिया जाए।

पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार का क्या प्रस्ताव था? पश्चिमी बंगाल सरकार इस परियोजना को सम्पादित करना चाहती थी। कठिनाई क्या है? यदि अन्य राज्यों में विदेशी सहायता से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा परियोजनाएं निष्पादित की जा सकती हैं तो यह पश्चिमी बंगाल में क्यों निष्पादित नहीं की जा सकती है? बाकेरेश्वर परियोजना की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता 800 मेगावाट होगी। इस परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के बिना मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कैसे समाप्त किया जा समता है। क्या कठिनाई है? केन्द्र सरकार इसकी अपनी एजेन्सी, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम से माध्यम से इस परियोजना को निष्पादित करना क्यों चाहती है? केन्द्र सरकार के पास कुछ और परियोजनाएं भी लम्बित पड़ी हैं, जैसे, सागर विधि में तथा पूर्णिया जिले में अयोध्या की पहाड़ियों में जल बिजली परियोजना। ये सभी परियोजनाएं केन्द्रीय बिजली बोर्ड से स्वीकृति के लिए कई वर्षों से लम्बित पड़ी हुई हैं। इन्हें तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, हम पन-बिजली की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पन-बिजली की 72000 मेगावाट की क्षमता मौजूद है परन्तु हम केवल इसके 20 प्रतिशत का ही उपयोग कर सकते हैं। गैर-परम्परागत ऊर्जा के मामले में भी वही बात है। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा भारत के अन्य समुद्र-तटीय राज्यों में सौर तथा ज्वार सम्बन्धी ऊर्जा की काफी गुंजाइश है। परन्तु हम गैर-परम्परागत स्रोतों से उत्पन्न की गई ऊर्जा को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। ये स्रोत हमारे गांवों को आत्म-निर्भर बनने में मदद कर सकते हैं और हमारे जैसे उष्णप्रदेशीय देश में हम अपने देश भारी मात्रा में सौर-ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।

महोदय, अब मैं कोयले के बारे में कुछ बातें कहूंगा। कोयला उद्योग का 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया था परंतु तब से वही पद्धति लागू की जा रही है। अभी भी वही अवैज्ञानिक खनन जारी है। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि हमारे देश में कोयले के पर्याप्त निक्षेप (भण्डार) मौजूद हैं, परन्तु हम इन निक्षेपों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपने निक्षेपों का उपयोग न करके हम भारी मात्रा में अपनी कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करके कोयले का आयात कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई अनेक परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं की गई हैं। आज एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि ये परियोजनाएं भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण लम्बित पड़ी हैं। महोदय, पीछे एक योजना बनाई गई थी, इस बात का एक करार भी किया गया था कि भूमि छोड़ने वाले लोगों को नौकरी तथा रोजगार मिलेगा। जिस परिवार की भूमि अधिग्रहीत की गई है उस परिवार के एक सदस्य को कोई रोजगार मिलेगा जमीन ले ली गयी है। अब भूमि छोड़ने वाले लोगों को रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है। उन्हें केवल थोड़ा-सा मुआवजा ही दिया जा रहा है। चूंकि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है, अतएव उन्हें अभी शुरू किया जाना है। कुछ परियोजनाएं अभी शुरू नहीं की गई हैं।

महोदय, कोयला खानों का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किया गया है। अब हम इस बात पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि क्या बड़े पैमाने पर किए गए इस मशीनीकरण से कोयला खानों के उत्पादन

[श्री बसुदेव आचार्य]

में वृद्धि करने अथवा उत्पादन की लागत को कम करने में सहायता मिली है। महोदय, विशेषरूप से सी० सी० एल०, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में अनेक कोयला खानों का मशीनीकरण किया गया है परन्तु इन दो अनुषंगी कम्पनियों अर्थात वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अथवा सी० सी० एल०, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में हुई हानियों से भी ज्यादा हानियां हुई हैं। यहां, मैं यह कहना चाहूंगा कि कोयला खानों के लिए लाई गई अधिकांश मशीनों का उचित उपयोग नहीं किया जाता है। मेरे विचार में उनका एक दिन भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। हाल ही में मैंने सी० सी० एल०, किड्डी की एक कोयला खान का दौरा किया था। यह एक बहुत बड़ी कोयला खान है। मैंने वहां काफी संख्या में असामान्यताएं देखी। उन्हें बेकार रखा जाता है। एक दिन भी उनका उपयोग नहीं किया गया है। करोड़ों रुपए खर्च करके इन मशीनों का आयात किया गया था परन्तु उनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए, बड़े पैमाने पर किए गए इस मशीनीकरण से वस्तुतः उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। महोदय जे० बी० सी० सी०···द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार अधिक उत्पादन के लिए मशीनीकरण करने (ओ० एम० एस०) का अर्थ आवश्यक नहीं है कि लागत में कमी होगी, विशेषरूप से इस तथ्य के कारण कि उत्पादन में वृद्धि के साथ सम्बद्ध कतिपय स्तर तक मशीनीकरण करने के बाद प्रति टन मजदूरी लागत में बचत ऐसे उत्पादन को प्राप्त करने के आवश्यक अतिरिक्त निवेश की लागत के अनुरूप नहीं है। बड़े पैमाने पर मशीनीकरण करने के बाद भी प्रति 'मैनशिफ्ट' उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है।

महोदय, महिलाओं के प्रति कोल इण्डिया का रवैया काफी क्रूर है। प्रति वर्ष महिला कामगारों की संख्या कम की जा रहीं है और धीरे-धीरे महिला कामगारों के स्थान पुरुष कामगार रखे जा रहे हैं। वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अनेक सुरक्षा सम्मेलन किए गए हैं और इन सम्मेलनों में सुरक्षा पहलुओं के बारे में अनेक सिफारिशें की गयी हैं। लेकिन कोलइण्डिया के प्रबन्ध द्वारा इन सभी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन सुरक्षा सम्मेलनों जहां ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, कोल इण्डिया प्रबन्ध के प्रतिनिधि और ऊर्जा मन्त्रालय के प्रतिनिधि मौजूद थे, में की गयी किसी भी सिफारिश को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

महोदय, सात लाख कोयला मजदूरों को हड़ताल पर आना पड़ा था। वस्तुतः उनको कोल इण्डिया के प्रबन्ध द्वारा मजबूर किया गया था।

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसन्त साठे) : वे राजनीतिज्ञों द्वारा मजबूर किए गए थे।

श्री बसुदेव आचार्य : उनको हड़ताल पर जाने के लिए कोल इण्डिया के प्रबन्ध द्वारा मजबूर किया गया था।

श्री बसन्त साठे : वस्तुतः उनको तथाकथित वामपन्थी राजनीतिज्ञों द्वारा मजबूर किया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य : इस प्रकार का एक करार किया गया था कि कोयला खान मजदूरों के आश्रितों को रोजगार दिया जाएगा···।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : वह करार 1986 में समाप्त हो गया था।

श्री वसुदेव आचार्य : जी, नहीं । यह करार अब भी वैध है । इसे तथाकथित कृत्रिम समाजवादी मन्त्री महोदय श्री वसन्त साठे द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।

श्री वसन्त साठे : यह असंवैधानिक है ।

श्री वसुदेव आचार्य : जब हम यह कहते हैं कि इस करार को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है ? वह कहते हैं कि यह असंवैधानिक है । यदि यह असंवैधानिक है तो कोल इंडिया के प्रबन्ध ने इस पर अपनी सहमति क्यों दी थी ? उन्होंने इस करार पर हस्ताक्षर क्यों किए थे ?

श्री वसंत साठे : आपके दबाव में आकर ।

डा० गौरी शंकर राजहंस : दबाव में आकर ।

श्री वसुदेव आचार्य : यदि कोयला खनिकों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करना असंवैधानिक है, तो समझौते की अन्य शर्तों के कार्यान्वयन के बारे में क्या कहेंगे ? क्या उन्हें पेंशन देना भी विरुद्ध है । क्या पीने का पानी उपलब्ध कराना, शिक्षा प्रदान करना इत्यादि सब बातें असंवैधानिक हैं ? कर्मचारियों के लिए एक लाख क्वाटर बनाए जाते हैं । क्या उन्हें आश्रय प्रदान करना असंवैधानिक है ? और वहां शिक्षा की क्या स्थिति है ? ई० सी० सी० एल० तथा बी० बी० सी० एल० में 600 प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के अध्यापक हैं । राष्ट्रीयकरण से पहले उन्हें अन्य कर्मचारियों के वेतन के बराबर वेतनमान प्रदान किया जाता था । राष्ट्रीयकरण के बाद आपने उनको वह देने से इन्कार कर दिया ।

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : आप क्या चाहते हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : आपने उन अध्यापकों का त्याग किया है । आप इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं । आपने 5000 रु० प्रतिवर्ष अथवा लगभग इतनी ही धनराशि स्वीकृत की है । यहां कुछ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं जैसे—डी० ए० वी० जो आंग्ल वैदिक प्रबन्ध मंडल के अधीन है आपने इस विशिष्ट स्कूल के लिए 5,30,000 रुपए प्रति वर्ष स्वीकृत किए हैं जबकि कुछ हिन्दी अथवा बंगला माध्यम के स्कूल हैं, जिनके लिए आपने केवल 5000 रुपए स्वीकृत किए हैं । 4000 अध्यापकों को केवल 100 रुपए अथवा 200 रुपए ही मिलते हैं ।

अत: मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना असंवैधानिक नहीं है । आपने समझौते की अन्य शर्तों का कार्यान्वयन क्यों नहीं किया है ? यदि यह असंवैधानिक है तो एन० सी० डब्ल्यू० ए०—फोर के बारे में क्या कहेंगे ? वेतन समझौते को अन्तिम रूप क्यों नहीं दिया गया ? सात लाख कोयला मजदूरों को हड़ताल करने के लिए मजबूर क्यों किया गया ? वेतन समझौते के कार्यान्वयन में क्या कठिनाई है ? आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, परन्तु आप कोयला खनिकों के वेतन बढ़ाने के लिए इसे कार्यान्वित अथवा अन्तिम रूप नहीं दे रहे । पहले ही बहुत मास बीत गए हैं । मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे जे० बी० सी० सी० आई० की बैठक आयोजित करें ।

मजदूरों की हड़ताल बहुत सफल रही है । कोयला खानों के इतिहास में कभी भी ऐसी

[श्री बसुदेव आचार्य]

हड़ताल नहीं हुई जिसके कारण कोल इंडिया मेनेजमेंट तथा समाजवादी मन्त्री श्री वसन्त साठे जी को धमकी देनी पड़ी। ई० एस० एम० ए० लागू किया गया। एक दिन की अनुपस्थिति में 8 दिन का वेतन काटा गया। यह मजदूरों पर लागू किया गया। कोयला मजदूरों को गिरफ्तार किया गया उन्हें तंग किया गया। यहां तक कि हड़ताल समाप्त होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा तथा निलम्बित किया जाता रहा। अतः मेरा मन्त्री महोदय जी से अनुरोध है कि चर्चा अथवा विचार-विमर्श करने के लिए जे० बी० सी० सी० आई० की बैठक बुलाएं तथा समझौता करें तथा समझौते के अनुरूप वेतन बढ़ाने सम्बन्धी करार तथा अन्य शर्तों का कार्यान्वयन करें।

अन्तिम बात···

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप अपना भाषण समाप्त करें। आप लिखित रूप से दें। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता। आपको पहले ही 20 मिनट अधिक दिए गए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। यह मेरी अन्तिम बात है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में मन्त्री महोदय को दे दें। 12.30 बजे से मैं घण्टी बजा रहा हूं, आपने मुझसे पांच मिनट समय देने का अनुरोध किया था मैंने आपको 20 मिनट दिए हैं। यह क्या बात है ?

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही समाप्त कर दिया है। आप इसे लिखित में दे दें।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने पांच मिनट का समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया है। अब तक मैं अपनी बात पूरी कर सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल आप ही समय नष्ट कर रहे हैं। आप इसे लिखित में दे दें। मैं आपको अब अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय कम से कम आप मुझे धन्यवाद तो करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, यह आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा माननीय मन्त्री महोदय जी से अनुरोध है कि वह किसी एक कोयला साफ करने के कारखाने का दौरा करें···

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : हमारे साथ जाकर दौरा करें अन्यथा इन्हें समझ नहीं आएगा।

श्री वसुदेव आचार्य : उदाहरण के तौर पर वे गिदी सुदामदीह तथा सतारा कोयला साफ करने के कारखानों का दौरा करें और स्वयं अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार करोड़ों रुपए नष्ट किए जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बस इतना ही कहना है। इस बात का आप पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : चूरे के मूल्यवान घोल को व्यर्थ किया जा रहा है। आप कृपया इन स्थानों का दौरा करें और देखें कि इनमें कार्य करने वाले मजदूरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, बस अब आप समाप्त करें। आप बहुत बोल चुके हैं। आप अपना भाषण समाप्त नहीं करेंगे। बीस मिनट से मैं आपको कह रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : मुझे कल मन्त्री महोदय से यह उत्तर प्राप्त हुआ है कि वह ठेका कर्मचारी है तथा उन्हें एन० सी० डब्ल्यू-3 वेतन प्राप्त नहीं होंगे। परन्तु समझौता हुआ है···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह बोलना जारी रखेंगे तो कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना है श्री जनक राज गुप्त जो कुछ बोलें केवल वही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एनर्जी डिपार्टमेन्ट की डिमाण्ड्स का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) कुल 22,245 मेगावाट ज्यादा बिजली पैदा करने का अन्दाजा है और 23 लाख पम्पिंग-सेट्स को बिजली देने की योग्यता है। 1990 तक का यह प्लान है और मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से अर्से में भी, जिस लगन और मेहनत के साथ हमारे मन्त्री जी काम करते हैं, वे जरूर अपने इस लक्ष्य में पूरे उतरेंगे। उनका जो तखमीना है 1987-88 का उसमें, टोटल जेनरेशन 205 बिलियन यूनिट्स का है। इसमें 147 बिलियन यूनिट्स थर्मल, 5, 6 मिलियन यूनिट्स न्यूक्लियर, 564 बिलियन यूनिट्स हाइड्रो-एलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन का तखमीना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को ज्यादा तवज्जह न्यूक्लियर एनर्जी और नान-कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ देना चाहिए क्योंकि जैसा कि अन्दाजा है आगे आने वाले वक्त के लिए जैसे कि आज कल की जरूरत है, उसको बचाकर रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि साठे साहब इसकी तरफ तवज्जह देंगे। हमारे साठे साहब जब भी किसी काम पर लगते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। मैं उनको मुबा-

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जनक राज गुप्त]

रकवाद भी देना चाहता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ट्राउट अफेक्टेड एरियाज के लिए तकरीबन 2.27 लाख पम्पिंग-सेट्स को ज्यादा बिजली देंगे और यह वक्त की पुकार भी थी। दूसरे जो आदिवासी विलेजेज हैं, वहां पर 1 लाख 10 हजार विलेजेज में से 50,593 विलेजेज को इन्होंने इलेक्ट्रिफकाई किया है। यह बड़े मुबारकवाद की बात है और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो गांव हैं हरिजनों और आदिवासियों के, उनको बिजली मुहैया करने में तरजीह देंगे और उसके लिए जल्दी से जल्दी इकदामात उठायेंगे।

जम्मू व काश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट का हमारे अजीज रहनुमा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने अपने कर-कमलों से इनआगरेशन किया था, जिससे 345 मेगावाट बिजली मिलेगी। यह जो सलाल प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। इन्होंने और इनके इन्जीनियर साहबान ने, एन० एच० पी० सी० के चेयरमैन, मि० ओबराय और बाकी वर्क्स ने बहुत ज्यादा इन्ट्रेस्ट लिया और वक्त से पहले प्रोजेक्ट को कम्पलीट कर दिया और इसका जो सेकेन्ड फेज है, उसको भी ये जल्दी कम्पलीट कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू व काश्मीर में हाईड्रो-इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन का बड़ा स्कोप है। इन्होंने कुछ सर्वे भी कराए हैं। मैं इनकी तवज्जह उड़ी हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। काफी अरसा हुआ, इसमें काम शुरू करने के आर्डर हुए थे लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह से दुलहस्ती प्रोजेक्ट किश्तवार में है। उसको भी काफी अरसा हो गया है लेकिन अभी काम शुरू नहीं किया गया है। करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो गया है और यह कहा जाता है फौरेन फर्म के साथ जो एग्रीमेन्ट करना था, वह हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका इल्म मुझे नहीं है। इस कार्य को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए क्योंकि वहां पर करोड़ों रुपया आप खर्च कर चुके हैं। बिल्डिंगें बन गई हैं, सड़कें बन गई हैं और मशीनरी भी पहुंच रही है लेकिन काम शुरू नहीं किया गया है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सेवा हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिस पर काम शुरू नहीं किया गया है। और भी बहुत से सर्वे किए गये हैं। पूंच में एक दरिया है, जहां पर काफी बिजली पैदा करने का स्कोप है। उस पर काम शुरू करना चाहिए। दरिया चुनाव पर जितने प्रोजेक्ट हैं, उनका सर्वे कर लिया गया है लेकिन वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है। वहां पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा की जा सके।

एक बात और नोटिस में लाना चाहता हूं। जम्मू व काश्मीर में एक बिजली पैदा की जा रही है लेकिन सारी रियासत में पोजीशन यह है कि सप्लाई जो मुहैया की जाती है, वह बहुत कम है। वहां पर काफी लोग जाकर इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं और खासकर महाराष्ट्र से बहुत से लोग आते हैं, जो कि साठे साहब की अपनी स्टेट है और पंजाब से आते हैं और दूसरी जगहों से आते हैं। उसके लिए बिजली की जरूरत है, इर्रीगेशन के लिए बिजली की जरूरत है और बिजली न होने की वजह से हमारी एग्रीकल्चर सफर कर रही है। बिजली न होने की वजह से वहां पर जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, उनको थोड़े टाइम के लिए बिजली मिलती है, जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह आप तवज्जह दें। बिजली लेना हमारा हक बनता है क्योंकि मुझे पता है कि सेन्ट्रल पूल में जितना जम्मू व काश्मीर रियासत का हिस्सा बनता है, वह उसको नहीं दिया जा रहा है; बदरपुर का जो पावर हाउस है या बरासूल और सिंगरौली और दूसरी प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे जम्मू व काश्मीर का जो सेन्ट्रल पूल से हिस्सा बनता है, वह उसको नहीं दिया गया। इस वजह से हमारी इण्डस्ट्री सफर

कर रही है, हमारा इर्रीगेशन सफर कर रहा है और वहां पर जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बिजली नहीं मिल पाती है, पर्सनल कन्जम्पशन के लिए तो कहना ही क्या।

1.00 म० प०

इस तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हिस्सा हमारी स्टेट का बनता है वह रिलीज करना चाहिए ताकि हम उससे फायदा उठा सकें।

इसके अलावा पंजाब में रावी नदी का जो प्रोजेक्ट थीम डेम है, अगर उस पर ज्यादा जी से काम किया जाए, उसके लिए ज्यादा पैसा दिया जाए तो काफी अच्छा काम हो सकता है। इसलिए मैं साठे साहब से यह कहूंगा कि इसकी तरफ भी वे तवज्जो दें ताकि जो ये तीन-चार स्टेट्स हैं, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जिनका कि यह एक कामन प्रोजेक्ट है, इन सबको इससे फायदा हो सके।

यह जो बिजली की चोरी होती है, इससे भी डिपार्टमेन्ट को काफी नुकसान होता है। आपने इस चोरी को रोकने के लिए काफी इन्सेन्टिव दिये हैं, काफी प्रोग्राम्स भी बनाये हैं। मगर आप कोई इफेक्टिव मेजर्स ले जिससे कि यह चोरी रुक सके और डिपार्टमेन्ट का रेवेन्यु भी बढ़ सके।

इन अल्फाज के साथ मैं साठे साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके इन्जीनियर्स ने, वर्क्स ने अच्छे ढंग से काम किया है और ये खुद भी इन्ट्रेस्ट्स लेते हैं। मैं इनकी डिमाण्ड्स की ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे खुशी है कि बहुत कुशल तथा सक्रिय मन्त्री जी इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय के प्रभारी हैं। मैंने यह पाया है कि इस क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है तथा मैं इसके लिए माननीय मन्त्री श्री वसन्त साठे जी को बधाई देता हूं। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए परीक्षण घाटे इत्यादि की कमी में अत्यधिक सुधार किया गया है। इसलिए इस गति को बनाए रखना है।

बिजली के क्षेत्र के समक्ष आने वाली मुख्य समस्या क्षमता के बहुत कम उपयोग की है। कुछ स्थानों पर यह 28 प्रतिशत है तथा कहीं यह 40 प्रतिशत है। जब बिजली की आवश्यकता इतनी अधिक बढ़ रही है तो हम बिजली संयंत्रों को इतनी कम क्षमता के उपयोग की अनुमति नहीं प्रदान कर सकते। परन्तु हमारे बहुत से बिजली संयंत्र खराब पड़े हैं तथा बिजली के उत्पादन की क्षति हो रही है। मुझे बताया गया है कि दिल्ली के बिजली संयंत्रों में बार-बार खराबी आ जाती है तथा इससे दिल्ली में बिजली की सप्लाई में कमी आती है। इसलिए, बिजली संयंत्रों की स्थापना करते समय, मशीनों के स्तर को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय बिजली संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार, पारेक्षण हानि को कम करने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए। मुझे बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों में यह 25 प्रतिशत से भी अधिक है। पारेक्षण घाटे को कम-से-कम किया जाना चाहिए।

इस समय देश बड़ी सीमा तक पनबिजली पर निर्भर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पानी उपलब्ध है और फिर पन-बिजली सस्ती भी है। किन्तु यह स्थिति देर तक नहीं बनी रह

[श्री के० मोहनदास]

सकती है। हम केरल में केवल ताप विद्युत पर ही निर्भर होने के परिणाम भुगत रहे हैं।

पिछले कुछ सालों तक केरल में पानी की कोई समस्या नहीं थी। किन्तु पिछले तीन अथवा चार वर्षों से वर्षा न होने के कारण हमारा विद्युत उत्पादन ठप्प हो गया है। बांधों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है तथा हमें आजकल एक गम्भीर विद्युत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष सारे राज्य में विद्युत की भारी कटौती हुई थी। इसके कारण उद्योगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इस वर्ष यह स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। आपको याद होना चाहिए कि केरल एक ऐसा प्रदेश है जिसमें गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है। किन्तु शीघ्र ही ऐसी स्थिति आने वाली है कि वहां केवल बिजली के खम्भे तथा तारें ही होंगी किन्तु विद्युत नहीं होगी।

यह स्थिति पूर्णतया ताप विद्युत पर निर्भर होने के कारण उत्पन्न हुई है। किन्तु फिर भी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है। मैं इस संकट को दूर करने के लिए केरल में एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार का आभारी हूं। किन्तु समाचार पत्रों की सूचनाओं के अनुसार इस कार्य में देर लगेगी तथा इसके आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित होने की भी कोई संभावना नहीं है। इस संयंत्र के स्थान निर्धारण के बारे में राज्य सरक र की कुछ राजनैतिक समस्याएं हो सकती हैं जिनका समाधान किया जाना है। इस सम्बन्ध में कार्याकुलम तथा त्रिक्करीपुर स्थानों का उल्लेख किया गया है। इस संयंत्र की स्थापना करने में स्थान की राजनैतिक दृष्टि से उपयुक्तता आड़े नहीं आनी चाहिए। केरल की जनता इस संयंत्र के स्थान के बारे में चिन्तित नहीं है। वह एक ताप विद्युत संयंत्र चाहती है तथा इसकी शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय क्षेत्र में एक संयंत्र स्थापित करने तथा इसे अगले वर्ष की योजना में शामिल करने का अनुरोध करूंगा ताकि अगले वर्ष से काम शुरू हो सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक ध्यान देंगे।

मैं इन शब्दों के साथ इस मन्त्रालय की मांगों का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीद्वय द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं और मैं यह जानता हूं कि जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, वे व्यावहारिक और उचित हैं। इनके कुशल नेतृत्व में अड़चनों और कठिनाइयों के होते हुए भी विभाग ने काफी तरक्की की है, इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं।

बिजली और उर्वरक उत्पादन में कच्चा माल मुख्य रूप से कोयला है, दूसरे कल-कारखानों में भी कोयले की मुख्य भूमिका है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हम समझते है कि देश की सारी इकानमी कोयले की ऊर्जा पर निर्भर है। हमें इस बात की खुशी है कि प्लानिंग कमीशन द्वारा जो कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था वह 158 मि० मी० टन था और उत्पादन 159 मि० मी० टन था। 1986-87 में उत्पादन 144.77 मिलियन मी० टन था, जो कि बढ़कर 159 मिलियन मी० टन हो गया है। उत्पादन वृद्धि की दर 10 प्रतिशत रही है जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है। जो कठिनाइयां विभाग के सामने थी उनको काफी हद तक पूरा कर लिया गया है और आगे आने वाले वर्षों में हमारा उत्पादन और तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ओ. एम. एस. का सवाल है, उत्पादन और उत्पादकता का जहां तक सवाल है, इसमें भी उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आए हैं। ओ. एम. एस. का जहां तक सवाल है, 1987-88 का लक्ष्य 1.02 था, जो कि बढ़कर 1.08 हो गया है, इसमें विकास का प्रतिशत 9.1 परसेंट है। मैं समझता हूं कि ऊर्जा उत्पादन में हमारे मंत्रियों ने जो कुशलता दिखाई है, वह सराहनीय है। विगत वर्ष भयंकर बाढ़ के समय ऊर्जा विभाग ने बिजली का उत्पादन और कोयले का उत्पादन बढ़ाया है, तथा सप्लाई को बरकरार रखा है, सप्लाई ठीक होने के कारण ही बिजली उत्पादन संतुलित रहा है, इस तरह से विभाग की कार्यक्षमता में चुस्ती आई है।

सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कोयला खदानों में सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है वह निश्चित रूप से दूसरे देशों के मुकाबले में अच्छी कही जा सकती है। ओ. एम. एस. और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुरक्षा का वातावरण आवश्यक है। कोयला खदान में काम करना दूसरे कामों से अधिक जोखिम का काम है और अगर सुरक्षा का वातावरण पैदा किया जाता है तो ओ. एम. एस. बहुत बढ़िया होगा तथा इन्क्रीज रिटर्न तेजी से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही मैं मंत्री जी का ध्यान एक संवेदनशील प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो नेशनल सेफ्टी माइंस कौंसिल में काम करनेवाले कर्मचारी थे और लेबर मिनिस्ट्री के तहत आते थे उसको विभाग ने टेक ओवर किया और सारे लोग ले लिए, मात्र 60 ऐसे कर्मचारी रह गये हैं जो काफी कुशल हैं और सुरक्षा के मामले में उनकी कुशलता तथा अनुभव का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, इनके सामने जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उनके बिलखते हुए बच्चों की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें और सहानुभूतिपूर्ण अंगुलियों से उनके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करें। आपके यहां मैं मानता हूं काफी कठिनाइयां हैं 14 हजार आदमी आपके ओवर बर्डन हैं, लेकिन 60 आदमियों की सुरक्षा आप ले लें तो यह मामूली बात नहीं, बड़ी बात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आश्वासन देंगे और इस दर्दनाक स्थिति से उनको बचायेंगे। यहां बकाया राशि के बारे में भी चर्चा हो रही है। आपकी 1-3-88 की रिपोर्ट में कहा है कि 10 हजार करोड़ रुपये मार्केट में बकाया हैं। स्वाभाविक है कि इसकी वजह से विकास के मार्ग अवरुद्ध हैं। जो साधन कोयले की सुरक्षा के वातावरण में और मजदूरों के कल्याण में उपलब्ध कराये जाने चाहिए वह नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे मेरी इससे कोई सहानुभूति आपके विभाग से नहीं है। बल्कि हताशा पैदा हो रही है कि इतनी बड़ी राशि का बकाया है तो इसको वसूल करने वाली जो एजेन्सी है वह निष्क्रिय क्यों है। ऐसी क्या बाधा है कि ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वह उससे वंचित है। आप इसको ध्यान से देखें और इसका समाधान निकालने का शीघ्र प्रयास करें। मैं मंत्रीजी को यह भी कहना चाहता हूं कि नेशनल कोल माइन्स वेलफेयर एग्रीमेन्ट के बारे में चर्चा हो चुकी है सदन में और आगे भी सदस्य उठायेंगे। जहां तक मजदूरों के कल्याण का संबंध है उसमें मंत्रीजी की कोई दिलचस्पी नहीं है तो यह हमारे लिए विषाद का विषय होगा। यह देश के जाने-माने नेता हैं, लेकिन मैं मजदूरों के वर्ग से आता हूं उनकी गलियों का आदमी होने के नाते मैं जो कहता हूं वह आंखों से देखी हुई कह रहा हूं, कागजों की बात नहीं कर रहा। जो मजदूरों के कल्याण के और कोई दूसरे कार्य हैं उसमें कटौती करें लेकिन जो दो-तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें ध्यान दें। जैसे अस्पताल हैं उसमें डाक्टर होते हैं उनका कोई ऐसा वातावरण नहीं है जो मजदूरों के लिए अच्छी तरह से काम करे। जो अड़चनें हैं इनसे जो डाक्टरों में टीम स्प्रिट होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। अस्पताल में दवाओं की कमी है यह कोई अच्छी बात नहीं है। दवायें प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए।

[अनुवाद]

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : वे यह व्यापक वक्तव्य नहीं दे सकते हैं कि सभी डाक्टर कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं। कुछ डाक्टर कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : आपने जो बात कही है कि मेरी समझ में नहीं आयी है। कोयला खान के अन्दर आपने पर्यावरण की दिशा में कदम उठाये हैं। काफी पेड़ लगाये गये हैं। फिर भी वह यथेष्ट नहीं हैं। पर्यावरण बड़े भयंकर रूप से उभर रहा है। आप जो पानी की आपूर्ति कर रहे हैं वह काफी पोल्यूटेड हो गया है···उस पाल्यूशन को खत्म करने की दिशा में आप कदम उठाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे जो मित्र खड़े हो रहे हैं, यह सबसे सीरियस बात है, भारत के जो मजदूर हैं, उन्होंने भारत बन्द के समय में जो अपना परिचय दिया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि दुनिया के मजदूरों के मुकाबले में वे बहुत कुरबानी दे सकते हैं और जिस प्रकार से नेतृत्व को उनके ऊपर थोपने की कोशिश की गई और उसको उन्होंने जिस ढंग से नकार दिया, वह अपने-आप में प्रशंसनीय है, लेकिन बंगाल में ऐसे इनर्जी के महत्वपूर्ण केन्द्रों के सम्बन्ध में बंगाल की सरकार ने भारत-बन्द को सफल बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जिसे वहां के मजदूरों ने नकार दिया। बंगाल की सरकार को इस प्रकार के जन-विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए था। यह बहुत गम्भीर बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डायरेक्टर जा रहे थे, इनके कार्यकर्ताओं ने उनको धमकियां दीं जिसके कारण उनको लौटना पड़ा। इस प्रकार से भारत-बन्द को बंगाल की सरकार स्वयं प्रोत्साहित करती रही है। जब सरकार ही ऐसा करेगी, तो और लोगों की क्या स्थिति होगी। जहां रहनुमा ही कारवां को लूट लेता है, तो दूसरों का क्या कहना है।

इन शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मैंने जो बातें कही हैं, उन पर वे गम्भीरतापूर्वक विचार करें और उनको पूरा करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

डा० जी० विजय रामाराव (सिद्दीपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय ऊर्जा मन्त्री हर बार सभा में यह कहते हैं कि वे निस्सहायता की स्थिति में हैं, कि प्रत्येक वर्ष विनियोजित की जाने वाली धनराशि अपर्याप्त है तथा वे मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि मन्त्री को इस सभा के समक्ष और धन की मांग के लिए प्रस्ताव रखना चाहिए ताकि यह सभा उन मांगों को मंजूरी दे सके।

ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तु है। हमारे देश में यह एक अनिवार्य उपयोगी वस्तु बन गई है। ऊर्जा की मांग प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है जबकि विद्युत उत्पादन की क्षमता उस सीमा तक नहीं बढ़ रही है। छठी योजना के अन्त में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 47000 मेगावाट थी तथा सातवीं योजना के अन्त में यह 65000 मेगावाट होगी। इस समय 10,000 मेगावाट से

अधिक की कमी है, आठवीं योजना के अन्त में यह कमी 25000 मेगावाट से अधिक होगी। यह कमी सामान्य दशा में होती है अर्थात् जबकि सूखा अथवा अन्य प्राकृतिक विपदाएं नहीं होतीं। किन्तु जब देश में भीषण सूखा है, मांग अधिक होगी तथा उत्पादन कम होगा। अतः, सूखे के दौरान यह संकट और अधिक होगा। जब तक हम और अधिक धन नहीं लगाते हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म-निर्भर नहीं हो सकते हैं। अतः, मैं यह महसूस करता हूं कि हमें ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए और धन लगाना चाहिए।

हमारे देश में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः कोयले तथा पानी पर निर्भर है। गैर-परम्परागत तरीकों का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी हाल ही में कोयला विभाग ने आन्ध्र प्रदेश में कोयले के भंडारों के कुछ नये क्षेत्र खोज निकाले हैं तथा पारकल, मुलुगू, चलवाई तथा वारंगल जिले के कुछ अन्य क्षेत्रों में खनन का कार्य किया भी जा रहा है। यदि वे कोयला निकालने का कार्य शुरू कर सकते हैं, तो हम उस कोयले को ऊर्जा के उत्पादन में लगा सकते हैं।

अतः, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे आन्ध्र प्रदेश में कोयले के नए भंडार क्षेत्र खोज निकालने के उपाय करें। महोदय, कल एक वक्तव्य दिया गया है कि रामा गुन्डम सुपर-विद्युत परियोजनाएं जुलाई 1988 में कार्य करना शुरू कर देंगी। यह वक्तव्य स्वागत योग्य है। किन्तु इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार द्वारा देश के अन्य भागों में सुपर-विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएं ताकि विद्युत की आपूर्ति में वृद्धि हो सके।

हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है। किंतु पानी बर्बाद हो रहा है तथा न केवल निचले क्षेत्रों में भर रहा है बल्कि यह बर्बाद हो जाता है तथा आखिर में समुद्र में बह जाता है। देश के जल स्रोतों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है तथा जल का अधिकतम मितव्ययतापूर्वक ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। महोदय, देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की कोई योजना थी। बैलाडीला नामक एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना से तीन राज्यों—आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश को लाभ होना है। यह परियोजना लगभग दस वर्ष पहले मंजूर की गई थी। किन्तु इस परियोजना को चालू करने में कुछ विलम्ब है। इस परियोजना को मंजूर करने में बिलम्ब उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई आपत्तियों के कारण है। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा इस परियोजना को तत्काल मंजूर करने का अनुरोध किया जा रहा है।

महोदय, इसी प्रकार केन्द्र सरकार का नागार्जुन सागर पर एक परमाणु चालित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का वक्त था तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पिछले आठ वर्षों से इस मामले में लिखा जा रहा है। अब तक इसकी मंजूरी नहीं हो सकी है।

आंध्र प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है। राज्य में बिजली की कमी के कारण सभी मझौले तथा लघु उद्योगों को अपने संयंत्र चलाने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि आन्ध्र प्रदेश राज्य को नेवेली परमाणु संयंत्र से बिजली का कोटा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार गत दो वर्षों से केन्द्र से भी यह अनुरोध करती रही है कि आन्ध्र प्रदेश को नेवेली से बिजली का कोटा बढ़ाया जाए। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से इस मामले की जांच करने तथा इस परमाणु परियोजना से आंध्र प्रदेश का कोटा तत्काल बढ़ाए जाने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि हमारे देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश भर में विद्युत

[डा० जी० विजय रामा राव]

के लिए संयुक्त क्षेत्र को परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार किया जाए। महोदय वहां कृषि के लिए भी विद्युत की काफी मांग है। जब कभी भी किसान को अपना पम्प सेट और मोटर चलाना हो तो उसे तत्काल बिजली दी जानी चाहिए और उसे बिजली देने से मना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस बिजली का वह उपयोग करेगा वह अन्ततः कृषि उत्पादन के लिए होगी। इसलिए, किसानों को बिजली देने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार बहुत से गांव तथा शहरी बस्तियां ऐसी हैं जहां गरीब तथा समाज के कमजोर लोग छोटी-छोटी झोपड़ियों में रह रहे हैं और इन छोटे-छोटे गांवों तथा झोपड़ियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। अब तक राज्य बिजली बोर्ड तथा राज्य सरकार इन इलाकों में बिजली नहीं दे पाई है। आपके 'कुटीर ज्योति' कार्यक्रम के बावजूद, वे इन सभी गांव तथा शहरी बस्तियों में बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन क्षेत्रों में 'कुटीर ज्योति' कार्यक्रम को पूरे जोर-शोर से चलाने के लिए आर. ई. सी. के लिए अधिकाधिक निधियों का आबंटन करे।

महोदय, आंध्र प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विद्युत की काफी मांग रही है। लगभग चार या पांच वर्ष पहले आंध्र प्रदेश में बिजली फालतू थी, उस समय काफी मझौले तथा लघु उद्योग लगाए गए, किन्तु कुछ वर्ष बाद राज्य में विद्युत की कमी के कारण संकट शुरू हो गया। हाल ही में सूखे तथा अन्य परिस्थितियों के कारण राज्य में संकट है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि दक्षिणी ग्रिड के लिए अधिक से अधिक बिजली दें, ताकि आंध्र प्रदेश की अत्यावश्यक बिजली की मांग को पूरा किया जा सके।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान मुझे हस्तक्षेप करने का मौका दिया।

महोदय, मैं अपने आदरणीय साथी श्री वसंत साठे के नेतृत्व में कोयला क्षेत्र का कार्य देखता हूं इस तथ्य के बावजूद कि कोयले के बिना विद्युत उत्पादन का कोई सही कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस देश में प्राथमिक ऊर्जा के लिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और अन्य विभिन्न औद्योगिक तथा घरेलू कार्यों के लिए कोयला अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण साधन है। कम से कम सम्भव समय में ऊर्जा के इस स्रोत का विकास करने की भारी जिम्मेदारी कोयला विभाग की है। अतः कोयला विभाग ने कोयले का सभी दृष्टि से—कोयले निकालना, उत्पादन एकीकरण, उपयोग, परिवहन, अनुरक्षण, सुरक्षा तथा पर्यावरण प्रबन्ध—विकास करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है।

महोदय, यह सब कैसे चल रहा है, मेरा अभिप्राय है, कोयले का उत्पादन और लिगनाइट उत्पादन के बारे में लाखों टनों में कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं, 1986-87 में 1730.10 लाख टन का लक्ष्य है और वास्तव में 1743.20 लाख टन का उत्पादन हुआ। 1982 में वास्तव में 1926.50 लाख टन है और अनन्तिम उत्पादन 1888.30 लाख टन है, औसत 98.59 प्रतिशत है।

कोल इण्डिया के सम्बन्ध में 1987-88 में 1921.00 लाख क्यूबिक मीटर का लक्ष्य है और वास्तव में 2098.40 लाख टन है, उपलब्धि की औसत प्रतिशतता 109.3 है।

महोदय, मैंने शिफ्ट उत्पादन के बारे में जहां बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, 1986-87 में लक्ष्य 0.80 था लेकिन भूमि से नीचे, 1987-88 में, फरवरी, 1988 से यह 0.64 है। पूरे वर्ष के लिए यह लक्ष्य 0.85 है। लेकिन वास्तविक आंकड़े अभी निकाले जाने हैं।

मेरे मित्र श्री बसुदेव आचार्य कल्याण उपायों के बारे में बता रहे थे। (व्यवधान) लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। अस्पताल की सुविधाएं भी अच्छी हैं। परन्तु मेरे एक मित्र ने दवाइयों तथा अन्य चीजों के स्टाक रखने के बारे में सुझाव दिया है। हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे। मेरे वरिष्ठ साथी श्री वसन्त साठे जी जिस एक विषय में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं वह प्रबन्ध मण्डल में मजदूरों की सहभागिता के बारे में है, जिससे अधिकतर समस्याएं स्वयं मजदूरों द्वारा ही निपटा ली जाएंगी।

श्री बसुदेव आचार्य : पिछले तीन वर्षों से वह इसमें रुचि ले रहे हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इसमें विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? यह विकल्प उनके लिए हमेशा रहा है। वह हमेशा इसे सरकार पर छोड़कर कोई सुझाव अथवा समाधान देने में असफल रहे हैं, यहां तक कि सरकार के साथ सहयोग भी नहीं देते। आप अभी भी यह दोष लगा रहे हैं कि सरकार विलम्ब कर रही है। आप इस कार्य को क्यों नहीं करते जबकि यह अब आपके हाथ में है?

श्री बसुदेव आचार्य : परीक्षण-प्रणाली से यह कार्य नहीं हो पाएगा। कोई अन्य प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वास्तविक समस्या यह है कि कुछ न कुछ बहाने ढूंढ़ कर सरकार पर दोष लगाया जाता है। इस प्रकार की प्रवृति से काम नहीं चलेगा।

हाल ही में कोयला क्षेत्र में आने पर मैंने स्वयं यह महसूस किया है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक जनशक्ति तथा मशीनरी है। मूल रूप से यह जनशक्ति की प्रबन्ध व्यवस्था तथा मशीनरी की प्रबन्ध-व्यवस्था का क्षेत्र है।

पेय जल सप्लाई के बारे में स्थिति यह है कि 1-1-1987 को सभी कम्पनियों को शामिल करके 17,82,180 जनसंख्या को पेय जल की सप्लाई की जा रही है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार को मजदूरों के कल्याण की कितनी चिन्ता है। परन्तु सरकार जो कुछ भी कार्य करती है, यहां हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो यह दावा करते हैं कि केवल वही लोग मजदूरों के कल्याण के इच्छुक हैं और यह उनका एकाधिकार है।

मैं अब आवास सुविधा की बात करता हूं। 1-1-1988 तक 2,84,313 अर्थात 45 प्रतिशत को आवास सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, कुछ लोग नजदीक के गांवों में रहते हैं, जिन्हें वास्तव में आवास की आवश्यकता नहीं है। यदि वह हमारी आंखें बन्द करना चाहते हैं, तथा व्यर्थ में व्यय करना चाहते हैं। तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है। जहां वास्तव में आवास की आवश्यकता होती है, यह प्रगतिशील उपाय होता है तथा सरकार इस कार्य को करेगी।

जैसा कि मैंने कहा है मूल रूप से यह उद्योग जनशक्ति प्रबन्ध व्यवस्था तथा सामग्री अर्थात

[श्री सी० के० जाफर शरीफ]

उपकरणों की प्रबन्धव्यवस्था है । उपकरणों तथा जनशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए । व्यक्ति प्रबन्ध मण्डल के बारे में मुझे यह कहते हुए बहुत खेद होता है । एक दिन, हड़ताल से पहले मैं अपने मित्र से मिला था, मैंने उसे बुलाया था और इस पर पुनः विचार के लिए अनुरोध किया था कि आप छह दिन हड़ताल में क्यों नष्ट कर रहे हैं । इससे आपको क्या सहायता प्राप्त होगी ? यह हड़ताल इस देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक होगी ? मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वह व्यक्ति खुश नहीं था । परन्तु क्या किया जा सकता था ? क्योंकि वह राजनैतिक दल से सम्बन्धित था, उसे अवश्य ही मजदूरों के हित के लिए बोलना था, चाहे मजदूर यह चाहते हों अथवा नहीं, उसे बोलना ही होगा । अतः उसे इस प्रकार चुप रहने के लिए बाध्य किया गया ।

श्री बसुदेव आचार्य : मजदूर चाहते थे अथवा नहीं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मजदूर चाहते थे । मजदूरों ने पूर्ण रूप से हिस्सा लिया । कोई भी ऐसा बिजलीघर नहीं था जो कोयले की कमी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से क्षति हुई हो ।

श्री बसुदेव आचार्य : उस कोयले की व्यवस्था पहले की गई थी ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : ऐसा बिल्कुल नहीं था । कोई भी व्यक्ति उस विशिष्ट अवधि अथवा सामान्य दिनों में इससे पहले और बाद की अवधि के उत्पादन आंकड़ों की तुलना कर सकता है ।

श्री बसुदेव आचार्य : ई. सी. एल. ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : उनके ई. सी. एल. को छोड़कर (व्यवधान) । मैं उनका और उनकी सरकार का आभारी हूं । सरकार, जिसका काम सुरक्षा और कानून और व्यवस्था का पालन करना है, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कोयला उद्योग के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया तथा उन्होंने इच्छुक मजदूरों को भी संरक्षण नहीं दिया, उन्होंने लोगों को डराने-धमकाने के लिए प्रेरित किया और जब स्थानीय कोयला खान के मजदूरों ने शामिल होने में रुचि नहीं दिखाई, तो वह समस्याएं उत्पन्न करने के लिए आस-पास के गांवों से लोगों को ले आए । यदि ऐसा है तो मैं नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल के लोग उनके दल और उनके नेतृत्व में किस प्रकार के आर्थिक विकास की आशा कर सकते हैं । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । मैंने स्वयं यह महसूस किया है कि कोयला उद्योग, यद्यपि सामान्यतः यह कहा जाता है कि यह घाटे का उद्योग है, के सम्बन्ध में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि फिजूल किया जाने वाला व्यय रोका जाए तथा इस उद्योग में लगी जनशक्ति तथा उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और उत्पादन बढ़ाया जाए । कोयले का अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए । हमारे देश में ऊर्जा की कमी है । इसकी मांग बढ़ रही है । हम इकट्ठे हो सकते हैं तथा हमारे मित्र हमें उपयुक्त सहयोग दे सकते हैं । उन्होंने मन्त्री महोदय से जे. बी. सी. सी. आई. की बैठक बुलाने के लिए कहा । जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने इन छुटपुट मामलों पर बिना किसी आधार के सहयोग नहीं दिया । यदि कोई ठोस आधार होता तो कोई व्यक्ति इसे समझता तथा इस बात की प्रशंसा करता । ऐसा भी नहीं था ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप उन समझौतों का कार्यान्वयन क्यों नहीं कर सकते ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं । मैं इसमें

आपकी सहायता नहीं कर सकता। इन प्रश्नों पर हमारे और तुम्हारे देखने का ढंग अलग-अलग है।

प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर : वह बिल्कुल भी नहीं देखते !

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान, माफिये का प्रश्न उठाया गया था जैसे कि हम इससे बहुत खुश हैं। मैंने खुले आम सभा के सभी वर्गों से अनुरोध किया था कि कोई है जो हमारे साथ सहयोग देना अथवा सहायता करना चाहता हो। बिहार सरकार सम्पूर्ण प्रयास कर रही है। हम अपने अथक प्रयास कर रहे हैं। यह किसी एक दल अथवा किसी दूसरे दल का प्रश्न नहीं है। यह एक सामाजिक बुराई है, जिसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं। मूल रूप से, प्राकृतिक संसाधन इस देश के लोगों के हैं। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उद्योग का मूल हित खानों में कार्य करने वाले इंजीनियरों तथा इस उद्योग में लगे मजदूरों का होना चाहिए। उन्हें ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के बारे में यह पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि किस समय तक तथा किस प्रकार इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है तथा इसे किस प्रकार समृद्ध किया जा सकता है तथा वह किस प्रकार भविष्य में इसकी रक्षा कर सकते हैं। यदि यह सब समझ नहीं आता तो मुझे खेद है कि हम देश के आर्थिक विकास के साथ न्याय करने में समर्थ नहीं होंगे तथा उन औद्योगिक मजदूरों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, जो इस उद्योग में लगे हुए हैं तथा उन क्षेत्रों के प्रति भी न्याय नहीं करेंगे जो अपने आर्थिक विकास के लिए इस कोयले के क्षेत्र पर निर्भर हैं।

ऊर्जा मन्त्रालय एक विशाल मन्त्रालय है तथा ऊर्जा के कई अन्य स्रोत भी इसमें शामिल हैं। मेरे एक साथी इस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं और मेरे वरिष्ठ साथी इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं केवल यह कहता हूं कि हम शीघ्र ही कोयला खानों में स्वयं यह देखने जाएंगे और यह पता लगाएंगे कि स्थानीय समस्याएं, यदि कोई हों, तो उन्हें किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। मुझे आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारों से भूमि उपलब्ध कराने में हमें सहायता प्राप्त होगी और यह देखना है कि हमें किस प्रकार मजदूरों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। औद्योगिक सम्बन्ध अच्छी प्रकार सुस्थापित हैं और किस प्रकार यह देश की आर्थिक स्थिति के सम्पूर्ण उत्थान तथा सुधार के लिए सफलतापूर्वक इस उद्योग को चलाने में हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए दिए गए अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं आपका मुझे ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति देने हेतु धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

महोदय, मुझे खुशी है तथा मैं श्री वसन्त साठे की गतिशीलता के बारे में कई अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का भी समर्थन करता हूं। मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है। उनका व्यक्तित्व काफी गतिशील है। मुझे केवल यही सन्देह है कि उनके हाथ सम्भवतः निधियों की कमी के कारण तथा अन्य राज्यों से डाले गए दबाव के कारण बंधे हुए हैं जिसकी वजह से वह तमिलनाडु के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। हाल ही में एक उत्सव में उन्होंने यह कहा है कि वह तमिल सीखना चाहते हैं। मैं श्री वसन्त साठे से यह अनुरोध करूंगा कि यदि वह अधिक ऊर्जा देते हैं तो तामिलनाडु की जनता उन्हें मुफ्त में तामिल पढ़ाने की काफी इच्छुक होगी।

[डा० ए० कलानिधि]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के लिए लगभग 30 लाख मीट्रिक टन कोयले का आयात किया जाता है, जिसकी गतिविधियां केवल व्यापारिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। यद्यपि जब तमिलनाडु की जनता ने तापीय बिजली केन्द्रों के लिए कोयले की मांग की तब आपने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया था। वास्तव में आप आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करना चाहते थे। और जब भारतरत्न की उपाधि से विभूषित श्री एम. जी. रामाचन्द्रन आप अपने उद्देश्य के लिए उनके नाम का आसानी से उपयोग करते हैं, के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इसकी मांग की थी तो आपने उनकी मांग कभी भी पूरी नहीं की। जब उन्होंने कोयले की मांग की आपने कहा कि इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दोहरी नीति किसलिए ? भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लिए आप आस्ट्रेलिया से 30 लाख मीट्रिक टन कोयले का आयात कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा को बर्बाद कर रहे हैं। परन्तु उसके साथ ही जब हम तामिलनाडु के लिए मांगें करते हैं तो आप इसे आसानी से भूल जाते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं किसी भी उद्योग के लिए कोयला काफी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में हमारे पास पानी नहीं है। इसलिए हमें अधिकांशतया तापीय (थरमल) बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह उस पर विचार करें।

पिछले वर्ष चर्चा में मन्त्री महोदय ने कोयले तथा पत्थरों की मिलावट के बारे में कहा था। माननीय सदस्य श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर ने पत्थरों के बारे में उल्लेख किया था। मैं मन्त्री महोदय की बात का उल्लेख करूंगा :

> "तूतीकोरिन में जैसा कि श्री कृष्ण अय्यर ने कहा था, कुल मिलाकर वहां 3500 मी० टन पत्थर मौजूद था। राज्य बिजली बोर्ड के चेयरमैनों के सम्मेलन में मैंने कहा था कि यदि हमें वहां वे पत्थर मिलते हैं तो हम उसकी लागत को वहन करेंगे और कोयला कम्पनी इसके लिए भुगतान करेगी।"

मन्त्री महोदय द्वारा यह उत्तर दिया गया था। उन्होंने कुछ प्रतिशतता का भी उल्लेख किया था अब भारत सरकार तूतीकोरिन तापीय बिजली के लोगों पर पत्थरों के लिए भी भुगतान करने हेतु दबाव डाल रही है। क्या इसमें कोई औचित्य है ? मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह उस पर पुनर्विचार करें।

तमिलनाडु में सिंचाई के लिए बिजली की पूर्ति बहुत कम है और बिजली की आपूर्ति गलत समय पर जैसे प्रातः 2 बजे से प्रातः 3 बजे तक की जाती है और किसान अपना काम नहीं कर सकते हैं। वे यह नहीं समझ सकते हैं कि बिजली कब आने वाली है। मैं मन्त्री महोदय के उत्तर का उल्लेख करूंगा, उन्होंने यह कहा है :—

> "मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इस देश में कृषि के लिए बिजली की मुफ्त सप्लाई की जानी चाहिए।"

24 मार्च, 1987 को मन्त्री महोदय द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था। तमिलनाडु में बिजली के बकाया भुगतान को केवल छः मास की अवधि के लिए रोक दिया गया है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह बिजली के बकाया भुगतान को पूर्णतया बट्टेखाते डालने के लिए अपने प्रभाव का

इस्तेमाल करें। क्योंकि श्री वसन्त साठे ने पूरे देश के लिए दलील पेश की है। अब मैं किसानों के बिजली के बकाया को बट्टे खाते डालने हेतु तमिलनाडु के लिए दलील पेश कर रहा हूं।

जहां तक विभिन्न योजनाओं का सम्बन्ध है, तमिलनाडु के लिए बनाई गई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। केन्द्र सरकार के पास लगभग 9 परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। उदाहरण के तौर पर साउथ अरकोट तथा कोयम्बतूर जिलों के तापीय बिजली परियोजना तथा तिरुनेलवेली जिले में न्यूक्लीयर बिजली (पावर) परियोजना और ओगनेक्कल जिले में जल-बिजली परियोजना, यह वह चुनाव क्षेत्र है जहां का प्रतिनिधित्व उपाध्यक्ष महोदय करते हैं। जब हम अनुदान की मांगों की ओर देखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उत्तर भारत के लिए बहुत सारी परियोजनाएं पा सकता है (व्यवधान)। कृपया मेरी पीड़ा अनुभव करें। वहां के लिए बहुत सी परियोजनाएं हैं।

यद्यपि तमिलनाडु में हमारे पास कोई परियोजनाएं नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन परियोजनाओं पर विचार करें।

जहां तक भेल का सम्बन्ध है यह तिरची तथा रानीपेट में भली प्रकार कार्य कर रही है। मुझे मन्त्री महोदय तथा भेल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देनी है। मैं तिरची तथा रानीपेट दोनों ईकाइयों की पर्यवेक्षी कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह कृपया उनकी मांगों पर विचार करें। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बिजली जनित्रण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एन० आर० आई० को बढ़ावा देने जा रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह उस पर दूसरी बार विचार करेंगे अथवा वह उस पर विचार करेंगे।

हाल ही में केन्द्रीय ऊर्जा अनुरक्षण संगठन ने अपनी रिपोर्ट दी है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान केन्द्रीय ऊर्जा अनुरक्षण संगठन की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहूंगा। उपभोग की विद्यमान दर पर केवल लगभग 500 वर्षों के लिए ही वाणिज्यिक ऊर्जा की सप्लाई उपलब्ध है। वार्षिक आवश्यकता 6000 लाख बैरल रखी गई है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग जो वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता का 55 प्रतिशत बैठती है शदी के बदलने के समय तक लगभग 900 लाख मी० टन तक बढ़ जाने की आशा है।

ऊर्जा उपयोग तथा उपभोग सम्बन्धी अन्तर-मन्त्रालयीय कार्यकारी दल ने यह कहा कि यदि उचित कदम उठाए जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कुशलता की हानि किए बिना औद्योगिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत ऊर्जा परिवहन क्षेत्र में 20 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 30 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होने की गुंजाइश है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस मामले में क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

दूसरा मुद्दा जिसका उल्लेख किया गया है यह है कि भारत में प्रदान की गई कुल बिजली का लगभग 60 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उपभोग की जाती है और यहां तक कि बचत में 6 प्रतिशत ऊर्जा की वृद्धि हो जाने का अर्थ एक वर्ष में 40000 लाख यूनिटों की बचत करना होगा। इसका अर्थ है बिजली के बिलों में 200 करोड़ रुपये की बचत। उपभोग के स्तर को कम से कम 25 प्रतिशत तक नीचे लाया जा सकता है।

केन्द्रीय ऊर्जा अनुरक्षण संगठन ने एक और सुझाव भी दिया है। यद्यपि नए बिजली केन्द्र तथा

[डा० ए० कलानिधि]

जल-बिजली परियोजनाएं चालू की जा रही हैं, फिर भी, पारेषण वितरण हानि की जांच करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है जो उत्पादन का 20 प्रतिशत बैठती है। यद्यपि हानियों को कम करके आधा कर दिया गया है, फिर भी, लगभग 4000 मेगावाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ी जाएगी। यही बात केन्द्रीय ऊर्जा अनुरक्षण संगठन की सिफारिश में कही गई है।

यह बताया गया है कि देश के अधिकांश बिजली संयंत्र कम भार संयंत्र कारक पर कार्य करते हैं। यहां तक कि संयंत्र भार कारक में एक प्रतिशत की वृद्धि का परिणामस्वरूप 500 मेगावाट बिजली तथा 500 करोड़ रुपये के उपकरणों की बचत होगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय ऊर्जा अनुरक्षण संगठन के सुझाव को मान लें क्योंकि कुछ मिनट पहले मेरे अच्छे मित्र माननीय मन्त्री श्री जाफर शरीफ ने कहा था कि हम कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं ; हम केवल आरोप लगा रहे हैं। मैं उन्हें बता दूंगा कि वह केन्द्रीय ऊर्जा अनुरक्षण संगठन द्वारा दिए गए सुझावों पर कम से कम विचार तो करें क्योंकि जब हम कोई बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि हम आप पर आरोप लगा रहे हैं। देश के हित में हम कई बातें कहते हैं; कृपया केन्द्रीय ऊर्जा अनुरक्षण संगठन की सिफारिशों को नोट किया जाए।

ऊर्जा के अनुरक्षण के लिए निगरानी का कार्य करने हेतु तीन एजेन्सियों का सुझाव दिया गया है—एक ऊर्जा अनुरक्षण के लिए एक प्रबन्ध संवर्ग जिसका प्रमुख एक ऊर्जा प्रबन्धक होगा, दूसरा प्रत्येक मन्त्रालय में ऊर्जा प्रकोष्ठ जो ऊर्जा के वितरण तथा उपभोग का कार्य करेंगे तथा तीसरा केन्द्रीय एजेन्सी जो एक शीर्षस्थ निकाय होगा जिसका निधीयन सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों संगठनों द्वारा किया जाएगा जो ऊर्जा कुशलता उपकरण खरीदने तथा उन्हें आधुनिक बनाने के लिए निधि अथवा ऋण देगी। मेरे विचार में केन्द्रीय ऊर्जा अनुरक्षण संगठन ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है और माननीय मन्त्री महोदय को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए।

अन्त में, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह बताना चाहूंगा कि मेरे राज्य की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। हमारे पास बिजली (पावर) नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। डा० करुणानिधि के कार्यकाल के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में हमारा तीसरा स्थान था। केवल उनके कार्यकाल के दौरान ही लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी और सभी पम्पसैटों को सिंचाई के लिए कनेक्शन दे दिए गए थे। हमारे गृह राज्य मन्त्री श्री पी० चिदम्बरम के वक्तव्य के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में अब हमारा 19वां स्थान है। उन्होंने हाल ही में तमिलनाडु में वक्तव्य दिया है। अब आप बहुत अच्छी प्रकार से स्थिति को समझ सकते हैं। यह बिजली की कमी, पानी की कमी के कारण है जिसके लिए मैंने माननीय मन्त्री श्री वसन्त साठे जी से अनुरोध किया है। जो बहुत नेक दिल इन्सान हैं और जो अधिक ताप बिजली संयंत्रों की स्वीकृति प्रदान करके हम पर अनुग्रह कर सकते हैं। चूंकि आप आस्ट्रेलिया से कोयले के आयात की अनुमति नहीं देते, इसलिए तमिलनाडु और विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से ताप बिजली संयंत्रों को क्षति हो रही है, जैसे कि पार्क टाउन निर्वाचन क्षेत्र में बेसिन ब्रिज पावर स्टेशन, उत्तरी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में इन्नोर ताप बिजली स्टेशन तथा तूतीकोरीन में ताप बिजली स्टेशन को हानि हो रही है। अपनी नेकदिली तथा प्रधानमंत्री के प्रभाव से वे आस्ट्रेलिया से और अधिक कोयला प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सस्ता और अच्छी किस्म का है—ताकि इन ताप बिजली स्टेशनों को हानि न हो। तिन्नेवेल्ली जिले में परमाणु बिजली परियोजना तथा ओगनेकल में पन-बिजली परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण आरकोट तथा कोयम्बटूर जिलों में भी ताप बिजली संयंत्र हैं। सोवियत रूस ने कहा है कि ताप बिजली संयंत्र

शुरू करने के लिए तमिलनाडु बहुत अच्छा स्थान है। मेरा माननीय मन्त्री महोदय जी से अनुरोध है कि मेरी प्रार्थना पर विचार करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मैं, ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मन्त्री महोदय जी को इस प्रशंसनीय कार्यनिष्पादन के लिए बधाई देना चाहता हूं। सूखा तथा अन्य प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद, कुल उपलब्ध ऊर्जा में कमी नहीं आई है। महोदय सातवीं योजना में 23000 मैगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि हम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे, परन्तु यदि लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो भी यह बताया गया है कि हमारे पास लगभग 10,000 मैगावाट ऊर्जा की कमी होगी। आठवीं योजना के अन्त तक लगभग 20000 मैगावाट की कमी हो जाएगी। इसलिए, जबकि हम अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं परन्तु कमी का अन्तर बढ़ता जा रहा है। यह एक समस्या है जिसका हमें समाधान करना है।

इन वर्षों में हमने पन-बिजली के स्थान पर ताप बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है। सातवें दशक के प्रारम्भ में हमारी पन-बिजली उत्पादन क्षमता काफी अधिक थी। अब हम अधिक धनराशि ताप बिजली पर निवेश कर रहे हैं। वास्तव में कुल बिजली उत्पादन का केवल 30 प्रतिशत पन-बिजली का उत्पादन होता है। हमारी पन-बिजली उत्पादन की सम्भावना 85000 मेगावाट से अधिक है, मैं समझता हूं कि इसमें से 1/5 हिस्सा बिजली भी अब तक तैयार नहीं की जाती। मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पन-बिजली उत्पादन पर अधिक बल दें क्योंकि यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में पन-बिजली का उत्पादन महंगा है परन्तु लम्बी अवधि में संचालन लागत कम हो जाती है इसलिए हमें पन-बिजली उत्पादन पर अधिक पूंजी निवेश करनी चाहिए।

जब मैं पन-बिजली उत्पादन की बात करता हूं तो मेरा कहना लघु पन बिजली परियोजनाओं के बारे में है। हमारे देश में लघु पन-बिजली उत्पादन की अत्याधिक सम्भावना है। यह अनुमान लगाया गया है कि लघु पन-बिजली परियोजनाओं से कम-से-कम 5000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, जबकि आज हम लघु पन-बिजली परियोजनाओं से केवल 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ही लघु पन-बिजली परियोजनाएं हैं। चीन में इस समय 10000 मेगावाट बिजली लघु मन-बिजली परियोजनाओं से तैयार की जाती है। हमारे देश में इसकी अत्यधिक सम्भावना है, जिसका हमने अभी तक पता नहीं लगाया है। आपको योजना आयोग से और अधिक धनराशि की मांग करनी चाहिए तथा उस पूंजी को लघु पन-बिजली परियोजनाओं में लगाना चाहिए। हमारे समक्ष इस समय आई हुई समस्या तथा सातवीं और आठवीं योजना के अन्त में आने वाली कठिनाई के समाधान के लिए उपयुक्त ऊर्जा के मिश्रण की आवश्यकता है। यह किस प्रकार सम्भव है। यह केवल ताप और पन-बिजली से ही सम्भव नहीं है। हमें बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना होगा ? यद्यपि यह आपके विभाग का कार्य नहीं है, परन्तु आपको इसे देखना होगा। चर्नोबल दुर्घटना के कारण देश में पहले से ही इसके लिए डर विद्यमान है। यदि किसी समय किसी स्थान पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह दुर्घटना हर स्थान पर तो नहीं हो सकती। हमें परमाणु ऊर्जा पर और अधिक पूंजी का निवेश करना चाहिए। हमारे देश में कोयला समाप्त होता जा रहा है। यदि इसी वर्तमान दर से कोयले का प्रयोग किया जाता रहा, तो मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि अगले 50 अथवा 75 वर्षों में हमारे देश में कोयला बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए, हमें परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू करना होगा।

इस सम्बन्ध में, मुझे आस्ट्रेलिया से कोयले के आयात के लिए हमारे कुछ मित्रों की मांग के

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

सम्बन्ध में कुछ कहना है । मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि यदि आयात किया जाने वाला कोयला सस्ता है और अच्छी किस्म का है तो हम कोयले का आयात क्यों नहीं करते । भावी पीढ़ियां आपकी आभारी होंगी । यह हमारे देश में कोयले को पूर्ण रूप से समाप्त न करने के लिए भी अच्छा होगा । परन्तु यदि आप कोयले का आयात कर सकते हैं, तो आयात करें, ताकि हमारे देश का कोयला आने वाली पीढ़ी के लिए आरक्षित रखा जा सके । इसलिए मैं, आस्ट्रेलिया से कोयले के आयात की मांग का समर्थन करता हूं ।

ताप बिजली संयंत्रों, पन-बिजली संयंत्रों तथा परमाणु संयंत्रों से भी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, यह वह लक्ष्य नहीं है जो कि आपने योजना के लिए रखा है, अपितु मैंने इसमें हमारे समक्ष आने वाली बिजली की कमी को भी शामिल किया है । इसके लिए, आपको सौर ऊर्जा का उत्पादन भी शुरू करना होगा । यह एक ऐसा साधन है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है ।

हमारे देश को सौर ऊर्जा का वरदान प्राप्त है । गुजरात, तमिलनाडु तथा अधिकतर उत्तरी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की तेज रोशनी होती है । यह सूर्य का प्रकाश कुछ महीनों को छोड़कर मई, जून, जुलाई तथा सारे वर्ष प्राप्त होता है । इसलिए, हमें बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारम्भ करना चाहिए ।

मैं मन्त्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध है । मैं जानता हूं कि हमारे यहां सोलर कूकर तथा लघु सोलर हीटर इत्यादि हैं । परन्तु अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या आपके पास तकनीकी जानकारी उपलब्ध है ? मैं मन्त्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं । मैं कुछ अखबारों में देखा है कि एक अमरीकन कम्पनी ने पंजाब में एक सरकारी उद्यम के सहयोग से 30 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता किया है । यदि यह सच है तो मैं इस प्रोद्योगिकी का प्रयोग करके सौर ऊर्जा पर और अधिक धन लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाना पसंद करूंगा । यदि जरूरत हो तो आप प्रौद्योगिकी का आयात भी कर सकते हैं । यदि सोवियत संघ के पास यह प्रौद्योगिकी है तो आप उससे भी इसका आयात कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हम तो कुछ बोले ही नहीं । हमको देखकर ये बोलने लगते हैं । चोर की दाढ़ी में तिनका ।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : किन्तु सौर ऊर्जा के विरुद्ध एक तर्क यह है कि इसकी प्रारम्भिक लागत अधिक है । यह सच है कि इसकी प्रारम्भिक लागत अधिक है । एक मेगावाट ताप विद्युत के उत्पादन के लिए 1.5 करोड़ रु० की जरूरत होती है । सौर ऊर्जा के लिए लगभग 3 करोड़ रु० से अधिक की जरूरत होती है । लेकिन जब आप ताप ऊर्जा के लिए 1.5 करोड़ रु० कहते हैं तो आप कोयले के खनन पर होने वाली लागत की गणना नहीं करते हैं । आप रेल परिवहन पर होने वाली

लागत की गणना नहीं करते हैं। अतः, मूलभूत ढांचे पर होने वाली लागत की गणना करें। तब आप पाएंगे कि सौर ऊर्जा की तुलना ताप विद्युत केन्द्रों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से की जा सकती है।

इसके साथ-साथ सौर ऊर्जा के कुछ अन्य लाभ भी हैं। इसके प्रेषणवार लाभ हैं। इससे प्रदूषण नहीं होता है। इससे पारिस्थितकीय असंतुलन नहीं होता है। मानसून की कमी होने पर भी यह उपलब्ध रहती है।

2.00 म० प०

अतः, अन्य क्षेत्रों की हानि अथवा कमी की प्रतिपूर्ति करने का एकमात्र समाधान सौर ऊर्जा ही है। किन्तु मुझे खेद है कि बजट में गैर-परम्परागत ऊर्जा के लिए केवल 100 करोड़ रुपये अथवा ऐसी ही अल्प राशि आवंटित की गई है। मैं योजना आयोग से गैर-परम्परागत ऊर्जा के लिए और निधियों का आवंटन करने तथा इसका प्रमुख भाग सौर ऊर्जा के लिए लगाने का अनुरोध करूंगा।

अधिक उत्पादन करना ही काफी नहीं है। हमें यह भी देखना है कि हमारे वर्तमान संयंत्र कैसे कार्य कर रहे हैं। मैं दक्षता में सुधार के लिए मन्त्रीजी को बधाई देता हूं। इसमें निष्पादन दर वृद्धि हुई है। संयंत्र भार उपादान में वृद्धि हुई है तथा अब आपने 53 प्रतिशत सफलता प्राप्त कर ली है।

श्री वसंत साठे : नहीं, यह सफलता 56 प्रतिशत है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हां। मैंने गलत कहा था। यह 56 प्रतिशत है। किन्तु यह काफी नहीं है। जब हम इसकी तुलना विकसित देशों से करते हैं तो हम इसे कम से कम 65 से 70 तक बढ़ा सकते हैं। मैं मन्त्री जी का अभिनन्दन करता हूं। संयंत्र भार उपादान की वृद्धि करने के प्रयास आगे भी जारी रहने चाहिएं।

अगला मुद्दा ऊर्जा की हानि तथा इसके संरक्षण के बारे में है। इस समय इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि हमारे इस्पात संयंत्र, जापान में इसी प्रकार के इस्पात संयंत्रों की तुलना में 100 प्रतिशत ऊर्जा अधिक खर्च कर रहे हैं। हमारे इस्पात संयंत्र ब्रिटेन तथा अन्य देशों में इसी प्रकार के इस्पात संयंत्रों की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत ऊर्जा अधिक खर्च कर रहे हैं। क्या हमें इस सम्बन्ध में नहीं सोचना है? इसलिए, ऊर्जा का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो उत्पादन करते हैं उसका संरक्षण होना चाहिए। प्रतिदीप्त लैम्प तथा तापदीप्त विद्युत बल्ब हैं। मान लो, हम सभी विद्युत बल्बों की जगह प्रतिदीप्त लैम्प लगा देते हैं, तो इससे कितनी ऊर्जा की बचत होगी? मैं कहता हूं यह बचत 1200 करोड़ रु० की होगी। मैंने आपके मन्त्रालय की एक रिपोर्ट में यह पढ़ा है। यह परिवर्तन काफी अधिक है। किन्तु आप ऐसी बातों के बारे में चिन्ता नहीं करते हैं। महोदय, ऊर्जा का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यह उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा के संरक्षण की निगरानी करने के लिए एक अभिकरण बनाने का एक प्रस्ताव था। मैं नहीं जानता कि इस प्रस्ताव का क्या हुआ। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव अधिकारियों की मेजों के नीचे रख दिया गया लगता है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को पुनरुज्जीवित किया जाए तथा ऊर्जा के संरक्षण की निगरानी करने के लिए एक स्वतन्त्र अभिकरण की स्थापना की जाए। यह कार्य देश के सर्वाधिक हित में है।

प्रत्येक व्यक्ति प्रेषण तथा वितरण की हानि के सम्बन्ध में कहता है। मैं इस सम्बन्ध में

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

कहना नहीं चाहता किन्तु एक बात मुझे बहुत निराशाजनक लगी है। हमारी प्रेषण तथा वितरण की हानि बढ़ रही है। 1960 में यह हानि लगभग 13-14 प्रतिशत थी तथा अब यह बढ़कर 20 प्रतिशत हो गयी है। यह हानि हर साल बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण चोरी है। हमने विद्युत की चोरी के लिए सख्त से सख्त सजा देने लिए विद्युत अधिनियम में संशोधन पारित किया है। किन्तु राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है। महोदय, प्रेषण तथा वितरण की हानि को 2। प्रतिशत से कम करने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए तथा यदि संभव हो तो इस हानि को 10 प्रतिशत तक लाया जाए। यदि उत्पादन तथा संरक्षण के सर्वतोमुखी प्रयास किए जाएं तभी उत्पादन के अन्तर को कम किया जा सकेगा। यह मेरा सुझाव है।

अपने राज्य के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां कुल विद्युत उत्पादन जल विद्युत का है। पिछले चार वर्षों से मानसून की कमी रही है तथा इसलिए हमारे यहां विद्युत नहीं है। यहां विद्युत की भारी कमी है। मेरा यह सुझाव है कि आप केरल राज्य को एक ताप विद्युत संयंत्र तथा एक परमाणु विद्युत संयंत्र दें। पहले यह सुझाव एक ताप विद्युत संयंत्र के लिए था तथा जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है इस उद्देश्य के लिए कायमकुलम चुना गया था, किन्तु मैं समझता हूं कि राजनैतिक उद्देश्यों के लिए केरल राज्य ताप विद्युत संयंत्र प्राप्त करने के स्थान पर इसको राजनैतिक रूप देने में अधिक आकृष्ट है। केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कायमकुलम को चुना था किन्तु राजनैतिक तथा प्रदेशीय उद्देश्यों के कारण केरल सरकार इसको किसी स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती है। मैं इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं। इस परियोजना में केरल की जनता की दिलचस्पी है तथा हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार हमारी सहायता करे। मैं अनुरोध करता हूं कि यह परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में कायमकुलम में ही स्थापित की जाए।

अब मैं पोयनगुट्टी जल विद्युत परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं, जिसके बारे में इस सभा में एक चर्चा हुई थी तथा इस सम्बन्ध में मतभेद था कि इस चर्चा की अनुमति दी जाए अथवा नहीं। इस समय यह परियोजना मंजूरी के लिए पर्यावरण मन्त्रालय के पास लम्बित है। मैं इस परियोजना को इस शर्त के साथ स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं कि जितने वन का विनाश होगा, सरकार द्वारा उसको पुनः लगाया जाएगा। वास्तव में उनके द्वारा 100 एकड़ वन के लिए 200 एकड़ वन पुनः लगाया जाए, अन्यथा इसको रोकने का कोई कारण नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि पोयनगुट्टी परियोजना को भी स्वीकृति दी जाए।

मैं इन शब्दों के साथ इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उन सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने अपने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव इस सदन में प्रस्तुत किए हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सभी पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

मैं थोड़ा-सा ध्यान सदन के सदस्यों का आकृष्ट करना चाहूंगी कि इस वर्ष देश पर क्या बीता है और इस घटना-चक्र में इस देश के विद्युत विभाग, पूरे एनर्जी विभाग ने किस तरह से देश के संकट के समय में कैसे इसे टाला है और उस पर किस तरह से उसने अपनी सफलता दिखाई है। इतिहास में

पूरी शताब्दी में शायद इतना बड़ा सूखा कभी नहीं पड़ा होगा जैसाकि पिछले वर्ष पड़ा था। देश में 14 राज्य सूखे से ग्रसित थे, वर्षा समय पर नहीं हुई, बहुत कम हुई, हमारे सारे रिजर्वायर सूख गए।

सबसे पहले हमें देखना था कि कृषि की और जान-माल की रक्षा हो, किसी की जान न जाने पाये, जानवर बचाए जायें, कृषि को कम से कम घाटा हो, जितना नुकसान होने वाला हो उसको बचाया जाए। साथ ही साथ बिजली में जितना उत्पादन हो सकता हो, ज्यादा से ज्यादा उसकी क्षमता के अनुसार उसको बढ़ाया जाए।

तीन चीजों पर जीवन निर्धारित है, रोटी, रोजी और मकान। इन तीनों चीजों के बगैर प्रगति नहीं हो सकती। इन तीनों की प्रगति के लिए विद्युत अत्यन्त आवश्यक है। रोटी के लिए कृषि चाहिए, कृषि के लिए सिंचाई चाहिए, पम्पसैट चाहिए, सारे ग्रामीण अंचल का विकास चाहिए, उसी के साथ-साथ रोजी के लिए, रोजगार देने के लिए मशीनें चलाना, जितनी फैक्ट्रीज हैं, उनको चलाना, यह सब बगैर बिजली के संभव नहीं है।

2.08 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

जब थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो लोग अपना मकान बनाने का प्रयास करते हैं। मकान चाहे संगमरमर का भी बन जाए, अगर उसमें एक बत्ती नहीं है तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए जीवन की इन तीनों चीजों में रोशनी, विद्युत की अत्यन्त आवश्यकता पड़ती है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो प्रगति के पथ पर आसानी से बढ़ा जा सकता है और हमारे विकास के चरण आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं।

यह हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का बराबर प्रयास रहा है और हर पंचवर्षीय योजना में देश के विकास के लिए इस पर ध्यान दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना में भी कृषि पर बहुत ध्यान होता है और विशेषकर इस वर्ष जबकि इतना बड़ा सूखा पड़ा, जहां-जहां भी हुआ, किस तरह से हम वहां अधिक-से-अधिक बिजली दे सकें, पम्पसैट चला सकें और जो कृषि पैदा हो रही है, उसका किसान भाइयों को लाभ मिल सके और आगे की फसल में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके हम कृषि के उत्पादन को बढ़ाकर लक्ष्य को पूरा कर सकें, इस तरफ ध्यान दिया गया है। मान्यवर, मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि इस वर्ष हमने विद्युत और एनर्जी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जिसे कि अंग्रेज में हैविट्रक कहते हैं। मुझे नहीं मालूम तीन से ज्यादा अगर सफलता मिलती है और वह चार हो जाती है तो उसको क्या कहना चाहिए?

हमारा जो प्लांट लोड फैक्टर है वह 56.4 परसेंट है जो कि एक ऐतिहासिक है। 10 वर्ष पहले यह 55.9 परसेंट था और अब की बार यह 56.4 परसेंट है जो कि सर्वश्रेष्ठ है।

इसके साथ ही साथ हमारा जैनरेशन 201.8 बिलियन यूनिट है। जो कि कभी 186 बिलियन यूनिट था। कहने का मतलब यह है कि उच्च स्तर की जैनरेशन इस वर्ष हुई है। हमारा जो एडीशनल कैपेसिटी जैनरेशन इस वर्ष है वह भी पिछले वर्षों से काफी ज्यादा है। हमने इस क्षेत्र में भी एक रिकार्ड स्थापित किया है और लक्ष्य से काफी अधिक है। सूखे के बावजूद भी वह 4981 मेगावाट हुआ है। हमने सूखे के बावजूद भी इस क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त की है।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

नई टैक्नालजी के क्षेत्र में भी हमने बहुत सफलता प्राप्त की है। जो हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है उसने भी बहुत कीर्तिमान स्थापित किया है। उसने लक्ष्य को भी पूरा किया है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचाई है, पम्पसैटों को एनरजाइज किया है। ये कीर्तिमान तभी स्थापित हो सकते थे जब हम पावर सेक्टर का पूरा परिवर्तन ऊपर से लेकर नीचे तक करते। हमने ऐसा परिवर्तन किया भी। जितने भी हमारे पावर मिनिस्टर हैं, जितने चेयरमैन हैं, जितने इंजीनियर, साइंटिस्ट और वहां पर जितने कर्मचारी हैं उन सब ने मिल कर, एकजुट होकर इस देश की चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर उन्होंने इस विशेष संकट के समय में मिल कर कार्य न किया होता तो यह समस्या हल नहीं हो पाती। इससे एक चीज यह साबित होती है कि हमारे नागरिक, हमारे देशवासी अगर यह निर्णय कर लें कि यह कार्य हमको सम्पन्न करना है तो वह आसानी से उस कार्य को सम्पन्न करके दिखा सकते हैं। मैं तो यह कहती हूं कि अगर कोई भी बड़ी बाधा को हम चुनौती मान कर, मिल कर, एकजुट होकर और सामूहिक रूप से स्वीकार कर लें तो कठिन से कठिन रास्ता भी तय करने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं सदन के माध्यम से व आपके माध्यम से सभी को और विशेष कर पावर सेक्टर के परिवार को इसके लिए बधाई देना चाहती हूं।

सूखे के समय में यह सोचा गया था कि कैसे इसका सामना किया जाए। प्रधानमन्त्री जी ने सब को बुलाया और कई मीटिंगें कीं। सभी ने अपने-अपने ऐक्शन प्लान बनाए। इस प्रकार आपने देखा कि पहले प्लान में 200 करोड़ रुपए विद्युत के लिए और एनर्जी के लिए रखे गए थे। अब की बार सातवीं पंचवर्षीय योजना में करीब 45 हजार करोड़ रुपये रखे गए। हमारे एक माननीय सदस्य जो इस समय उपस्थित नहीं हैं उन्होंने कहा कि कोई प्रतिशत में बढ़ावत नहीं आई है। अगर उसमें 20-21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी नहीं हुई तो कम से कम अगर उसे अवमूल्यन या दूसरी कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाए मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर है कि 45 हजार करोड़ में कुछ न कुछ तो फर्क अवश्य पड़ा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इस वर्ष जितना ज्यादा ध्यान इस क्षेत्र में रखा गया है, उतना शायद ही किसी में रखा गया हो मैं यह मानती हूं कि जितनी धनराशि विद्युत के लिए रखी गई है वह कम है और अगर वह और अधिक हो जाती तो हम और अधिक मांग की पूर्ति कर सकते थे।

इसके अतिरिक्त हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना की भी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि आप तो जानते ही हैं विद्युत के काम में 4-5 साल लग जाते हैं और पहले से ही इसका कार्य प्रारम्भ हो जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य को अभी से सम्पादित करने के लिए हमने करीब 10 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि रखी है। हालांकि मांग को देखते हुए यह ज्यादा नहीं है।

साथ ही साथ जो प्लान आफ ऐक्शन सूखे के समय में किया गया उसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई है। 75 प्रतिशत लोग आज खेती के काम में लगे हुए हैं और कई किसान परिवार इस पर निर्भर हैं। रीढ़ की हड्डी वहीं पर है। इसमें करीब 9 बिलियन यूनिट पानी की कमी, हाइडल शार्ट फॉल की आशा थी कि इतनी कमी हो जाएगी परन्तु खुशी की बात यह है कि प्लान ऑफ एक्शन जो बनाया गया उसमें ऐसा प्रयास किया गया कि थर्मल जनरेशन जितना ज्यादा किया जा सके उतना किया जाय। इसमें मैं अपने कोयला विभाग को, हमारे मन्त्री जी को, हमारे राज्य मन्त्री जी को, कोयला विभाग के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हालांकि स्ट्राइक भी हुई लेकिन उस स्ट्राइक में भी एकाध को छोड़कर सबों ने मिलकर कोयले की मांग को उन्होंने पूरी तरह से पावर स्टेशन को पूरा किया। अगर वह मांग की पूर्ति न करते तो शायद पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन करने में कठिनाई पड़ जाती, इस कमी को,

जो करीब 9 बिलियन यूनिट की हाइडल शार्टफॉल की आशंका थी उसमें 6 बिलियन यूनिट तो थर्मल जनरेशन से अतिरिक्त उपलब्ध कराया गया और यही कारण है कि हम टार्गेट के, लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। करीब-करीब साढ़े 98 प्रतिशत पिछले वर्ष का, जिसका हम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य मिल गया है, फिर भी हमारे देश में कमी रही और जगह-जगह इस कमी की चीजें हमारे सामने आईं। हमें साढ़े 9 प्रतिशत बिजली की कमी की आशंका थी कि इतनी कमी होगी जो बढ़कर 11 प्रतिशत अवश्य हो गई, कहीं ज्यादा, कहीं कम। ऐसे समय पर हमारा नेशनल ग्रिड का कांसैप्ट है जिस का इवेल्यूएशन हो रहा है और जिसके लिए 5 रीजनल ग्रिड्स स्थापित किए जा चुके हैं देश के अलग-अलग रीजंस और पांच कार्य कर रहे हैं और जिनके कई जगह लोड सैण्टर्स भी बन गये हैं। इनके द्वारा जिनके पास ज्यादा विद्युत थी उन्होंने ऐसे क्षेत्र में भेजी जहां पर विद्युत की बहुत कमी थी। आपस में पड़ौस-पड़ौस के राज्य के रूप में और रीजन-इन्टर रीजन के रूप में, इस तरह ग्रिड का कार्य बराबर चलता रहा। यही कारण है कि जहां पर बहुत कमी रही, वहां पर कुछ कम कमी की गई, जहां अतिरिक्त थी उसको भी भेजा गया और इस तरह से लेनदेन करने में जो नेशनल ग्रिड का स्वरूप बन रहा है वह अच्छी तरह से निखरकर सामने आया है और हमें विश्वास है कि कुछ वर्षों में नेशनल ग्रिड पूरी तरह से बन जायेगा उससे जो तरह-तरह की कठिनाइयां सामने आती हैं उनका सामना करने में हमें मदद मिलेगी।

इसमें विशेष कार्य हमारे सैण्ट्रल सैक्टर का रहा है, आपको मालूम है कि पिछले वर्ष हमारे एन. टी. पी. सी. ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसे 500 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशंस बनाने थे और आपको जानकर खुशी होगी कि 4 जो 500 मैगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशंस बने हैं उनमें से तीन तो अपने निर्धारित समय के पहले ही बन गए। कोई एक महीने पहले, कोई 5 महीने पहले और कोई 4 महीने पहले तो यहां यह दिखाई पड़ता है कि अगर लोग अपने सामने एक लक्ष्य रखते है, अच्छी मोनेटरिंग होती है, अगर कोआर्डीनेशन अच्छा होता है, अगर निर्णय अच्छा होता है और सब काम करने वालों की वहां पर धारणा अच्छी होती है तो काम हो सकता है यही कारण है कि लक्ष्य से अधिक काम आज यहां पर हुआ है। विशेषकर एन. टी. पी. सी. को मैं उनके कार्य के लिए उनको बधाई देना चाहूंगी और साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगी कि अब इन लोगों के, एन. टी. पी. सी. के कार्य के कारण सैंट्रल सैक्टर का करीब-करीब 21 प्रतिशत सैण्ट्रल सैक्टर में है, जो देश की 54 हजार मैगावाट की टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी है। हमें आशा है कि दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जायेंगे और उसमें सैण्ट्रल सैक्टर का हिस्सा थोड़ा बढ़ता जाएगा।

इसके अतिरिक्त हमें यह भी कहना है कि एन. एच. पी. सी. का जो हमारा दूसरा कारपोरेशन है, जो पानी में डील करता है, मैं अपने कई सम्मानित सदस्यों से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे देश में जब इतना पानी है, जो रिनुएबल सोर्स आफ इनर्जी है, जब वह पोल्यूशन फ्री है, जब वह सस्ता है तो हमें उसको ज्यादा से ज्यादा टैप करना चाहिए, चाहे मिनि हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे स्माल हो और चाहे बड़ा हो और इसी ओर हम ज्यादा तेजी से विशेषकर व्यक्तिगत रूप से और हर तरह से प्रयास अपने कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाइडल प्रोजैक्ट्स डवलप हो जायें। आज देश में करीब-करीब 85 हजार मैगावाट हमारी क्षमता है, इतनी बिजली हम पानी से उत्पन्न कर सकते हैं और इसमें से ज्यादातर क्षमता नार्थ ईस्ट राज्यों जैसे अरुणाचल वगैरह में है और उसमें हमारी दो एक बड़ी योजनायें हैं, उसमें बहुत रुपये लगेंगे और रुपये लगने के अलावा भी कुछ राज्य जहां कि बहुत सी जमीन सबमर्ज हो जायेगी। कुछ लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा इसलिए कुछ राज्यों को साथ में लेकर, सहयोग लेकर हमें यह काम करना है, इसपर भी हम सब लोग विचार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी का हम कैसे

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

उपयोग बढ़ा सकते हैं और इसमें हमने मिनी, माइक्रो, स्मॉल, इन पर भी ध्यान दिया है पर मेरा ऐसा आग्रह राज्य बोर्डों से है और राज्य मन्त्रियों से है, मन्त्रियों से है, हमारे सम्मानित मदस्यों से है कि अगर राज्य बोर्ड के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मिनी, माइक्रो, स्मॉल पर भी ज्यादा ध्यान दें तो उस चीज में हमारे सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथॉरिटी के पास आने की आवश्यकता नहीं है···वे अपने स्तर पर ही कर सकते हैं। करीब 94 ऐसी योजनायें हैं जोकि अण्डर एग्जामिनेशन हैं और चालू भी हैं। उनकी अगर आप पूर्ति करा सकें, उनपर ज्यादा धनराशि भी नहीं लगती है, तो अच्छा रहेगा लेकिन अभी ज्यादातर उनको लिया नहीं गया है। शायद बड़ी-बड़ी योजनाओं का आकर्षण अधिक होता है परन्तु छोटी-छोटी चीज, बूंद-बूंद से हमें घड़ा भरना है। छोटी-छोटी योजनाओं पर भी हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन माननीय सदस्यों से हैं कि वे अपने राज्यों में भी जो छोटी-छोटी योजनायें हैं, उनको मंगायें और यहां से जो भी जानकारी चाहिए वह हम देंगे और इस तरह से उन योजनाओं को वे वहां पर बाकायदा पूरा करवायें तो इससे भी हमें बड़ा सहयोग मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त हमारी दो बहुत बड़ी योजनायें भी हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सोवियत कोलाबरेशन का एक एग्रीमेन्ट हुआ है, हमारा जो टेहरी प्रोजेक्ट है उसमें 24,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। हमारी वह चीज जब बन जाएगी तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। उसके अलावा नाथपा झाखड़ी बनने की बात है। उसका कारपोरेशन भी बना है। तो यह काफी बड़ी चीजें हो रही हैं। तो बड़ी और छोटी हर चीज का हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमें पूरी तरह से उस क्षमता को टेप करने का प्रयास करना है जिसके लिए हम लोग बहुत उत्सुक भी हैं।

मैं एक चीज की तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। सलाल प्रोजेक्ट पिछले 15-16 वर्षों से बन रहा था। उसके बारे में काफी चर्चा भी हुई, काफी प्रश्न भी किए गए और चिन्ता भी हुई क्योंकि उसमें डिले हुई। हमारे कश्मीर का यह प्रोजेक्ट है। इसको बनाने में ज्यादा विलंब हुआ है और हमारी धनराशि भी काफी लगी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, जिस दिन जाकर पहले मैंने उसको देखा तो आभास हुआ कि वहां पर किन परिस्थितियों में हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे थे। वहां पर कोई सुरक्षा नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन जिस लगन से हमारे साइंटिस्ट्स ने उस योजना को डिजाइन किया, जिस तरह से उस काम में लगे और उसको पूरा करके दिखाया, उसके लिए वे अवश्य ही बधाई के पात्र हैं। हालांकि उसमें विलम्ब अवश्य हुआ। पर सबसे बड़ी चीज यह है कि स्वयं हमारे प्रधान मन्त्री जी ने फरवरी में जाकर जब उसका उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा कि वह योजना हन्ड्रेड परसेंट इंडिजीनस है। उसका सारा डिजाइन और सारी टेक्नालाजी हन्ड्रेड परसेन्ट हिंदुस्तानियों की ही है। यह बात सही है कि हमें अपनी टेक्नालाजी को अपग्रेड करना है, ऊर्जा के क्षेत्र में लेटेस्ट टेक्नालाजी का ज्ञान रखना है, अपनी स्किल को अपग्रेड करना है, हमें ट्रेनिंग भी देनी है और किसी भी तरह से हमें दूसरे देशों से पीछे नहीं रहना है बल्कि आगे बढ़ना है। हमारे पास उसकी क्षमता भी है। हमारा भेल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर भेल ने हमारे सुपर-थर्मलपावर के लिए बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी टरबाइन्स नहीं दी होती, तो शायद यह चीज भी आज नहीं हो पाती।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : सलाल प्रोजेक्ट के बारे में आपने कहा लेकिन मैंने वहां पर जाकर देखा है, हमारे जे. के. के. चीफ मिनिस्टर ने देखा। उसको बनाने में कितने साल ज्यादा लग गए और उसमें कितना नुकसान हुआ, उसके कांस्ट्रक्शन का जो टाइम-टेबल था, जिसके अन्दर उसको

एग्जीक्यूट होना चाहिए था, उसमें वह नहीं बना। तो उसके बारे में तहकीकात करने के लिए क्या आपने कोई कमेटी बिठाई ? आपने उनकी बड़ी तारीफ की है लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनाने में करप्शन के भी बड़े चार्जेज लगे हैं तो उसके बारे में आपने क्या किया ?

[شری عبد الرشید کابلی (سری نگر) : سلال پروجیکٹ کے بارے میں آپ نے کہا لیکن میں نے وہاں پر جاکر دیکھا ہے۔ ہمارے جے کے کے چیف منسٹر نے دیکھا کہ اس کو بنانے میں کتنے سال لگ گئے اور اس میں کتنا نقصان ہوا۔ اس کے کنسٹرکشن کا جو ٹائم ٹیبل تھا جس کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے تھا اس میں وہ نہیں بنا۔ تو اس کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے کیا آپ نے کوئی کمیٹی بٹھائی۔ آپ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے لیکن اس پراجیکٹ کو بنانے میں کرپشن کے بھی بڑے چارجز لگے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا۔]

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं आपकी बात का भी उत्तर दूंगी। मैं अगर कम्प्लीट कर लेती तो अच्छा था। चूंकि आपने एक बात उठाई है इसलिए मैं उत्तर दे देती हूं।

मान्यवर, यह चीज जब हमारे सामने आई तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट टीम वहां पर भेजी गई लेकिन वहां पर ऐसी कोई चीज लीकेज की साबित नहीं हुई जोकि उस डिग्री से ज्यादा रही हो। पूरी तरह से उस चीज की जांच की गई लेकिन कोई भी चीज नहीं पाई गई। बाकी उस प्रोजेक्ट में विलम्ब और कास्ट एस्कलेशन हुआ है— यह तो मैं स्वयं ही कह चुका हूं।

मान्यवर, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, कई बेसिन को डेवलप करना है, हाइडल पावर के लिए, और इस बात से ही प्रभावित होकर हमने एक नेशनल योजना बनाई है, एक नेशनल इन्स्टीट्यूट फार हाइडल पावर— रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट की हम देहरादून में स्थापना कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि आगे हमारी योजनाएं पनबिजली के बारे में हैं इसलिए सलाल प्रोजेक्ट से जो अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं उनसे हम लाभ उठा सकेंगे। ताकि वहां पर जो भी कमी हुई जिसकी वजह से विलम्ब हुआ वह दूसरी जगह पर न होने पाए। वह सारी चीजें एकत्रित करके और उस पर रिसर्च करके सुधार लाने के लिए हमने उसको स्थापित किया है। मुझे आशा है कि इसी महीने शायद देहरादून में इसकी स्थापना भी हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त इन्टेग्रेटेड इनर्जी डेवलपमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं, मैं नान-कन्वेंशनल के बारे में नहीं कहूंगी क्योंकि वह मन्त्रीजी का विषय है उसमें गैस एक बहुत अच्छा सोर्स है और इसके मिलने के बारे में कोई कहता है—

[अनुवाद]

न्यूनाधिक यह भाग्य की बात है।

[हिन्दी]

5 महीने मुझे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के महकमे को सम्भालने का मौका मिला है। लोगों का कहना है कि यह चीज भाग्य पर निर्भर करती है और फारचूनेटली वह अच्छी रही है। कई एक बैल्ट्स मिले हैं, जहां तेल भी है और नेचुरल गैस भी है। हम चाहते हैं कि नेचुरल गैस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और प्रायरटी क्षेत्र में इसको लगा सकें, तो अच्छा रहेगा क्योंकि गैस कुछ सस्ती भी पड़ेगी। हमने इस बारे में कुछ स्टेप्स लिए हैं। एच० बी० जे० पाइप लाइन स्वीकृत है, उस पर कार्य

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

चल रहा है और वह बन रही है। दादरी में भी एक प्रस्ताव जो नेशनल कैपिटल थर्मल प्रोजेक्ट के अतिरिक्त है। गैस को बिजली के लिए प्राथमिकता दे सकें और हम चाहते हैं कि गैस को ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करके हम इसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें, तो अच्छा होगा। सलाल प्रोजेक्ट के बारे में आपने कहा। मैंने पता लगाया है और यह मालूम हुआ।

[अनुवाद]

एक चट्टान डैम में जोकि अनुमत डिजाइन सीमाओं में है थोड़ा सा रिसाव है।

[हिन्दी]

जो आपके मन में शंका है सलाल के बारे में, उसका समाधान होना चाहिए ताकि आपके मन में कोई ऐसी चीज न रहे।

साथ ही साथ, हम गैस को इसलिए बढ़ा रहे है कि वह सस्ती पड़ेगी। अब यह कन्फर्म करना है कि कितनी उसकी एवेलेबिलिटी है, वह कन्टीन्युअस है या नहीं है और वह कितनी मात्रा में हमको मिल सकती है और कहां मिल सकती है। इन सारी चीजों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि दिन-प्रतिदिन हम गैस को प्रायरटी देंगे और उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ टाइडिल इनर्जी पर भी काम चल रहा है और उस पर रिसर्च हो रही है। गुजरात में कोई 840 या 900 मेगावाट बिजली, हमें आशा है, समुद्र की लहरों से शायद हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उसकी रिपोर्ट आ जाए, तो यह एग्जामिन करेंगे कि उस पर कितनी धनराशि लगेगी। इन सब चीजों पर बाकायदा काम चल रहा है। हमारे देश के इन्जीनियर्स, टेक्नीशियन्स, एजेन्सीज और विदेशों के लोग लगे हुए हैं और रिपोर्ट आने के बाद, इस पर काम होगा। नान-कन्वेंशनल पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मन्त्री जी उस पर अच्छी तरह से बोलेंगे। इनटेग्रेटेड इनर्जी एप्रोच पर हमें ध्यान रखना है और सभी का सामूहिक लाभ उठाकर हम यह देखें कि जितनी लोगों की आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं और जितनी लोगों की जरूरतें हैं—वैसे जरूरतों की कोई हद नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, हम लोग मनुष्य हैं और हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं—अपने सीमित साधनों में उनको जहां तक हो सके पूरा करें। इनर्जी के मैनेजमेंट से इनर्जी कन्ट्रोल वगैरह से और कन्जर्वेशन पर विशेष ध्यान देकर जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है, उसको किसी सीमा में रख सकें। हमें बहुत धनराशि की आवश्यकता है। पावर की हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है। एन्ड आफ दि सेन्चूरी या 2000 ए० डी० तक हम ले जाते है, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ेगी और तब हम अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने ऊपर नियन्त्रण रखना पड़ेगा, अपनी इनर्जी पर ध्यान रखना पड़ेगा और प्राथमिकता के आधार पर, यह कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, कन्जर्वेशन पर विशेष ध्यान देना है। यह सही है कि जैनरेशन और कन्जर्वेशन दोनों बहुत जरूरी हैं। अगर एक प्रतिशत भी हम ट्रांसमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का लोस घटा लेते हैं, तो काफी करोड़ रुपए की बचत हो सकती है और कोई कहता है कि इससे 500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। 56 प्रतिशत बिजली की खपत हमारे इन्डस्ट्रियल सेक्टर में होती है। अगर हम इक्युपमेंट्स के डिजाइन बदल दें, उन्हें माडेनाइज करें और जरूरत के अनुसार उन्हें बनाएं, तो कोई कहता है कि 15% इनर्जी का कन्जर्वेशन हो सकता है। इसके लिए हमने निर्णय किया है और राज्य बोर्डों के द्वारा चारों तरफ देश में कहलवा दिया है कि अगर कोई इन्डस्ट्री कन्जर्वेशन के माध्यम से अपनी इनर्जी की खपत कम करता है तो—

[अनुवाद]

भविष्य में विद्युत के आबंटन के लिए यह हतोत्साहन की बजाय प्रोत्साहन सिद्ध होगा।

[हिन्दी]

अगर वह बच जाता है और काम की क्षमता वही रखता है, काम में किसी तरह की गिरावट नहीं आती है तो यह कन्जर्वेशन आफ एनर्जी एक तरह का बोनस बन सकती है। आगे भी अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो इस पर काफी अच्छी तरह से विचार किया जाएगा। मेरे ख्याल में यह चीज इन्डस्ट्रियल सेक्टर में रहेगी।

साथ ही कृषि में भी हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारे जो पम्पिंग सेट कृषि विभाग में कार्य कर रहे हैं, हम लोगों ने कई हजार पम्प सेटों पर इसका प्रयोग किया है। अगर वे स्टैंडर्ड के होते हैं, अगर थोड़ा-सा उनका डिजाइन बदल दिया जाता है तो कोई 28 प्रतिशत बिजली की बचत हो जाएगी। 28 प्रतिशत एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर 28 प्रतिशत बिजली बचा ली जाए तो काफी रुपया बचाया जा सकता है। एक मेगावाट बिजली बनाने में एक या सवा करोड़ रुपया लगता है। इस तरह से करोड़ों रुपए इनमें बच सकते हैं और देश में रहकर ही इस कन्जर्वेशन का अच्छी तरह से बंटवारा हो सकता है।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मानिटरिंग के लिए हमने कई तरह की मीटिंगें की थीं। पिछले वर्ष हम लोगों ने शुरू-शुरू में ही, 14 अप्रैल से यह कार्य शुरू किया था। राज्य स्तर पर जो एक-एक हमारे प्रोजेक्ट हैं, अगर हम प्रोजेक्टवाइज उनके लिए विचार करें कि कहां पर विलम्ब हो रहा है, कहां पर इक्विपमेंट पहुंचने में देरी हो रही है, कौन-सी एजेन्सी है जिससे सामान नहीं आ रहा है, कैसे हम एक दूसरे में कोआरडिनेशन ला सकते हैं—इन सब पर हमने काम किया था। (व्यवधान)

यादव जी आप तो सरकार में रहे हैं और बहुत ही सफल मन्त्री रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने कोआरडिनेशन पर ध्यान दिया। यादव जी एक्स मिनिस्टर रहे हैं, इस कोआरडिनेशन की आवश्यकता तो उनकी एजूकेशन मिनिस्ट्री में भी रही होगी। पहले 14 अप्रैल से ही हमने राज्य स्तर पर मीटिंग बुलायी, रीजनल मीटिंग, जोंस की मीटिंग। उनमें माननीय मन्त्री आए, सेक्रेटरीज आए, चेयरमैन आए। चाहे कोल विभाग हो, चाहे रेल विभाग हो, चाहे बी० एच० ई० एल० हो जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट बनता है, एक-एक प्रोजेक्ट के बारे में अक्रास द टेबल चर्चा की। इसका एक नतीजा बाद में हमारे सामने आया कि जो हमारा कोरबा वाला प्रोजेक्ट 1988-89 में तीन-चार महीने बाद बनने वाला था, वह 31 मार्च, 1988 के पहले बनकर तैयार हो गया। यह चीज इसलिए हुई कि मोनेटरिंग की गई और यह ध्यान दिया गया कि कहां पर विलम्ब है, कहां पर शिथिलता है। हमारा पावर फाइनेंस कारपोरेशन पिछले साल बन गया है। उसके पास ज्यादा रुपया नहीं है, कोई 60 करोड़ रु० ही पहले है। तो उसने प्लान करके थोड़ा-थोड़ा रुपया राज्य-राज्य को पहुंचाकर यह कोशिश की कि इक्विपमेंट और चीजें जल्दी पहुंचनी चाहिएं। कभी-कभी हमारे यहां विलम्ब हो जाता है और कहीं हमारे प्रोजेक्ट का कास्ट एस्कलेशन हो जाता है। यह बड़ी चिंता की चीज है और गम्भीर है। इस पर गहराई से विचार किया गया और आगे भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि पावर सेक्टर हाइली केपिटल इन्टेन्सिव होता है। अगर इसमें जरा सा भी विलम्ब होता है तो काफी धनराशि का, करोड़ों रुपए का बोझ पड़ जाता है।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

इसमें अक्सर यह भी होता है कि फोरेस्ट एरियाज में क्लीयरेंस नहीं मिलती । फिर लैंड एक्वीजीशन में देरी हो जाती है : लैंड में आपस के झगड़े होते हैं। इसके कारण भी देरी होती है। कभी-कभी, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहूंगी, माननीय सदस्य सामने बैठे हैं। किसी राज्य में इनडिसिप्लीन हो जाता है, लेबर ट्रबल हो जाती है। यह चीज मैं साठे साहब पर छोड़ देती हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : बिहार के बारे में तो कहिए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : बिहार के बारे में न कहलवाइए, बहरहाल इसके बारे में मैं बाद में कहूंगी। अभी रास्ता बदल जाएगा। मेन ट्रेक पर ही मुझे रहने दीजिए। (**व्यवधान**)

इसमें एक तो यह बात है कि देरी रुक जाए। इसमें राज्य बोर्ड और सदस्यगण हमारी मदद कर सकते हैं। चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर वे अपने स्तर पर हर जगह जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उनको आगे बढ़वाएं। कहीं अगर उनमें कोई दिक्कत हो तो उसको यहां पर भी उठाया जाए। कई दफा हमने वहां के पावर मिनिस्टर से अलग-अलग बात की है।

बिहार में बहुत कोशिश करने पर भी प्लांट मोड फैक्टर बढ़ता नहीं है, घटता जा रहा है।··· (**व्यवधान**)

श्री डी० पी० यादव : कोयला मन्त्री का कार्यालय वहीं पर खुलवा दिया जाए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस बार ग्यारह स्टेट इलैक्ट्रानिकी बोर्ड्स ने काफी सुधार दिखाया है। इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगी। राज्यों का पी० एल० एफ० कभी पचास प्रतिशत नहीं होता था बल्कि 49 प्रतिशत रह जाता था, अब करीब-करीब 53 प्रतिशत पहुंचा है। यह हैट्रिक, फोरट्रिक और फिफ्थट्रिक रही है। यह ट्रिक नहीं है, वास्तव में सच्चाई है और इसका मैं स्वागत करती हूं। फिर भी हमें बहुत कुछ करना है। मैं एक बात सदन के समक्ष कहना चाहती हूं कि अक्सर राज्य विद्युत बोर्ड्स के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। पूरी छवि ऐसी बिगाड़ दी जाती है कि करप्शन है, अक्षम है और कार्य करने की प्रणाली नहीं है। पचासों बातें होती हैं। अगर आज यह होता और हमारे राज्य विद्युत बोर्ड्स ने यह कार्य करके नहीं दिखाया होता तो कम से कम इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि राज्य विद्युत बोर्ड किस कठिनाई में कार्य कर रहे हैं। यह चीज मैं रिकार्ड में लाना चाहती हूं कि मनोबल गिराने से काम नहीं चलेगा। राज्य विद्युत बोर्ड्स की फाइनेंशियल कांस्ट्रेंट्स क्या हैं। एक पैसा उनके पास नहीं है। सारा लोन या बारोइंग के रूप मे है, जिस पर वे इन्टरेस्ट पे करते हैं। जब कांस्ट्रेंट बढ़ता चला जाता है और इन्टरेस्ट भी बढ़ जाता है तो पूरे प्रोजेक्ट्स का बीस प्रतिशत के करीब इन्टरेस्ट के रूप में चला जाता है। पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी हमने इस बात को लिया है और हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो लोन है वह 50 प्रतिशत इक्विटी के रूप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यह चीज हमने उठाई है और हम चाहते हैं कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने राज्य में जाकर उठाएं और यह कोशिश करें कि पचास परसेन्ट लोन इक्वीटी में कन्वर्ट हो जाए जिससे पैसा प्राप्त होने से माडरनाइजेशन और रीनोवेशन में लगा सकेंगे और अपने कार्य की क्षमता बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के एग्रीमेंट के अनुसार जो रूरल सबसिडी है वह हर राज्य को अपने बोर्ड को देना आबलीगेटरी है जबकि राज्य विद्युत बोर्ड्स कामर्शियल अन्डरटेकिंग हैं और इनको तीन परसेन्ट सरप्लस दिखाना है। कामर्शियल अन्डरटेकिंग होते हुए भी कितने राज्य हैं जिन्होंने रूरल

इलैक्ट्रीफिकेशन की सबसिडी उनको दी हुई है। नतीजा यह है कि हम लोग कमीटेड हैं कि हमें रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन करना है, ग्रामीण अंचल में सुधार लाना है, सोशियो इकोनोमिक फ्रंट पर विकास करना है। यह प्लान आफ एक्शन है, पर इसके लिए राज्य विद्युत बोर्डों को जो कामर्शियल आरगेनाइजेशन हैं, उनको क्यों पैनेलाइज किया जा रहा है। हमने यह चीज पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग में उठाई है और राज्य विद्युत बोर्डों की कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग को भी लिया है। साथ ही साथ हमने मन्त्रियों से यह भी निवेदन किया कि अपने-अपने राज्य में जो रूरल सबसिडी देनी है, वह दे देनी चाहिए। साथ ही टैरिफ का भी प्रश्न आता है। हम सब लोगों को गांवों में बिजली ले जानी है। आज 74.5 परसेन्ट के करीब-करीब ग्रामीण अंचल का इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ है। मैं वास्तव में व्यक्तिगत रूप में इसको इलैक्ट्रीफिकेशन नहीं मानती। अगर एक गांव में पांच-छह जगह बिजली चली गई या गांव के बीच से बिजली चली गई तो मैं उसको पूरा इलैक्ट्रीफिकेशन नहीं मानती। पर आज जो संसाधन हमारे पास है, उसमें इस पर भी विचार करना है। आज रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन प्राथमिकता दे रही है और हरिजन बस्ती, ट्राइबल एरिया और ब्लैकबर्ड एरिया में जाएं और विशेषकर उन राज्यों में जाएं जहां 65 प्रतिशत से कम हमारे गांव इलैक्ट्रीफाइड हैं। उनको हमें प्राथमिकता देनी है। हमें आशा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शत-प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच गई है और हमें आशा है कि कुछ राज्य नजदीक-नजदीक पहुंच गए हैं उनमें भी बिजली पहुंच जाएगी। अभी बजट में कुटीर ज्योति नाम की योजना बनी है। जीवन में ज्योति न हो तो जीवन कैसा होगा। जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं उनके लिए इस वर्ष 1988-89 में हमने निर्णय किया है कि ग्रामीण अंचलों के पांच लाख लोगों को उनके घरों में सिंगल पाइन्ट बत्ती अवश्य देंगे। वैसे ही जल धारा के अन्तर्गत 50 हजार सेट मार्जिनल फार्मर्स को, गरीब किसानों को देने का प्रावधान है। एक चीज और है। रिनोवेशन आधुनिकीकरण का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बनाया गया था। आशा थी कि 3-4 वर्षों में पूरा हो जाएगा, शुरू में समय लगता है, जहां राज्यों में 162 यूनिट हैं, 34 स्टेशन हैं अगर यह कार्य पूरा हो जाता तो हमें 1375 मेगावाट अतिरिक्त बिजली इस रिनोवेशन और आनुनिकीकरण से उपलब्ध हो जाती। यह बहुत बड़ी चीज है। हमारा प्लांट लोड फैक्टर भी बढ़ा है। कुछ प्रोजेक्ट जैसे भटिण्डा, रोपड़ और कोटा में पूरा हो रहा है। जहां पर यह कार्य हो रहा है काफी सन्तोषजनक हुआ है। हमारे माननीय सदस्यगण हमारी कमजोरियां जरूर दिखाएं लेकिन कृपा करके ऐसी चीजें भी बतायें जो हमारी उपलब्धि हैं। इसके लिए 500 करोड़ रु० सेन्ट्रली स्पोंसर्ड रखे गए हैं। यहां से भी रिलीज हो सकता है। यह योजना थर्मल यूनिट की थी अब नया दृष्टिकोण हाइडल पर ज्यादा ध्यान देकर अपरेटिव एण्ड रिनोवेशन, हाइडल को, हम लाए हैं। इसके माध्यम से करीब 60 ऐसे प्रोजेक्ट्स पहचान लिए गए हैं जो पुराने हाइडल की चीजें हैं उनमें सुधार करके उनको ठीक करके अच्छा काम हो सकता है। कुछ कोल कारो के बारे में माननीय सदस्य ने कहा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, उनको ज्यादा मालूम होगा—

[अनुवाद]

जैसाकि मैंने पहले बताया है कि भूमि का अधिग्रहण करना एक ऐसा उद्देश्य है जिसके कारण बहुत से मामले लम्बित हो जाते हैं और परियोजना में विलम्ब होता है। कोयला कारो परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण सम्बन्धी एक याचिका उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। यह मामला न्यायाधीन है। मुझे उम्मीद है कि इस स्पष्टीकरण के बाद, माननीय सदस्य मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे।

[हिन्दी]

श्री बिजय कुमार यादव : समय आप ही ले रही हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने कम्प्लैंट नहीं की।

[अनुवाद]

बिहार में 1987-88 में प्लांट लोड फैक्टर फरवरी, 1988 तक 32.2 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

अब आप बताएं। बिहार के मन्त्रीजी ने अच्छा सहयोग दिया है। कुछ चीजें ऐतिहासिक होती हैं बनाने में समय लगता है। मैं भी उत्तर प्रदेश से आई हूं जानती हूं कि कुछ चीजों को रास्ते में लाने के लिए समय लगता है। फिर भी बिहार में आगे जाने की बजाय पीछे लाने की प्रवृति ही रही है। कोल कारो सबज्यूरिस है, पर प्लांट लोड फैक्टर नहीं है। आप लोग बैठकर कुछ प्रयास करें। बिहार आज राष्ट्रीय स्तर में 20 प्रतिशत नीचे है। जब राष्ट्रीय योगदान, स्वतन्त्रता संग्राम में इतना आगे रहा है तो इसे भी राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाए तो देश को इससे लाभ होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी कुछ कमियां अवश्य हैं। हम कई चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे संसाधन काफी सीमित हैं। हम अपडेटिव रिनोवेशन और आधुनिकीकरण करके और विशेषकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लासेज यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है सदन में भी इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई एक्ट में संशोधन किया गया था उसमें विशेष ध्यान दिया गया था कोगनिजेबल आफेंस का प्रावधान किया गया जिससे लोगों को दण्डित किया जा सके। कुछ कार्य हमने किया है, लेकिन बहुत कुछ करना है। हमने एक योजना बनाई थी मिल-बैठकर। आज सारे देश में एक चुनौती है अगर कोई, यही नहीं, चेयर मैन या सेक्रेटरी या हमारे स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड के कोई कर्मचारी, ही हों हमारे भारत के नागरिक, वैज्ञानिक कोई भी ऐसी इन्नोवेटिव स्कीम लाता है जो कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लासेज को कम करने का तरीका या उपाय, या सक्रिय सुझाव देता है तो हम करोड़ों का इनाम देने को तैयार हैं यह चुनौती मैं फिर दे रही हूं और कह रही हूं कि यह महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है और यह एनाउंस किया है और न केवल हमारे चेयरमैन उनसे मिलेंगे, बल्कि अपने डिवीजन में जो भी ट्रांसमीशन के लास को कम करके दिखाएगा वहां के सिर्फ उसी व्यक्ति को नहीं बल्कि वहां के प्रत्येक कर्मचारी का स्वागत किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा।

हमारे बड़े-बड़े इंजीनियर हैं, टैक्नीशियन हैं, कोई भी ऐसी योजना बनाए जिसके माध्यम से हमारा जो 20-21 परसेंट लास होता है और जो 500 करोड़ रुपए का हमारे देश का नुकसान होता है, हम उसको बचा सकते हैं। इस चीज में मैं चाहूंगी कि मुझे आप लोगों का सहयोग मिले।

जो प्रगति इस वर्ष हुई है, वह ऐतिहासिक है, पर हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। हमें आशा है कि हम देश की गरीबी को मिटाने में और अपने लक्ष्य को दृढ़ता के साथ पूरा करने में कामयाब होंगे क्योंकि गरीबी को मिटाने में ऊर्जा और विद्युत की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके द्वारा हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। ग्रामीण अंचलों का विशेष ध्यान रखते हुए हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, इसको देखने का हमारा पूरा प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि जितनी फैक्ट्रियां हैं, इण्डस्ट्रीज हैं जिनको बिजली की कमी के कारण कठिनाई उठानी पड़ती है और लोगों को रोजगार मिलने में दिक्कत आती है। हम लोगों को रोजगार देने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरा करने और जिन सिद्धांतों की स्थापना

हमारे प्रधान मन्त्री ने की है और देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाने का जो आह्वान किया है, इन सबको हम आपके सहयोग के साथ पूरा कर सकेंगे, यह मुझे विश्वास है।

इन्हीं शब्दों के साथ, चेयरमैन साहब मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : सभापति जी, अभी मंत्री जी का भाषण हुआ। मन्त्री महोदया ने अपने भाषण में ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार को जो उपलब्धियां मिली हैं, चाहे वह कोयले के उत्पादन का क्षेत्र हो या विद्युत परियोजनाओं का मामला हो, चर्चा की है और अपने विभाग के लोगों को धन्यवाद दिया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : तो क्या मैं वापस ले लूं।

श्री विजय कुमार यादव : नहीं, मैं उससे और आगे जाने का अनुरोध कर रहा हूं। इन उद्योगों में जो मजदूर लगे हुए हैं उनके जो सवाल हैं, उन सवालों को हल करने के लिए जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं रहता है तो वे आन्दोलन पर उतरते हैं और हड़ताल तक जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर आपका जो एटीट्यूड है वह दमन का होता है। मैं समझता हूं कि दुश्मनों की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके सामने जो दिक्कतें हैं, जो मजबूरियां हैं उनको दूर करना चाहिए। इन उद्योगों के विकास और तरक्की के लिए और जिस समाजवादी व्यवस्था की आप परिकल्पना करते हैं, उसको सुचारुरूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि उनके साथ आपका रवैय्या बहुत उदार हो।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, इस संकट के समय उन्होंने कोई दुश्मनी का रवैय्या अख्तियार नहीं किया और न सरकार उनके साथ दुश्मनी का रवैया अख्तियार करती है।

श्री विजय कुमार यादव : अभी चर्चा की गई हमारे देश में विद्युत की कमी है। सूखे ने इसमें और इजाफा किया है। सूखे ने एक राष्ट्रीय संकट बिजली की कमी करके पैदा कर दिया है। अब जब यह सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि देश के अन्दर जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनको किस प्रकार से समायोजित किया जाए क्योंकि न तो बाढ़ को रोक सकते हैं और न सूखे को रोक सकते हैं और बाढ़ तथा सुखाड़ दोनों क्षेत्रों में बरबादी होती है। इस बरबादी से देश को बचाने की कोशिश की जा सकती है और उसका रास्ता निकाला जा सकता है।

सभापति जी, अब स्थिति क्या है यह जो सुखाड़ आया तो उससे पानी की कमी आई और पानी की जब कमी आई, तो ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है, उसके उत्पादन में भारी कमी आई। मान्यवर, वैसे सरकार हर बात जानती है, लेकिन मैं फिर भी जोर देने के लिए कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो चाहे थर्मल पावर की बात हो, इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। बिजली में कट होने से बड़ी विपत्ति पैदा हो जाती है। इसलिए एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाए जिससे एक दूसरे की कमी पूरी की जा सके, तो···ऐसे मौके पर, जब इस तरह का संकट पैदा होता है, तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं।

इस सिलसिले में मैं नार्थ-ईस्ट रीजन की बात करना चाहता हूं। यह इलाका हमेशा बाढ़ का इलाका रहा है और यहां काफी बाढ़ आती है। अगर हम यह स्टैंड लेते हैं कि जिन इलाकों में बाढ़ की अधिकता रहती है, वहां हाइड्रो-इलैक्ट्रिसिटी की परियोजनाएं बड़ी तादाद में बनाई जाएं, तो नार्थ-ईस्ट रीजन देश में बिजली के उत्पादन के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ और उपेक्षित इलाका है। आज

[श्री विजय कुमार यादव]

आवश्यकता इस बात की है कि इस रीजन में हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी की जो भी सम्भावना है, चाहे बिहार में हो बंगाल में हो, या असम में हो, ये तीनों क्षेत्र विद्युत के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, यहां आप प्राथमिकता के आधार पर हाइड्रोइलैक्ट्रिसिटी के जैनरेशन की व्यवस्था करें और यहां पर नई-नई योजनाओं को हाथ में लें।

यह एक ऐसा रीजन है, थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए सारा इन्फ्रा-स्ट्रक्चर, आधारभूत चीजें मौजूद हैं, कोयले की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस है कि जिन इलाकों में जहां कोयले की कमी नहीं है, वहां थर्मल पावर स्टेशन नहीं हैं। दूसरे इलाकों में जहां कोयले की कमी है, वहां कोयला ले जाकर थर्मल-पावर स्टेशन बनाए गए हैं। वहां बिजली की इतनी दयनीय अवस्था नहीं है जितनी कि बाहर, बंगाल और असम में है।

आखिर ऐसा क्यों होता है ? मैंने एक जगह पढ़ा था कि अंग्रेजों के जमाने में एक नीति चली थी कि जो कोयला-पिट हैं, उनके निकट थर्मल पावर स्टेशन और सुपर-थर्मल पावर प्लांट की परियोजना को मंजूरी मिलनी चाहिए, वहां उनका निर्माण होना चाहिए। मैं बिहार के इलाके से आता हूं, यह इलाका कोयले के मामले में बहुत आगे है, बहुत धनी है, लेकिन वहां पूरे देश के मुकाबले बिजली की सबसे बुरी अवस्था है। बिजली के पर-कैपिटा उत्पादन और कंजम्शन की सबसे बुरी अवस्था बिहार में है। 1985-86 के हिसाब से अखिल भारतीय स्तर पर बिजली का उत्पादन 243.37 किलोवाट है जबकि बिहार का केवल 123.54 किलोवाट है।

सातवीं योजना में बिहार के लिए ऊर्जा के मद में 1083 करोड़ रुपया रखा गया है। पूरे देश के अन्य राज्यों से अगर हम तुलना करें तो इसको आठवां नंबर प्राप्त होता है ! यह बात समझ नहीं आती है जो इलाका इतना पिछाड़ा हुआ है, अभी मन्त्री जी ने इंटरवीन करते हुए कहा कि जहां इम्बैलेंस है, जहां कमजोरी है, कमी है, वह उसको प्राथमिकता देना चाहती हैं, लेकिन सातवीं योजना में जो तरीके अपनाए गए हैं, जो सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार को आठवें दर्जे में रखा गया है जबकि उसको प्रथम दर्जा देना चाहिए था।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान का नम्बर कौनसा है, यह भी बता दीजिए।

श्री विजय कुमार यादव : बिहार राजस्थान से बहुत पीछे है। तो हमारे बिहार में यह स्थिति है। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की गई और यह भी कहा गया कि किसानों के लिए सरकार बहुत चिन्तित है, लेकिन किसानों की स्थिति क्या है ? टोटल जो बिजली पैदा होती है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमन्, अगर आप स्वीकार करें तो मैं एक बात कहती हूं। हम लोगों ने बिहार में बहुत प्रयास किया। वहां एक कन्सल्टैंसी टीम भी भेजी गई थी कि जो वहां इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड काम कर रहा है, उनको अच्छी तरह देखकर कुछ अच्छे सुझाव दिए जाएं। वह टीम भी वापिस आ गई पर उसके हाथ कुछ नहीं आया।

श्री विजय कुमार यादव : सभापति जी, जो बिहार का पिछड़ापन है, केन्द्रीय सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी है मैं अभी इसकी चर्चा कर रहा था। जहां तक योजना मद में पैसों के आवंटन का सवाल है इसमें बिहार का हाथ नहीं है। इसमें आप जो कुछ कह रही हैं मैं उससे सहमत हूं बिहार सरकार का हाथ है, जो सरकार आपकी है और वहां जो आप आदमी भेजते हैं उनका हाथ है। सलाह-

कार समिति में जब इस बारे में बात हुई थी तो उस समय यह सवाल उठा था कि क्या यह मामला राज्य सरकार पर छोड़ा जाए या नहीं ? अन्त में यही तय हुआ था कि यह मामला केवल राज्य सरकार के जिम्मे नहीं डाल दिया जाये। आज बिहार की जो स्थिति है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि उससे उसे बहार निकाल पाना मुश्किल होगा। अगर पूरी तरह से और क्रियात्मक रूप से मानिटरिंग बिहार को नहीं मिलेगा तो उसकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकेगा।

अब मैं ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करना चहता हूं। कहा गया कि करीब दो तिहाई अखिल भारतीय स्तर गांवों में बिजली पहुंचाने का है। लेकिन अभी तक बिहार में केवल 58 प्रतिशत गांवों में बिजली जा चुकी है। जबकि आपने अभी कहा कि 65 फीसदी तक विद्युतीकरण गांवों में हुआ है। आपको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में विद्युतकरणी का काम हो सके।

अब मैं उन कुछ पुरानी स्कीमों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिस में बिहार का कोई हाथ नहीं है। एक दामोदर वैली कारपोरेशन है जिन नदियों का पानी स्वाभाविक रूप से बिहार को मिलना चाहिए था वह उसे मिलना बन्द हो गया है। तिलैया का पानी जो कि सलारी को मिलना चाहिए था वह उसे मिलना बन्द हो गया है। इससे कई नुकसान बिहार को हुए। बिहार की जमीन गई, बिहार का पानी गया, एक तिहाई पैसा खर्च हुआ और बिजली बहुत नगण्य रूप में बिहार को मिली। यह स्थिति फरक्का की है। आपने गंगा पर बांध बनाया। इसमें भी जमीन बिहार की गई, कोयला बिहार का गया, पानी बिहार का गया लेकिन बिहार को बिजली नहीं मिली। यह हालत आज बिहार की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य था जो कि ऐसे समय चुपचाप बैठा रहा। अगर कोई दूसरा राज्य होता तो बगावत कर देता। बिहार तमाम जुल्मों का मुकाबला कर रहा है और शोषण का मुकाबला कर रहा है यही कारण हैं। जिसकी वजह से बिहार की हालत खराब होती जा रही है। मालूम नहीं केन्द्रीय सरकार कोई उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हमारे विरोधी पक्ष के तो केवल 4-5 ही सदस्य यहां चुन कर आए हैं। विशाल बहुमत कांग्रेस के लोगों का यहां पर है। लेकिन कांग्रेस के एम. पीज का कोई असर कांग्रेस के हाई कमान और दिल्ली के हाई ककान पर नहीं पड़ रहा है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। बिहार तो आज जहन्नुम में जा रहा है। पता नहीं बिहार का आगे क्या होगा ?

कहा जाता है कि नेशनल ग्रिड बन रहा है और पूरे देश को बिजली के साथ जोड़ा जा रहा है। आप इसको जोड़िए यह एक अच्छी बात है। लेकिन जहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं तो क्या वजह है कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते ?

अभी कोयलकारो की बात कही और सलाल योजना की बात उठी। 15-16 साल से यह योजना लम्बित कास्ट एस्कलेशन वहां हुआ था। उसको पूरा किया यह एक अच्छी बात है। आप कास्ट एस्कलेशन के नाम पर कोयलकारो की योजना को स्क्रैप कर रहे हैं। आपका कहना है कि 155 पैसे प्रति यूनिट उसका रेट बनेगा। पता नहीं आप वह योजना क्यों नहीं दे रहे हैं ? सलाहकार समिति में यह सारी बात आई थी। वहां का सारा मामला तय हो गया इसका मुझे पता नहीं है। कोर्ट में दो पार्टियां थीं। जमीन का एक तरफ झगड़ा था तो दूसरी तरफ आदिवासियों का झगड़ा था।

3.00 म० प०

सारी बात खत्म हो गई लेकिन कोर्ट के अन्दर जो मामल पड़ा हुआ है उसमें टाइम आपकी तरफ से लिया जा रहा है।···(व्यवधान)···मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारे

[श्री विजय कुमार यादव]

नालन्दा जिले, जिस जिले से मैं आता हूं वह कोल पिट के निकट है, वह कोयला खदानों के नजदीक पड़ता है और जब से, 1980 से आया हूं तब से बराबर इस बात की मांग कर रहा हूं कि आप छोटी योजना चाहें तो छोटी योजना बनाएं लेकिन बिजली का यह थर्मल पावर प्लांट गंगा नदी के किनारे बख्त्यारपुर या फतूहा में आप यह उत्पादन केन्द्र बनाइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि छोटी-छोटी योजनाएं अच्छी रहेंगी, मेरा तो पहले से विचार था कि 2-2, 3-3 जिलों को यूनिट मानकर और आने वाले 10 वर्षों की आवश्यकता क्या होगी उसको सामने रखकर छोटी-छोटी योजनाएं बनाइए और उस सिलसिले में मैंने मांग की कि हमारे इलाके में नालन्दा और पटना के लिए आप बख्त्यारपुर या फतूहा में थर्मल पावर प्लाण्ट बनायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में इस चर्चा में बोलने के लिए बुलाने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं मांगों का समर्थन करता हूं चूंकि समय बहुत कम है मैं यह स्पष्ट नहीं करना चाहता कि ऊर्जा का हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए कितना महत्व है। वास्तव में हम ऊर्जा के बिना, बिजली के बिना आर्थिक विकास, प्रगति तथा समृद्धि के रास्ते पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसलिए यह सही कहा गया है कि ऊर्जा उत्पादन के चार क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जैसे भूमि, श्रम तथा पूंजी और उसके बाद ऊर्जा का नम्बर आता है। आप जानते हैं कि रूस सारे विश्व में कैसी विशिष्ट स्थिति हासिल किए हुए है। वास्तव में अब यह एक सर्वोच्च शक्ति है और कुछ वर्षों पहले सोवियत रूस के एक चोटी के नेता ने अपनी उपलब्धियों को स्पष्ट करते हुए यह कहा था कि उन्होंने दो चीजें हासिल की हैं। एक सोवियत तथा दूसरी बिजली (पावर)। अर्थात उन्होंने अपेक्षित मात्रा में, भारी मात्रा में बिजली पैदा की और उन्होंने सोवियत जनता, पंचायत को संगठित किया उन्होंने जनता की शक्ति, लोक शक्ति को उपयुक्त रूप से प्रणालीबद्ध किया, दो का मिश्रण-जनता की शक्ति के साथ अथवा उसके साथ मिल कर ऊर्जा की शक्ति, उन्होंने समस्त विश्व पर जबरदस्त प्रभाव डाला और उन्होंने सोवियत यूनियन को विश्व की एक महान शक्ति में बदल दिया।

महोदय, ऊर्जा का काफी महत्व है और हम इसके बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आयात शक्ति। (**व्यवधान**)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : आपके मन में यही बात चक्कर काटती रहती है। सोमनाथ जी, यही एक बात है जो आप पर हावी है न कि ऊर्जा शक्ति और इसलिए आपके पश्चिम बंगाल में विद्युत का अकाल पड़ा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे यहां पर्याप्त विद्युत मौजूद है। (**व्यवधान**)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : बहुत अच्छा। तब आप यहां बिजली (पावर) परियोजनाओं के लिए फरियाद क्यों कर रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आपके पास फालतू शक्ति है। (**व्यवधान**)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मुझे दिए गए समय में से यह समय कम नहीं किया जाना चाहिए। मैं इन व्यवधानों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूं।

मैं सरकार, विशेष रूप से अपने मन्त्रियों को बधाई देता हूं जो काफी कर्मठ हैं। उनके सुयोग्य मार्गदर्शन के अन्दर समीक्षाधीन वर्ष अर्थात बीते वर्ष में बिजली क्षेत्र ने अच्छा कार्य निष्पादन हुआ है। यद्यपि इस वर्ष हमारे देश में भयंकर सूखा पड़ा है, फिर भी बिजली उत्पन्न करने की स्थिति अधिकांशतया संतोषजनक है। वास्तव में पन बिजली का उत्पादन अच्छा रहा है। ताप बिजली का उत्पादन हमेशा से अधिक हुआ है। यह खुशी की बात है कि संयन्त्र भार 56.4 तक बढ़ गया है। पिछले वर्ष यह 53 दशमलव कुछ था। यह एक भारी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि हमारा ऊर्जा मन्त्रालय अगस्त से नवम्बर तक की थोड़ी सी अवधि के दौरान 2.27 लाख पम्पसेटों को ऊर्जा प्रदान कर मांग के अनुसार खरा उतरा है। यह सूखा योजना के अन्तर्गत है और 1.5 लाख पम्पसेट लगाने के लक्ष्य की तुलना में 2.27 लाख पम्पसेट लगाने की उपलब्धि हासिल की है। यह संख्या लगभग दुगुनी है। इससे पता चलता है कि उन्होंने मन्त्रालय के कार्यक्रम में गहरी रुचि दिखाई है।

जब हमने आजादी हासिल की थी, हमारा कुल बिजली उत्पादन 1700 मेगावाट ही था। अब इन वर्षों में स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर हम 50,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन करने लगे हैं। इसलिए यह एक भारी उपलब्धि है। परन्तु इससे भारत सरकार को सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं इस समय आधा देश बिजली की कमी का सामना कर रहा है। वास्तव में, एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि कुल मिलाकर 11 प्रतिशत बिजली की कमी है। परन्तु कर्नाटक तथा उड़ीसा जैसे ऐसे राज्य मौजूद हैं जहां बिजली की भारी कमी है। बिजली क्षेत्र में सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म-निर्भरता हासिल करना था, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। उस ढंग से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। वस्तुतः कई अड़चनें हैं, जैसे निधि सम्बन्धी अड़चन, संसाधन सम्बन्धी अड़चन आदि। परन्तु, सातवीं योजना के अन्त में हमारे देश में 10,000 मेगावाट बिजली की कमी रहेगी। सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है। पुनः आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह कमी बढ़कर 15,000 मेगावाट तक हो जाएगी। आप इस कमी को कैसे पूरी करेंगे? प्रश्न यह है। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह समवर्ती सूची का विषय है। किन्तु, भारत सरकार इस बात को कितनी ही गम्भीरता से ले जैसा कि मैंने आपको बताया है, केन्द्रीय क्षेत्र में कुल बिजली उत्पादन केवल 21 प्रतिशत ही बैठता है। शेष बिजली का उत्पादन राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा चलाए तथा नियंत्रित किए जा रहे बिजली घरों द्वारा किया जाता है। पारेषण तथा वितरण के कार्य की देखभाल राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जा रही है। वस्तुतः भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय का राज्य बिजली बोर्ड के कार्य अथवा बिजली क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर बहुत थोड़ा-सा नियंत्रण है। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति अत्यधिक दयनीय दशा भयानक है। वे संकट में हैं। उन्हें प्रतिवर्ष 1100 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। मैं अब कोयले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं इसके बारे में एक हवाला दे रहा हूं। 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया खतरनाक अनुपात में मौजूद है जो कोयले के बिलों का भुगतान करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों पर एकत्र हुआ पड़ा है। लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इतना अधिक बकाया का है। माननीय मन्त्री श्री बसन्त साठे का कोयले पर तथा बिजली दोनों पर नियन्त्रण हैं। क्या राज्य बिजली बोर्ड अनुशासन के प्रति उत्तरदायी हैं? कार्य-कुशलता का स्तर है? क्या

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

हमारे द्वारा व्यक्त हर प्रकार की चिन्ता का बोर्डों के कार्यकरण पर असर हुआ है? हम प्रतिवर्ष यहां चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। परन्तु क्या इससे राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में कोई सुधार दिखाई दिया है? इस सम्बन्ध में मुझे सन्देह है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक उत्तर चाहूंगा कि वे इस बारे में क्या सोच रहे हैं? बोर्डों के कार्यकरण में प्रबल भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई महीनों से लाइनें खराब पड़ी हैं। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां मैकेनिक मरम्मत के लिए आते ही नहीं। मैं यह सुझाव दूंगा कि ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए कि यदि बिजली फेल हो जाती है और किसी भी उपभोक्ता को एक महीने में कम-से-कम 20 दिन तथा एक दिन में 16 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं की जाती है तो ऐसे उपभोक्ताओं से बिजली का कोई भी बिल नहीं लिया जाना चाहिए। बिजली फेल हो जाने के बावजूद वे अपनी धनराशि किसी-न-किसी तरह एकत्र के करने लिए आ रहे हैं। (व्यवधान)

मैं संयंत्र भार के बारे में उनके कार्य-निष्पादन के लिए सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु इसे और बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक किया जाए।

पारेषण और वितरण हानि ऐसी चीज है जिस पर हमारे सिर-शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि विकासशील देशों में पी०एल०एफ० प्राप्ति की तुलना में यह अत्यन्त असन्तोषजनक हैं। जापान में यह 3.5 प्रतिशत है; रश्चिम जर्मनी में यह 4.7 प्रतिशत है, अमरीका में 6.6 प्रतिशत है। हमारे देश में यदि पारेषण और वितरण हानि को 10 प्रतिशत तक कम किया जाता है और पी० एफ० एल० को 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है, तो मुझे विश्वास है कि लगभग 7000 से 8000 मेगावाट बिजली की बचत की जा सकती है और वह बचत 8,000 करोड़ रुपए की बैठेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको उन्हें बदलना है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह किया जा सकता है। पारेषण और वितरण कार्यक्रम में तेजी लायी जाए तथा उसकी उचित ढंग से देख-रेख की जाए। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को चुस्त करना होगा। 'भेल' अच्छा कार्य कर रहा है। इसे ऊर्जा मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन लाया जाना चाहिए। केन्द्रीय अनुरक्षण संगठन स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय विधि संस्थान द्वारा कानूनों का प्रारूप तैयार किया गया है। यदि हर चीज को चुस्त बना दिया जाता है तथा सभी लोग सहयोग करें तो ऊर्जा का सही प्रबन्ध करके लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा बचाई जा सकती है।

विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने में क्या आपत्ति है? बिजली के बिना हम एक इन्च भी नहीं हिल सकते। विकासशील देशों में हमेशा संसाधनों की कमी होती है। उपयुक्त प्रतिबन्धों, उपयुक्त सुरक्षोपायों के साथ यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है और इस कार्य में शामिल जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। उद्योगपतियों को नये लाइसेन्स देते समय केप्टिव बिजली संयंत्र उनके खुद के उद्देश्य के लिए होना पूर्व शर्त लगाई जानी चाहिए। साथ ही बड़े औद्योगिक गृह, जो पर्याप्त मात्रा में बिजली का उपयोग कर रहे हैं जबकि हम बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं, को अपने खुद के केप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहां तक अनिवासी भारतीयों का सम्बन्ध है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, वहां तलचर सुपर थरमल पॉवर संयंत्र विद्यमान है जिसको

हाल ही में विश्व बैंक से धन मिलने वाला है। परन्तु इसका कार्य अभी शुरू किया जाना है। कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। इसमें तेजी लाई जानी चाहिए। उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के बुजराजनगर में स्थित इब घाटी थरमल पावर संयंत्र तथा तलचर इकाई मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ते हैं। उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है। हम राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं। बिजली की कमी के कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं सकते हैं और पम्पसैट काम नहीं करते हैं। बिजली की कमी के कारण वहां बिजली उपलब्ध नहीं है। इससे राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा धक्का लगा है। अतएव, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन दो प्रस्तावित बिजली परियोजनाओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें, ताकि कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।

अब मैं कोयले का जिक्र करूंगा। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है मैं सरकार तथा कोल इंडिया लिमिटेड को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस वर्ष भी अच्छा कार्य किया है। उन्होंने रिकार्ड उत्पादन किया है। साथ ही, मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल उत्पादन का लक्ष्य ही प्राप्त कर लिया है बल्कि उत्पादकता तथा ओ० एम० एस० में भी सुधार हुआ है। सुरक्षोपायों, आवास, सफाई, पीने के पानी तथा अन्य कल्याण सम्बन्धी उपायों के बारे में कुछ सुधार हुआ है। मैं यह बताना चाहूंगा कि जब कभी ज्यादा उत्पादन होता है तो हानि भी ज्यादा होती है। यह चिन्ता की बात है। हमें यह देखना है कि उत्पादन तथा उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं और उत्पादन लागत को कैसे कम करें। इसकी गहराई से जांच की जानी है।

इसके अलावा हमारी कोयला खानों की कार्य करने की परिस्थितियां पश्चिमी देशों की कोयला खानों की कार्य करने की परिस्थितियों के सदृश्य नहीं हैं। वस्तुतः उनकी तुलना चीन की कोयला खानों की काम करने की परिस्थितियों से तुलना की जा सकती है। वहां ओ० एम० एस० 20.10 लाख टन है, जबकि भारत में यह केवल 10.80 लाख टन ही है। पुनः भूमिगत खानों में यह ओ० एम० एस० कम हो रहा है और कोयले की गुणवत्ता कम हो रही है। हमें कोयले की गुणवत्ता को उन्नत बनाना है, कोयले की गुणवत्ता में सुधार करना है और हमें उत्पादन लागत को कम करना हैं। हमारी ये समस्याएं हैं। इस शताब्दी के अन्त तक हमारी कोयले की आवश्यकता 4170 लाख टन हो जाएगी। अब अधिकांश कोयला खानों में कार्य शुरू करने की प्रारम्भिक अवधि 12 वर्ष है। जब तक ऐसी सभी कोयला खानें अब से ही कार्य करना शुरू नहीं कर देती हैं अथवा उनमें से कुछ कोयला खानें शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देंगी—तब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। धन मंजूर किया जाना चाहिए। परियोजनाओं को मंजूरी दी जानी चाहिए। आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में कतिपय समस्याएं हैं। प्रबन्ध में कामगारों को शामिल करने के काम में शीघ्रता लाई जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें यह कार्य शीघ्र करना चाहिए। कामगारों को अपनी बात कहने दीजिए। हमें कामगारों को इसमें शामिल करना चाहिए। प्रबन्ध को और अधिक जिम्मेदारी लेने दीजिए। जहां तक प्रबन्धकीय स्तर का सम्बन्ध है उनमें जिम्मेदारी के साथ, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। कोयले का भूमिगत खानों तथा 'ओपन कास्ट' खानों दोनों स्थानों पर मिला-जुला विकास होना चाहिए। नए लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। 45 वर्ष से ज्यादा की आयु के व्यक्तियों के समक्ष सेवा निवृत्ति लेने का विकल्प रखा जाना चाहिए और उनके बेटों को भर्ती किया जाना चाहिए। कोई तन्त्र व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। वहां मानवीय कारण भी मौजूद है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 45 वर्ष की आयु से ज्यादा के संसद सदस्यों का क्या होगा ?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : आप कृपया खुद इसका समाधान ढूंढना शुरू कीजिए। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं···(**व्यवधान**)

मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। उससे पहले मैं आस-पास के क्षेत्र के विकास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। नौकरी का सम्बन्ध भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाना है। हरेक व्यक्ति को उन व्यक्तियों की दयनीय अवस्था को अनुभव करना चाहिए जिन्हें कोलफील्ड का विस्तार करने के लिए अपने स्थान से हटाया जा रहा है। नौकरी का सम्बन्ध इससे जोड़ा जाना चाहिए। वहां पर्यावरण का प्रदूषण हुआ है। कृपया सामाजिक कल्याण के उपायों का पता लगाइए और आस-पास के क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी तथा गम्भीरता से उपाय करने होंगे। अब मैं एक अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। अन्य क्षेत्रों की तरह कोयले के क्षेत्र में भी उड़ीसा, जहां कोयले भारी मात्रा के में निक्षेप मौजूद हैं, की उपेक्षा की गई है। उड़ीसा में इसे तुरन्त पूर्णतया सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

मैं मन्त्रालय तथा कर्मठ मन्त्री महोदय के अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। यह एक काफी चुनौती भरा कार्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली हमारे आर्थिक विकास का केन्द्र बिन्दु है। यहां तक कि योजना आयोग, जो अपने रास्ते से हटकर काम कर रहा है, को भी इस मन्त्रालय को इस चुनौती का सामना करने के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, जो अच्छे मुद्दे पहले बताए जा चुके हैं उन्हें दोहराने का कोई उपयोग नहीं है। यह एक अच्छा भाषण था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका भाषण समाप्त होने के बाद आपने ऐसा महसूस किया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कोयले के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं यह महसूस करता हूं ···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप श्री जाफर शरीफ को बहुत चाहते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां, महोदय। यह श्री साठे के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा दल है। कोयले का मामला अच्छी स्थिति में प्रतीत नहीं होता है। मैंने अपने मित्रों की तरह आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं। मैं महसूस करता हूं कि ऊर्जा मन्त्री और उनके मित्र सभी कर्मठ व्यक्ति हैं। श्री साठे ने वैचारिक स्तर पर अपनी स्पष्टता के लिए पहले ही प्रतिष्ठा (लोरेल्स) अर्जित कर ली है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह लोरेल और हार्डी है। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि उन्हें कोयला क्षेत्र की ओर अपना ध्यान देना चाहिए। मुझे कुछ कोयला खानें देखने का अवसर मिला है। कतिपय खानों में कोयला काफी मात्रा में नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : आजकल हमारे यहां इस ओर लारेल और हार्डी है तथा उस तरफ मार्क्स बन्धु।" यह सब परिहास से है। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि आप हास-परिहास करें। लेकिन इसके साथ ही आप बातों को काफी गम्भीरता से लेते हैं। मुझे कतिपय खानें देखने का अवसर मिला है। हम निचली सतह

तक गए थे। परन्तु वहां कोयला उपलब्ध नहीं था और इसका तुरन्त उत्तर यह होगा कि इसे बन्द कर दिया जाए। परन्तु आपको खानों को तब तक बन्द नहीं करना चाहिए जब तक कि आप वहां पर कार्य कर रहे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था न कर लें। मैं आपसे यह आशा करता हूं कि खानों को बन्द नहीं किया जाए। मैं आपसे यह आशा करता हूं कि स्थिति का सामना किया जाए। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और वह कुछ न कुछ एक महत्वपूर्ण बात होती है। आप निचली तह तक पहुंचे हैं। मुझे श्रमिकों के साथ काफी सहानुभूति है, क्योंकि अधिकांश समय मेरी विचारधारा वामपंथी रही है। यदि श्रमिकों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है तो उनका पूर्णतया नैतिक पतन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कोई आय नहीं होगी। उनके अन्दर राष्ट्र निर्माण में कुछ योगदान देने की भावना भरने की बजाए हम श्रमिकों को बेकार कर रहे हैं। अतएव, मैं उन खानों के नामों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आप इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, आप अब तक एक विशेषज्ञ बन गये हैं। आपके पास एक 'ओपन कास्ट माइन' है जो बहुत अच्छी हालत में है, जहां आप यह देख सकते हैं कि आप कोयला निक्षेपों का कैसे विदोहन कर सकते हैं। कतिपय खानों के मामले में आप निचली तह तक पहुंचे हैं। वहां कोयला प्राप्त होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतएव, यदि आप उन्हें बन्द करते हैं और श्रमिकों को सड़क के एक किनारे फेंक देते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जिनके द्वारा आप श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार का पता लगाएं। मैं कामना तथा प्रार्थना करता हूं कि किसी दिन आप हमारे पास आएंगे और यह बताएंगे कि अमुक खान को बन्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां कोयला उपलब्ध नहीं है और आपने रोजगार की समस्या का समाधान ढूंढ़ लिया है।

जैसा कि मेरे मित्र कह रहे थे, वहां पर्याप्त अनुशासनहीनता है—मैं भ्रष्टाचार नहीं कहूंगा क्योंकि भ्रष्टाचार एक अति-व्याप्त स्थिति है। वह बिजली बोर्डों का उल्लेख कर रहे थे। कुछ लोग मुझे यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि यह एक सभायोजन का मामला है। यह एक सरकारी संस्थान है और वह भी एक सरकारी संस्थान है। परन्तु वहां भयानक वित्तीय अनुशासनहीनता विद्यमान है। चाहे वह वेस्टर्न कोल फील्ड्स अथवा ईस्टर्न कोल फील्ड्स अथवा एक धारक कम्पनी हो, कोल इण्डिया आधुनातन रिकार्ड रखती है। यदि कोई बिजली बोर्ड धन का भुगतान करना है तो इसे निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करना चाहिए। अन्यथा मैंने ऐसे अनेक उद्योग देखे हैं जिनमें वर्षों से हानि हो रही है। मैं किसी छोटे उद्योग का जिक्र नहीं कर रहा हूं इसमें पिछले एक दशक से हानि हो रही है और अब तक 200 करोड़ रु० की हानि हो चुकी है। परन्तु वे प्रतिवर्ष बजट को सन्तुलित दिखाते हैं, वे दिखाते हैं कि वहां कितनी हानि हुई है और उन्हें इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है। अतएव इस वित्तीय कुशासन को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स तथा बी० सी० सी० एल० की हालत भी खराब है।

जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए हमारे पास अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध नहीं है। परन्तु निचमा में हन्दवाड़ा के आस-पास कोयला मिलने की कुछ आशा है। मन्त्री महोदय ने जम्मू और काश्मीर का दौरा किया है; वह पर्याप्त रुचि लेते हैं। मैं उस भावना का आदर करता हूं। उन्हें कलकट कोयले के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे स्वयं इस बात के बारे में सन्तुष्ट हो जाएं कि क्या जम्मू एवं काश्मीर में कोयले के भण्डारों की कमी है। अथवा क्या वहां इसके उपयोग की कोई सम्भावना है। यदि वे स्वयं सन्तुष्ट हैं तथा यह कहते हैं कि जम्मू एवं काश्मीर में कोयले के भण्डार नहीं हैं तो उनका यह कहना अच्छे सर्वेक्षण पर आधारित होगा। जब वे कोई ठोस राय देंगे, मैं उनकी तथ्यों की छानबीन की प्रतीक्षा करूंगा।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

मैं कोयले के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं। वे यह सुझाव दे रहे थे कि उन्हें इस शताब्दी के अन्त तक 4700 लाख टन कोयले की जरूरत होगी तथा कोयले का उत्पादन काफी कम है। किसी ने सुझाव दिया है कि हमें आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करना चाहिए। किन्तु उन जैसे कार्यकुशल मन्त्री के पास इससे सम्बद्ध दस्तावेज होने चाहिए कि वे कोयले के सम्बन्ध में चिन्तित हैं, कि कोयला अच्छे प्रकार का नहीं है। हमें अगली बार उनके वक्तव्य पर, अथवा जब वे इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे, ध्यान देना चाहिए कि क्या कोयले के भण्डारों, कोयले के उपयोग, कोयले के उत्पादन, हानि तथा आर्थिक अनुशासनहीनता के बारे में हमारी उदासीनता सही रूप से रखी गई है अथवा नहीं।

मैं ऊर्जा के सम्बन्ध में श्री साठे से हमें यह बताने की आशा करूंगा कि क्या वे एक राष्ट्रीय ग्रिड संगठित करेंगे अथवा नहीं, क्योंकि उनकी वैचारिक स्पष्टता, जिसकी ऐसे महत्वपूर्ण विभागों को चलाने वाले मन्त्रियों में बहुत अधिक जरूरत है तथा परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता के बारे में कोई व्यक्ति सन्देह नहीं कर सकता है। यह ग्रिड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश एक है; एक भाग में अन्धेरा है तथा दूसरे भाग में विद्युत की प्रचुरता है तथा इसलिए यहां काफी असमानता है। हम श्री साठे से एक स्थायी राष्ट्रीय ग्रिड गठित करने की आशा करते हैं।

उत्तर में, जहां मैं हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में चिन्तित हूं एक उत्तरी ग्रिड होना चाहिए। यह एक व्यवहार्य समस्या हो गई है। इस समय मैं इसे एक व्यवहार्य समस्या नहीं अनुभव करता क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर में पर्याप्त बिजली होनी चाहिए। हमारे पास इस समय कमी हो सकती है। किन्तु यदि यहां एक ग्रिड होगा तो हम उससे लाभ उठा सकते हैं। श्री साठे जानते हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइनें भी नहीं हैं।

श्री साठे बहुत से मन्त्रालयों के प्रभारी रहे हैं तथा उनके पास विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक परम्पराओं तथा औद्योगिक विकास को समझने का अवसर था। मैं आपसे यह कहता हूं कि हमारे पास एक व्यवहार्य औद्योगिक क्षेत्र नहीं है।

मैंने एक बार वित्त मन्त्री से एक प्रश्न पूछा था कि सरकारी क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर का शेयर क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा शेयर 6.7 करोड़ रु० है जो कि एच० एम० टी० की इकाई है। यह कुल निवेश का 0.07 प्रतिशत है। हमें इस सम्बन्ध में कोई खेद नहीं है क्योंकि यहां बड़े उद्योग की जरूरत नहीं है। हमारे पास तीन संसाधन—जल, वन तथा पर्यटन हैं। जम्मू एवं कश्मीर में किसी बड़े उद्योग के न होने से इन क्षेत्रों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

हम भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधान मन्त्री के आभारी हैं कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान पर्यटन तथा विद्युत के उत्पादन पर भी काफी ध्यान दिया गया है। किन्तु श्री साठे जैसे व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हमारी 20000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की क्षमता है। जल संसाधनों के मामले में शायद हम आसाम के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हमने अब तक केवल 208 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया है तथा इसका श्रेय शेख अब्दुल्ला को जाता है जिनके आठ वर्ष के शासन में विद्युत के उत्पादन पर सबसे अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसके फलस्वरूप हम देश के नक्शे पर कुछ ऊपर आये हैं।

सलाल परियोजना ने स्थिति को बदल दिया है किन्तु आप हमें सलाल से कुछ विद्युत—शायद 75 मेगावाट विद्युत देंगे इससे हमारी जरूरत पूरी हो सकेगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां ट्रांसमिशन लाइनें नहीं हैं। कश्मीर के उपभोक्ताओं को विद्युत के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए।

सलाल की हम थोड़ी-सी बाहर देख लें,

उसका आप ख्याल कीजिए।

हमारे पास सलाल के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हैं किन्तु श्रीमती रोहतगी ने यह कहकर अपने साथियों से एक चिट्ठी प्राप्त कर ली है कि यह परियोजना उचित समय में निष्पादित हुई है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने कहा है कि विद्युत का क्षरण उचित सीमा में है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस परियोजना में भ्रष्टाचार तथा ढिलाई है। कृपया इसकी जांच करें। हमें सलाल से लाभ दिलाएं। डलहस्ती में भी ढिलाई से काम हो रहा है। श्री साठे ने उरी परियोजना की ओर ध्यान दिया है किन्तु मैं चाहता हूं कि यदि आप इस समय जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को अत्यन्त प्रसन्न करने का निश्चय करते हैं तो आप आज स्वयं को इस बात के लिए प्रतिबद्ध कर सकते हैं कि आप जम्मू एवं कश्मीर को दो वर्ष के अंदर विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बना देंगे। हम किसी समय विद्युत का निर्यात कर रहे होंगे किन्तु आज हम मन्त्रीजी से यह आशा करते हैं कि विशेष रूप से कश्मीर राज्य में, जिसका जलवायु ठंडा है, विद्युत की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। यदि यहां विद्युत नहीं है तो यहां कोई सुविधा नहीं है। यहां प्रतिदिन अन्तराल से 3 घंटे की कटौती होती है। इससे मन दुखी हो जाता है। इससे सारी जिन्दगी दयनीय हो जाती है। हम विद्युत की अधिक चिन्ता नहीं करते हैं किन्तु हमें विद्युत की जितनी भी अल्प मात्रा की जरूरत है, मेरा विचार है कि माननीय मन्त्री जी स्वयं को इस बात के लिए प्रतिबद्ध कर सकते हैं कि वे हमें दो वर्ष के अन्दर आत्मनिर्भर बना देंगे। आप अन्य मन्त्रालयों को प्रदूषण रहित तथा इलैक्ट्रोनिक्स जैसे कम पूंजी वाले तथा अन्य उद्योग स्थापित करने की सलाह देंगे।

मेरा एक सुझाव है। मैंने डलहस्ती तथा उरी परियोजनाओं के बारे में कहा है। मैं उरी परियोजना के सम्बन्ध में यह कहूंगा कि इस परियोजना में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उपलब्ध इन्जीनियरों तथा मजदूरों को ही लगाया जाए। हमें देश के अन्य भागों से लोगों को नहीं लाना चाहिए। यहां बहुत अधिक बेरोजगारी है। यदि आप कुछ कनिष्ठ इन्जीनियरों को लेंगे तो उन्हें पदोन्नति का अवसर मिलेगा। वे प्रसन्नता अनुभव करेंगे। अतः, कृपया आप इस बात पर विचार करें कि आप उन लोगों को लगाएंगे जो वहां उपलब्ध हैं।

गैस चालित टरबाइन के बारे में एक सुझाव आपके विचाराधीन है। मेरा विचार है कि यह प्रस्ताव अब तक मंजूर हो गया होगा। मैं नहीं जानता किन्तु एक समय था जब मुख्य मन्त्री जी इसके बारे में बहुत अधिक चिन्तित थे। इस कार्य को सहजता से किया जाना चाहिए। इस संक्रमण काल में इससे स्थिति को सहज बनाया जा सकता है। यदि यह मंजूर किया जा चुका है तो ठीक है। यदि यह मंजूर नहीं किया गया तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप इस वाद-विवाद का उत्तर दें तो कृपया गैस चालित टरबाइन के बारे में एक वक्तव्य दें ताकि इस संक्रमण काल में विद्युत की कमी पर काबू पाया जा सकेगा।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

लद्दाख में एक तथा जम्मू एवं कश्मीर के अन्य भागों में कुछ छोटी इकाइयां भी हैं। इन परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं लीक से हटकर दो-एक बातें करूंगा। अभी इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों की बात की जा रही थी। मेरा हृदय भर आता है जब मैं इलैक्ट्रसिटी में बोर्डों हो रही करप्शन की ओर देखता हूं। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड में करप्शन न हो। लोगों ने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की सारी चीजें बेच दीं और कुछ राज्यों में जब इलैक्ट्रसिटी बोर्डों के अफसरों के घर में रेड हुई तो करोड़ों का माल उनके यहां निकला। इलैक्टिसिटी बोर्ड मिनिस्ट्री का करोड़ों का रुपया बकाया रखे हुए हैं और उसे देने की उन्हें चिन्ता नहीं है।

हम यहां पर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, केन्द्रीय सरकार को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों ने केन्द्रीय सरकार का कितना पैसा खा लिया है, केवल केन्द्रीय सरकार को ब्लेम कर देने से, दोष देने से बात नहीं बनती है। मैं तो सुझाव दूंगा कि वन-प्वाइंट प्रोग्राम होना चाहिए जनता की भलाई के लिए, और उसमें जो भी रोड़े हों, उनको हटाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। यह सदन सार्वभौम है, मेरा सुझाव है कि जितने भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उनको सैंट्रल गवर्नमेंट के अण्डर लाया जाए। आप ऐसा कानून बनाएं जिसमें इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड नाम ही हटा दीजिए, उनको एनर्जी सेंटर नाम दीजिए और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के अण्डर लाइए।

3.38 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

आज भी सैंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, वे बहुत एफीशिएंटली चल रहे हैं। रेलवे और पोस्ट-आफिसेज बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को एक बार सैंट्रल गवर्नमेंट के अण्डर लाइये और सैंट्रल गवर्नमेंट-ग्रिड बनइये। नाम बदलने से ही आप देखेंगे कि कितनी एफीशिएंसी हो जाएगी। आप एक हिम्मत वाला काम तो कीजिए।

मैंने कहा कि वन-प्वाइन्ट प्रोग्राम होना चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो। यह कोई बात हुई कि हम मूक-दर्शकों की तरह देखते रहते हैं, आंखें मूंद लेते हैं कि ट्रांसमिशन में लास हो गया, 10, 20 परसैंट लास हो गया। सीधे सादे शब्दों में कहिए कि चोरी हुई। हमारी नजर के सामने चोरी होती है और हम मूक-दर्शक बने रहते हैं। उसे हमें पे करना पड़ता है। अब समय आ गया है कि इस पर गंभीरता से सोचा जाए। लोगों की भलाई सस्ती से की जाए और उसमें किसी को स्पेअर करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार की बात हो रही थी। सचमुच में सारे रिसोर्सेज होते हुए भी बिजली मामले में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें हंसने की बात नहीं है। बिहार का नाम लेते ही लोग हंसते हैं, बाहर भी लोग हंसते हैं और यहां भी हंसते हैं। यह हंसने की बात नहीं है। बिहार को आपकी मदद की जरूरत है, बिहार भारत का अंग है समूचा बिहार पिछड़ा हुआ है। आप उसको निगलैक्ट करें यह एक अच्छी बात नहीं है। बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है। इसी सदन में मैंने पहले भी यह कहा था कि उत्तरी

बिहार नेपाल की नदियों से तबाह हो रहा है। नेपाल के साथ आज हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। हम उसके साथ कोई ऐसा समझौता करें जिससे कि बिहार को बचाया जा सके। मैं जानता हूं कि यह मामला एनर्जी मिनिस्ट्री के अन्दर नहीं आता है। लेकिन आपकी भी इसमें कोई जिम्मेदारी है ऐसा मैं समझता हूं। हम नेपाल के साथ कोई ऐसा समझौता करें जिससे वहां से निकलने वाली नदियों को नेपाल में बांधा जाये। इससे जो बिजली का उत्पादन होगा उससे नेपाल का तो काया पलट होगा ही साथ ही उत्तरी भारत का भी काया पलट हो जाएगा। मैंने प्रधान मन्त्री जी से इसका जिक्र किया था। उन्होंने यह मामला सार्क सम्मेलन में उठाया था और नेपाल के महाराजा से इस सम्बन्ध में बात भी की थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें आगे और प्रगति हो।

आज बिहार में कोयला ही कोयला भरा है। लेकिन बिहार के लोगों को जो कोयला मिलता है वह बहुत अधिक दाम पर मिलता है। वैसे तो सारे देश में कोयला महंगा मिलता है। बिहार के बिजली घरों को कोयला मिल नहीं पाता है। मैं जाफर शरीफ साहब की इस बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हम माफिया के खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए तैयार हैं। बसन्त साठे जी ने भी कहा कि माफिया पर ऐक्शन लिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों से उन पर ऐक्शन लिया भी जा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसकी गति और तेज की जाए और केन्द्र व राज्य सरकार दोनों मिल कर काम करें। कुछ मुट्ठी भर लोग मिल कर तबाह करें और काम में रुकावट डालें यह एक ठीक बात नहीं है। साठे जी ने बहुत अच्छे ढंग से यह कहा कि लोग इस बारे में कुछ सोचें और देखें कि देश कहां जा रहा है? कोरिया व जापान में स्टील के क्या भाव हैं यह तो आप जानते ही हैं। हम एक्सपोर्ट की मार्किट में कहां खड़े हो सकेंगे यह हमें देखना चाहिए। मैं कहता हूं कि मजदूरों को उनका हक जरूर मिलना चाहिए।

हम तो आज यह देखते हैं कि एक घर में एक आदमी जो सौभाग्य से आर्गेनाइज्ड सेक्टर में चला जाता है उसकी तो बड़ी तेजी से तनख्वाह बढ़ती जाती है और दूसरा जो बेचारा गांव में रह जाता है और उसको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। यह कायदे की बात नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि इकानामिक डेवलपमेंट पूरे देश का होना चाहिए। अगर आपने ट्रेड-यूनियनिज्म ही कायम करना है तो एक हैल्दी ट्रेड-यूनियनिज्म कायम करिए और सिक्रेट बैलेट से ट्रेड यूनियन के रिप्रजेंटटिव चुनिए। आपने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया···(**व्यवधान**)···मैं यह कह रहा था कि आप मैनेजमेंट में वर्कर्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। लेकिन यह ऊपर से लेकर नीचे तक होना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई धींगा-मस्ती करके 10-20 हजार आदमियों के दस्तखत ले ले और कह दे कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। जो कुछ भी वहां डिसीजन हो वह सिक्रेट बैलेट से हो तभी सही मायने में लोगों का पार्टिसिपेशन हो सकेगा।

बिहार की कई बड़ी कोयला खानों में पिछले कई वर्षों से आग लगी हुई है। सरकार ने उस आग को बुझाने की कोशिश जरूर की है। लेकिन शायद उतनी कोशिश नहीं हो पायी है जितनी कि होनी चाहिये थी। एक हमारा प्रेशैस नैशनल वैल्थ है जो कि बरबाद हो रहा है। पूरी जी-जान से कोशिश होनी चाहिये जिससे कि कोयला खानों की आग को बुझाया जा सके। बिहार में ललमटिया राजमहल में बहुत बड़ा ओपन कास्ट माईन पाया गया। लेकिन उसका प्रॉपर एक्सप्लायटेशन नहीं हो रहा है और दुर्भाग्य की बात है कि माफिया वहां भी पहुंच गया है। मैं आपकी रिपोर्ट में देख रहा था कि राजमहल के कोल फील्ड का प्रॉपर एक्सप्लायटेशन इसलिए नहीं हुआ कि एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को जितना कोयला उठाना था उसने उतना कोयला नहीं उठाया। यह दोनों डिपार्टमेन्ट आपके अन्दर हैं,

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

राजमहल का कोल फील्ड भी आपके अण्डर है और एन० टी० पी० सी० का भी चाहे फरुखा का हो, चाहे कहलगांव का हो, वह आपके अण्डर है, इसको कोआर्डीनेट तो कीजिए। कहलगांव में भी थर्मल पावर प्लाण्ट का जितनी तेजी से डवलपमैण्ट होना चाहिए था वह नहीं हुआ है, लोगों की बहुत बड़ी आशा इस पर लगी हुई है इसलिए कहलगांव थर्मल पावर प्लाण्ट को बड़ी तेजी से डवलप किया जाना चाहिए।

एक बात मैं और कहूंगा कि कोल इण्डिया में बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं, वहां जिस तरह की प्लानिंग की गई, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। मन्त्री जी अपने जवाब में इसका उत्तर देंगे क्योंकि मैं धनबाद गया था, वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी मशीनें वर्षों से आकर पड़ी हुई हैं जिनका कोई यूटीलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है और उस मशीन के कारण आपकी कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गई है क्योंकि वह आपकी कास्ट में गिना जाता है। या तो प्लानिंग प्रोपर होनी चाहिए, कोई मशीन खरीदी जाय तो उसी समय खरीदी जाय जब उसकी जरूरत हो, जब जरूरत नहीं हो तो एकदम ही नहीं ली जाय क्योंकि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि कोयले का दाम जितना कम से कम किया जा सके उतना कम-से-कम किया जाय क्योंकि कोयले पर इस देश की पूरी इकोनोमी निर्भर है। पहला काम कीजिए कि कोयले का भाव होगा और उस इनर्जी से इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा इसलिए कोयले से इनर्जी का जनरेशन कम-से-कम कीजिए। लॉस तो कम होना ही चाहिए, लॉस तो नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन कोयले का भाव कम होना चाहिए।

एक बात मैं और कहूंगा कि साऊथ बिहार में छोटी-छोटी बहुत-सी नदियां हैं। उनमें मिनी हाइडल प्रोजेक्ट बन सकते हैं, मैं रिपोर्ट में देख रहा था कि सरकार मिनी हाइडल प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही है, मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, उनसे भी बिजली जनरेट हो सकती है।

वसन्त साठे जी ने पिछले कई वर्षों से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर जोर दिया है, यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन उसका फायदा गांवों तक नहीं पहुंच सका है। गांवों में लोग जानते नहीं हैं, 2-4 गांवों में जानते हैं, खासकर हमारे डी० पी० यादव जी ने बहुत काम किया है लेकिन उत्तरी बिहार के लोग इसको जानते नहीं हैं। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में लोगों को शिक्षित करें और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल विलेज बनायें जहां कि लोगों को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में ज्ञान हो सके।

अन्त में एक बात कहूंगा।···(व्यवधान)···बिहार में यूरेनियम की कमी नहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भरपूर यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए मेन रॉ-मैटीरियल है और बिहार में अभी तक एक भी न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट नहीं बना है तो मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूरा ध्यान देकर कम-से-कम दो न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट बनायें और जब अगले वर्ष हमें इस सदन में एनर्जी पर डिस्कशन करने का मौका मिले तो हम गर्व से कह सकें कि आप लोगों ने बिहार को चिरागमय कर दिया, रोशनीमय कर दिया और बिजली से भर दिया।

[अनुवाद]

*श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा पेश की गई अनुदानों की मांगों के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पिछले वर्ष तमिलनाडु में भयंकर सूखा पड़ा, जिसने राज्य के विद्युत उत्पादन को प्रभावित किया था। इसके बावजूद, हमारे किसानों को लगातार कड़े परिश्रम के कारण, वे खाद्यान्न उत्पादन को एक उपयुक्त स्तर पर कायम रखने में सफल हुए। मुझे आशा है कि हमारे किसानों के इस कड़े परिश्रम से माननीय मन्त्री विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने को प्रेरित होंगे।

राज्य में मानसून लगातार कई वर्षों से नहीं आया। इस वर्ष भी वहां वर्षा की कोई आशा नहीं है। अत: जलधारा योजना के माध्यम से विद्युत उत्पादन की कोई आशा नहीं है। हमें विद्युत उत्पादन के अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिए। परमाणु और ताप विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और राज्य में परमाणु तथा ताप विद्युत उत्पादन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

पिछले 20 वर्षों से राज्य में द्रविड़ दलों का शासन है। राज्य में शासन करने वाले दो द्रविड़ दलों ने राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नई योजना तैयार नहीं की। (व्यवधान)

मुझे पता है। जी हां, जी हां, मुझे पता है। मैं सत्ता में था। मुझे पता है।

डा० ए० कलानिधि : कृपया मेरी बात सुनिए। डा० कलायगनार के शासनकाल के दौरान केवल सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। सभी पम्पसेटों को बिजली के कनेक्शन दिए गए थे।

उन्हें गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। बैठ जाइए।

***श्री आर० जीवरत्नम** : डा० साहब, उस समय भी जब द्रविड़ दल सत्ता में थे, राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए कोई नई योजना तैयार नहीं की गई थी।

मैं उन्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं। उस समय माननीय कलायगनार मुख्य मन्त्री थे। श्री एम० जी० आर० एक पृथक दल में थे। उस समय एम० जी० आर० ने तमिलनाडु के जिलों का दौरा किया था और उन्हें यह पता चला कि किसानों को उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसलिए उन्होंने किसानों को सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करने को प्रेरित किया। माननीय डा० कलानिधि को यह जानना चाहिए। यदि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दे दी जाती तो एम० जी० आर० ने ऐसा आन्दोलन आरम्भ ही नहीं किया होता।

डा० ए० कलानिधि : नहीं, नहीं। वे गलत जानकारी दे रहे हैं।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी, तो आप बोल सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान लें।

डा० ए० कलानिधि : वे गलत जानकारी दे रहे हैं।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए, तो आप उन्हें उत्तर दीजिएगा।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*श्री आर० जीवरत्नम : इसलिए महोदय, राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं।

पिछले 20 वर्षों में जब द्रविड़ दल सत्ता में थे, तमिलनाडु औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ गया था। जब माननीय राष्ट्रपति आर० वेंकटरमन राज्य में उद्योग मन्त्री थे, तमिलनाडु में औद्योगिक विकास हुआ था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। कृपया अपना स्थान लें। वे बोल रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा० ए० कलानिधि : श्री आर० वेंकटरमन के समय में तमिलनाडु औद्योगिक विकास में चौथे नम्बर पर था। डी० एम० के० के शासन के दौरान यह तीसरे नम्बर पर आ गया। अब माननीय गृह राज्य मन्त्री कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान यह राज्य 19वें स्थान पर पहुंच गया है।

*श्री आर० जीवरत्नम : पिछले 20 वर्षों के दौरान तमिलनाडु ने औद्योगिक विकास में कोई प्रगति नहीं की है। (व्यवधान)

मुझे पता है। मैं वहां था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब आपकी बारी आए, आप उत्तर देना।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जो चाहते हैं, वह कह नहीं सकते। वे अपने विचार रखेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री आर० जीवरत्नम : द्रविड़ दलों के शासन के दौरान, तमिलनाडु का जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, वह 16वें स्थान तक पिछड़ गया है।

डा० ए० कलानिधि : यह सही नहीं है, महोदय।

*श्री आर० जीवरत्नम : ऊर्जा क्षेत्र का उचित रूप से प्रबन्ध नहीं किया गया। यदि इसका उचित रूप से प्रबन्ध किया गया होता, तो तमिलनाडु इतना अधिक नहीं पिछड़ता।

केवल यही नहीं। द्रविड़ दलों के शासन के दौरान, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड में अत्यधिक भर्ती की गई थी। भर्ती और चयन प्रक्रिया में अनेक त्रुटियों के कारण काफी कदाचार हुए थे। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसकी गम्भीर शिकायतें हुईं। बनाए गए पैनल अभी भी वैसे ही पड़े हैं। द्रविड़ दलों के शासन में यह स्थिति थी। अब वहां पर राष्ट्रपति शासन है।

डा० ए० कलानिधि : आपने 1980 में डी० एम० के० तथा 1984 में आल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम दोनों पर ही अत्याचार किए हैं। यदि एम. जी. रामाचन्द्रन के समय में भ्रष्टाचार था, तो क्या उन्हें भारत रत्न का सम्मान प्रदान करने के लिए भ्रष्टाचार मानदण्ड था।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*श्री आर० जीवरत्नम : मुझे पिछली बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। उसके बाद ही मैं आजकल विद्यमान बातों पर आ सकता हूं।

डा० ए० कलानिधि : आपने श्री एम० जी० रामाचन्द्रन को 'भारत रत्न' प्रदान किया है। आपने उन्हें 'भारत रत्न' क्यों प्रदान किया ?

*श्री आर० जीवरत्नम : कम-से-कम, अब राष्ट्रपति के शासन में बिजली का उत्पादन अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए तथा किसानों तथा अन्य लोगों को उपयुक्त रूप से बिजली प्रदान की जानी चाहिए। (व्यवधान) इसके बाद श्रीलंका ? आज अथवा कल।

द्रविड़ दलों के शासन के दौरान, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत प्रभार 20 पैसे से बढ़ाकर 55 पैसे कर दिया गया था, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, जब श्री कामराज मुख्य मंत्री थे। लघु उद्योगों के लिए, कांग्रेस शासन के दौरान विद्युत प्रभार केवल 40 पैसे था और अब यह एक रुपया प्रति यूनिट है। मन्त्री महोदय कृपया इस बात को नोट करें। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि विशेष रूप से लघु उद्योगों, व्यापारियों तथा हथकरघा मजदूरों के लिए विद्युत प्रभार कम करने के लिए कदम उठाएं।

पिछले 20 वर्षों से, जब से द्रविड़ दलों का शासन है, तमिलनाडु बिजली बोर्ड को घाटा हो रहा है। इस सम्पूर्ण प्रश्न की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति अवश्य ही गठित की जाए। (व्यवधान)

डा० कलानिधि प्रत्येक बात सही है। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

डा० ए० कलानिधि : कुछ भी सच नहीं है। आप सभा को भ्रम में डाल रहे हैं।

*श्री आर० जीवरत्नम : बाजार में उपलब्ध बल्बों की किस्म सन्तोषजनक नहीं है। इन बल्बों का स्तर सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समिति अवश्य गठित की जाए। 4 या 5 दिन प्रयोग के बाद यह बल्ब विशेष रूप टयूब लाइटें, खराब हो जाते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि निर्माण की इन कमियों को अवश्य ही दूर किया जाए और इन बल्बों के बाजार में आने से पूर्व इन पर स्वीकृत मानक की मोहर अवश्य अंकित की जाए।

इसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बारे में है। द्रविड़ दलों, जिसने 20 वर्ष तक राज्य में शासन किया था, बहुत से कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी नहीं किया है, जो अभी भी अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे हैं।

डा० ए० कलानिधि : यदि आप द्रविड़ दलों के शासन की बात का बार-बार उल्लेख करते रहेंगे तो मैं इसमें व्यवधान डालूंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि इसमें कोई असंसदीय बात है, तो उसे निकाल दिया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

*श्री आर० जीवरत्नम : सरकार को अवश्य ही इस मामले की जांच करनी चाहिए। इन

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रपति शासन किसी दल का शासन नहीं है। इसलिए मैं यह अनुरोध कर रहा हूं। यदि उन्होंने 2 अथवा 3 वर्ष तक सेवा की है तो उनकी सेवाएं स्थायी की जानी चाहिए। प्रत्येक बार 45 दिन बाद उनकी सेवाएं समाप्त करने तथा उन्हें दुबारा नियुक्त करने की प्रक्रिया बहुत गलत है, ताकि उनकी सेवाओं को स्थायी करने की मांग से उन्हें वंचित रखा जा सके। माननीय मन्त्री महोदय कृपया इसकी जांच करें तथा उपयुक्त कदम उठाएं।

महोदय, एक मिनट का और समय दें।

मुझे कोयले के बारे में कुछ शब्द कहने दें। तमिलनाडु में माननीय मन्त्री महोदय द्वारा 2-3 दिन पहले नवेली में दूसरी खान चालू की गई है। राज्य में और नई कोयला खानों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

4.00 म० प०

द्रविड़ दलों द्वारा निरन्तर यह मांग की जाती रही है कि विदेशों, विशेष रूप से आस्ट्रेलिया से कोयले के आयात की अनुमति प्रदान की जाए।

डा० ए० कलानिधि : भारत सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के लिए 3000 टन कोयले का आयात किया है। तमिलनाडु में ताप बिजली उत्पादन के लिए आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करने में कोई बुराई नहीं है।

सभापति महोदय : आप हर बार व्यवधान क्यों डालते हैं।

(व्यवधान)

***श्री आर० जीवरत्नम** : किसी भी सरकार को इस प्रकार की मांग की अनुमति नहीं देनी चाहिए और यदि इस प्रकार की मांग की जाती है तो अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए। भारत में अत्यधिक मात्रा में कोयला है। उस कोयले का प्रयोग किया जाना चाहिए। विदेशों से कोयले के आयात की अनुमति किसी भी मामले में नहीं दी जानी चाहिए।

जब द्रविड़ दल सत्ता में थे तो उनकी ओर से ताप बिजली उत्पादन का कार्य गैर सरकारी उद्यमों को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मैं नहीं जानता कि क्या वह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मैंने अपने पिछले भाषण में भी इसका उल्लेख किया था। ताप बिजली उत्पादन का कार्य गैर सरकारी पार्टियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय इस बात को ध्यान में रखें।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें। आप अपने स्थान पर बैठें।

***श्री आर० जीवरत्नम** : एक-दो मिनट का समय और दें। मेरी कुछ और मांगें भी हैं।

सभापति महोदय : अब आप अपने स्थान पर बैठें।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*श्री आर० जोवरत्नम : अब अगली बात अधिक राशि के बिलों की है। यदि निर्धारित तिथि के बाद भुगतान किया जाता है तो कनेक्शन काट दिया जाता है। उस कनेक्शन को दुबारा चालू करने के लिए उपभोक्ता को जुर्माना देना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि यह ठीक है। बिलों तथा विद्युत प्रभार एकत्र करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

4.03 म० प०

श्रीलंका के बारे में वक्तव्य

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : भारत-श्रीलंका समझौते के सिलसिले में "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" को धन दिए जाने की खबरें अखबारों में छपी। माननीय सदस्यों ने भी इस मसले को सदन में उठाया है। इस सिलसिले में स्थिति को स्पष्ट करने की मैं इजाजत चाहूंगा।

जैसा कि सरकार पहले भी सदन में कह चुकी है, भारत-श्रीलंका समझौता वार्ता के एक अंग के रूप में हमने "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" से भी परामर्श किया था। उनकी कुछ विशिष्ट मांगों पर जैसे श्रीलंका की सेनाओं को 25 मई, 1987 की स्थिति के अनुरूप शिविरों को वापसी पर श्रीलंका की सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया था और समझौते में उन्हें समाहित किया गया था। जब यह बातचीत अपने आखिरी दौर में थी उस समय "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" के नेता श्री प्रभाकरन ने यह अनुरोध किया कि वे प्रधान मन्त्री के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। अन्तिम दौर के परामर्श के एक अंग के रूप में, सभी तमिल ग्रुपों के नेताओं को जिनमें श्री प्रभाकरन और उनके साथी भी शामिल थे, श्रीलंका सरकार की जानकारी में भारत लाया गया।

जैसा कि सरकार ने कई अवसरों पर कहा है, श्री प्रभाकरन ने दिल्ली की अपनी बातचीत में भारत-श्रीलंका समझौते को स्वीकार किया था। इस समझौते को स्वीकार करने के बाद उन्होंने कुछ चिन्ताएं व्यक्त की थीं। उनकी चिन्ताएं लिब्रेशन तमिल टाइगर्स ईलम की व्यक्तिगत सुरक्षा, लिब्रेशन तमिल टाइगर्स ईलम के लोगों का पुनर्वास, जब तक इन लोगों को फिर से बसाने की व्यवस्था न हो जाए तब तक उनके भरण-पोषण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए वित्तीय सहायता ; और अन्ततः अंतिम प्रशासन में लिब्रेशन तमिल टाइगर्स ईलम के लिए अहम भूमिका। भारत सरकार ने उनकी चिन्ताओं पर पूरी तरह ध्यान दिया। इस संबंध में राष्ट्रपति जयवर्धने तथा श्रीलंका की सरकार ने भी रचनात्मक प्रक्रिया दिखाई।

श्री प्रभाकरन ने जिन चिन्ताओं का उल्लेख किया उनमें से एक का सम्बन्ध इस तथ्य से था कि "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" जाफना तथा उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों के कुछ अन्य क्षेत्रों के लोगों से "कर" लगाकर धन इकट्ठा करता रहा है। श्री प्रभाकरन का कहना था कि इस तरह जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका वे लोग अपने लोगों के भरण-पोषण के लिए भत्ता देने में इस्तेमाल करते हैं। श्री प्रभाकरन को यह बात साफ तौर पर बता दी गई थी कि भारत-श्रीलंका समझौता लागू हो जाने के बाद लोगों से इस तरह जबरदस्ती धन-संग्रह बन्द हो जाना चाहिए। इसलिए श्री प्रभाकरन

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के० नटवर सिंह]

ने यह अनुरोध किया कि जब तक अन्तरिम प्रशासन अस्तित्व में न आए और उनके लोगों को रोजगार न मिले तब तक के लिए उन्हें वित्तीय साधन दे दिए जाने चाहिए जिससे कि वे अपने लोगों का भरण-पोषण कर सकें क्योंकि ऐसा न होने पर उनके लिए इन लोगों की वफादारी बनाए रखना अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा।

भारत-श्रीलंका समझौते में यह व्यवस्था है कि कि श्रीलंका की सरकार इन उग्रवादी युवकों को फिर से बसाने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी जिससे कि ये लोग फिर से राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में मिल सकें। भारत से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह इस प्रक्रिया में अपना सहयोग देगा।

उग्रवाद का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण लोकतन्त्रात्मक राजनीति में फिर से आने के कठिन संक्रमण-काल में "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" की सहायता के उद्देश्य से इस बात पर सहमति हुई थी कि "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" को कुछ वित्तीय सहायता इस आश्वासन पर दे दी जाए कि उसके लोगों के भरण-पोषण में हम तभी तक सहायता देंगे जब तक कि उन्हें फिर से नहीं बसा दिया जाता।

चूंकि प्रभाकरन ने इस समझौते के प्रति अपने समर्थन की घोषणा कर दी थी और हथियार डालना मंजूर कर दिया था इसलिए यह उम्मीद करना भी मुनासिब ही था कि अन्तरिम प्रशासन कुछ हफ्तों में ही अस्तित्व में आ जाएगा और तब "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" के लोगों को श्रीलंका सरकार के द्वारा शीघ्रतापूर्वक पुनः नियोजन दे दिया जाएगा जिसने इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने का वायदा किया है। इस विश्वास पर "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" को वित्तीय सहायता की एक किस्त दी गई थी जिसकी श्रीलंका के प्राधिकारियों को जानकारी थी। दुर्भाग्य से श्री प्रभाकरन अपने आश्वासनों से पीछे हट गए।

मैं अखबारों में छपी इन भ्रामक खबरों का स्पष्ट रूप से खण्डन करना चाहूंगा कि यह धन भारत-श्रीलंका करार को स्वीकार करवाने के लिए श्री प्रभाकरन को दिया गया था। इस प्रकार का कोई भी आक्षेप निन्दनीय होगा। जैसा कि मैं ऊपर कह आया हूं श्री प्रभाकरन इस समझौते को पहले ही स्वीकार कर चुके थे। लेकिन संक्रमण काल के दौरान उन्होंने अपने लोगों की कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां बयान की थीं। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" को इन कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करना था।

अखबार की खबरों में 100 करोड़ रुपये की राशि का भी उल्लेख किया गया है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि श्री प्रभाकरन ने इस आधार पर 100 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी कि "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" तमिल क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य करना चाहेगा। यह राशि देने का उन्हें कोई वचन नहीं दिया गया था। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई थी कि इस प्रकार धन सिर्फ सरकार से सरकार के आधार पर ही दिया जा सकता है। श्री प्रभाकरन को यह सलाह दी गई थी कि "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" को पहले शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होकर अन्तरिम प्रशासन में शरीक होना चाहिए, उसके बाद विशिष्ट परियोजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने चाहिए और तब श्रीलंका की केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उन्हें भारत सरकार के समक्ष रखना चाहिए। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि वहां पुनर्निर्माण के कार्य में भारत की सरकार यथासंभव सहायता देने की कोशिश करेगी। दुर्भाग्य से श्री प्रभाकरन

अंतरिम प्रशासन की स्थापना में सहयोग करने के अपने वचन से मुकर गए। बहरहाल भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार को 50 करोड़ श्रीलंकाई रुपये की पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सहायता देने का वचन दिया है जो उन इलाकों में खर्च की जाएगी जिन्हें जातीय संघर्ष के कारण भीषण क्षति पहुंची है।

अन्त में मैं फिर यह बात कहना चाहूंगा जो सरकार बार-बार इस सदन में कह चुकी है कि हमने "लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम" को सही रास्ते पर लाने की भरसक कोशिश की कि वे हिंसा का मार्ग छोड़ दें अपने हथियार डाल दें और लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया में शामिल हो जाएं जिससे कि भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत तमिलों के जिन वैध अधिकारों की गारंटी दी गई है उन्हें पूरी तरह प्राप्त किया जा सके। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : पहली किस्त की कितनी धनराशि थी ? (व्यवधान) महोदय, मन्त्री जी बहका रहे हैं। वह इसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) उन्होंने स्वीकार किया है कि पहली किस्त दी गई है। हम जानना चाहते हैं कि कितनी धनराशि दी गई है ? (व्यवधान) वह छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कितनी धनराशि दी गई है और पहली किस्त का भुगतान कब किया गया ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह वक्तव्य दे रहे हैं। उनका वक्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री के० नटवर सिंह : यह सरकार द्वारा अपने आप दिया गया वक्तव्य है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, नहीं (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपको यह बताता हूं कि यह अपने आप दिया गया वक्तव्य नहीं है। पहले भी हमने यह बात उठाई थी। आज हम अध्यक्ष महोदय से इस बात की पुष्टि की आशा करते थे कि इस बारे में वक्तव्य दिया जाएगा या नहीं। अतः यह अपने आप दिया गया वक्तव्य नहीं है।

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपना वक्तव्य देने दें।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : इसे अपने आप दिया गया वक्तव्य नहीं समझा जा सकता। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप उनके वक्तव्य का पहला पैरा देखें तो आपको मालूम होगा कि यह वक्तव्य इस बात से शुरू किया गया है कि कुछ सदस्यों ने वक्तव्य की मांग की है।

सभापति महोदय : आप चर्चा की मांग कर सकते हैं। उस समय आप इन प्रश्नों को उठा सकते हैं।

श्री तम्पन थामस : इस विषय पर चर्चा हुई है (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वे ही गुमराह करते हैं, अपना वक्तव्य खत्म करके कहेंगे कि वक्तव्य समाप्त हुआ कोई नई टिप्पणी नहीं है। यही कारण है कि वे हस्तक्षेप कर रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया उन्हें वक्तव्य देने दें।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : हमने एक संकल्प दिया है तथा अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया उन्हें वक्तव्य देने दें।

प्रो० मधु दंडवते : उनके वक्तव्य के बाद का हम उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं?

सभापति महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते। आप चर्चा की मांग कर सकते हैं। आप नियम जानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका वक्तव्य समाप्त होने के बाद आप हमें उनसे स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें। यह अति आवश्यक है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : यह सरासर गलत है। यह एक ठीक वक्तव्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : पहली किस्त का भुगतान कब हुआ था?

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप चर्चा की मांग कर सकते हैं।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्होंने अभी वक्तव्य समाप्त नहीं किया है। आप इन प्रश्नों को क्यों उठा रहे हैं? न तो आप और न मैं ही जानता हूं कि वे क्या कहने जा रहे हैं।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अनावश्यक रूप से प्रश्न उठा रहे हैं। उन्होंने अभी अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया है। श्री नटवर सिंह आप अपना वक्तव्य चालू रखें।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वे वक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जय पाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। क्या विदेश मन्त्री कोलम्बो स्थिति अपने ही उच्चायुक्त के वक्तव्य का खंडन कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्यों नहीं ?

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया के सम्बन्ध में होता है। प्रक्रिया में क्या कमी है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह भारत सरकार के सम्बन्ध में है···(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था के प्रश्न पर ध्यान दें। मैं मामले के गुणावगुण की चर्चा नहीं कर रहा हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : किस नियम के अधीन ?

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 376 के अधीन (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रो० साहब उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी गई है। वह नहीं मान रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है ; वास्तव में वकतव्य के मध्य में भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है···

सभापति महोदय : कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : प्रक्रियात्मक मामलों में यह प्रश्न उठाया जा सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस नियम के अधीन आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को रोक रहे हैं ? (व्यवधान) सिर्फ प्रश्न काल के दौरान ही व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। (व्यवधान) किसी नियम पर कार्यवाही के दौरान प्रक्रियात्मक मामले पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

सभापति महोदय : उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी गई है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : यहां तक कि किसी भी विषय पर कार्यवाही के दौरान हम व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

सभापति महोदय : किस प्रक्रिया से वे अलग हुए हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी बात सुने बिना आप कैसे कहते हैं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ? (व्यवधान) मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बताएं, किस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 376, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले आप बताएं किस नियम को उन्होंने तोड़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले मैं नियम 376 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : यही व्यवस्था के प्रश्न का नियम है। लेकिन आप मुझे बतायें कि अपने वक्तव्य के दौरान किस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है। (व्यवधान)।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप उन्हें अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : मैं उन्हें कैसे अनुमति दे सकता हूं ? वे नियम नहीं बता रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था का प्रश्न कहता है कि प्रक्रियात्मक मामलों में जहां तक किसी विषय का सम्बन्ध है हम व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। मेरा व्यवस्था प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य कहते हैं कि वे स्वतः वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान) वास्तव में आप सभा के कार्यवाही वृतान्त से इसकी जांच कर सकते हैं।

सभापति महोदय : यह प्रश्न पूछने का समय नहीं है। वे वक्तव्य पढ़ रहे हैं। वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जब वे ऐसा कहते हैं कि यह एक स्वतः वक्तव्य है तो वे हमारी आलोचना से बच सकते हैं।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा कहने पर कि वे वक्तव्य दे रहे हैं उन्हें इस सदन में उठाए प्रश्नों पर ध्यान देना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें ध्यान देना है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपने वक्तव्य की मांग की और वे खुद वक्तव्य दे रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें हमारे प्रश्नों के महत्व को समझना है और उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना है। (**व्यवधान**)।

श्री तम्पन थामस : वे पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम उनसे पूरी जानकारी चाहते हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप नियम 193 के अधीन चर्चा की मांग कर सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम भी सदस्य हैं। हम वक्तव्य सुनना चाहते हैं।

सभापति महोदय : कृपया आप सभी अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री के० नटवर सिंह : खेद जनक बात है कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद एल० टी० टी० ई० का नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीका अपनाने के प्रति अनिच्छुक रहा। जैसा कि हमने बार बार कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके अपनाने के लिए एल०टी०टी०ई० से बातचीत के लिए दरवाजा खुला है बशर्ते वे हथियार डाल दें और समझौते का समर्थन करें।

सभापति महोदय : श्रीमती किशोरी सिंह।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप नियम 193 के अधीन चर्चा की मांग कर सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप चर्चा की मांग कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : आप नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए कह सकते हैं।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं जाएगा।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : श्रीमती किशोरी सिंह।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया महिला सदस्य को बोलने दीजिए। आप नियम 193 के अधीन चर्चा की मांग कर सकते हैं। आप चर्चा के दौरान प्रश्न उठा सकते हैं और वे उत्तर देंगे। यह उपयुक्त समय नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कोई स्पष्टीकरण नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैंने कहा, आप चर्चा की मांग कर सकते हैं। चर्चा के दौरान आप प्रश्न उठा सकते हैं। इसीलिए चर्चाओं की अनुमति दी जा रही है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप वक्तव्य से सन्तुष्ट हैं? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं कौन होता हूं सन्तुष्ट होने वाला या असन्तुष्ट होने वाला? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : चर्चा के दौरान आप इन प्रश्नों को उठा सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें.

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीमती किशोरी सिंह।

4.24 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1988-89

ऊर्जा मन्त्रालय

—[जारी]

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

ऊर्जा, देश के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण साधन होती है। यह औद्योगिक विकास में

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सहायक होती है। कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से मानसून के कुप्रभावों को कम करती है।

पिछले सूखे के दौरान, लगभग दो लाख अतिरिक्त पम्पसेटों को बिजली दी गई।

1950 में हमारी अधिष्ठापित क्षमता केवल 1700 मेगावाट थी।

पांचवीं योजना के अन्त तक यह बढ़कर 28,500 मेगावाट हो गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने इसमें 14,000 मेगावाट की वृद्धि की। सातवीं योजना के दौरान हमारा लक्ष्य 22000 मेगावाट का है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए परिव्यय 34,273 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 45,273 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

यह सन्तोषजनक बात है कि विद्युत उत्पादन, विशेष रूप से ताप विद्युत, के क्षेत्र में हमने 1987-88 के दौरान 56 प्रतिशत का प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त कर लिया है, जो 1986-87 में प्राप्त 53 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत में सुधार ही है। पिछले वर्ष की तुलना में 1986-87 में भी ताप विद्युत उत्पादन में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1987-88 के दौरान, 1986-87 की तुलना में 9.3 प्रतिशत वृद्धि की आशा है। खराब मानसून के कारण पनबिजली उत्पादन में आई कमी का एक आनुषंगिक योजना क्रियान्वित करके कुछ हद तक पूरा किया गया। इतने लम्बे और गम्भीर सूखे से यह तथ्य निकला कि हमें एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाना चाहिए, ताकि हम अतिरिक्त बिजली वाले राज्यों से बिजली लेकर कमी वाले राज्यों को सप्लाई कर सकें। मुझे खुशी है कि अब इस विचार को स्वीकार कर लिया गया है।

यह चिन्ता की बात है कि पारेषण और वितरण में घाटे निरन्तर बढ़ रहे हैं और यह लगभग 21 प्रतिशत है। विकसित देशों में यह घाटा 12 प्रतिशत है। हमारे केरल जैसे राज्यों में भी यह 10 प्रतिशत है। इन घाटों का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि एक प्रतिशत घाटे की कमी से एक वर्ष में 18,0000 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध हो सकती है।

मुझे पता है कि सरकार ने घाटे को कम करने के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, बिजली की चोरी को दण्डनीय अपराध बनाने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम में संशोधन किया गया है। पहले ही यह बताया गया है कि 1986-87 में कानूनी कार्यवाही करके 6.5 करोड़ रुपए वसूल किए गए। मेरे विचार से, अधिक सतर्कता और सुधरी हुई कार्यक्षमता से घाटे में कमी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में, ग्रामीण दृश्य को बदलने में, ग्रामीण विद्युतीकरण का बड़ा महत्व है। इससे सिंचाई और पीने के लिए भूमिगत जल के दोहन में सहायता मिलती है। इससे गांवों के विद्युतीकरण के अलावा ग्रामीण उद्योगों को सहायता मिलती है।

वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित टेप-रिकार्डरों, रेडियो आदि जैसी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने की घोषणा की है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐसी रियायतों से शिक्षित बेरोजगारों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण विद्युतीकरण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ग्रामों के विद्युतीकरण और पम्पसेटों को बिजली देने के लिए 1987-88 के निर्धारित लक्ष्य में कमी रही है। इसके अलावा, सप्लाई अनियमित है और वह भी केवल कुछ घटों के लिए। कृषि कार्यों और

[श्रीमती किशोरी सिंह]

ग्रामीण उद्योगों को क्षति के अलावा, इससे नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत हमारे स्कूलों में कम्प्यूटर, टेलीविजन सेट आदि देने की योजना की सफलता को भी आघात पहुंचने की सम्भावना है। इसलिए, नियमित बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मुझे कोयले की घटिया किस्म के कारण हमारे बिजलीघरों के बन्द होने का उल्लेख करना है। कांति ताप विद्युत केन्द्र को केन्द्रीय कोलफील्ड के खडवाबारी से सप्लाई किए गए खराब कोयले से हुई क्षति की मरम्मत करने के लिए कई दिनों तक बन्द रखना पड़ा था। इससे सप्लाई में बाधा पड़ी। इसे ध्यान में रखा जाए।

सप्लाई ठप्प होने का एक और कारण जले हुए ट्रांसफार्मरों को न बदला जाना है।

मैं जानती हूं कि सैंकड़ों ट्रांसफार्मर जला दिए गए हैं और यदि कई सालों तक नहीं तो महीनों तक उन्हें नहीं बदला गया।

राज्य बिजली बोर्डों में लम्बे समय से कुप्रबन्ध है। छठी योजना के आरम्भ में कुल हानि 657 करोड़ रु० है। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि सातवीं योजना के अन्त तक यह नुकसान कई गुणा बढ़ जाएगा। इसलिए अतिरिक्त बिजली पैदा करना तो बहुत दूर की बात है।

हम इस स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं इसके लिए मैं कुछ उपायों के सुझाव दूंगी।

(क) जनशक्ति की आवश्यकता का अध्ययन किया जाना चाहिए और अतिरिक्त कर्मचारियों का हिसाब करके उनकी छुट्टी कर दी जाए।

(ख) सरकार का विद्युत स्टेशनों का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण करने का एक कार्यक्रम है, जिस पर 6000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मुझे पता है कि केन्द्र ने इस कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत 34 विद्युत स्टेशन हैं, के लिए 500 करोड़ रु० उधार देने का वायदा किया है और जब यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो इससे प्रति वर्ष 3000 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

(ग) बोर्डों को दिए गए ऋणों पर कम दर पर ब्याज लिया जाना चाहिए।

(घ) कुशल तथा बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की जानी चाहिए।

गैर-परम्परागत नवीकरण योग्य ऊर्जा जैसे बायोगैस, बायोमास, वायु तथा सौर ऊर्जा तथा फोटो वाल्टायक प्रणाली के स्रोतों के बारे में किया गया नियतन बहुत कम है। ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का उपयोग करने की आवश्यकता है जो अपेक्षाकृत सस्ते हैं और जो पारस्थितिकी प्रणाली को प्रभावित नहीं करता। इसके अलावा बायोगैस से सस्ती तथा बेहतर किस्म की खाद भी प्राप्त होती है।

मैं कोयले के बारे में भी कुछ कहूंगा। हमने उत्पादन में कुछ सुधार किया है और इसमें और

सुधार करने की आवश्यकता है। हमने अपना कोयले उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। आस्ट्रेलिया 30,000 श्रमिकों से उतना उत्पादन करता है जितना उत्पादन हम बहुत अधिक श्रमिकों से करते हैं। हम इसकी लागत को कम कैसे कर सकते हैं? इसलिए कोयले की कीमतों में वृद्धि करना अनिवार्य हो जाता है। इस पहलू को नोट किया जाए।

दूसरी बात यह है, मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगी कि परिवहन आदि के लिए ठेका प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। ऐसी कोई योजना शुरू की गई थी। मैं जानना चाहूंगा कि उसका क्या हश्र हुआ। इससे माफिया प्रणाली सहित धोखाधड़ी समाप्त हो जाएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं मांगों का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए सभापति का धन्यवाद करती हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : सभापति महोदय, हमारा देश खेतिहर देश है। हमारे 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। गवर्नमेंट की भी यह पालिसी है कि जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी की लाइन से ऊपर उठाया जाए। 80 फीसदी लोग जोकि गांवों में रहते हैं, उनके लिए बिजली और पानी की बहुत जरूरत है। जमीन के नीचे जो मीठा पानी है उसको निकालने के लिए ट्यूबवेल लगे हुए हैं। लेकिन वहां पर किसानों को सिर्फ 8-9 घंटे की बिजली मिलती है। उनको अगर ज्यादा बिजली दे दी जाए तो कम से कम मैं अपने हरियाणा के बारे में कह सकता हूं कि अगर वहां पर किसानों को 16 घंटे बिजली मिल जाए तो अभी वे जितना अनाज सेन्ट्रल पूल में दे रहे हैं, उससे ड्योढ़ा अनाज दे सकेंगे। इसलिए बिजली योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा प्लानिंग कमीशन से मिलना चाहिए ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वह टाइम में पूरे हो सकें और इस देश के 80 फीसदी लोगों का गुजारा अच्छी तरह से हो सके। बिजली की जरूरत सिर्फ जरात के लिए ही नहीं है बल्कि इण्डस्ट्री के लिए भी है। अगर आप बिजली का प्रबन्ध अच्छी तरह से कर दें तो फिर ड्राउट-रिलीफ की भी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि फिर ड्राउट होगा ही नहीं। अगर ट्यूबवेल्स को बिजली मिलती रहे तो ड्राउट नहीं रहेगा। ये लोग अपना काम अच्छी तरह से चला सकेंगे, इसलिए बिजली का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। नॉन-रैजिडेंड-इण्डियनस से भी इस बारे में मदद ली जाए। प्राइवेट सैक्टर में बड़े-बड़े मालदार लोग इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं, यदि वे कोई प्लान्ट लगा सकते हैं, तो सरकार के कायदे-कानून के अनुसार, तो उस दिशा में भी मदद लेनी चाहिए।

दूसरी बात मैं थियम डैम के बारे में कहना चाहता हूं। थियम डैम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बिजली दे सकता है। उसमें काफी सालों से काम चल रहा है, लेकिन फण्ड्स की कमी की वजह से वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी तरह नाथपा-झकरी हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है, और भी ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, तो अनाज की पैदावार सारे हिन्दुस्तान के लिए सिर्फ पंजाब, राजस्थान और हरियाणा दे सकता है। लेकिन ये स्कीमें काफी सालों से चल रही हैं और पूरी नहीं हो रही हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से हरियाणा में जमुना नगर में थर्मल प्लांट की मंजूरी हो चुकी है, यदि इस दिशा में कदम उठाए जाएं तो हरियाणा अपने लिए बिजली वहां से ले सकता है। इसी तरह से अलीगंज के अन्दर 125 मेगावाट के पावर स्टेशन की मंजूरी हो चुकी है। दो सालों से वहां के किसान आ रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार को हिदायत दी जाए, उत्तर प्रदेश जिन्होंने इसकी मंजूरी दी है, वह जल्दी काम खत्म करे।

[श्री राम नारायण सिंह]

इन अल्फाज के साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग कमीशन से फण्ड लेकर और प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि गरीब लोग हिन्दुस्तान के अन्दर आराम से रह सकें और अपना गुजारा कर सकें। मैं यह भी कहता हूं कि आज तक जो काम हुआ है, वह अच्छा हो रहा है, इससे भी आगे बढ़ने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : सभापति जी, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए उठ खड़ा हुआ हूं। बिजली उत्पादन के लिए सरकार ने काफी प्रयत्न किए हैं। यही कारण है कि आजादी के वक्त जो 1300 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज 50 हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है। देश में बिजली उत्पादन है, लेकिन इन प्रयत्नों के साथ-साथ कमी लगातार हो रही है। आज भी डिमांड एण्ड सप्लाई में काफी फर्क है और काफी कुछ करने के लिए कोशिश की जा रही है और कोशिश करनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इसी कमी की वजह से आज औद्योगीकरण को भारी धक्का लगा है। लाखों-करोड़ों श्रमिक बेरोजगार बैठे हुए हैं। पावर कट की वजह से शहरों और गांवों के नागरिक परेशान होते हैं। सरकार के रेवेन्यू में भी कमी होती है। ये सब चीजें तभी जाकर ठीक हो सकती हैं, जब सरकार इन पर ध्यान दे।

मैं एक बात एग्रीकल्चरल कनैक्शन के बारे में कहना चाहता हूं। बिजली की कमी के कारण ही और कुछ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के पास पैसे की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल कनैक्शन नहीं दिए जाते हैं। छः-छः और सात-सात सालों से लोगों की दरख्वास्तें ब्लाक लैवल पर पैंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। राजस्थान जहां पर कि आजकल भयंकर सूखा है, वहां पर एग्रीकल्चरल कनैक्शन कतई नहीं दिए जाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 200 कनैक्शन हर साल दिए जाते हैं, लेकिन बिजली की शार्टेज बताई जाती है। इस वजह से राजस्थान के लोग अच्छी तरह से सूखे से नहीं लड़ पाते हैं। उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए अलग से प्रोवीजन होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिलेवार विचार करके उनको अधिक अनुमान दें, राज्य सरकारों की और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की ज्यादा मदद करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल कनैक्शन दिए जा सकें।

चारों तरफ जब बिजली की कमी है, डिमांड एण्ड सप्लाई में इतना फर्क है, तो हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। प्राइवेट सैक्टर को बुलाने के लिए चर्चाएं होती हैं कि प्राइवेट सैक्टर को बुलाया जाए और उसकी मदद ली जाए, प्राइवेट सैक्टर को प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए आपने मार्च, 1987 में नौ एक्सपर्ट्स आदमियों की कमेटी बनाई थी और उन्होंने मई में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी। लेकिन साल, सवा साल होने के बाद भी अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस तरह की कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट पर खामोश बैठ जाएं, तो यह ठीक नहीं है। इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जब आपने उनको एक मुद्दा दिया था कि पावर जेनरेशन के लिए प्राइवेट सैक्टर का क्या रोल हो, उस पर वह विचार करे, तो उसकी रिपोर्ट साल भर हो गए आ गई और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यह ठीक नहीं है। इस बीच कोस्ट आफ पावर जेनरेशन 20 परसेंट बढ़ गई। यह कितना बड़ा नुकसान है। आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि इतनी बढ़िया कमेटी एक्सपर्ट्स की बनाई थी और उसमें एक मेम्बर ने नोट आफ डिसेन्ट दिया है और बाकी 8

आदमियों ने, 8 अच्छे एक्सपर्ट्स ने एकमत होकर जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसा न होने से पावर जेनरेशन की कोस्ट भी बढ़ गई और दूसरी दिक्कतें भी हो गयीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार खुद मानती है कि हमारे पास पूरे संसाधन नहीं हैं और डिमान्ड और सप्लाई का जो गैप है, उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उस गैप के बराबर तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब गैप को कम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे समय में प्राइवेट पार्टीज को या प्राइवेट सैक्टर को क्यों नहीं एन्कज किया जाता है, उनको क्यों नहीं इन्सेंटिव दिया जाता है। जो 9 आदमियों का ग्रुप आपने बनाया है, उसने कुछ सिफारिशें की हैं जैसे कैपिटल एम्पलायमेंट का हायर रिटर्न उन लोगों को दिया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन या एक्सवेंशन के वक्त इन्ट्रेस्ट का कैपीटेलाइजेशन हो, इन्ट्रेस्ट डिपोजिट स्कीम का एक्सटेंशन, एम० आर० टी० पी० क्लियेरेंस का एगजम्प्शन है, एक्सटरनल बारोइंग्स हैं और एन० आर० आई० द्वारा पूंजी लगाने की बात है। ये इन्सेंटिव्ज जब तक आप उनको नहीं देंगे और जब तक उनको यह गारन्टी नहीं होगी कि वे जो पावर जेनरेट करेंगे, वह स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनको दे देगी, तब तक पावर जेनरेशन कौन करेगा प्राइवेट सैक्टर में। इन सब चीजों पर आपको विचार करना चाहिए और उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। बातें ही बातें होती रहेंगीं, तो कैसे काम चलेगा और सप्लाई और डिमान्ड का गैप कैसे पूरा हो पाएगा। प्राइवेट सैक्टर में अगर जेनरेशन होता है, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्किंग में किसी प्रकार का विपरीत असर न हो, यह गारन्टी जरूर मिले लेकिन अगर उनको इन्सेंटिव नहीं देंगे, उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो पावर जेनरेशन कौन करेगा। आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र का सहयोग वांछनीय है और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी को विफोर-हैंड पावर का रेट सैटिल करना चाहिए। कई बार यह कहा जाता है कि निजी सैक्टर में पावर जेनरेशन होगी, तो उसकी कोस्ट ज्यादा होगी। यह बिल्कुल गलत है और यह वे लोग कहते हैं जो कमी को बनाए रखना चाहते हैं, किसी न किसी स्वार्थ में डिमान्ड और सप्लाई के फर्क को बनाए रखना चाहते हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को राज्य के विद्युत मंडलकों को जो भी बिजली का उत्पादन हो, उसका उपयोग करने की गारन्टी दी जाए और विद्युत का उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ग्रिड में फीड हो जाए, यह भी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि फाइनेन्सिंग प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करने में काफी देर लग जाती है। निर्णय लेने में टाइम कट-शोर्ट हो जाए, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

नान-कन्वेन्शनल इनर्जी के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ने एक प्रोजेक्ट बनाकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा था और वह 30 मेगावाट का था। महीनों से उसकी चर्चा चल रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको मंजूर किया जाना चाहिए और 30 मेगावाट शक्ति का सोलर तापीय पावर प्लान्ट के लिए जो केन्द्रीय सहायता की मांग की है, वह मंजूर की जाए।

इसी प्रकार मेरे लोक सभा क्षेत्र अन्ता में एन० टी० पी० सी० द्वारा 430 मेगावाट का एच० बी० जे० गैस पर आधारित पावर प्लान्ट लगाया जा रहा है। गैस की काफी उपलब्धता है और राजस्थान में विद्युत की भारी कमी है। इस चीज को देखते हुए इस पावर प्लान्ट को 430 मेगावाट से बढ़ाकर 800 मेगावाट तक खींचा जा सकता है। गैस की उपलब्धता वहां पर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी उसका काम शुरू हुआ है। अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है और आठ सौ मेगावाट की यह कर दी जाती है तो राजस्थान के लिए काफी अच्छा होगा। एच० बी० जे०

[श्री शान्ति धारीवाल]

पर आधारित काफी बिजली उपलब्ध है। राजस्थान में आप दूसरा प्लांट भी लगा सकते हैं।

इन शब्दों को प्रस्तुत करते हुए, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और पुनः इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति जी, एनर्जी मिनिस्ट्री का जो डिमांड्स आफ ग्रांट्स पेश हुआ है उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। मैं आपकी आभारी हूं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया।

एक माननीय सदस्य : बंगाली में बोलो, क्या फर्क पड़ता है।

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं, हम कोशिश करेंगे। सर, जिन बातों पर मेम्बर लोग बोल चुके हैं उन पर हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि मिनिस्टर भी थक चुके होंगे। यह जो हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट है, यह बहुत इम्पार्टेन्ट डिपार्टमेंट है और हमारा एनर्जी मिनिस्टर भी एनर्जेटिक मिनिस्टर है। इसलिए यह डिपार्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है।

यह बात सच है कि आजादी के टाईम पर हमारा पावर जेनरेशन 4 हजार मिलियन था जो कि अभी दो लाख मिलियन हुआ है। लेकिन हमारा जो टारगेट प्वाइन्ट था उस पर अभी भी हम लोग नहीं आ सके हैं। लेकिन एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि चाइना और रशिया से कम्पेअर करना ठीक नहीं होगा क्योंकि चाइना, रशिया और हममें बहुत डिफ्रेंस है, हमारे सिस्टम डिफेन्ट हैं। यह बात ठीक है कि किसी दूसरे देश में कोई चीज अच्छी होती है तो उसको हमें देखना पड़ता है, उसके लिए हमको सोचना पड़ता है।

मैं बोलना चाहती हूं कि कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए हमारी इन्दिरा जी ने हमारा रास्ता कायम किया था। उसके बाद से कोल इण्डिया में कोल का प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ, पावर जेनरेशन भी ज्यादा हुआ। लेकिन यह भी बात है कि देश में बहुत सारी स्टेट्स है जिनमें ज्यादा पावर जेनरेशन की जरूरत है। हम और स्टेट्स के बारे में न बोल कर अपनी स्टेट के बारे में बोलना चाहते हैं क्योंकि टाईम कम है। अपनी स्टेट के बारे में मैं दो-चार बातें बोलना चाहती हूं।

हमारी स्टेट में पावर शार्टेज बहुत है। सर आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम बदल गया है। अब वहां छोटा-छोटा बच्चा भी बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वह लोड शेडिंग चीफ मिनिस्टर है। पावर का हमारी स्टेट में क्राइसिस हो गया है। सर पावर जेनरेशन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर बेल्ट में काम नहीं हो सकेगा। अगर हाइडल पावर जेनरेशन नहीं होगा, हाइड्रो पावर जेनरेशन नहीं होगा तो इण्डस्ट्री नहीं बढ़ेगा, अगर इण्डस्ट्री नहीं बढ़ेगा तो हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। इस पर हमें ध्यान देना है।

हमने अपोजिशन के सी० पी० एम० लीडर का भाषण सुना है। अपने भाषण में उन्होंने कोल इण्डिया में जो स्ट्राइक हुआ, उसके बारे में मिनिस्टर को कहा कि उनकी सारी डिमाण्ड्स मानना है। हम भी वर्कर्स के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो जस्टिफाईड डिमान्ड्स है उन डिमाण्ड्स को हम जरूर सपोर्ट करते हैं। उनका वेज नेगोशियेसन होना चाहिए। चार वर्ष के बाद वह नहीं हुआ है, वह होना चाहिए। आई सपोर्ट दिस डिमाण्ड। लेकिन में एक बात बोलना चाहती हूं

कि यह जो वहां स्ट्राइक किया गया, इसका सबसे ज्यादा असर कोल इण्डिया पर पड़ा है। हमारे बंगाल में क्या हुआ ? वहां 2400 वेगंज का लोड रोज होता है। स्ट्राइक में 714 वेगंज का लोड हुआ। कोल का प्रोडक्शन भी कम हुआ।

वहां वर्कर्स स्ट्राइक करने के लिए तैयार नहीं थे। वर्कर लोग स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फोर्सफुल्ली सी० आई० टी यू०, ए० आई० टी० यू० सी० यूनियंज ने और नान आई०एन०टी०यू० सी० यूनियन ने उनसे स्ट्राइक कराया। ये लोग जो कि मैनेजमेंट के थे बार-बार पुलिस को बुलाते थे और उससे कहते थे कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए, वर्कर लोग काम करना चाहते हैं, आफिसर लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोटेक्शन उनको नहीं दी। कोल इण्डिया के बहुत लोगों को, मैनेजर को पुलिस ने अरेस्ट किया और उनको थाने में ले गये। वहां के माफिया लोगों ने, मसलमेन ने वर्कर को काम करने नहीं दिया। वर्कर के बारे में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो लोग काम करना चाहते थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और लाक-अप में डाल दिया गया। कोल इण्डिया में 15 मार्च को बंद में इन लोगों ने क्या किया, 14 मार्च को टी० वी० सेंटर में भी यही हुआ। सभापति महोदय, वेस्ट बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा है। यह कामन इन्टरेस्ट की बात है, इसलिए हम कहते हैं। सी० पी० एम० के लोग बहुत शोर मचाते हैं, बहुत बोलते हैं, जिससे लगे कि वे बहुत भले आदमी हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। हमारी सरकार समाजवाद का काम कर रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो वर्कर काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। आम आदमी वहां पर बहुत तकलीफ में है।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो पैसा केन्द्र सरकार ने दिया था उसमें से 17 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया और वापिस कर दिया गया। गांवों के लोगों को बिजली नहीं मिल सकी, इस तरह की जो वेस्ट बंगाल की समस्याएं हैं, उन पर अवश्य सोचना चाहिए। केन्द्र सरकार के प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार प्रोजेक्ट नहीं करती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके लिए अलग से कोई तरीका निकालना चाहिए। राज्य सरकार ऐसा एटमासफियर क्रिएट कर रही है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप मदर जैसा व्यवहार कर रही है। इस स्थिति को देखा जाना चाहिए। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन सब के साथ समान व्यवहार किया जाता है, इसलिए इस तरह का एटमासफियर क्रिएट नहीं होने देना चाहिए।

सी० पी० एम० के लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन नहीं होता है, जब काम करने वाले लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। कोलयारी में क्या होता है, वहां पर लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, सड़क नहीं है, लिविंग कंडीशन ठीक नहीं है, इन सब बातों को वहां की सरकार को देखना चाहिए। अपोजीशन के लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। ये लोग तो हर रोज बंद-बंद की बात करते हैं, इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये लोग नारा देते हैं—"राजीव हटाओ, देश बचाओ" क्या इससे देश की समस्याएं हल होने वाली हैं। राजीव जी को देश की जनता ने चुना है, जब जनता कहेगी, पार्लियामेंट में मेजारटी नहीं होगी तो वे अपने आप रिजाइन कर देंगे, लेकिन इनके कहने से ऐसा नहीं हो सकता है। आज अगर हम कहेंगे कि ज्योति बसु इस्तीफा दें या एन० टी० आर०, हेगड़े इस्तीफा दें, तो क्या वे इस्तीफा दे देंगे। जब ये इस्तीफा नहीं देते तो राजीव जी क्यों इनके कहने से इस्तीफा दे दें। इस तरह से रोज रोज का बंद करने से कोई फायदा नहीं है। वेस्ट बंगाल में जब बंद का

[कुमारी ममता बनर्जी]

आयोजन किया गया तो सिर्फ वह दरवाजा खुला था जिस बिल्डिंग में चीफ मिनिस्टर बैठते थे, बाकी सारे दरवाजे बंद रखे गए, जिससे कि बंद सफल हो सके ।

हमारे राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं, जिसमें एक समस्या पावर की कमी भी है । हमारे यहां नादिया जिला पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पर पिछले दो महीनों से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला है । खेतों में सिंचाई के लिए किसानों को बिजली नहीं मिली है । वहां पर 34 थर्मल पावर स्टेशन खराब पड़े हैं, यह सब कैसे हो गया, सी० पी० एम० के लोग सारा पैसा खा गए हैं, इसलिए ऐसा हुआ । सी० पी० एम०, कांग्रेस, जनता आदि पार्टियों के किसान मिलकर डेमांस्ट्रेशन लेकर गए कि हमको पीने का पानी नहीं मिलता, सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती, किसान मर रहे हैं, पंप काम नहीं कर रहे, तो राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने किसानों पर गोली चलाई और 3 किसान मारे गए । आज अगर देश में कोई घटना हो जाती है तो यहां पर सी० पी० एम० के लोग कहते हैं कि अभी दो मिनट में स्टेटमेंट दिया जाए, लेकिन इन किसानों के बारे में वहां की सरकार ने 6 दिन के बाद स्टेटमेंट दिया । इसका मामला जब वहां के कांग्रेस सदस्यों ने उठाया तो दो सदस्यों को अरेस्ट कर लिया गया, दो सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया और सदस्यों को पिटवाया गया । यह कोई गलत बात, मैं यहां पर नहीं बता रही हूं, यह बिल्कुल सत्य बात है । अगर हम गलत बोलते हैं तो विरोधी दल के लोग हमारे खिलाफ प्रिवलेज मोशन ला सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं । आज हमारे राज्य में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है ।

सर, एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूं कि हमारी स्टेट में पावर की शार्टेज है । हम कामन इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं । हम इनकी तरह से नहीं हैं कि कामन इंटरेस्ट को भी सपोर्ट न करें । हमारी स्टेट में 800 मेगावाट की शार्टेज सेवंथ फाइव ईयर प्लान में फ्यूचर में आएगी । इसलिए हमें बकरेश्वर पावर हाउस को जरूर दीजिए । वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे ही बोल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको यह नहीं देती है । मैं स्टेट गवर्नमेंट की बातों से सहमत नहीं हूं मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूं कि स्टेट और वहां के लोगों के इंटरेस्ट में यही है कि इस बकरेश्वर थर्मल पावर प्लाण्ट को वहां दिया जाए । यह नहीं होगा तो हमारे लोगों को बहुत मुश्किल होगी । ये लोग तो यहां बैठकर पालिटिक्स करते हैं और यों ही चिल्लाते रहते हैं लेकिन जो प्रदेश के हित की बात है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं ।

मन्त्री महोदय का ध्यान अब मैं वहां की लिविंग कंडीशन्स की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । वहां पर वर्कर्स की लिविंग कंडीशन्स अच्छी नहीं हैं । इसलिए उनकी तरफ ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है । वहां का जो मैनेजमेंट है, वे लोग तो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन वहां पर वर्कर्स बहुत खराब कंडीशन्स में रहते है । वे लोग झोंपड़ियों में रहते हैं । उनके लिए एजूकेशन की, हैल्थ की कोई सुविधा नहीं है जो वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट में पार्टीसिपेशन बहुत जरूरी है ।

सर, एक बात और मैं रेज करना चाहती हूं । हमारे यहां एक डी० वी० सी० इंजीनियर एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेट्री ने एक पत्र भारत के प्रधान मन्त्री यानी देश के प्रधान मन्त्री को लिखा और उसी की एक कापी एम० पी० होने के नाते मुझे दी । आप भी यह मानेंगे कि देश के लोगों की कोई अगर ग्रिविसेस होती हैं, तो उनसे देश के प्रधान मन्त्री और क्षेत्रीय एम० पी० को अवगत कराने का अधिकार है । हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम अपनी जनता की समस्याओं को देखें । आदमी

चाहे वह नौकरी करने वाला हो, चाहे बिजनैस वाला हो, सबको अधिकार है कि अपनी समस्याओं से देश के नेताओं को अवगत कराए। डी० वी० सी० एसोसिएशन के जनरल सैक्रेट्री ने प्रधान मन्त्री को लिखा और उससे मुझे भी अवगत कराया लेकिन उसके डिपार्टमेंट के श्री आर० के० सिंह, डायरेक्टर, पर्सोनल ने लिखा है कि आपको इस प्रकार से कोई भी पत्र प्रधान मन्त्री या एम० पी० को लिखने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, यदि ऐसा होगा, तो कोई भी देश का नागरिक अपनी समस्याओं को अपने देश के नेताओं को नहीं बता पाएगा। कोई भी एम्प्लोई प्रधान मन्त्री को अपनी समस्याओं से अवगत नहीं करवा सकता है, यह बात ठीक नहीं है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जो आदमी काम करता है उसको हर कोई एप्रिशिएट करता है। यदि हमारे लिए बोला लिखा होता तो भी माना जा सकता था क्योंकि हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन प्रधान मन्त्री को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। यदि इस प्रकार से ये अधिकारी व्यवहार करेंगे, तो कोई भी कर्मचारी अपने देश का हित नहीं कर सकेगा। देख लीजिए ये मेरे हाथ में लैटर है, इसे मैं मन्त्री महोदय को दे देती हूं। हम लोग तो पब्लिक के आदमी हैं, यदि पब्लिक को रिप्रजेंट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस ओर भी ध्यान दें।

स्ट्राइक के समय में जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनको आप रिवार्ड जरूर दीजिए और जिन लोगों ने बदमाशी की है, जिन लोगों ने प्रोडक्शन को कम करने का प्रयास किया है, उनको कुछ ऐसी सजा की व्यवस्था कीजिए जिससे वे भविष्य में देश का नुकसान इस प्रकार से न कर सकें। जो ट्रेड यूनियनें देश के उत्पादन को कम करने का प्रयास करती हैं, ऐसी ट्रेड यूनियनों को नहीं रहने देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

5.00 म० प०

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा ऊर्जा मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि इंसान के जीवन में हर अंग में बिजली का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा मन्त्री के सम्मेलन में माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि गर्मी का मौसम आ रहा है, देश में निश्चित रूप से विद्युत का संकट उत्पन्न हो सकता है। हमारे बिहार प्रदेश के मुख्य मन्त्री भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो तेनुघाट परियोजना थी, जिसका प्रथम चरण पूरा हो गया, और द्वितीय चरण के लिए भारत सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन यह आश्वासन कागज के पन्नों तक ही सीमित रह गया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

जहां तक विद्युत संकट का प्रश्न है, काटी थर्मल पावर स्टेशन का काम नियमानुसार 1986 में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका एक यूनिट चला और उसके बाद आज तक हम इंतजार ही करते रह गए। उत्तरी बिहार के साथ, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग भी उस थर्मल पावर स्टेशन के बन जाने से लाभान्वित होते थे। आप जो भी योजना लें, जो भी काम करें, अगर समयावधि में पूरा नहीं करते हैं तो उसके खर्च की धनराशि निश्चित रूप से बढ़ जाती है। इस तरह से विद्युत का संकट दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

इस सदन में कल डा० गौरीशंकर राजहंस माफिया के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। इस सदन में कई सदस्यों ने चर्चा के दौरान माफिया के सम्बन्ध में कई बातों का उल्लेख किया। अगर आप इस

[श्री काली प्रसाद पाण्डेय]

सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगाकर देखें तो 1975 में जब धनबाद में श्री सक्सेना कलैक्टर हुआ करते थे तो बिहार सरकार की तरफ से उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी कि कौन-कौन माफिया लोग वहां निवास करते हैं, जिनके कारण कोयले की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। अगर हम उस संचिका को देखें तो पता चलेगा कि जिस दिन तक श्री सक्सेना धनबाद में पद-स्थापित थे, तो माफिया के जो भी लोग थे, चाहे वह किसी दल से सम्बन्धित हों, उन्होंने धनबाद को छोड़ दिया था। वह दिन आज भी धनबादवासियों को याद है। लेकिन जब उसका स्थानान्तरण नहीं हुआ तो एक नहीं हजारों की गड्डियां उसके हाथ में फाड़कर फेंकी गईं कि उसका ट्रांसफर हो। अगर आप उस संचिका को मंगाकर देखें तो आप पाएंगे कि उस तरह की कार्यवाही से निश्चित रूप से माफिया के लोगों पर काबू पा सकते हैं।

नेशनलाइजेशन के बाद आपने चोरी कमेटी का गठन किया। उसने 3, 4 माह पूर्व अपनी रिपोर्ट दे दी कि विषमताएं क्यों बढ़ रही है। जो भी कमेटी बने अगर ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही न हो तो निश्चित रूप से हम ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में कदम नहीं उठा सकते हैं।

एक कोयलकारो परियोजना थी, आदिवासियों के झंझट के चलते वह ठप्प पड़ गई। बिहार प्रदेश की हालत ऐसी बन चुकी है, विद्युत उत्पादन ने विगत साल में कुछ इम्प्रूव किया, लेकिन आरी की योजना गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने चलाई थी, बिहार प्रदेश के अनेक जिलों में आप देखें, हमारे गोपालगंज में आरी की योजना के तहत मात्र 3 गांव का ही विद्युतिकरण किया गया। जवाब आता है कि उत्पादन क्षमता बढ़ने के बजाए घट रही है।

जिस प्रदेश से हम आते हैं, बाढ़ और सूखे की स्थिति समूचे राष्ट्र के अन्दर व्याप्त थी, उस संकट से हम लड़े, लेकिन विद्युत उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ी।

मैं यहां निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठने के बावजूद भी मानता हूं कि वसन्त साठे साहब जहां भी रहे हैं, इनका काम हर डिपार्टमेंट में हुआ, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में सब काम हम योजनाबद्ध तरीके से करें और उत्पादन-क्षमता बढ़ाएं। उसमें जो भी गति उत्पन्न करें उसको निश्चित रूप से जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाए। गांवों में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी हालत सुधारने की तरफ भी आप ध्यान दें। हमारे यहां गांवों में जहां ट्यूबवैल लगे हुए हैं वहां बिजली नहीं है। अतः वहां बिजली अवश्य पहुंचायी जाये। मैं तो यह कहूंगा कि देहातों में 10 से 15 घंटे तक बिजली देने की आप व्यवस्था करें। ऐसी व्यवस्था करने के बाद ही किसानों की दशा सुधर सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री बाला साहिब बिखे पाटिल (कोपरगांव): चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जब से साठे साहब ने इस मन्त्रालय का कार्य भार सम्भाला है तब से कार्य में बहुत प्रगति हुई है। मैं इसके लिए साठे जी को धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही उनको बधाई भी देता हूं।

सूखे के कारण हिन्दुस्तान में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में आप तो जानते ही हैं।

किसानों को बिजली देने का जो टारगेट रखा गया था उसको भी हमने पूरा किया। हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के एक साल बाद ही 4900 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। इसमें हमारे इंजीनियरों और उच्च अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ था। हमारे मन्त्री जी ने अपने इस मन्त्रालय में काफी सुधार किया है। बिजली के बिना देश की प्रगति असम्भव है यह तो आप जानते ही हैं।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमने अपने अनाज के उत्पादन को 1 लाख 75 हजार मिलियन टन तक किया। मैं अपने मन्त्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह किसानों को बिजली प्राथमिकता के आधार पर दें। आज 10-20 परसेंट बिजली ही किसान इस्तेमाल करते हैं और बाकी 80 परसेंट बिजली इंडस्ट्री में चली जाती है। बिजली की जो चोरी होती है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। किसान छोटी मोटी चोरी के अन्दर विश्वास नहीं करता है। वह तो ईमानदारी से ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गांवों का विद्युतीकरण करने की आप जो व्याख्या करते हैं उसमें आप थोड़ा परिवर्तन करें। एक गांव में एक पम्प लगा देने के बाद यह कह दिया जाता है कि पूरे गांव का विद्युतीकरण हो गया। इसी प्रकार गांवों में कहीं एक बत्ती लगा दी जाती है तो भी कह दिया जाता है कि हैंडर्ड परसेंट इलेक्ट्रिकफिकेशन हो गया। मैं तो यह चाहता हूं कि 70-75 परसेंट बिजली घरों में बिजली पहुंचा दी जाए। मेरे जिले में ढाई लाख कुएं हैं और सवा लाख पम्पसेट हैं। लेकिन बिजली न मिलने की वजह से वे चलते नहीं हैं। अतः इस तरफ भी आप ध्यान दें।

महाराष्ट्र का जो विद्युत मण्डल है वह काफी नफे में है। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गैस टरबाइन की ज्यादा जरूरत है। इस पर भी आप अवश्य विचार करें। आज गैस की जो कीमत है उसको भी आपको कम करना चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार की तरफ से बड़े बड़े पावर टरबाइन बिजली निर्माण के लिए लगा दिए जायें तो उससे भी कुछ न कुछ काम बन जाएगा और ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी।

आपने अपनी रिपोर्ट में कार्य की जो प्रगति दिखाई है वह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं चाहता हूं कि इसमें और तेजी लाई जाए। इससे देश प्रगति के रास्ते पर चलेगा।

अब मैं नान कनवेंशनल एनर्जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आपने एक प्लान यह बनाया है कि 2001 ई० तक 15 हजार मेगावाट बिजली बन जाएगी। मैं यह चाहता हूं कि किसानों को अधिक मात्रा में बिजली दी जाए।

मैं ऐसा समझता हूं कि सोलर एनर्जी सबसे बढ़िया होती है और यह रिमोट एरियाज में काफी लाभदायक सिद्ध होती है। अगर आप पेड़ों की रक्षा करना चाहते हैं तो सोलर एनर्जी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है अतः इसके लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। मैं प्लानिंग कमीशन से भी यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वह इसके लिए अधिक धन आवंटित करे। इससे एक लाभ यह होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि इससे रोजगार बढ़ेगा और लोगों को उस जगह ही रोजगार मिलेगा। जो असन्तुलन है, रीजनल इम्बेलैंस है वह असंतुलन इससे कम होगा क्योंकि इन्फ्रा-स्ट्रक्चर ज्यादा तैयार हो सकता है और इसके साथ ही···(व्यवधान) आप घण्टी बजा रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपने मुझे जो मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं मन्त्री जी

[श्री बाला साहिब विखे पाटिल]

से आग्रह करूंगा कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और किसान के लिए 175 मिलयन टन अनाज के लिए आप प्राथमिकता दें जिससे अनाज की इस देश में कमी न हो।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और बहुत मूल्यवान योगदान दिया। प्रारम्भ में मैं यह कहूंगा कि कोयला तथा ऊर्जा की विद्युत उत्पादन तथा ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों दोनों के रूप में आधार भूत ढ़ांचे ने विगत दो-तीन वर्षों और विशेषकर इस वर्ष वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। इसका कारण संसद सदस्यों की इन विभागों श्रमिकों तथा प्रबन्धकों की शुभ कामनाएं हैं। इसलिए मैं हम सभी की ओर से समस्त कार्य बला तथा प्रबन्धकों का इस अच्छे कार्य के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

मेरे मन्त्रालय के सभी लोगों ने एक ही टीम के रूप में कार्य किया। कोयला विभाग, विद्युत विभाग, रेलवे तथा अन्य सम्बद्ध विभागों की सतत निगरानी तथा समन्वय से यह सुधार जोकि बहुत असाधारण है, सम्भव नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ आप प्लांट लोड फैक्टर को ही ले लीजिए। हम देख रहे हैं कि बहुत से वर्षों से यह वास्तव में स्थिर सा था। हम इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यहां तक की योजना आयोग ने भी काफी हिचकिचाहट के साथ कहा था : ठीक है आप 53 प्रतिशत तक पहुंचने का प्रयास कीजिए क्योंकि यह 47 और 50 प्रतिशत तक ही था। जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि आप इसे 1 प्रतिशत बढ़ा दें तो यह समस्त देश में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के बराबर होगा इसका मतलब है 500 करोड़, रुपये का निवेष। यदि 1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए इतना निवेश करना पड़ता है तो आप चन्द्रमान लगा सकते हैं कि यदि हमारे लोग परिश्रम करें और प्लांट लोड फैक्टर को 56.4 प्रतिशत तक ला दें जो कि 53 के लक्ष्य से भी अधिक है तो मैं यह समझता हूं कि वे बधाई के पात्र हैं।

मैं आपको एक गुप्त बात बताऊंगा। यह प्लांट लोड फैक्टर थोड़ा सा भ्रामक है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के चार राज्यों अर्थात बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, के सभी प्रकार के प्रयासों के बावजूद वे इसे औसतन 43 से अधिक नहीं बढ़ा पाए। उनमें से कुछ राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल, सभी प्रयत्नों के बावजूद यह 40, 38 से नीचे है। गत वर्ष का औसत 38 था।

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी रिपोर्ट में 41 है।

श्री वसंत साठे : मुझे आपसे बेहतर जानकारी होनी चाहिए। (व्यवधान) किसी खास अवधि में यह 41 है।

श्री बसुदेव आचार्य : गत वर्ष आपकी रिपोर्ट में 41 है।

श्री वसंत साठे : आप 41 से खुश हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सन्तुष्ट नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक प्रतिशत 500 करोड़ रुपये बैठता है। वे इसके बारे में गम्भीर हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस बारे में गम्भीर हैं।

श्री बसंत साठे : ठीक है, मैं इन पूर्वोत्तर यूनिटों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या वे अपना प्लांट लोड फैक्टर अधिक नहीं तो 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय औसत 60 से अधिक हो गई होती। जब से मैंने इस मन्त्रालय का कार्यभार सम्भाला है मैं अपने मन्त्रालय के लोगों से यही कहता रहा हूं। मैं यह कहता रहा हूं और उनका यह कहना है महोदय, आप क्या कह रहे हैं'''आप हमारे लिए असम्भव लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। मैंने कहा, "देखिए, हमें 60 का लक्ष्य रखना चाहिए। 60 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर अवश्य पूरा किया जाना चाहिए," मेरा विश्वास कीजिए, अब यह वास्तविक लगता है क्योंकि इन चार राज्यों को ही सहयोग देना है।

श्री वसुदेव आचार्य : उत्तर प्रदेश भी।

श्री बसंत साठे : नहीं, नहीं उत्तर प्रदेश का कार्य निष्पादन बेहतर है। उत्तर प्रदेश का 50 से अधिक है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए।

श्री बसंत साठे : महोदय, आप जानते हैं कि जब मैंने पिछली बार भाषण दिया था तब भी मैंने इस विषय को व्यापक ढंग से लिया था। हम एक राष्ट्र के रूप में तथा एक संसद के रूप में क्या चाहते हैं? हम इस मूलभूत ढ़ाँचे का निर्माण इस प्रकार से करना चाहते हैं कि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकें, एक ऐसा राष्ट्र जो कि विश्व के अन्य राष्ट्रों के समान हो, संसार में सर्वोत्तम के समान हो। हमें न केवल विश्व में सर्वोत्तम होने बल्कि कुछ विकसित देशों से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी यह महत्वकांक्षा होनी चाहिए। इसलिए कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ।

मैं आपसे यह कह सकता हूं कि हमें इस पर गर्व होना चाहिए। इस राष्ट्र को आजादी के बाद से पिछले 40 वर्षों की अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। यदि आप केवल विद्युत क्षेत्र को ही लेते हैं तो हमने निम्न स्तर से शुरू किया। हमने सफलता पाई है यद्यपि मैं स्पष्ट रूप से यह कहता रहा हूं कि हमें अभी काफी लम्बा रास्ता तय करना है।

श्री वसुदेव आचार्य : 500 लाख लोग बेरोजगार हैं।

श्री बसंत साठे : 1947 में केवल 1340 मेगावाट उत्पादन की तुलना में आज हम 53,927 मेगावाट से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। अब इस माह में विद्यमान चार इकाइयों की हमारी स्थापित क्षमता 54000 मेगावाट से अधिक हो गई है। महोदय, प्रगति की गति देखिए। कुल 576000 गांवों में से यदि आप 426323 गांवों का विद्युतीकरण करने में सक्षम रहे हैं तो यह किसी के लिए, हम सबके लिए चाहे हम किसी भी पक्ष में क्यों न हों, क्या गर्व करने की बात नहीं है। (व्यवधान) हमारे लिए जो भी अच्छा है उसमें हम दोनों का हिस्सा है। क्या ऐसा नहीं है? यह इस पक्ष अथवा उस पक्ष का प्रश्न नहीं है।

अब पम्पसैटों के सम्बन्ध में विचार करते हैं। पम्पसैटों से सिंचाई होती है। वे मुख्यतया हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सूखे की स्थिति से निपटने में भी सहायक होते हैं। हम इस स्थिति मुख्यतया विद्युत तथा पम्पसैटों के माध्यम से निपट सकते हैं। महोदय, कितने पम्पसेटों को विद्युतीकृत किया

[श्री वसन्त साठे]

गया है ? सभी सदस्यों को ये आंकड़े जानना चाहिए। 1947 में विद्युतीकृत पम्पसेटों की संख्या केवल 21000 थी। अब हमने 7046000 पम्पसेटों को विद्युतीकृत कर दिया है। क्या यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है ?

अतः, जब बहुत से लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं तब मुझे अपने कार्य का विश्लेषण करना ही चाहिए। यह विश्लेषण मैं बहुत कड़ाई से करूंगा तथा मैं इस पर अभी ही आऊंगा। किन्तु हमारी उपलब्धियों की अच्छी बातों को भी नोट किया जाना चाहिए।

महोदय, जब हमने कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया था उस समय क्या स्थिति थी ? कोयले का मूल्य 47 रु० प्रतिटन था। अब यह मूल्य 230 रु० प्रतिटन है। ऐसा क्यों हुआ है ? हमें इसके बारे में भी पूछना चाहिए। इससे पहले कि मैं इस विषय पर आऊं मुझे यह बताने दीजिए कि हमने कोयला उद्योग में क्या कल्याण कार्य किए हैं। इन कार्यों के बारे में हमें जानना चाहिए तथा इन पर गर्व करना चाहिए। हमने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों किया ? जब श्री कुमार मंगलम ने इस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया तो इसका प्रमुख कारण यह था कि मजदूरों का शोषण किया जा रहा था तथा उनके रहन सहन की स्थिति बड़ी दयनीय थीं। यदि सम्पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम हम इस बात पर विचार करें उस समय कहां थे तथा अब कहां आ गए हैं। आपको यह बात हमेशा याद रखना चाहिए तथा विपक्ष के साथ यही कठिनाई है कि वह इस बात को याद नहीं रखता। अधिक समय पहले नहीं केवल 1973 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय जिन लोगों को जल की आपूर्ति होती थी उनकी संख्या केवल 227000 थी। हमने राष्ट्रीयकरण के बाद इसको 18 लाख तक बढ़ा दिया है अर्थात 18 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति की गई है। हम 2 लाख से 18 लाख तक जा पहुंचे हैं। यह वृद्धि नौगुनी है। क्या यह संतुष्टि का विषय नहीं है ?

श्री तम्पन थामस : कितने वर्षों से ?

श्री वसंत साठे : ऐसा केवल दस वर्षों से है (व्यवधान) श्री थामस आप क्या बात कर रहे हैं ? यह जनसंख्या-वृद्धि नहीं है। यह वह जनसंख्या है जिसे पानी उपलब्ध कराया गया। श्री थामस संदेहशील व्यक्ति मत बनिए। इस पर आपको गर्व होना चाहिए। उस समय सात लाख कर्मचारी थे जिन्हें पानी उपलब्ध कराना था। कर्मचारियों की संख्या लगभग वही रही किन्तु पेयजल की आपूर्ति केवल दो लाख लोगों के लिए की गई थी। इस संख्या में नौगुनी वृद्धि हो गई है (व्यवधान) यह भूमिगत खानें हैं। आप सतह की बात करते हैं। कुछ लोग सत्य को देखने तथा तथ्यों को स्वीकार करने के भी इच्छुक नहीं होते हैं तथा कम से कम कुछ तथ्यों पर भी गर्व नहीं करते हैं। इन तथ्यों को मैंने नहीं बनाया है। आप आवास (व्यवधान) की बात कर रहे थे। मैं कई बार वहां गयी हूं। मैं उस क्षेत्र से सम्बद्ध हूं जहां कोयले की खानें हैं। सम्भवतया आप यह बात नहीं जानते हैं। मैं इस स्थान को भलीभांति जानता हूं। मैं 30 वर्ष से अधिक समय से कोयले से सम्बद्ध श्रमिक संघ आंदोलन से सम्बद्ध रहा हूं।

श्री तम्पन्न थामस : एक समाजवादी के रूप में न कि एक कांग्रेसी के रूप में।

श्री वसंत साठे : मैं शीघ्र ही आपके समाजवाद पर चर्चा करूंगा। आवास सुविधा 18 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है। आप यह कह सकते हैं कि यह शतप्रतिशत नहीं है। किन्तु यह वृद्धि राष्ट्रीयकरण के बाद के 13 से 14 वर्षों की अवधि में हुई है तथा हमने कल्याण कार्यों पर खर्च किया

है। जब हम आजाद हुए थे उस समय इस मद पर होने वाला व्यय क्या था? 1974-75 में राजस्व व्यय में कल्याण कार्यों पर कुल व्यय वास्तव में 6.1 करोड़ रु० था। कल्याण कार्यों पर यह व्यय बढ़कर अब 351 करोड़ रु० हो गया है। आपको यह बात समझनी चाहिए कि इस सरकार ने कोई उपाय नहीं छोड़ा है, यद्यपि आप यह कह सकते हैं कि यदि आपने 6000 करोड़ रु० व्यय किया है तो इसकी तुलना में यह रकम काफी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ठेकेदारों की जेब में कितनी राशि गई है?

श्री वसंत साठे : यह एक अलग मामला है।

यह राशि कल्याण कार्यों में लगाई गई है। ऊर्जा तथा कोयला क्षेत्र के सम्बन्ध में ये कुछ तथ्य हैं, जिन पर हमको गर्व करना चाहिए।

अब हम इस प्रश्न पर आएंगे कि क्या हम सन्तुष्ट हैं? यह बात दुर्भाग्य पूर्ण है कि हम एक ओर तो समाजवाद की बात करते हैं किन्तु समाजवाद है क्या?

एक माननीय सदस्य : कृपया इसको स्पष्ट करें।

श्री वसंत साठे : मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, किन्तु मैं एक साम्यवादी को समाजवाद के बारे में क्या भाषण दे सकता हूं। उससे जन्म से ही सब कुछ जानने की आशा की जाती है (व्यवधान)।

जैसा कि मैं समझता हूं कि एक प्रजातन्त्र में समाजवाद का अर्थ है समाज के सभी सदस्यों का कल्याण तथा समाज के सभी सदस्यों का संतुलित विकास, ताकि हमारे समाज के प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम जरूरतें पूरी हो सकें। यह समाजवाद शब्द का अर्थ है (व्यवधान)। जी हां, सर्वोदय इससे बड़ी चीज है। हमारा समूचा लोकाचार समाजवाद पर आधारित है। आप उन्हें नहीं समझेंगे। आपके भविष्य द्रष्टा सन्तों ने क्या कहा था :—

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद् दुःखभाग्यवेत्॥

समाजवाद का जो कुछ ध्येय हमारे संतों ने सोचा है, उससे बड़ा और कोई ध्येय नहीं हो सकता। हमारे भविष्य द्रष्टाओं ने कहा है :—

सहनाववतु···

मैं यह चाहूंगा कि कोई तार्किक मार्क्सवादी हमारे भविष्यद्रष्टाओं द्वारा दी गई समाजवाद की परिभाषा की तुलना में कोई बेहतर परिभाषा दे :—

सहनाववतु
सहनौ भुनक्तु,

[श्री बसन्त साठे]

सह वीर्यं करवावहै
तेजास्विना मधीतमस्तु
मा विदिषाव है।।

यदि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्व प्रथम आपको घृणा त्याग देनी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी ईर्ष्या को त्याग दीजिए, जब तक आप ईर्ष्या करेंगे तब तक आप सामाजिक कल्याण अथवा राष्ट्री हित, अथवा सर्व हित नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यदि मेरे दोस्त समझें तो यह एक मौलिक चीज है। यह उसी भावार्थ में है जो मैं आज बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात की सराहना करें कि यदि हम इस आधारभूत क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो हमें विश्व की प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। यदि हमें पिछली कार्य को पूरा करता है और बराबरी पर आना है तो विश्व में दूसरे देशों की अपेक्षा बेहतर रूप में काम करना होगा।

जब हमने कोयले का राष्ट्रीयकरण किया, तब क्या स्थिति थी, क्या लागत तथा उत्पादकता थी और यह आज क्या है? मैं सारी बातों को कुल मिलाकर बात कर रहा हूं मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं कामगारों पर स्वयं दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं आप से कोयले के उत्पादन की समस्त रूप रेखा पर विचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कीमत कैसे बढ़ी और आज हम एक उच्च लागत के कुचक्र में फंसे हैं। आपको इसकी सराहना करनी होगी। क्यों? इसलिए कि यह हमारा कोयला उत्पादन तथा उत्पादकता विश्व में सबसे कम है। राष्ट्रीयकरण के समय भूमिगत खानों में यह 0.5, थी तथा एक टन से भी कम थी। भूमिगत खानों में आज तक भी यह वैसी ही है। मैं यूरोपीय देशों अथवा दूसरे देशों का उदाहरण नहीं दूंगा चूंकि आप कहेंगे कि वे अत्यन्त विकसित हैं, लेकिन मैं चीन का उदाहरण दूंगा। यह ठीक इसी तरह अपना स्थान बनाए हुए है, इसकी बड़ी आबादी है तथा यह कोयला उत्पादक है। वे 1947 में हमारी अपेक्षा कम कोयले का उत्पादन कर रहे थे। आज वे 900 लाख टन कोयले का उत्पादन करते हैं और उनके कोयले उत्पादन का 97 प्रतिशत भूमिगत खानों से होता है। क्या आप भूमिगत खानों के ओ० एम० एस० को जानते हैं? यह प्रति कामगार प्रति दिन कार्यवाही के हिसाब से 2.1 टन है। यह जो हमारे कामगार अपने देश में उत्पादन करते हैं उससे चार गुणा अधिक है। वह कितनी मजदूरी लेता है, आईये यह भी देखें वरना आप कहेंगे कि उसे अच्छी मजदूरी दी जाती है। वह प्रति टन 12 रुपये लेता है। दो टन उत्पादन करने पर, वह 24 रुपये लेता है।

श्री वसुदेव आचार्य: दूसरी सुविधाएं यथा सस्ती कीमतें व सभी चीजों के बारे में आप क्या जानते हैं?

श्री बसंत साठे: कृपया मेरी बात सुनिए एक देश में कीमतें कैसे गिरी? जब तक आपका आधारभूत ढांचा सस्ता नहीं होगा तो स्वभावतः कीमतें भी सस्ती हो जाएँगी। वे ऐसा क्यों करते हैं। चूंकि वे अधिक कोयले का उत्पादन करते हैं इसलिए अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं और चूंकि वे सस्ता कोयले का उत्पादन करते हैं इसलिए वे सस्ता ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं और चूंकि वे सस्ती ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो वे सस्ती इस्पात का भी उत्पादन कर सकते हैं। अतः इस तरह से वे आज 60 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। और वे इस्पात के 900 लाख टन के लक्ष्य

पर पहुंच जाएंगे जबकि आप 110 लाख टन पर टिके हैं। (व्यवधान) यदि आप इस देश को बनाना चाहते हैं, यदि हम मिल जुलकर भारत को बनाना चाहते हैं तो आपको सराहना करनी होगी कि इसे विश्व के साथ प्रतियोगिता तथा उत्पादक में प्रतियोगिता करती होगी। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जब तक आप वहां रहेंगे। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : लेकिन मेरे दोस्त क्या करते हैं ? समाजवादी संस्कृति लाने की बजाए, हमने सोचा था कि राष्ट्रीयकरण के बाद कम से कम वे जो समाजवाद में विश्वास करते हैं को यह बातें समझनी चाहिए। (व्यवधान) क्या आपको और बोलना है ? अन्यथा मेरी बात सुनें (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दामोदर पाण्डे (हजारी बाग) : वहां कोई बसुदेव आचार्य नहीं है जो हड़ताल करता होगा।

एक माननीय सदस्य : वहां भी होगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल मन्त्री को बोलने के लिए कहा है मैंने दूसरे सदस्यों को बोलने के लिए नहीं कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने दूसरों को बोलने को इजाजत नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं साठे साहब से एक बात कहना चाहता हूं :—

आप जब भी देखेंगे सुनहरी शाम देखेंगे,
ये जब भी देखेंगे खाली जाम देखेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : पीलिया की बीमारी से सब लोग सुनहरी ही देखते हैं। ये भी सुनहरी देख रहे हैं।

श्री बसंत साठे : मुबारक हो, आपको।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, सभापति को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय, आखिरकार उन सभी ने जिन्होंने इस बात का काफी बलपूर्वक समर्थन दिया है कि हमें उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए था और उन लोगों को जिन्होंने

[श्री वसन्त साठे]

सरकारी क्षेत्र का समर्थन किया है, उन्हें जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं और सोचते हैं कि राष्ट्रीयकरण और सरकारी क्षेत्र को बहुत ऊंचाई तक जाना होगा और उन्हें काफी ऊंचाई तक जाना भी चाहिए था—क्योंकि बंगाल समाजवादी आन्दोलन का अग्रणी था – कम से कम उन लोगों को यह विचार करना चाहिए था कि हमें एक ऐसा सरकारी क्षेत्र बनाना चाहिए जहां नियोजक—कर्मचारी के बीच कोई सम्बन्ध न हो और जहां कोई "मालिक" तथा 'नौकर' न हो। अतएव कम से कम क्या हमें, हमसे मतलब जो लोग इस देश में कामगार वर्ग के आन्दोलन से सम्बन्ध रखते हैं, कोई विचार नहीं करना चाहिए था और यह नहीं कहना चाहिए था कि देखिए हमारे देश में उत्पादकता कितनी होगी? क्या हमें यह भी कहना चाहिए था कि हम विश्व को कैसे पछाड़ेंगे; हम विश्व के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे और हम इस आधारभूत को न केवल प्रतिस्पर्धात्मक बल्कि सस्ता कैसे बनायेंगे ताकि हम अधिक आधारभूत चीजों का उत्पादन कर सकें और औद्योगिकीकरण को गांव की तरफ बढ़ा सकें। जहां हमारी जनता रहती है और जहां रोजगार पैदा किया जाना है और जहां आज युवा व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिला हुआ है और वे बेकार हैं? क्या हमारा वह उद्देश्य नहीं रहना चाहिए था? यदि हमारा उद्देश्य वह रहा होता है तो मुझे विश्वास है कि यदि आप अपने आपको टटोलते तो आपने यह कह दिया होता कि इसमें कभी कोई देरी नहीं हुई है। कम से कम अब हमें यह देखना चाहिए कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं एक भी कामगार की छटनी करवाना चाहूंगा। जी, नहीं। मैं बार-बार यही अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे सरकारी क्षेत्र में हमें अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार उत्पादकता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आप खेलने के लिए ओलम्पिक अथवा सियोल में एशियाड के लिए जाते हैं, क्या आप कभी यह कहते हैं "देखिए मैं भारत से आया हूं और अतएव आपको मुझे एक युक्ति बतानी चाहिए। आपको मुझे अपने प्रस्थान स्थान से 100 गज आगे रखना चाहिए क्योंकि मैं एक गरीब देश से आया हूं।" क्या आप कभी ऐसा कहते हैं? आपको इस विश्व में प्रतिस्पर्धात्मक बनना होगा।

यदि आप माल का निर्यात करना चाहते हैं तो आपको मुकाबला करना होगा, आपका उत्पादन सस्ता होना चाहिए तथा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्या आप इसे नहीं समझ सकते? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो क्या हमें, जो सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थक हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र को सक्षम तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं बनाना चाहिए? इसके स्थान पर मेरे मित्रों ने क्या किया है? इससे ही मुझे दुःख होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि उन्होंने हाल ही में हुई हड़ताल में क्या किया है।

महोदय, जे० बी० सी० सी० आई० की बैठक में केवल दो मुद्दों को सुलझाया जाना बाकी है। इस हड़ताल से पांच अथवा छह दिन पहले, मैंने दिल्ली में हुई जे० बी० सी० सी० आई० की बैठक में भाग लिया था। राज्य मन्त्री ने भी इसमें भाग लिया था। हमने चर्चा की थी तथा केवल दो प्रश्नों (1) स्वैच्छिक सेवा-निवृति योजना और (2) पेंशन योजना को निपटाया जाना बाकी है। हम बातचीत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के अप्रत्यक्ष प्रभाव तथा अन्य सम्बन्धित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कोई समाधान किया जा सकता है।

श्री वसुदेव आचार्य : इसका निर्णय करने में आप कितने वर्षों का समय लेंगे?

श्री वसन्त साठे : यदि इसमें समय लग भी रहा है, तो आपको उतावला नहीं होना चाहिए?

क्या हमने बातचीत के लिए मना किया है ? क्या हम इस बारे में बातचीत नहीं कर रहे ? हम ईमानदारी से समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूं। मैंने पहले भी प्रयास किया था। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैंने अन्तरिम मजूरी समस्या को देखा था तो मैंने पहल की थी। इससे समाधान खोजने में हमारी निष्कपट इच्छा का पता चलता है। अब जब हम बातचीत कर रहे हैं तो क्या आपको राजनैतिक हड़ताल के लिए इन दो प्रश्नों को उठाना चाहिए ?

श्री वसुदेव आचार्य : यह राजनैतिक हड़ताल नहीं है। आपने उन्हें हड़ताल करने के लिए मजबूर किया है।

श्री वसन्त साठे : राष्ट्रीय बन्द राजनैतिक था। राष्ट्रीय बन्द की मांग केवल 'राजीव गांधी हटाओ' की थी। यह राष्ट्रीय बन्द की मांग थी। आपने इसे अनिवार्य क्षेत्र में हुई हड़ताल के समकालिक क्यों माना है ? और फिर यह हड़ताल एक दिन की भी नहीं थी। इसकी दुष्परिणाम देखिए। इससे मुझे दुख होता है। 'कोयला क्षेत्र में छह दिन की हड़ताल'। यदि वास्तव में यह हड़ताल हुई होती, यदि हमने ध्यान न दिया होता, यदि राष्ट्रीय तथा देशभक्त कर्मचारियों ते हमें सहयोग न दिया होता तथा आपके प्रयासों को निष्फल न किया होता, यदि हमने कोयले का स्टाक न किया होता तो क्या होता ? कोयला क्षेत्र में छह दिन की हड़ताल से सारा देश गतिहीन हो जाता तथा आपका इरादा संपूर्ण देश को गतिहीन करना था···(व्यवधान) जरा सोचिए, कि इससे क्या हो जाता। यदि बिजली बन्द हो जाए, तो सबसे पहले कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और उसके बाद उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश की सभी आवश्यक सेवाएं गतिहीन हो जाती हैं।

इस हड़ताल का क्या परिणाम होता ? मुझे जरा बताइए कि इस छह दिन की हड़ताल से राष्ट्र को कितना नुकसान हुआ है। इस बात से मुझे अधिक दुःख होता है। मुझे यह कहने में गर्व महसूस होता है कि हमारे औद्योगिक सम्बन्ध सभी केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के साथ अच्छे हैं चाहे सी० आई० टी० यू० हो अथवा आई० एन० टी० यू० सी० अथवा ए० आई० टी० यू० सी०। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। हम सब यूनियनों के साथ बातचीत कर रहे हैं तथा आप इस बारे में श्री दामोदर पांडेय जी से पूछ सकते हैं। हम हर समय बातचीत कर रहे हैं तथा समस्याओं को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं।

परन्तु महोदय, इसके बावजूद क्या आपको जानकारी है कि इस हड़ताल के कारण कितने श्रम दिवस बर्बाद हुए हैं ? इसके अतिरिक्त क्या आप जानते हैं कि पिछले चार वर्षों के दौरान किस प्रकार बर्बाद होने वाले श्रम-दिवसों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती रही है ? और इस वर्ष दिसम्बर, 1987 तक यह बहुत ही शानदार उपलब्धि है। मुझे इस बात पर गर्व है और मैंने स्वयं अपने को कहा, "इस साल हम रिकार्ड बना रहे हैं।" क्या आप जानते हैं कि क्या रिकार्ड बनाया है। पिछले वर्ष में बर्बाद हुए छह लाख श्रम-दिवसों की तुलना में इस वर्ष केवल 46,005 श्रम-दिवस बर्बाद हुए हैं और यह भी एक दिन की हड़ताल के कारण हुआ है।

श्री वसुदेव आचार्य : आई० एन० टी० यू० सी० सहित श्री दामोदर पांडेय भी इसमें शामिल थे।

श्री वसन्त साठे : मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा हूं चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। इससे पहले वर्ष 1,52,000 श्रम दिवस बर्बाद किए गए। अब देखिए। हमारे मित्रों ने क्या किया

[श्री वसन्त साठे]

है ? उन्होंने उनसे कहा "कि उनके पास केवल 46,000 श्रम-दिवस बर्बाद होने का रिकार्ड है। हम यह किस प्रकार सहन कर सकते हैं ? इसलिए उन्होंने छह दिन की हड़ताल की घोषणा कर दी और इसका क्या परिणाम निकला ? छह दिन की हड़ताल के कारण, उत्पादन में 10,69,000 टन का नुकसान हुआ। छह दिन में लगभग 10 लाख का घाटा हुआ। तथा 10,25,0000 श्रम-दिवसों की क्षति हुई। अतः अब आप 46,000 में यह जोड़ सकते हैं तथा आप इसमें गर्व महसूस कर रहे हैं। हम किन लोगों की सेवा का प्रयास कर रहे हैं ? हम किन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : आपने उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया ? इसके लिए आप जिम्मेवार हैं ?

श्री वसन्त साठे : यदि सभी कर्मचारी हड़ताल पर होते तो बहुत अधिक नुकसान होता। यह केवल आपके द्वारा किए गए नुकसान के कारण हुआ है। कर्मचारियों को छह दिनों में 10 करोड़ रुपए वेतन की हानि हुई है। अब हमारे मित्र किसके लिए कार्य कर रहे हैं ? यदि हमारे समाजवाद का यह रवैया है तो वास्तव में मुझे बहुत दुख है। मैंने आपको बताया है कि कौन उत्तरदायी है। क्या यह दोनों प्रश्न उत्तरदायी हैं जिनका आपने उल्लेख किया है ? आपने इस बारे में बातचीत की है। यदि इसमें असफलता होती तो आप इसे मुद्दा बनाते।

श्री बसुदेव आचार्य : पिछले तीन वर्षों से वह मजूरी समझौते की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : चाहे तीन वर्ष से हो अथवा दो वर्ष, जब तक आप मुख्य प्रश्न पर बातचीत करते हैं, तो ट्रेड यूनियन का यह मूल कर्तव्य होता है कि यदि मामले पर बातचीत की जा रही है, जब तक यह बातचीत असफल नहीं हो जाती तब तक आपको इस मामले को नहीं उठाना चाहिए। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो आप कह सकते हैं कि जे० बी० सी० सी० आई० असफल है और आप सहमत नहीं हैं तथा आप इस मामले पर बातचीत नहीं करना चाहते। फिर आप हड़ताल करने के लिए स्वतन्त्र होते। आपने ऐसा कहा होता। परन्तु नहीं। एक तरफ तो आप बातचीत में शामिल होना चाहते हैं तथा कहते हैं कि आप बातचीत करना चाहते हैं तथा दूसरी ओर आप इस मामले के कारण हड़ताल करना चाहते हैं। यह शर्मनाक बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल शर्मनाक ही नहीं अपितु राष्ट्र-विरोधी, समाज-विरोधी कार्य है। जिन लोगों ने उन्हें हड़ताल के लिए उकसाया है, उनके लिए यह कार्य पूर्णरूप से राष्ट्र-विरोधी और देश-विरोधी है। इससे मुझे ठेस पहुंची है। कम से कम जो लोग समाजवाद की बात करते हैं···

श्री बसुदेव आचार्य : आप उन्हें राष्ट्रविरोधी कह रहे हैं···एक तरफ आप उन्हें उनकी उपलब्धियों के कारण प्रशंसा करते हैं तथा दूसरी ओर आप उन्हें राष्ट्रविरोधी कहते हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं उन कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं जो देश भक्त तथा ईमानदार हैं तथा जो गलत लोगों द्वारा उकसाए जाने तथा डराए-धमकाए जाने के बावजूद भी कार्य करते रहे।

इसके अतिरिक्त, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। बाकरेश्वर तथा पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है तथा केन्द्र सरकार ने किस प्रकार पश्चिम बंगाल के साथ पक्षपात किया है क्योंकि पश्चिम बंगाल प्रत्येक क्षेत्र में मार्क्स के प्रगतिवाद के बराबर रहा है। इसलिए अब हम प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम हम आपकी उपलब्धि देखते हैं।

श्री वी० तुलसी राम : आन्ध्र प्रदेश के बारे में भी देखें।

एक माननीय सदस्य : बिहार के बारे में भी देखें।

श्री वसन्त साठे : मैं अलग से आन्ध्र प्रदेश और बिहार की चर्चा करूंगा। परन्तु पहले मुझे पश्चिम बंगाल में हमारी उपलब्धियों के बारे में देखने दें। ऊर्जा से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में उनका कार्यनिष्पादन···

श्री वासुदेव आचार्य : पहले आप बक्रेश्वर के बारे में बताएं।

श्री वसन्त साठे : मैं बक्रेश्वर पर भी चर्चा करूंगा। मैं बक्रेश्वर के बारे में अन्त में चर्चा करूंगा क्योंकि इससे आपको काफी ठेस लगेगी। इसलिए मैं आपको बख्शना चाहता हूं। पहले मुझे अन्य बातों को कहने दें। वे पिछले तीन वर्षों में अपने उत्पादन-लक्ष्य से निरन्तर पीछे रहे हैं। इसके फलस्वरूप स्थिति यह है कि आपके उत्पादन लक्ष्य से 1.56 अरब यूनिटों की कमी हो गयी है। आप इस बात को नोट कर लें। जबकि संयंत्र भार उपादान···(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैंने उसमें क्या किया है? क्या मैं उत्पादन में बाधा बना हूं? (व्यवधान)

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : उत्पादन में नहीं बल्कि धनराशि देने में। आप धनराशि नहीं दे रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : इसके लिए धन की जरूरत नहीं थी। मैं मौजूदा संयंत्रों की बात कर रहा हूं। आप अपने मौजूदा संयंत्रों से उत्पादन नहीं कर सके। आपको कम से कम प्राथमिक बातें समझनी चाहिए। जबकि अधिकांश राज्यों—यहां तक कि बिहार तथा उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में सुधार हुआ—के संयंत्र भार उपादान में सुधार हुआ है, प० बंगाल में संयंत्र भार उपादान में गिरावट आई, इसके फलस्वरूप वहां 3.2 प्रतिशत की कमी हुई। यहां आप 1 प्रतिशत अधिक की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है?

श्री वसुदेव आचार्य : पिछले वर्ष यह 41 प्रतिशत था।

श्री वसन्त साठे : मैं आपको बताऊंगा कि यह कितना था। प० बंगाल का संयंत्र भार उपादान 38.6 प्रतिशत था।

श्री वसुदेव आचार्य : कब?

श्री वसन्त साठे : पिछले वर्ष। यह संयंत्र भार उपादान राष्ट्रीय औसत 56.4 प्रतिशत से कम है। नयी क्षमता को प्रारम्भ करने के प० बंगाल के अभिलेखों से भी यह पता चलता है कि इस कार्य में काफी विलम्ब हो गया है। कितना विलम्ब? वे "केन्द्र मंजूरी नहीं दे रहा है" आदि कहकर हम पर दोषारोपण कर रहे हैं। आइए अब उनकी अपनी परियोजनाओं को देखें। इसमें चालू करने की मूल तिथि की तुलना में इकाइयों को चालू करने में छः वर्ष तक का विलम्ब हो गया है। जबकि कोलाघाट यूनिट-दो मार्च, 1973 को चालू की जानी थी, यह वास्तव में दिसम्बर, 1985 में चालू की गयी और वे विलम्ब की बात कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : क्यों?

श्री अजित कुमार साहा : उस समय सिद्धार्थ शंकर राय प० बंगाल के मुख्यमन्त्री थे।

श्री वसन्त साठे : कम से कम पिछले आठ सालों से आपका दल प० बंगाल में शासन कर रहा है। अब आप स्वयं देखें कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं। इसी तरह जून 1979 में चालू की जाने वाली डी० पी० एल० यूनिट वास्तव में जुलाई 1985 में चालू की गई। इसमें छः वर्ष का विलम्ब हुआ। उनकी प्रत्येक परियोजना को देखिए।

यहां तक कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में भी वहां ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पम्पसैटों के विद्युतीकरण कार्यक्रम दोनों में लक्ष्य की तुलना में निरन्तर कमियां रही हैं। केन्द्र द्वारा परिवर्तित नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जो कि 1985-86 से राज्यों में संतालडीह, बांडेल और डी० पी० एल० ताप बिजली घरों में कार्यान्वित किया जा रहा है, में भी बहुत विलम्बित तथा मन्द-गति से प्रगति हुई है। जबकि वस्तुतः यह कार्य 1987-88 में पूरा हो जाना चाहिए, अब तक जैसाकि कुमारी ममता बनर्जी ने उल्लेख किया है, 42.79 करोड़ रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता में से केवल 23.83 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। अब क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं। (**व्यवधान**) क्या अब आप यह शिकायत कर सकते हैं कि केन्द्र, प० बंगाल के लिए सहायक नहीं रहा है? कृपया ध्यान दें कि यह कार्य गरीब लोगों के लिए था।

श्री बसुदेव आचार्य : कोलाघाट परियोजना के लिए निधियां जारी करने में आपको कितना समय लगा? अब यह बताइये।

श्री अजित कुमार साहा : उनको सारी कहानी बयान करने दो। आपने विद्युत विकास निगम की स्थापना होने तक इंतजार किया तथा इसके बाद धनराशि जारी की।

श्री वसन्त साठे : किन्तु यह शर्त थी अर्थात आपके प्रदेश में एक निगम होना चाहिए तथा आप निगम नहीं बनाना चाहते थे। फिर भी (**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : आप प० बंगाल के लोगों के लिए इसका उपयोग नहीं कर सके।

श्री वसन्त साठे : यह धन ग्रामीण लोगों, गरीब लोगों के लिए था। यदि ये लोग इस धन का भी उपयोग नहीं कर सकते तो वे देश में गरीब लोगों की सेवा करने की बात कैसे कर सकते हैं?

अब हम सबकी पसंदीदा परियोजना बक्रेश्वर की बात करते हैं। बक्रेश्वर पूर्णतया एक राज्य-परियोजना थी। हमने इस परियोजना को स्वीकृति दी। यह परियोजना 600 मेगावाट के लिए थी। हमने कहा, "आपको धन जुटाना है, आपको, जो भी आप चाहें भागीदार खोजना है, आप इसका निर्णय करें। यदि कोई अन्य व्यवहार्यता रिपोर्ट आती है तो उसे हमारे पास भेजें। हम उसकी जांच करेंगे। यदि वह रिपोर्ट तकनीकी रूप से तथा व्यापारिक रूप से व्यवहार्य होगी तो हम इसे अनुमोदित करेंगे।" ठीक है। अब वे क्या करते हैं?

पहला काम वे यह करते हैं कि वे प्रस्ताव अथवा निविदाएं आमन्त्रित नहीं करते हैं। उनसे गैर-सरकारी निजी संस्थान सम्पर्क करते हैं। ये गैर-सरकारी संस्थान कौन से हैं? उनमें से एक उपक्रम अमेरिका की बहुराष्ट्रीय फर्म कुल्जियन है। एक प्रस्ताव जापानी बहुराष्ट्रीय फर्म के सहयोग से है। दूसरा प्रस्ताव बिड़ला से है— बिड़ला तथा टाटा जिनको आप रात-दिन गालियां देते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं, नहीं, यह प्रस्ताव सीधे बिड़ला से नहीं है बल्कि सोवियत संघ से है।

श्री वसंत साठे : वाणिज्यिक सहायता लेकर···

श्री वसुदेव आचार्य : क्या इस बात में कोई सच्चाई है ?

श्री वसंत साठे : मैं सत्य कह रहा हूं। बिड़ला सोवियत संघ से वाणिज्यिक सहयोग ले रहे हैं, वाणिज्यिक ऋण···(व्यवधान) बाद में बिड़ला एक अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनी ब्राउन बोवेरी कारपोरेशन को लाए।

श्री वसुदेव आचार्य : आप वर्तमान स्थिति की बात कीजिए।

श्री वसंत साठे : मैं वर्तमान स्थिति पर बात करूंगा। आप धैर्य रखें। ठीक है। मैं उत्तेजित नहीं हूं। आप उत्तेजित न हों। (व्यवधान) हमें इस परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे देनी चाहिए क्योंकि मुख्य मन्त्री आपके प्रदेश की विधान सभा में प्रतिदिन बरकेश्वर परियोजना के बारे में हर रोज भ्रामक वक्तव्य दे रहे हैं। अतः, मैं यहां सब कुछ बता देना चाहता हूं। अब क्या होता है ? उन्होंने उन प्रस्तावों को भेजा; उन प्रस्तावों में कोई ब्यौरे नहीं दिए हुए थे। ये केवल प्रस्ताव थे कि यह संस्थान भी कार्य करने का इच्छुक है। इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी को यह कार्य दिया जाना चाहिए, तथा मैं आपको इससे आगे का भेद नहीं बताऊंगा क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूं तो इससे आपको और ठेस पहुंचेगी।

श्री वसुदेव आचार्य : आप जो कुछ भी जानते हैं उसे कह डालिए।

श्री वसन्त साठे : मुझे यह समझाया गया कि मुझे सोवियत फर्म के प्रस्ताव की बरीयता में अमरीकी फर्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं हम तब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक हम यह नहीं महसूस करते कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। हमारी पसन्द ऐसी होनी चाहिए। अतः, जब अगले दिन हमने यह महसूस किया कि बिड़ला का प्रस्ताव गंभीर नहीं था। अतः, यह सोवियत सहयोग के माध्यम से भी नहीं हो सकता था। तब हमने सोवियत सरकार से अनुरोध किया। हमने कहा, कि श्री गोर्बाचौव के दौरे के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु ऋण दे रहे हैं, वे 3000 मेगावाट क्षमता वाली टिहरी तथा अन्य परियोजनाओं के लिए 3000 करोड़ रु० ऋण दे रहे हैं। हमने कहा कि आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग के लिए सीधे ऋण के रूप में क्यों नहीं बढ़ाते।

राष्ट्रवार ऋण की शर्त यह है कि इसका उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर हो इसे विभिन्न राज्यों को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वैसे कोई राष्ट्रीय दायित्व नहीं होगा।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या वह विशेषकर बरकेश्वर परियोजना के लिए था या नहीं।

श्री वसन्त साठे : यह हमारे लिए है। हमने उन्हें कहा है कि यदि वे अपने अनुदान में वृद्धि करें तो हम इसका उपयोग करेंगे, हम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अपनी जिम्मेवारी पर लेंगे। हम बरकेश्वर को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लेंगे, आपके ऋण का उपयोग करेंगे। कृपया अपने ऋण में वृद्धि करें। वे इसे 800 करोड़ रु० तक बढ़ाने में सहमत हुए हैं। इसी कारण मैंने मुख्यमन्त्री से बात की। मैंने उन्हें लिखा। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की। मैं उनसे मिला तथा

[श्री वसन्त साठे]

कहा कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है। मूलतः आप 600 मेगावाट के बारे में सोच रहे थे और हम इस बात के बजाए कि एन० टी० पी० सी० इस परियोजना को करेगी बहुराष्ट्रीय तथा उस प्रकार की सभी समस्याओं तथा देश में एकाधिकार की समस्याओं का भी सामना कर रहे थे। मैं बंगाल के लोगों के बारे में सोच रहा हूं ; मैं आपके दल के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों के बारे में सोच रहा हूं। कृपया मुझे यह स्पष्ट करने दें कि पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों की देखभाल बेहतर तरीके से कैसे हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा और तब आप इसकी प्रशंसा करेंगे। हमने कहा है कि 600 मेगावाट के बजाय हम इस परियोजना को 800 मेगावाट क्षमता का बनाएंगे। हम इसकी क्षमता में 200 मेगावाट की वृद्धि करेंगे। हमने कहा कि आप 100 करोड़ रु० का निवेश करना चाहते थे, 200 करोड़ रु० या उसके लगभग मूलतः आपकी योजना में पश्चिम बंगाल के लिए था। मैंने कहा आप कितना खर्च करना चाहते हैं? जितना भी आप खर्च करें, मैं आपको एक नया प्रस्ताव दूंगा। उस अनुपात में मैं आपको अतिरिक्त ऊर्जा की व्यवस्था करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : कितनी ?

श्री वसन्त साठे : मैं आपको बताऊंगा कितनी ? सामान्यतः एक मेगावाट पर आजकल 1.5 करोड़ रु० खर्च होता है। छोटा-मोटा हिसाब जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात की प्रशंसा करेगा कि यदि आप 400 करोड़ रु० खर्च करते हैं और उसके बदले मैं आपको 600 मेगावाट बिजली देता हूं तो क्या यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए लाभकारी होगी या नहीं ? तब आप मुझे कहें। 400 करोड़ रु० के बदले आप 600 मेगावाट विद्युत पाते हैं। वास्तव में इस पर कम से कम 700 करोड़ रु० लागत आनी चाहिए। लेकिन मैं इसे दे रहा हूं क्यों ? सोवियत संघ के साथ ऐसे प्रबन्ध के कारण हम परियोजना तैयार कर सकेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : सोवियत संघ को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वसन्त साठे : उनकी आपत्ति का प्रश्न ही नहीं है ? यह राष्ट्रीय नीति है। देखिए वे कैसे गलत समझते हैं। मुझे कहने दें। उनकी आपत्ति का यह प्रश्न नहीं है। ये नियम हैं। जैसा मैंने कहा द्विपक्षीय राज्यवार ऋण का उपयोग नहीं हो सकता। परन्तु विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, ओ० ई० सी० एल० जैसे ऋण हैं, जो बैंक ऋणों के समान है। यदि ऐसे ऋणों का उपयोग होता है तो ऐसी परियोजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा यदि आपको ओ० ई० सी० एल० से बात करनी है या फिर पश्चिम बंगाल के किसी अन्य निकाय से बात करनी है और ऋण पाने की कोशिश करते हैं। सम्भवतः इस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु इस बात पर बल देने से कि यह परियोजना भी दी जाए, मुझे सभी नियमों का उल्लंघन करना होगा। यह देश के सभी राज्यों पर लागू होगा। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं ? मैं स्पष्ट करूंगा। मुझे आशा है मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद पश्चिम बंगाल के हमारे मित्र इस बात की प्रशंसा करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वह पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में है। आप परियोजना भी चाहते हैं और खर्च भी करना नहीं चाहते हैं। यह आपकी प्रवृत्ति है। आप उसे अपनी परियोजना बनाना चाहते हैं। लेकिन दायित्व लेना नहीं चाहते। ऐसा कैसे किया जा सकता है। इसलिए यह बरकेश्वर परियोजना के बारे में है।

श्री बसुदेव आचार्य : 800 मेगावाट क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री वसन्त साठे : मैं आधे घंटे का समय लूंगा (**व्यवधान**) यदि आप समय 20 मिनट और बढ़ाते हैं तो हम इसे आज ही खत्म कर देंगे। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : अब जरा टैम्पो है तो ठीक है। (**व्यवधान**)

श्री बी० तुलसीराम : एक घण्टे से क्या बोल रहे हैं।···(**व्यवधान**)···एक घण्टे से बोल रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे।···(**व्यवधान**)···बेकार की बात है। अरे साठे जी को भेज दो लैक्चर करने के लिए, अच्छा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति में हमने यह निर्णय लिया था कि कल हमें कृषि मन्त्रालय पर चर्चा करनी है।

श्री वसन्त साठे : अब मैं आंध्र प्रदेश पर कुछ बोलूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रत्येक राज्य के बारे में बताऊं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अपना उत्तर पूरा करें। मैं समझता हूं कि हम उतना समय बढ़ाएंगे।

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : ऐसा है, अपना-अपना समझने का तरीका है।

[अनुवाद]

अनेक सदस्यों ने पूछा है कि ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जिन्हें आप आगामी वर्षों में शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष हमने 5000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया। कोरबा एकक के कार्य को पूरा होने से आज हमने लक्ष्य से अधिक विद्युत का उत्पादन किया है और हम 5000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। ऐसी उपलब्धि पिछली योजनाओं में कभी नहीं हुई। पिछली योजनाओं की कुल उपलब्धि 75 प्रतिशत थी। यह लक्ष्य सौ प्रतिशत से ज्यादा है कम-से-कम यह सन्तोषजनक है तथा हमें उन अधिकारियों तथा लोगों को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इसके लिए काम किया।

6.00 म० प०

महोदय, इस योजना में, हम 22,000 मेगावाट क्षमता अधिष्ठापित करना चाहते हैं और इसके लिए 34,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने बार-बार कहा है, लगभग 10,000 मेगावाट का अन्तर है और उस अन्तर के कुछ भाग को कम करने के लिए, योजना आयोग और प्रधानमन्त्री ने, अपनी वैयक्तिक पहल पर, कुछ और अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित करने के लिए हमें और 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हमें आशा है कि हम कम-से-कम लगभग और पांच-छह हजार मेगावाट क्षमता अधिष्ठापित कर सकेंगे। परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए

[श्री वसन्त साठे]

अभी से अग्रिम योजना कार्यवाही आरम्भ करना आवश्यक है। मैं उन परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्हें हमने अभिनिश्चित किया है और जिनसे आठवीं योजना में लाभ होगा। हम इस पर अभी से काम करना आरम्भ कर देंगे। परन्तु, परियोजना के आरम्भ से उत्पादन आरम्भ होने तक की अवधि के कारण यह लाभ पाच-छह वर्ष की अवधि के बाद ही प्राप्त होगा।

परियोजना	अधिष्ठापित क्षमता मेगावाट में		राज्य
1	2		3
उत्तर क्षेत्र			
1. चमेरा-I (पनबिजली)	3 × 180	540	हिमाचल प्रदेश
2. चमेरा-II ,,	3 × 100	300	,, ,,
3. दुलहस्ती (प)	3 × 130	390	जम्मू और कश्मीर
4. उरी ,,	4 × 120	480	,, ,,
5. सलाल-II ,, (I, हम पहले ही चालू कर चुके हैं)	3 × 115	345	,, ,,
6. औरिया गैस (ताप)	4 × 100 2 × 100	400 200	उत्तर प्रदेश
7. एन० सी० आर० टी० पी० एस० (ताप)	4 × 210	840	,, ,,
8. रिहन्द विस्तार (ताप)	2 × 500	1000	,, ,,
9. जी० टी० दादरी (ताप)	4 × 100 और 2 × 100	400 200	,, ,,
10. आन्ता गैस (ताप)	2 × 100 और 1 × 130	200 130	राजस्थान
11. आर० ए० पी० पी० (नाभिकीय) (विस्तार)	2 × 235	470	,,
12. राजस्थान लिग्नाइट (ताप)	2 × 120	240	,,
13. यमुना नगर (ताप)	4 × 210	840	हरियाणा

1	2	3	
पश्चिम क्षेत्र			
1. कावास गैस (ताप)	4×100 और 2×100	400 200	गुजरात
2. काकरपाट (नाभिकीय)	2×235	470	,,
3. विन्ध्याचल विस्तार (ताप)	2×500	1000	मध्य प्रदेश
4. चन्द्रपुर (ताप)	2×500	1000	महाराष्ट्र
दक्षिण क्षेत्र			
1. रामगुंडम विस्तार (ताप)	2×500	1000	आन्ध्र प्रदेश
2. नेवेली-II (ताप)	4×210	840	तमिलनाडु
3. नेवेली-I/II	3×210	630	,,
4. कायमकुलम (ताप)	2×210	420	केरल

महोदय, वास्तव में केरल की परियोजना रिपोर्ट हमने ही तैयार की थी। वे परियोजना रिपोर्ट तक तैयार नहीं कर सके। हमने कहा, हम एक ताप संयंत्र दे देंगे और हम तालचेर से कोयला देने की व्यवस्था भी कर देंगे।

एक सज्जन ने कहा कि हमें आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा, यदि आप इस्पात संयंत्र के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं। तो विद्युत संयंत्र के लिए क्यों नहीं कर सकते। फर्क कोकिंग कोल का है। इस्पात के लिए ऐसे कोकिंग कोल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें राख बहुत कम हो। इसीलिए हम आयात करने के लिए विवश हुए क्योंकि हमारे कोकिंग कोल में राख बहुत अधिक होती है। हमारा कोयला विद्युत के लिए बहुत अच्छा है और इसे 'विद्युत कोयला' कहा जाता है और हमारा तालेचर क्षेत्र इन सभी कोयला क्षेत्रों को बिजली सप्लाई कर सकता है। (व्यवधान)

श्री तरुण थामस : ऐसा किसने कहा था ?

श्री वसन्त साठे : वह सज्जन कांग्रेस के नहीं थे। मुझे नहीं पता वे किस दल के हैं। सी० पी० एम०। (व्यवधान)

श्री तरुण थामस : ऐसा इसलिए कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हमें मुसीबत झेलनी पड़ रही है, और वहां अब बिजली नहीं है।

श्री वसन्त साठे : मैं आपको और अधिक बिजली दूंगा।

श्री तम्पन थामस : हम बिजली चाहते हैं । आप आश्वासन देते हैं । (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : महोदय, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं । ईमानदारी से कहा जाए तो यही सरकार ऐसी है जो राजनीतिक मुद्दों को बीच में नहीं लाती है । हम सदैव लोगों के हित को ध्यान में रखते हैं ।

श्री तम्पन थामस : मैं आपसे एक निश्चित उत्तर चाहता हूं ।

श्री वसंत साठे : मैं उत्तर दूंगा ।

आपके ऊर्जा मन्त्री और मुख्य मन्त्री श्री नयनार मेरे पास आए और कहा "हम कठिनाई में हैं । कृपया हमें अनावंटित हिस्से में से चाहे रामगुंडम से या नेवेली से या जहां से आप दे सकें कुछ बिजली दीजिए ।" मैं महाराष्ट्र सरकार के पास गया और बोला : "आपके पास फालतू बिजली है । हमारे रामगुंडम बिजली केन्द्र की हालत खराब है क्योंकि आन्ध्र जिसके पास कभी फालतू बिजली थी, पन बिजली में कमी के कारण, उसे बिजली की कमी पड़ रही है । हमें उन्हें भी बिजली देनी है इसलिए क्या आप केरल के लिए कुछ बिजली देंगे ।" महाराष्ट्र सरकार सहमत हो गई और केरल को ग्रिड के माध्यम से बिजली दी गई, जिसके लिए उन्होंने हमें धन्यवाद का पत्र भी भेजा है । प्रश्न यह है कि हम उनकी सहायता करना चाहते हैं । परन्तु स्थाई हल केवल दो तरीके से हो सकता है । पहला, आपके पास एक नाभिकीय संयंत्र होना चाहिए और दूसरा, आपके पास एक ताप संयंत्र होना चाहिए । अतः, हम इन दोनों प्रस्तावों का समर्थन कर रहे हैं यद्यपि नाभिकीय विद्युत मेरे मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं है । इससे उनकी पन बिजली का ताप बिजली के साथ सन्तुलन हो जाएगा और केरल राज्य को सहायता मिलेगी ।

श्री तम्पन थामस : क्या आप कोई समय-बद्ध कार्यक्रम दे सकते हैं ? क्या आप इसे सातवीं योजना में सम्मिलित करेंगे और क्या ऐसा कर दीजिए ।

श्री वसंत साठे : इसे स्वीकृति दे दी गई है । हमने कायमकुलम परियोजना को स्वीकृति दे दी है । इसका ब्यौरा आपको तैयार करना है । आपके मुख्य मन्त्री मेरे पास आए थे और बोले थे : "हम ऐसा नहीं कर सकते ; हमारे पास पैसा नहीं है ; क्या आप ऐसा करेंगे ?" मैंने कहा : "ठीक है, हम ऐसा उन्हीं प्रस्तावों के सम्बन्ध में करेंगे जैसे में पश्चिम बंगाल सरकार को देता हूं ।" मुख्य मन्त्री उस प्रस्ताव पर सहर्ष सहमत हो गए । वे पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री जैसे नही हैं, हालांकि वे एक ही दल के हैं । वे सहमत हो गए परन्तु पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री सहमत नहीं होते । यह कहानी का दुखद पक्ष है ।

श्री विजय एन० पाटिल : क्या आपने केरल के मुख्य मन्त्री से यह आश्वासन ले लिया है कि वे महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के सभी बिलों का समय से भुगतान कर देंगे ; क्योंकि कर्नाटक राज्य पर भी धनराशि बकाया है ?

श्री वसंत साठे : मैंने यह आश्वासन ले लिया है···(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : अतः मैं यह समझूं कि इसे स्वीकृति मिल गई है और इसे सातवीं योजना में शामिल कर लिया जाएगा ।

श्री वसंत साठे : मैंने आपके लिए परियोजना तैयार कर दी । अन्य काम आपको करवाने हैं—

स्वीकृति और बहुत सी अन्य बातें। अतः, यह स्वीकृति और बहुत सी बातों के अध्यधीन है।

अब मैं पूर्वी क्षेत्र को लेता हूं। बिहार—मैथन 3 × 210 420 मेगावाट बिहार दामोदर घाटी निगम; बोकार बी विस्तार—2 × 210 420 बिहार। दामोदर घाटी निगम इसमें क्षेत्र की भागीदारी रहेगी। उत्तरी कर्मापुरा—लोग कह रहे थे—वहां पर बहुत कोयला है। आप उत्तरी कर्मापुरा के लिए क्या कर रहे हैं? अतः मैंने कहा : ठीक है, हम उत्तरी कर्मापुरा में 2 × 500—एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र बनाएंगे। बिहार में ये परियोजनाएं हैं।

पश्चिम बंगाल में, फरक्का-II, 2 × 500, 1000 मेगावाट परियोजना है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है।

श्री बसन्त साठे : आपको इस बिजली में हिस्सा मिलेगा। आप इतने स्वार्थी क्यों हैं? आप हर चीज अपने ही लिए चाहते हैं। ऐसे दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते।

फरक्का-III-1 × 500; माजिया-3 × 210

उड़ीसा-तालचेर 2 × 500 1000-इसे पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

एक माननीय सदस्य : महोदय यह कब शुरू हो रहा है?

श्री बसन्त साठे : यह शुरू होने वाला है। कतिपय प्रारम्भिक कार्य किए जाने हैं, परन्तु यह इसी योजना में ही शुरू हो जाएगा। परेशान मत होइए।

तत्पश्चात्, 3 × 20 मेगावाट यूनिट अर्थात 60 मेगावाट यूनिट की सिक्किम स्थित की रणजीत जल परियोजना है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में 6 × 30 + 3 × 30 मेगावाट यूनिट अर्थात लगभग 270 मेगावाट की कथालगुरी परियोजना है।

इसलिए, महोदय, ये परियोजनाएं हैं··· (**व्यवधान**)।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : 90 × 110 मेगावाट की श्रीसेलम लैफ्ट बैंक हाईडल पावर हाऊस परियोजना का क्या हुआ?

श्री बसंत साठे : हमारे द्वारा श्रीसेलम परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। कतिपय औपचारिकताएं पूरी करनी शेष हैं। इन के पूरा होने के बाद हम उसे भी स्वीकृति दे देंगे··· (**व्यवधान**)।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : कोयलगारों का क्या होगा?

श्री बसंत साठे : कोयलगारों के बारे में मामला दुर्भाग्यवश भूमि अधिग्रहण को लेकर उच्च न्यायालय में पड़ा है। अब मैं भूमि अधिग्रहण के मामले को उठा रहा हूं। यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि कोयले उद्योग का विकास हो—अथवा किसी केन्द्रीय योजना का विकास हो—तो हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या हम यह चाहते हैं कि किसी परियोजना में अपेक्षित कर्मचारियों से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए और इसे गैर-किफायती बनाया जाए? मान लीजिए किसी खान में—और यह सोनपुर बाजारी के संदर्भ में है जो

[श्री वसन्त साठे]

छठी पंचवर्षीय योजना से निलम्बित पड़ी है—मैं उस क्षेत्र की कोयला खानों के लिए केन्द्रीय संसाधनों से 700 करोड़ रुपए निवेश कर रहा हूं। हम कहां पर रुके हुए हैं? मुझे उस विशेष खान के लिए लगभग 400 कामगारों की आवश्यकता है। परन्तु लोग यह कह रहे हैं कि हमें जमीन से बेदखल किए गए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को अवश्य नौकरी देनी चाहिए। जिस क्षण उन्हें यह पता लगता है कि कोई विशेष कोयला खान चालू की जाएगी, तत्क्षण वे भूमि को बांट लेते हैं, ताकि हरेक व्यक्ति के पास कम से कम आधा एकड़ जमीन हो और तब वे आकर कहते हैं: "अब एक व्यक्ति को नौकरी दीजिए।" एक नौकरी का औसतन तात्पर्य 2000 रुपये प्रति मास। अब जरा देखिए कि यदि भूमि से बेदखल किए गए 3000 व्यक्ति मौजूद हैं तो क्या कोई साम्यवादी अर्थशास्त्री मुझे यह बताएगा कि क्या उस कोयला खान से अन्ततोगत्वा लाभ होगा?···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य: मुझे बताइए वहां भूमि से बेदखल किए गए कितने लोग हैं।

श्री वसन्त साठे: वहां भूमि से बेदखल किए गए लगभग 1000 लोग हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं मैं इस संसद के विचार के लिए एक राष्ट्रीय प्रस्ताव तैयार कर रहा हूं। मैंने कहा है कि देखिए अपनी शुद्ध आय को खोने वाले कितने लोग हैं। वे उस भूमि से क्या अर्जित कर रहे थे? राज्य सरकार को प्रभाग पत्र के द्वारा मुझे यह बताना चाहिए कि ये लोग जिन के पास एक एकड़, आधा एकड़ अथवा दो एकड़ जमीन है, प्रतिवर्ष तथा प्रतिमास 200 रुपए, 300 रुपए अथवा वे जितना कहना चाहें शुद्ध इतने रुपये कमा रहे थे। उन्हें स्वेच्छा से निर्णय लेने दीजिए। मैं उन्हें पूरे अधिकार देता हूं। उन्हें यह निर्णय लेने दीजिए कि उनकी मासिक आय क्या थी और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि परिवार के उस सदस्य को अपने पूरे जीवन मेरी कोयला कम्पनी से मनीआर्डर के द्वारा प्रति मास उतनी धनराशि प्राप्त होगी और यह धनराशि उस मुआवजे के अलावा होगी जो हम जमीन के लिए देते हैं, यह धनराशि उस मुआवजे के अलावा होगी जो हम घर के लिए तथा अन्य चीजों के लिए देते हैं। यदि राज्य सरकार आगे आती है तो मैं पुनर्वास के लिए भी कुछ सहायता देने का इच्छुक हूं। इस प्रस्ताव के साथ भी मेरी कोयला खानों में फायदा होगा। क्या यह एक अनुचित प्रस्ताव है? यह प्रस्ताव तैयार करने के बाद भी पश्चिमी बंगाल सरकार ने अभी भी सहमति नहीं दी है, जिसके फलस्वरूप दो-तीन वर्षों से भी ज्यादा समय से सोनपुर बाजारी के बेदखल किए गए लोगों की समस्या नहीं सुलझाई गई है। मुझे जमीन नहीं मिली है और मैं कोयला खान चालू नहीं कर सकता हूं। यहां घाटा किसको हो रहा है?···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य: सोनपुर बाजारी अकेली समस्या नहीं है। अनेक परियोजनाएं भूमि के अधिग्रहण के लिए निलम्बित पड़ी हैं।

श्री वसंत साठे: 6000 करोड़ रुपए की यह धनराशि गरीब लोगों की है, जो कोयला उद्योग में लगी है। और इसका क्या परिणाम निकला है? कोयले का अधिक उत्पादन नहीं हुआ है। लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। हरेक व्यक्ति ज्यादा की मांग करता है। परन्तु उत्पादन अधिक नहीं हो रहा है, उत्पादकता में अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। आप इस देश को कैसे चला सकते हैं और कैसे इसका निर्माण कर सकते हैं? कृपया मुझे बताइए। मैं इस सभा को यही दलील देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आधारभूत बातों के मामले में हम एक बात पर अड़ जाते हैं तो हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं, हम किफायती रूप से उत्पादन नहीं कर पाते हैं, आप इस देश का निर्माण कैसे करेंगे? आप संसाधनों

का निर्माण कैसे करेंगे ? प्रत्येक मन्त्रालय जब अपनी मांग लेकर आता है तो अधिक धन की मांग करता है कि यह अधिक धन क्या है ? क्या आप नोट छापेंगे ? धन अथवा अर्थ का होना एक अच्छी बात है। जब तक आप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं तथा जब तक अधिक लोग अधिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय कहां होगा और वह केवल तभी हो सकता है जब आप आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन किफायती तथा सस्ते तौर हर करें। महोदय, मुझे इस बारे में केवल इतना ही कहना है। मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : भागीदारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री वसंत साठे : मैंने इस बारे में कई बार कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कई बार कहा है। वह इस बारे में कई बार कह सकते हैं और आप भी कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वसंत साठे : महोदय, अन्त में मैं अपना नया फारमूला बताऊंगा। महोदय, मैं ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों के बारे में बात करना चाहता हूं महोदय, मैं ईमानदारी से यह महसूस करता हूं कि हम इस देश में ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों के बारे में अपनी सीमाएं जानते हैं। हम एक मेगावाट बिजली के उत्पादन की लागत जानते हैं। आज सभी सीमित संसाधनों के साथ, यद्यपि अगले दस वर्षों में मुझे परम्परागत ऊर्जा को दुगना करना पड़े तो हमें निवेश के लिए एक लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की आवश्यकता होगी। महोदय, मेरे कष्टों में शरीक होइयेगा। जब मैं आपको यह कहता हूं कि इसके बावजूद आज बिजली की प्राप्ति व्यक्ति उपलब्धता केवल 100 किलोवाट प्रति घण्टा है। जबकि यूरोप में यह मात्रा आठ हजार किलोवाट है स्वीडन में 14 हजार किलोवाट है तथा अमेरिका में 10 हजार किलोवाट है महोदय, बाह्य विश्व में किसी के भी आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आप वहां इतना अधिक अन्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में भी यह न होने के बराबर है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आपकी सरकार की उपलब्धि है।

श्री वसन्त साठे : यह राष्ट्र की उपलब्धि है। जो कुछ भी हमने हासिल किया है यद्यपि यह कम भी हो, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपने पश्चिमी बंगाल में भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है। इसलिए हमें अपने आप में ईमानदार होना चाहिए। यदि हम इसे दुगुना भी करेंगे तो हम इसे अधिक से अधिक लगभग 350 या 400 किलोवाट कर पाएंगे। इनमें कितना अन्तर होगा ? भारत की ऊर्जा समस्या का समाधान केवल इसी में है कि ऊर्जा के निरन्तर बने रहने वाले नये संसाधनों मुख्य रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए। इसलिए मैंने कहा है कि "सौर ऊर्जा" वास्तविक साधन है और हमारे पास सूर्य की धूप पर्याप्त मात्रा में है। आजकल यह प्रौद्योगिक विकास, फोटो वोल- टेक, अयोरफस सालिस्ट्रॉन तथा अन्य चीजों के कारण है। जिससे लागत तुलनात्मक रूप से कम हो गयी है। यह लागत व्यापारिक दृष्टि से थर्मल पावर की लागत के बराबर नहीं है। लेकिन यदि आप राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्र में इसके वितरण की लागत को ध्यान में रखते हों, यदि आप इसकी पारेषण लाईनों की लागत, कोयले को रेल द्वारा भेजने, कोयला खानों तथा अन्य लागत को नहीं जोड़ते, तब भी यह कम खर्चीला है। कोई भी ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से महंगी नहीं है। इसलिए हम राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित 30 मेगावाट का छोटा कारखाना लगाने की सोच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमें

[श्री वसन्त साठे]

इस देश के नौजवान वैज्ञानिकों को तकनीशनों को विज्ञान और तकनीकी में चमत्कार लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्व में इसे कहीं से भी प्राप्त करें। ज्ञान भौगोलिक बन्धन को नहीं मानता है। इसे प्राप्त करो इसमें उन्नति करो और इसमें कुछ अतिरिक्त निवेश करो। मैं विद्युत वित्त निगम चाहता हूं और मैं इस संसद में बार-बार यही कहना चाहता हूं कि हमें इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए। यदि मैं गैर परम्परागत ऊर्जाओं, जैसे सौर, हवा, बायो-गैस, बायोमास और प्रत्येक ऐसी ऊर्जा में, प्रतिवर्ष एक सौ करोड़ रुपये भी निवेश करूं तो क्या हम कोई चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं? मैं वास्तव में इस सदन से अनुरोध करता हूं कि मेरा साथ दें और इस विचार का समर्थन करें कि यदि मुझे अपने देश के युवा वैज्ञानिकों में विश्वास है तो वे आगे बढ़ेंगे।

उनको सफलता प्राप्त करनी होगी और जिस दिन आपको सौर ऊर्जा में सफलता मिल जाएगी तो देश का उद्धार हो जाएगा। यह देश विश्व में सबसे आगे होगा और बिना ऊर्जा के आप ऐसा नहीं कर सकते। ज्वार-भाटे से ऊर्जा के बारे में भी ऐसी ही सम्भावनाएं हैं। हम ज्वार-भाटे, वायु ऊर्जा की सम्भावनाएं पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे 20,000 मेगावाट ऊर्जा मिलने की सम्भावना है। हम ऊर्जा के मामले में एक संतुलित, एकीकृत दृष्टिकोण चाहते हैं, एकीकृत ऊर्जा जो समस्त जीवन एकीकरण का आधार है और हमारी सभी आयोजना, विशेषकर ऊर्जा जैसी आधारभूत संरचना से साथ शुरू होने वाली हमारी समस्त अर्थव्यवस्था के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

आप मुझसे पूछेंगे कि फार्मूला क्या है। मैं आपको फार्मूला दूंगा। अपनी पुस्तक में मैंने फार्मूला 'त्रिमूर्ति' दिया है—लोकतंत्र में उन सभी की साझेदारी होनी चाहिए जिन्होंने उसमें योगदान दिया है। उनको समान रूप से भागीदार होना चाहिए, ताकि कोई भी किसी का शोषण न करे। मेरा यह प्रस्ताव था। सरकार के लिए मैं अब एक आसान फार्मूला दे रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम इसे लागू नहीं कर सकते।

श्री वसंत साठे : मैंने इसे प्राधिकार निरन्तरता और जिम्मेदारी की प्रासंगिकता का नाम दिया है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी प्रशासन में यदि आप इन तीन बातों को लागू कर देते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही आप देश में छोटी क्रान्ति ला देंगे। लोकतन्त्र का यह अर्थ अनुशासनहीनता नहीं है वस्तुतः लोकतन्त्र में किसी अन्य अधिकारवादी प्रणाली जिसमें अनुशासन थोपा जाता है, से भी अधिक स्वैच्छिक अनुशासन की आवश्यकता होती है और इसीलिए मैं सत्ता तथा प्रतिपक्ष दोनों के सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं यदि आप इस देश का निर्माण करना चाहते हैं तो बजाए एक दूसरे की टांग खींचने के और चर्चा के मुद्दों को बढ़ाते जाकर, हर समय अपनी ऊर्जा बरबाद कर, हम प्रतिदिन बेकार की बातों पर कितनी शक्ति बरबाद करते हैं। ऐसा करने की बजाए यदि आज राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर ध्यान देते, तो मेरे विचार से हम इस समस्या का समाधान निकाल चुके होते और अपने देश की सेवा की होती। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : होगेहक्कल परियोजना का क्या हुआ? मन्त्री महोदय, आप बड़ी आसानी से मुझसे बच कर निकल गए हैं। होगन्नकल परियोजना के सम्बन्ध में आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भूल गए हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं इस पर विशेषरूप से विचार करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं ऊर्जा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में ऊर्जा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 19 से 21 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए ऊर्जा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
ऊर्जा मन्त्रालय		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
19.	कोयला विभाग	22,29,00,000	255,67,00,000	116,71,00,000	1278,33,00,000
20.	विद्युत विभाग	56,41,00,000	243,49,00,000	282,04,00,000	1217,45,00,000
21.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा विभाग	16,11,00,000	42,00,000	86,87,00,000	2,08,00,000

6.22-1/2 म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

बावनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.23 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 7 अप्रैल, 1988/18 चैत्र, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित